★ ★ ★ ★ ★ प्रस्तावित कानूनों का पाठ ★ ★ ★ ★ ★

California आम चुनाव

मंगलवार, नवंबर 3, 2020

चुनाव के दिन मतदान स्थल सुबह 7:00 बजे से शाम 8:00 बजे तक खुले हैं!

सुरक्षित मतदान करें

CALIFORNIA

सत्यता का प्रमाण-पत्र

मैं, California राज्य का राज्य सचिव, Alex Padilla, एतदद्वारा प्रमाणित करता हूं कि यहां शामिल उपायों को 3 नवंबर 2020 को पूरे राज्य में आयोजित होने वाले आम चुनाव में California राज्य के निर्वाचकों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और यह कि इस मार्गदर्शिका को कानून के अनुसार सही तरीके से तैयार किया गया है। इस साल अगस्त, 2020 के 10वें दिन पर, Sacramento, California में सबूत के तौर पर मेरे हस्ताक्षर और राज्य की मुख्य मुहर लगाई गई।

Alex Padilla, राज्य सचिव

★ आप अपने काउंटी के चुनाव अधिकारी से संपर्क करके या (888) 345-2692 पर कॉल करके प्रस्तावित कानूनों का पाठ की अतिरिक्त प्रतियों के लिए अनुरोध कर सकते हैं। ★

मतदाता के अधिकारों

का बिल

आपके पास निम्नलिखित अधिकार हैं:

1 **यदि आप एक पंजीकृत मतदाता हैं, तो मतदान करने का अधिकार।** आप मतदान देने के योग्य हैं यदि:

- आप California में रहने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक हैं
- आपकी आयु कम से कम 18 वर्ष है
- आप वर्तमान में जहां रहते हैं, वहां पंजीकृत हैं
- आप किसी अपराध के दण्ड के लिए वर्तमान में राज्य या संघीय जेल में या पैरोल पर नहीं हैं
- आपको वर्तमान में किसी न्यायालय ने मतदान करने के लिए मानसिक रूप से अक्षम नहीं पाया है

2 **यदि आप एक पंजीकृत मतदाता हैं, तो भले ही आपका नाम मतदाता सूची में न हो, फिर भी मतदान करने का अधिकार।** आप एक अस्थायी मतपत्र का उपयोग करके मतदान करेंगे। यदि चुनाव अधिकारी निर्धारित करते हैं कि आप मतदान करने के योग्य हैं, तो आपके मतदान की गणना की जाएगी।

3 **अगर आप मतदान का समय समाप्त हो जाने के समय कतार में लगे हुए हों, तो मतदान करने का अधिकार।**

4 आपको किसी व्यक्ति द्वारा परेशान किए जाने के बिना या आपको मतदान कैसे करना है, यह बताए बिना**गुप्त मतदान करने का अधिकार।**

5 यदि आपने पहले ही अपना मतपत्र नहीं डाल दिया है, तो **गलती करने की स्थिति में एक नया मतपत्र प्राप्त करने का अधिकार।** आप निम्नलिखित कर सकते हैं:

नये मतपत्र के लिए **मतदान स्थल पर चुनाव अधिकारी से पूछें,**

किसी चुनाव कार्यालय या अपने मतदान स्थल पर एक नया मतपत्र प्राप्त करने के लिए **अपना डाक-द्वारा-मत मतपत्र अदला बदली करें,**
या **एक अस्थायी मतपत्र का उपयोग करके मतदान करें।**

6 आपके नियोक्ता या यूनियन के प्रतिनिधि के अलावा आपके द्वारा चुने गए किसी भी व्यक्ति से **मतपत्र डालने में सहायता पाने का अधिकार।**

7 California में **किसी भी मतदान स्थल पर अपना पूरा भरा हुआ डाक-द्वारा-मत मतपत्र डालने का अधिकार।**

8 **अंग्रेज़ी के अलावा किसी अन्य भाषा में चुनाव सामग्री पाने का अधिकार,** यदि आपके मतदान परिसर में पर्याप्त लोग वह भाषा बोलते हैं।

9 **चुनाव प्रक्रियाओं के बारे में चुनाव अधिकारियों से सवाल पूछने** और चुनाव प्रक्रिया को देखने का अधिकार। यदि वह व्यक्ति जिससे आप पूछते हैं, आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता है, तो उसे आपको जवाब देने के लिए सही व्यक्ति के पास भेजना होगा। यदि आपका व्यवहार अनुचित है, तो वे आपको जवाब देना बंद कर सकते हैं।

10 चुनाव अधिकारी या राज्य सचिव के कार्यालय में **किसी भी अवैध या धोखाधड़ी वाली चुनाव गतिविधि की रिपोर्ट करने का अधिकार।**

- इस वेबसाइट पर **www.sos.ca.gov**
- फ़ोन द्वारा **(888) 345-2692 पर**
- ईमेल द्वारा **elections@sos.ca.gov** पर

यदि आपको लगता है कि आपको इनमें से किसी भी अधिकार से वंचित रखा गया है, तो, राज्य सचिव की गोपनीय टोल-फ़्री मतदाता हॉटलाइन को **(888) 345-2692** पर कॉल करें।

15

प्रस्ताव 15

यह पहल उपाय California के संविधान के अनुच्छेद II के अनुभाग 8 के प्रावधानों के अनुसार लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

यह पहल उपाय California के संविधान में अनुभागों को जोड़ता है; इसलिए, जोड़े जाने के लिए प्रस्तावित नए प्रावधानों को यह इंगित करने के लिए *तिरछे प्रकार* में मुद्रित किया गया है कि वे नए हैं।

प्रस्तावित कानून

अनुभाग 1. शीर्षक

इस उपाय को "2020 के California स्कूल और स्थानीय समुदाय अनुदान अधिनियम" ("The California Schools and Local Communities Funding Act of 2020") के रूप में जाना जाएगा।

अनुभाग. 2. निष्कर्ष।

(a) California विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन अगर हम अपने भविष्य में निवेश नहीं करते हैं तो हम पीछे रह जाएंगे। अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित करने एवं California की अभी और साथ ही आने वाली पीढ़ियों के अच्छे जीवन के लिए, हमें अपने स्कूलों, सामुदायिक कॉलेजों और स्थानीय समुदायों में निवेश करने तथा छोटे व्यवसायों व स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के अच्छे कार्यों को और अधिक करने की ज़रूरत है।

(b) बच्चों और उनकी शिक्षा को प्राथमिकता देने के साथ ही हमारी प्रतिस्पर्धात्मकता की शुरुआत होती है। दशकों की कटौतियों और ज़रूरत से कम वित्तपोषण ने California के स्कूलों को खोखला कर दिया है। एक हालिया राष्ट्रीय अध्ययन ने California के स्कूलों के प्रदर्शन को समस्त राज्यों की सूची में मध्य से भी नीचे का स्थान प्रदान किया है। शीर्ष रैंक वाले राज्यों ने California के मुकाबले प्रति विद्यार्थी हजारों डॉलर अधिक खर्च किए।

(c) California के वित्तपोषण में कमी का सीधा असर हमारे बच्चों पर पड़ता है: हम शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात में राष्ट्र में एकदम पीछे हैं, मार्गदर्शन परामर्शदाता-विद्यार्थी अनुपात में सबसे पीछे और लाइब्रेरियन-विद्यार्थी अनुपात में सबसे पीछे हैं।

(d) हमारे स्थानीय समुदायों में जीवन की गुणवत्ता भी हमारे आर्थिक भविष्य के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यह सड़कों पर निर्भर करता है जो कि सुरक्षित और साफ हैं, आपातकालीन सेवाएँ जिन पर हम निर्भर करते हैं, उद्यान और मन बहलाव कार्यक्रम, जो कि हमारे युवाओं को सड़कों से परे रखते हैं और सड़कें जिनका कि रखरखाव कायदे से किया गया है। हमारे शहर, काउंटियां और स्थानीय एजेंसियां अग्रिम पंक्ति पर हैं जो कि किफ़ायती आवास की कमी के परिणामों का सामना कर रही हैं और आवासहीनता को बढ़ाने के साथ-साथ जंगल की आगों एवं अन्य आपदाओं से जोखिमों को बदतर बना रही हैं।

(e) वाणिज्यिक और औद्योगिक संपत्तियों पर संपत्ति कर हमारे स्कूलों और स्थानीय समुदायों के लिए वित्तपोषण का प्रमुख स्रोत है। जहां वस्तुतः प्रत्येक दूसरा राज्य उसके उचित बाज़ार मूल्य के आधार पर वाणिज्यिक और औद्योगिक संपत्ति का आंकलन करता है, California बिना पुनर्मूल्यांकन के वाणिज्यिक और औद्योगिक संपत्ति करों को अनेक वर्षों, यहां तक कि कई दशकों तक चलने देता है। इस असामान्य प्रणाली का झुकाव कर से बचने वाली अनुचित योजनाओं की ओर है, जो निधियों को स्कूलों और स्थानीय समुदायों से दूर ले जाती है, सस्ते आवास की कमी को बढ़ावा देती है, व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा को विरूपित करती है और व्यावसायिक स्टार्ट अप्स कंपनियों के लिए असुविधाजनक है।

(f) California की वाणिज्यिक एवं औद्योगिक संपत्तियों का कमतर-आंकलन एक बढ़ती हुई समस्या है। बड़े निवेशक और निगम, जिनमें से कई अन्य राज्यों और देशों से हैं, कानून से छुटकारा पाने और पुनर्मूल्यांकित किए गए बगैर संपत्तियों को बेचने व खरीदने के लिए तरह-तरह की योजनाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे हमारे स्कूलों और स्थानीय समुदायों पर कई बिलियन डॉलर का बोझ पड़ रहा है।

(g) Southern California विश्वविद्यालय द्वारा किए गए एक हालिया अध्ययन में पाया गया कि कमतर मूल्यांकन की गई वाणिज्यिक व औद्योगिक संपत्ति मालिकों को हर वर्ष स्थानीय संपत्ति करों में $11 बिलियन से अधिक से बचने की सुविधा प्रदान करती है, जिसे कि हमारे स्कूलों और स्थानीय समुदायों की सहायता करने की ओर जाना चाहिए।

(h) California की असामान्य वाणिज्यिक और औद्योगिक संपत्ति कर प्रणाली California के किफ़ायती आवास के संकट को बढ़ावा देने में योगदान देती है। विधायी विश्लेषक के कार्यालय और California विश्वविद्यालय के द्वारा किए गए अध्ययनों ने प्रदर्शित किया है कि California की संपत्ति कर प्रणाली मालिकों को बेकार खाली पड़ी और कम इस्तेमाल होने वाली वाणिज्यिक व औद्योगिक संपत्ति को बनाए रखने के लिए प्रेरित करती है। सुधारी गई प्रणाली, जो कि उनके उचित बाज़ार मूल्य के आधार पर समस्त संपत्तियों का आंकलन करती है, नए आवासों को निर्मित करने के लिए नए मजबूत प्रोत्साहन को सृजित करेगी।

(i) प्रत्येक वाणिज्यिक और औद्योगिक संपत्ति का मालिक स्थानीय स्कूलों और जन सुरक्षा एवं अवसंरचना जैसी सेवाओं से लाभान्वित होता है। यह अनुचित और गैर-प्रतिस्पर्धी है कि संपत्ति कर प्रणाली कुछ व्यवसायों को हमारे स्कूलों व स्थानीय समुदायों को सहायता प्रदान करने के लिए उच्चतर संपत्ति करों को अदा करने के लिए बाध्य करे जबकि उनके प्रतिस्पर्धी काफी कम संपत्ति करों को अदा करते हैं क्योंकि उनकी संपत्तियां अपने उचित बाज़ार मूल्य से कहीं कम आंकी गई हैं।

(j) California की असामान्य संपत्ति कर प्रणाली न केवल प्रतियोगिता को विरूपित करती है, बल्कि यह व्यावसायिक निवेशों को भी हतोत्साहित करती है। वर्तमान प्रणाली के तहत, अपनी संपत्तियों को बेहतर बनाने के लिए निवेश करने वाले व्यवसायों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और उन्हें उच्चतर संपत्ति कर देने होते हैं। लेकिन वे व्यवसाय जोअपनी संपत्तियों को बेहतर बनाने के लिए निवेश नहीं करते, वे कमतर मूल्यांकन की कम लागत का लाभ लेना जारी रखते हैं।

(k) California विश्वविद्यालय में किए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि व्यावसायिक संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन करने का नौकरियों और California की अर्थव्यवस्था पर शुद्ध सकारात्मक लाभ पड़ेगा।

(l) यदि हम California की व्यावसायिक संपत्तियों के कमतर मूल्यांकन की समस्या में सुधार भी करते हैं, तो भी California के संविधान में संपत्ति कर दरों पर 1% की सीमा से संबंधित प्रावधानों के कारण अभी भी California देश में व्यावसायिक संपत्ति करों के क्रम में सबसे निचले स्थान के राज्यों में रहेगा।

15

(m) छोटे व्यवसाय और स्टार्ट-अप्स को वर्तमान में तथा भविष्य में समृद्ध बनाना California की अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है। उपकरण और स्थिर वस्तुओं पर संपत्ति कर नए स्टार्ट-अप, छोटे व्यवसायों तथा बड़े व्यवसायों को लाभप्रद निवेश करने से हतोत्साहित करते हैं। कमतर मूल्यांकित बड़ी संपत्तियों का उचित बाज़ार मूल्य पर मूल्यांकन करने को आवश्यक बनाने से, हमारे स्कूलों और स्थानीय समुदाय के वित्तपोषण को नुकसान पहुंचाए बिना इस निरुत्साहक को हटा कर छोटे व्यवसायों को उपकरण और स्थिर वस्तुओं पर संपत्ति कर से काफी हद तक छूट दी जा सकती है और अन्य व्यवसायों के लिए भी कर को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

(n) California में कमतर मूल्यांकित वाणिज्यिक और औद्योगिक संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन करना मुख्य रूप से सबसे बड़े निगमों और सबसे धनी निवेशकों के स्वामित्व वाली संपत्तियों की एक छोटी संख्या को प्रभावित करेगा। मौजूदा प्रणाली द्वारा स्वीकृत कमतर मूल्यांकन के कर लाभ का लगभग 80 प्रतिशत सिर्फ 8 प्रतिशत संपत्तियों को मिलता है।

(o) वाणिज्यिक और औद्योगिक संपत्ति के कमतर मूल्यांकन को समाप्त करने के साथ ही छोटे व्यवसायों को पुनर्मूल्यांकन के स्थगन और छूट के माध्यम से उनकी रक्षा करते हुए तथा उसी समय व्यवसाय करने के अवसरों को सभी के लिए एकसमान बना कर छोटे व्यवसायों को प्रोत्साहित करते हुए एवं व्यावसायिक उपकरणों और स्थिर वस्तुओं पर संपत्ति कर को समाप्त करते हुए, वाणिज्यिक और औद्योगिक संपत्ति के कमतर मूल्यांकन को समाप्त करने के परिणामस्वरूप हमारे स्कूलों, स्थानीय समुदायों और अर्थव्यवस्था को होने वाले लाभ को अर्जित किया जा सकता है।

(p) वाणिज्यिक और औद्योगिक संपत्ति के मूल्यांकन को उचित बाज़ार मूल्य पर वापस लाने से हमारे स्कूलों, हमारे स्थानीय समुदायों और हमारे व्यवसायों को एक न्यायपूर्ण व्यवस्था प्राप्त होगी। सभी व्यवसाय एक समान मैदान में प्रतिस्पर्धा करते हुए हमारे स्कूल और स्थानीय समुदायों के लिए अतिरिक्त सहायता के तौर पर कई बिलियन डॉलर का सृजन करेंगे।

अनुभाग 3. उद्देश्य एवं आशय।

इस उपाय में California राज्य के लोगों का निम्नलिखित प्रावधानों को सम्मिलित करने का इरादा है:

(a) प्रस्ताव 13 को सभी तरह से संरक्षित करना, जिससे कि घर मालिकों और आवासीय किराये की संपत्तियों का बचाव हो। यह उपाय केवल कर योग्य वाणिज्यिक और औद्योगिक संपत्ति के मूल्यांकन को प्रभावित करता है।

(b) कमतर मूल्यांकित वाणिज्यिक और औद्योगिक संपत्तियों का उनके उचित बाज़ार मूल्य के आधार पर मूल्यांकन किए जाने को ज़रूरी बना कर स्कूलों, शहरों, काउंटियों और अन्य स्थानीय एजेंसियों के लिए स्थिर बढ़ते हुए राजस्वों के लिए प्रावधान किया जाए।

(c) इस उपाय से उत्पन्न नए राजस्वों को, राज्यों को ना देते हुए स्कूलों और स्थानीय समुदायों में वितरित किया जाए।

(d) सुनिश्चित किया जाए कि इस उपाय के परिणामस्वरूप स्थानीय स्कूलों और सामुदायिक कॉलेजों को मिलने वाले किन्हीं भी नए राजस्वों के हिस्से को, प्रस्ताव 98 सहित स्कूलों और सामुदायिक कॉलेजों के लिए पहले से निर्धारित निधि से अतिरिक्त नए राजस्व के रूप में माना जाना चाहिए।

(e) निश्चित किया जाए कि प्रत्येक स्कूली ज़िला और सामुदायिक कॉलेज इस उपाय से अर्जित अतिरिक्त धन प्राप्त करेगा और उस स्कूलों और सामुदायिक कॉलेजों को जाने वाले धन को इस तरह से आबंटित किया जाए जो कि निष्पक्षता प्रदान करने के स्थानीय नियंत्रित निधि स्रोतों के अनुरूप हो।

(f) सुनिश्चित किया जाए कि California के सभी भागों में स्थानीय समुदाय के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए मतदाताओं द्वारा अनुमोदित पूर्व मतदान उपायों के अनुरूप ही इस उपाय के परिणामस्वरूप अर्जित नए राजस्व को शहरों, काउंटियों और विशेष ज़िलों में उसी तरह से आबंटित किया जाए जैसे कि अन्य संपत्ति कर राजस्व को किया जाता है।

(g) यह सुनिश्चित करें कि स्कूलों, सामुदायिक कॉलेजों, शहरों, काउंटियों और विशेष ज़िलों को व्यापक रूप से उपलब्ध और आसानी से समझ में आने वाले तरीके से प्राप्त होने वाले नए राजस्व और उसके खर्च किया सार्वजनिक रूप से घोषणा करना आवश्यक हो ताकि पूर्ण रूप से सार्वजनिक पारदर्शिता बनी रहे।

(h) यह स्पष्ट जान लें कि यह उपाय निम्न प्रावधानों को सम्मिलित कर केवल कर योग्य वाणिज्यिक और औद्योगिक अचल संपत्ति पर लागू होता है:

(1) सभी आवासीय संपत्ति को छूट दी गई है इसलिए इस उपाय से मकान मालिकों और किराएदारों पर किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं होगा।

(2) यह उपाय कृषि भूमि पर कर लगाने या संरक्षण को प्रभावित करने वाले मौजूदा कानूनों में कोई बदलाव नहीं करता है।

(i) सभी कर योग्य वास्तविक संपत्ति के लिए संपत्ति कर दरों पर 1 प्रतिशत की सीमा से संबंधित प्रस्ताव 13 के संवैधानिक प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं करता ताकि मतदाताओं के इस उपाय को मंज़ूरी देने के बाद वाणिज्यिक और औद्योगिक संपत्ति पर स्थानीय संपत्ति कर देश में सबसे कम के बीच रहना जारी रहे।

(j) छोटी वाणिज्यिक और औद्योगिक अचल संपत्ति के मालिकों के लिए एक अपवाद प्रदान करके छोटी व्यावसायिक सम्पत्ति के मालिकों के लिए स्थिरता को सुनिश्चित करना। इस प्रावधान का उद्देश्य एक अपवाद प्रदान करना है जो केवल छोटे व्यवसायों के वास्तविक मालिकों पर लागू होता है और बड़ी संपत्ति के मालिकों को उनके लाभ के लिए अपवाद का इस्तेमाल करने से रोका जाएगा।

(k) उन संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन को टालना, जिसमें 2025–26 की ग्रहणाधिकार तारीख तक 50 प्रतिशत या उससे अधिक के कब्ज़े वाले स्थान वाले छोटे व्यवसाय, जिससे उन छोटे व्यवसाय किरायेदारों को अपने लिए बेहतर लीज़िंग विकल्प का चुनाव करने का अतिरिक्त समय प्रदान किया जा सके, यह स्वीकार करना कि इस उपाय का प्रभाव प्रत्येक संपत्ति पर अलग-अलग होगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वर्तमान मूल्यांकन उचित बाज़ार मूल्य के कितने करीब है और यह छोटी संपत्ति $3 मिलियन या कम की संपत्ति के उचित बाज़ार मूल्य के अपवाद के योग्य है या नहीं।

(l) नए और मौजूदा व्यवसायों को छोटे व्यवसायों के लिए उपकरणों और स्थिर वस्तुओं पर व्यापारिक वास्तविक व्यक्तिगत संपत्ति कर को समाप्त

करके नए निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना और अन्य सभी व्यवसायों के लिए $500,000 प्रति वर्ष की छूट प्रदान करना। विधान मंडल इस छूट को कम नहीं कर सकता है, लेकिन यह इसे बढ़ा सकता है।

(m) वाणिज्यिक और औद्योगिक संपत्तियों के वास्तविक उचित बाज़ार मूल्य के आधार पर उन सभी का आंकलन करके कर लगाने में अधिक से अधिक इक्विटी प्रदान करना जैसे कि स्टार्ट-अप्स और नए वाणिज्यिक और औद्योगिक संपत्तियों पर होता है, जिनका मूल्यांकन पहले से ही उनके वास्तविक बाज़ार मूल्य के आधार पर किया जा रहा है। इसका उद्देश्य सभी व्यवसायों के लिए काम में समान स्तरों पर प्रतिस्पर्धा कराना है और सुनिश्चित करना कि सभी व्यवसाय अपने हिस्से का भुगतान स्कूलों और स्थानीय समुदायों को सहायता देने के लिए कर रहे हैं जिनसे वे लाभान्वित होते हैं।

(n) संपत्ति कर प्रबंधन पर टास्क फोर्स के साथ चर्चा करने के बाद, चरणबद्ध मूल्यांकन के तहत, वाणिज्यिक और औद्योगिक वास्तविक संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के लिए कानून प्रदान करने के लिए विधान मंडल की आवश्यकता होती है ताकि काउंटी मूल्यांकनकर्ता प्रभावी रूप से नए कानून को लागू कर सकें। इस तरह का चरण 2022- 23 वित्तीय वर्ष के लिए ग्रहणाधिकार तारीख के साथ शुरू होगा और कई वर्षों में होगा। प्रभावित मालिकों को केवल वित्तीय वर्ष के लिए ग्रहणाधिकार तारीख से नए मूल्यांकन किए गए मूल्य के आधार पर करों का भुगतान करने का दायित्व होगा जबकि मूल्यांकनकर्ता ने पुनर्मूल्यांकन पूरा कर लिया हो।

(o) विधान-मंडल को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि इस उपाय से उत्पन्न कर दायित्वों में किसी भी वृद्धि का भुगतान करने के लिए कमतर मूल्यांकन वाली वाणिज्यिक और औद्योगिक वास्तविक संपत्तियों के प्रभावित मालिकों को चरणबद्ध प्रावधान प्रदान करे।

(p) नए कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए काउंटियों द्वारा व्यय की गईं वास्तविक प्रत्यक्ष प्रबंधन लागतों की वसूली प्रदान करना।

(q) सुनिश्चित करना कि राज्य की सामान्य निधि और अन्य निधियों को संपत्ति कर में कटौती के कारण कर राजस्व में कटौती की प्रतिपूर्ति करके हानिरहित रखा जाए।

(r) जनता को यह विश्वास दिलाने के लिए संपत्ति कर प्रणाली के राज्य समीकरण मंडल की निगरानी को बनाए रखना कि प्रत्येक काउंटी में वाणिज्यिक और औद्योगिक वास्तविक संपत्ति का आंकलन इस उपाय के अनुसार न्यायोचित एवं समान है, और आगे यह सुनिश्चित करना कि राज्य समीकरण मंडल सभी 58 काउंटियों में इस उपाय के कुशल कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए आवश्यक राज्यव्यापी सहायता प्रदान करता है।

अनुभाग. 4. अनुभाग 8.7 को California के संविधान के अनुच्छेद XVI में इस तरह पढ़े जाने के लिए जोड़ा गया है:

अनुभाग. 8.7. (a) स्थानीय स्कूल और सामुदायिक कॉलेज संपत्ति कर निधि को राज्य कोषागार में बनाया गया है, जिसे ट्रस्ट में रखा जाएगा और स्थानीय शैक्षिक प्राधिकरणों और सामुदायिक कॉलेज ज़िलों की सहायता के लिए लगातार विनियोजित किया जाता है जैसा कि उस अवधि को शिक्षा कोड के अनुभाग 421 में परिभाषित किया गया है, जैसा कि वह कानून में 1 जनवरी 2020 को लिखा गया है। स्थानीय स्कूल और सामुदायिक कॉलेज संपत्ति कर निधि में जमा धन को स्कूलों के ट्रस्ट में रखा जाएगा और निम्नानुसार वितरित किया जाएगा:

(1) कानून में 1 जनवरी, 2020 से प्रभावी वितरण फॉर्मूलों या परवर्ती कानून के अनुसार प्रत्येक ज़िला अनुसरण के लिए गणना की गई निधि के अनुपात में सामुदायिक कॉलेज ज़िलों को ग्यारह प्रतिशत निधि California सामुदायिक कॉलेजों के राज्यपालों के मंडल द्वारा आबंटित की जाएगी, बशर्ते कि संपत्ति कर राजस्व आय गणना शिक्षा कोड के अनुभाग 84751 या परवर्ती कानून के अनुसार हो जिससे तत्कालीन सहकारी वितरण फॉर्मूलों के लिए ज़िले के लिए गणना की गई कुल निधि से अधिक होने पर उसे स्थानीय स्कूल और सामुदायिक कॉलेज संपत्ति कर निधि के उस ज़िले के आनुपातिक भाग से घटाया जाएगा।

(2) नवासी प्रतिशत धनराशि का आबंटन स्कूली ज़िलों, चार्टर स्कूलों और शिक्षा के काउंटी कार्यालयों के अधीक्षक द्वारा निम्न प्रकार से किया जाएगा:

(A) स्कूल ज़िलों और चार्टर स्कूलों को, प्रत्येक स्कूल ज़िले या चार्टर स्कूल के अनुपात में कुल निधि की गणना शिक्षा कोड के अनुभाग 42238.02 के उपखंडों (a) से (i) का अनुसरण करते हैं, जैसे कि वे प्रावधान 1 जुलाई, 2019 को लिखे गए। कोई भी स्कूल ज़िला या चार्टर स्कूल जो शिक्षा कोड के अनुभाग 42238.02 के उपखंड (o) के अधीन "बुनियादी सहायता स्कूल ज़िले" या "अतिरिक्त कर इकाई" के रूप में अर्हता प्राप्त करता है, वह स्थानीय स्कूल और सामुदायिक कॉलेज संपत्ति कर निधि का अपना आनुपातिक हिस्सा घटाएगा, वह योग जिसकी शिक्षा कोड के अनुभाग 42238.02 के उपखंड (j) में गणना की जाती है, इस गणना की गई निधि को कुल निधि की गणना से घटाया जाएगा जो कि शिक्षा कोड के अनुभाग 42238.02 के उपखंडों (a) से (i) का अनुसरण करते हैं, जैसे कि उनमें से सभी प्रावधान 1 जुलाई, 2019 को लिखे गए।

(B) शिक्षा के काउंटी कार्यालयों में, प्रत्येक कार्यालय के कुल निधि के अनुपात में गणना शिक्षा कोड के अनुभाग 2574 के अनुसार की गई है जैसे कि वह प्रावधान 1 जुलाई, 2019 को लिखा गया।

(3) इस उपखंड के परिच्छेद (1) और (2) के बावजूद, कोई स्कूल ज़िला या चार्टर स्कूल स्थानीय स्कूल और सामुदायिक कॉलेज संपत्ति कर निधि से औसत दैनिक उपस्थिति के सौ डॉलर ($100) प्रति यूनिट से कम नहीं प्राप्त करेगा, स्थानीय स्कूल और सामुदायिक कॉलेज संपत्ति कर निधि पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ी या घट गई है, उसी प्रतिशत से सालाना ऊपर या नीचे की ओर समायोजित किया गया और कोई भी सामुदायिक कॉलेज ज़िला स्थानीय स्कूल और कम्युनिटी कॉलेज संपत्ति कर निधि से सौ डॉलर ($100) प्रति पूर्णकालिक छात्र से कम प्राप्त नहीं करेगा, स्थानीय स्कूल और सामुदायिक कॉलेज संपत्ति कर निधि पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ी या घट गई है, उसी प्रतिशत से सालाना ऊपर या नीचे की ओर समायोजित किया गया।

15

(b) इस अनुच्छेद के अनुभाग 8.6 के उपखंड (d) के परिच्छेद (2) में दिए गए को छोड़कर, किसी अन्य कानून के बावजूद, स्थानीय स्कूल और सामुदायिक कालेज संपत्ति कर निधि में जमा की गई निधि को विधान मंडल, राज्यपाल, वित्त निदेशक या नियंत्रक द्वारा इस अनुभाग में निर्दिष्ट किए गए लोगों के अलावा किसी भी उद्देश्य के लिए विनियोग, प्रत्यावर्तन या हस्तांतरण के अधीन नहीं किया जाएगा और न ही इन राजस्वों को सामान्य निधि या राज्य के किसी अन्य कोष या किसी स्थानीय सरकारी निधि को उधार नहीं दिया जाएगा।

(c) स्थानीय शैक्षिक एजेंसियों को आबंटित धन, जैसा कि यह अवधि शिक्षा कोड के अनुभाग 421 में परिभाषित है, जैसा कि कानून 1 जनवरी, 2020 को लिखा गया है, और स्थानीय स्कूल और सामुदायिक कॉलेज संपत्ति कर निधि से सामुदायिक कॉलेज ज़िले के अनुपूरक होगा और शिक्षा के लिए अन्य निधियों को प्रतिस्थापित नहीं करेगा। इस अनुच्छेद के अनुभाग 8 के उपखंड (b) के परिच्छेद (2) और (3) के प्रयोजनों के लिए या इस अनुच्छेद के अनुभाग 21 के प्रयोजनों के लिए स्थानीय स्कूल और सामुदायिक कॉलेज संपत्ति कर निधि से जमा या आबंटित धन "अनुच्छेद XIII B का अनुसरण करने वाले और करों की स्थानीय प्राप्तियों से आबंटित करों की सामान्य निधि प्राप्तियों से स्कूल ज़िले और सामुदायिक कॉलेज ज़िलों को कुल आबंटन" का हिस्सा नहीं होगा। इस अनुच्छेद के अनुभाग 8.6 के उपखंड (c) में दिए गए को छोड़कर, अनुच्छेद XIII A के अनुभाग 2.5 से उत्पन्न राजस्वों को सामान्य निधि राजस्व नहीं माना जाएगा जिसे इस अनुच्छेद के अनुभाग 8 के उपखंड (b) के परिच्छेद (1) के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद XIII B अनुसरण गृहीत कर लागू किया जा सकता है, इस अनुच्छेद के अनुभाग 8 के उपखंडों (b) और (e) के प्रयोजनों के लिए उन पर प्रति व्यक्ति सामान्य निधि राजस्व के निर्धारण में विचार नहीं किया जाएगा।

(d) इस अनुच्छेद के अनुभाग 8.6 के उपखंड (c) में दिए गए को छोड़कर, अनुच्छेद XIII A के अनुभाग 2.5 से उत्पन्न राजस्वों को इस अनुच्छेद के अनुभाग 20 या अनुभाग 21 के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद XIII B के अनुसरण में लागू किये जाने वाले करों की सामान्य निधि प्राप्तियाँ नहीं माना जाएगा।

अनुभाग. 5. अनुभाग 8.6 को California के संविधान के अनुच्छेद XVI में इस तरह पढ़े जाने के लिए जोड़ा गया है:

अनुभाग. 8.6. (a) विधान मंडल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक काउंटी में अनुच्छेद XIII A के अनुभाग 1 के उपखंड (a) में निर्दिष्ट कर की दर को लागू करने और अनुच्छेद XIII A के अनुभाग 2.5 के आवेदन के परिणामस्वरूप उत्पन्न अतिरिक्त राजस्व के निर्धारण के लिए कानून से या ऐतिहासिक अनुभव के आधार पर एक तरीका प्रदान करेगा। प्रत्येक काउंटी में अतिरिक्त राजस्व की राशि के रूप में निर्धारण इस अनुभाग द्वारा आवश्यक गणना के लिए इस्तेमाल के लिए काउंटी लेखा-परीक्षक को वार्षिक प्रेषित किया जाएगा।

(b) उपखंड (c), (d), और (e) और इस उपखंड के परिच्छेद (1) के उप-परिच्छेद (B) का अनुसरण करने के लिए आवश्यक निधि स्थानांतरित करने के बाद अनुच्छेद XIII A के अनुभाग 1 के उपखंड (a) में निर्दिष्ट कर की दर के कार्यान्वयन और अनुच्छेद XIII A के अनुभाग 2.5 के आवेदन से उत्पन्न सभी अतिरिक्त राजस्व निम्नानुसार काउंटी लेखा-परीक्षक द्वारा आबंटित और हस्तांतरित किया जाएगा:

(1) (A) पहला, इस अनुच्छेद के अनुभाग 8.7 के अनुसार बनाई गई स्थानीय स्कूल और सामुदायिक कॉलेज संपत्ति कर निधि में, राजस्व और कर लगाने के कोड के प्रभाग 1 के भाग 0.5 के अध्याय 6 (अनुभाग 95 से शुरू करते हुए) जैसा कि 1 जनवरी 2020 को अध्याय में लिखा गया है, का अनुसरण करने वाले निर्धारित किए गए संपत्ति करों के तौर पर स्कूल संस्थाओं के हिस्से के बराबर राशि।

(B) इस उपखंड के परिच्छेद (1) के उप-परिच्छेद (A) के अनुसार स्थानांतरण करने से पहले काउंटी लेखा-परीक्षक स्कूली ज़िले और सामुदायिक कॉलेज ज़िलों की सहायता के लिए करों की सामान्य निधि प्राप्तियों के विनियोग में वृद्धि के काउंटी की हिस्सेदारी के बराबर राशि को इस अनुच्छेद के अनुभाग 8 के अनुसार, अनुच्छेद XIII के अनुभाग 3.1 द्वारा प्रदान की गई छूट के परिणामस्वरूप वित्त निदेशक द्वारा निर्धारित राजस्व घाटे को घटाएंगे। इस उपखंड के परिच्छेद (1) के उप-परिच्छेद (A) के अनुसार आबटन से पहले अतिरिक्त सामान्य निधि विनियोजन के काउंटी हिस्से को काउंटी लेखा-परीक्षक द्वारा सामान्य निधि में स्थानांतरित किया जाएगा। इस उप-परिच्छेद का अनुसरण करते हुए वित्त निदेशक द्वारा निर्धारित राशि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए काउंटी द्वारा अनुच्छेद XIII के अनुभाग 3.1 द्वारा प्रदान की गई छूटों के परिणामस्वरूप राजस्व हानि के अनुपात में विभाजित की जाएगी।

(2) दूसरा, राजस्व और कर लगाने के कोड के प्रभाग 1 के भाग 0.5 के अध्याय 6 (अनुभाग 95 से शुरू करते हुए) जैसा कि 1 जनवरी 2020 के अध्याय में लिखा गया है, का अनुसरण करने वाले शहरों, काउंटियों और विशेष ज़िलों के बीच।

(c) अनुच्छेद XIII के अनुभाग 3.1 के उपखंड (a) और अनुच्छेद XIII A के अनुभाग 2.5 के कार्यान्वयन से उत्पन्न संपत्ति करों में किसी भी शुद्ध वृद्धि की कटौती के कारण, फ्रेंचाइज़ी कर मंडल सामान्य निधि में कटौती का निर्धारण करेगा और व्यक्तिगत आय कर कानून (भाग 10 राजस्व और कर लगाने के कोड के प्रभाग 2 के अनुभाग (17001 से शुरू करते हुए) द्वारा लगाए गए करों से प्राप्त राजस्वों से प्रभावित कोई अन्य राज्य निधि और निगम कर कानून के राजस्व और कर लगाने के कोड के प्रभाग 2 (भाग 11 (धारा 23001 से शुरू करते हुए) जैसे कि 1 जनवरी 2020 को उन कानून को लिखा गया है। फ्रेंचाइज़ी कर मंडल द्वारा निर्धारित कटौती की राशि उपखंड (b) में निर्दिष्ट आबंटन से पहले काउंटी लेखा-परीक्षक द्वारा सामान्य निधि और किसी अन्य प्रभावित राज्य निधि को हस्तांतरित की जाएगी। इस अनुच्छेद के अनुभाग 8, 20 और 21 द्वारा आवश्यक निर्धारण करने के प्रयोजनों के लिए, इस उपखंड के अनुसार सामान्य निधि के लिए हस्तांतरित राशि को सामान्य निधि राजस्व माना जाएगा जिसे अनुच्छेद XIII B के अनुसार उपयुक्त माना जा सकता है और अनुच्छेद XIII B के अनुसार गृहीत विनियोजित करों की सामान्य निधि प्राप्तियाँ और प्रति व्यक्ति सामान्य निधि राजस्वोंव की गणना में शामिल किया जाएगा। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए इस उपखंड का अनुसरण करते हुए स्थानांतरित निधि को काउंटियों के बीच उपखंड के अनुच्छेद XIII A के अनुभाग 1 का उपखंड (a) और अनुच्छेद XIII A का कार्यान्वयन अनुभाग 2.5 में निर्दिष्ट कर की दर के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप कुल अतिरिक्त राजस्व के लिए प्रत्येक काउंटी के योगदान के अनुपात में विभाजित किया जाएगा जो सभी काउंटियों के लिए निर्धारित है।

(d) (1) प्रत्येक काउंटी या शहर और काउंटी को अनुच्छेद XIII के अनुभाग 3.1 और अनुच्छेद XIII A के अनुभाग 2.5 को लागू करने की वास्तविक प्रत्यक्ष प्रशासनिक लागतों के लिए वार्षिक मुआवजा दिया जाएगा जैसा कि काउंटी या शहर और काउंटी के पर्यवेक्षकों के मंडल द्वारा पहचाना जाता है, उन लागतों की पहचान करने वाले कानूनों के अनुरूप है। विधान मंडल कानून के अनुसार यह निर्धारित करेगा कि इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए वास्तविक प्रत्यक्ष प्रशासनिक लागत क्या है। इस तरह की लागतों में न्यूनतम मूल्यांकन, मूल्यांकन अपील, कानूनी परामर्श, कर आबंटन और वितरण की लागतें और अनुभाग के अनुच्छेद XIII के अनुभाग 3.1 और अनुच्छेद XIII A के अनुभाग 2.5 के प्रावधानों की ऑडिटिंग और प्रवर्तन की लागतें शामिल होंगी। यह अधिनियम के कार्यान्वयन के साथ जुड़ी सभी लागतों को कवर करने के लिए काउंटियों को संपूर्ण पर्याप्त निधि प्रदान करना इस उपखंड का उद्देश्य है।

(2) विधान मंडल इस अधिनियम को लागू करने के लिए प्रत्येक काउंटी या शहर और काउंटी और राज्य समीकरण मंडल के लिए आवश्यक प्रारंभिक स्टार्टअप लागत को कानून द्वारा निर्धारित करेगा और ऐसी स्टार्टअप लागतों का भुगतान करने के लिए सामान्य निधि धनराशि विनियोजित करेगा जब तक कि अधिनियम को लागू करने के लिए चल रही सभी लागतों के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न हो और ऐसा होने पर कानून प्रतिपूर्ति के लिए सामान्य निधि प्रदान करेगा।

(e) प्रत्येक काउंटी या शहर और काउंटी को वार्षिक रूप से पूर्व वित्तीय वर्ष में भुगतान किए गए संपत्ति करों के वास्तविक प्रतिदाय के लिए प्रतिपूर्ति की जाएगी, जो कि अनुच्छेद XIII A के अनुभाग 2.5 के अनुसार किए गए आंकलन में सुधारों का परिणाम है। अनुच्छेद XIII A के अनुभाग 1 के उपखंड (a) में निर्दिष्ट कर की दर के आवेदन के परिणामस्वरूप से अनुच्छेद XIII A के अनुभाग 2.5 के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए इस उपखंड के अनुसार प्रतिपूर्ति की गई राशि को कुल अतिरिक्त राजस्व में प्रत्येक काउंटी के योगदान से घटाया जाएगा।

(f) सभी स्थानीय शैक्षणिक एजेंसियां, सामुदायिक कॉलेजों, काउंटियों, शहरों और काउंटियों, शहरों और विशेष ज़िले जो अनुच्छेद XIII A के अनुभाग 2.5 से उत्पन्न राजस्व से धन प्राप्त करते हैं, जिसमें उनके वार्षिक बजट भी शामिल हैं, उन्हें उस वित्तीय वर्ष के लिए अनुच्छेद XIII A के अनुभाग 2.5 के परिणाम के रूप में प्राप्त हुआ संपत्ति कर राजस्व और उन राजस्वों को कैसे खर्च किया गया, का प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सार्वजनिक रूप से खुलासा करेंगे। इस तरह के प्रकटीकरण इस तरह से किये जाएंगे ताकि यह जनता के लिए व्यापक रूप से उपलब्ध हो और इन्हें आसानी से समझा जा सके।

अनुभाग 6. अनुभाग 2.5 को California संविधान के अनुच्छेद XIII A में इस तरह पढ़े जाने के लिए जोड़ा गया है:

अनुभाग. 2.5 (a) (1) इस अनुच्छेद के अनुभाग 2 के बावजूद, 2022- 23 वित्तीय वर्ष के लिए ग्रहणाधिकार तारीख और उसके बाद की प्रत्येक ग्रहणाधिकार तारीख के लिए, वाणिज्यिक और औद्योगिक अचल संपत्ति के लिए "पूर्ण नकद मूल्य" जो अन्यथा संविधान के तहत छूट प्राप्त नहीं है, उस काउंटी, जिसमें ऐसी वास्तविक संपत्ति स्थित है, सिर्फ विधान मंडल द्वारा उपखंड (b) के अनुसार प्रदान की गई छूट को छोड़कर, के काउंटी मूल्यांकनकर्ता द्वारा निर्धारित की गई वास्तविक तारीख तक ऐसी वास्तविक संपत्ति का उचित बाज़ार मूल्य है।

(2) इस उपखंड के परिच्छेद (1) आवासीय संपत्ति पर लागू नहीं होंगे जैसा कि इस अनुभाग में परिभाषित किया गया है, चाहे वह किसी गृहस्वामी या किराएदार के कब्जे में हो। इस अनुभाग में परिभाषित आवासीय संपत्ति का इस लेख के अनुभाग 2 द्वारा आवश्यक के तौर पर मूल्यांकन किया जाएगा। इस उपखंड का परिच्छेद (1) इस अनुभाग में परिभाषित वाणिज्यिक कृषि उत्पादन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वास्तविक संपत्ति पर भी लागू नहीं होगा। वाणिज्यिक कृषि उत्पादन के लिए इस अनुभाग में परिभाषित वास्तविक संपत्ति का इस्तेमाल इस लेख के अनुभाग 2 द्वारा आवश्यक के रूप में किया जाएगा।

15

(b) इस अनुभाग के लागू होने के तुरंत बाद, विधान मंडल संपत्ति कर प्रशासन पर एक कार्य दल स्थापित करेगा, जिसमें काउंटी मूल्यांकनकर्ता या पदनामित, राज्य समीकरण मंडल सदस्य या पदनामित, इस अधिनियम का प्रस्तावक या पदनामित, करदाता प्रतिनिधि, और विधान मंडल का सदस्य या पदनामित शामिल होगा। यह कार्य दल अपने उद्देश्य और इरादे के अनुरूप इस उपाय के न्यायसंगत कार्यान्वयन के लिए आवश्यक सभी वैधानिक और विनियामक परिवर्तनों की जांच करने और सिफारिश करने के लिए अपने निर्माण पर तुरंत सार्वजनिक रूप से बुलाएगा। विधान मंडल, कार्य दल के साथ बातचीत करने के बाद, उपखंड (a) के अनुच्छेद (1) के अनुसार आवश्यक वाणिज्यिक और औद्योगिक वास्तविक संपत्ति के पुनर्मूल्यांकन के चरण के लिए कानून द्वारा प्रदान करेगा। मूल्यांकन अपील के प्रसंस्करण और समय के लिए प्रावधान सहित, काउंटी मूल्यांकनकर्ताओं के लिए एक उचित कार्यभार और कार्यान्वयन की अवधि सुनिश्चित करने के लिए, इस तरह के किसी भी चरण में 2022–23 वित्तीय वर्ष के लिए ग्रहणाधिकार तारीख के साथ शुरू होने वाले प्रत्येक काउंटी के भीतर स्थित सभी वाणिज्यिक और औद्योगिक वास्तविक संपत्तियों के प्रतिशत के पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रदान किया जाएगा और उसके बाद प्रत्येक वित्तीय वर्ष में दो या अधिक से अधिक तारीखों तक बढ़ाया जाएगा। एक मालिक पर पहले वित्तीय वर्ष के लिए ग्रहणाधिकार तारीख के साथ नए मूल्यांकन मूल्य के आधार पर करों का भुगतान करने का दायित्व होगा जब काउंटी मूल्यांकनकर्ता ने पुनर्मूल्यांकन पूरा कर लिया हो। यह चरण उन करदाताओं को भी प्रदान करेगा, जिनकी संपत्ति को उचित समय सीमा के भीतर पुनर्निर्धारित किया गया है, जिसमें करों में किसी भी वृद्धि का भुगतान करना है। इस उपखंड के लिए वाणिज्यिक और औद्योगिक वास्तविक संपत्ति के प्रारंभिक पुनर्मूल्यांकन के बाद, इस तरह की वाणिज्यिक और औद्योगिक वास्तविक संपत्ति का समय-समय पर विधान मंडल द्वारा यथा निर्धारित कम-से-कम प्रत्येक तीन वर्षों में फिर से मूल्यांकन किया जाएगा। मौजूदा कानूनों के बावजूद, विधान मंडल, काउंटी के मूल्यांकनकर्ताओं के परामर्श से, इस अनुभाग के लिए संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप होने वाली अपील की सुनवाई के लिए एक प्रक्रिया विकसित करेगा जो निम्नलिखित के अनुरूप होगी:

15

(1) इस प्रक्रिया में किसी निश्चित समय सीमा के भीतर आवेदक के विचारों की स्वत: स्वीकृति शामिल नहीं होगी।

(2) यह प्रक्रिया यह साक्ष्य देने का उत्तरदायित्व करदाता पर डालेगी कि संपत्ति का ठीक से मूल्य नहीं लगाया गया था।

(3) प्रक्रिया में करदाता को स्थानीय मूल्यांकन अपील बोर्ड के समक्ष प्रारंभिक आवेदन में किसी भी अपील से संबंधित साक्ष्य प्रदान करने की आवश्यकता होगी।

(4) प्रक्रिया यह सुनिश्चित करेगी कि स्थानीय प्रशासनिक सुनवाई निकायों जैसे कि मूल्यांकन अपील मंडल, यदि न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं, तो निर्णय केवल कानून के मुद्दों पर नए सिरे से न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं, जबकि मूल्यांकन, सहित, मूल्यांकन के मुद्दों पर पर्याप्त सबूत मानक के तहत समीक्षा की जाएगी।

(c) इस अनुभाग के प्रयोजनों के लिए:

(1) "वाणिज्यिक और औद्योगिक वास्तविक संपत्ति" का मतलब है कि कोई भी वास्तविक संपत्ति जो वाणिज्यिक या औद्योगिक संपत्ति के रूप में इस्तेमाल की जाती है, या आवासीय इस्तेमाल के लिए परिक्षेत्र न मानी गई खाली ज़मीन है और वाणिज्यिक कृषि उत्पादन के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती है। इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, खाली भूमि में वास्तविक संपत्ति शामिल नहीं होगी जो खुली जगह, एक पार्क, या भूमि के लिए समान नामित अनिवार्य रूप से मुक्त संरचनाओं के लिए सुरक्षित है, मनोरंजन और शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करने के लिए चरित्र में प्राकृतिक, और दर्शनीय, सांस्कृतिक या ऐतिहासिक मूल्यों को संरक्षित करने के लिए उद्देश्यित है।

(2) "मिश्रित-इस्तेमाल वाली वास्तविक संपत्ति" का मतलब वह वास्तविक संपत्ति है, जिस पर आवासीय और वाणिज्यिक या औद्योगिक इस्तेमाल दोनों की अनुमति है।

(3) "वाणिज्यिक कृषि उत्पादन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वास्तविक संपत्ति" का मतलब है वह भूमि जिसका इस्तेमाल वाणिज्यिक कृषि वस्तुओं के उत्पादन के लिए किया जाता है।

(4) (A) "आवासीय संपत्ति" में आवासीय संपत्ति के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली वास्तविक संपत्ति शामिल होगी, जिसमें एकल-परिवार और बहुपक्षीय संरचनाएँ दोनों शामिल हैं, और वह भूमि जिस पर उन संरचनाओं का निर्माण किया या रखा गया है।

(B) विधान मंडल कानून द्वारा प्रदान करेगा कि वाणिज्यिक या औद्योगिक के रूप में परिक्षेत्र मानी गई कोई भी संपत्ति, जिसका लंबे समय तक आवासीय संपत्ति के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, उसे उपखंड (a) के परिच्छेद (2) के प्रयोजनों के लिए आवासीय के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। मिश्रित-इस्तेमाल वाली वास्तविक संपत्ति के लिए, विधान मंडल केवल संपत्ति के उस हिस्से को सुनिश्चित करेगा जो वाणिज्यिक और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उपखंड (a) के परिच्छेद (1) के अनुसार आवश्यक पुनर्मूल्यांकन के अधीन होगा। विधान मंडल भी ऐसे कानून को परिभाषित और प्रदान करेगा जो आवासीय संपत्ति के सीमित व्यावसायिक इस्तेमालों, जैसे कि घर के कार्यालयों, घर-आधारित व्यवसायों या अल्पकालिक किराए पर, उपखंड (a) के परिच्छेद (2) के प्रयोजनों के लिए आवासीय के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। विधान मंडल मिश्रित इस्तेमाल वाली संपत्ति के वाणिज्यिक हिस्से के लिए पुनर्मूल्यांकन के लिए अपवाद प्रदान कर सकता है बशर्ते वर्ग फ़ुटमाप या मूल्य द्वारा संपत्ति का 75 प्रतिशत या उससे अधिक आवासीय हो।

(d) (1) इस उपखंड के परिच्छेद (2) के अधीन, उपखंड (a) और (b) के अनुसार पुनर्मूल्यांकन के आधार पर, तीन मिलियन डॉलर ($3,000,000) या उससे कम के उचित बाज़ार मूल्य वाली प्रत्येक वाणिज्यिक और औद्योगिक वास्तविक संपत्ति उपखंड (a) के परिच्छेद (1) के अनुसरण में पुनर्मूल्यांकन के अधीन नहीं होगी और इस अनुच्छेद के अनुभाग 2 द्वारा आवश्यक के रूप में मूल्यांकन किया जाएगा। इस परिच्छेद में निर्दिष्ट राशि को हर दो साल में 1 जनवरी 2025 से मुद्रास्फीति के लिए समायोजित किया जाएगा, जैसा कि राज्य समीकरण मंडल द्वारा निर्धारित किया गया है। राज्य समीकरण मंडल प्रत्येक काउंटी के लिए अलग-अलग समायोजन की गणना करेगा जो काउंटियों के बीच औसत वाणिज्यिक और औद्योगिक बाज़ार मूल्यों में अंतर को ध्यान में रखते हैं।

(2) इस उपखंड के परिच्छेद (1) के बावजूद, वास्तविक संपत्ति जो अन्यथा इस उपखंड के परिच्छेद (1) में उल्लिखित अपवाद का अनुपालन करेगी, वह उपखंड (a) के परिच्छेद (1) के अनुसार पुनर्मूल्यांकन के अधीन होगी यदि इस तरह की वास्तविक संपत्ति के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभकारी मालिकों में से कोई भी राज्य में स्थित अन्य वाणिज्यिक या औद्योगिक वास्तविक संपत्ति में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभकारी स्वामित्व हित रखता है, जो विषय संपत्ति सहित कुल संपत्ति में ऐसी वास्तविक संपत्ति है, जिसका एक उचित बाज़ार मूल्य तीन मिलियन डॉलर ($3,000,000) से अधिक है। इस परिच्छेद में निर्दिष्ट राशि को हर दो साल में 1 जनवरी 2025 से मुद्रास्फीति के लिए समायोजित किया जाएगा, जैसा कि राज्य समीकरण मंडल द्वारा निर्धारित किया गया है।

(3) इस उपखंड के तहत उचित बाज़ार मूल्य के सभी निर्धारण उस काउंटी के काउंटी मूल्यांकनकर्ता द्वारा निर्धारित किया जाएगा जिसमें संपत्ति स्थित है, और काउंटी निर्धारक द्वारा इस तरह के निर्धारण निर्णायक होंगे और केवल विवेक के दुरुपयोग के लिए न्यायिक समीक्षा के अधीन होंगे।

(4) इस उपखंड के परिच्छेद (1) द्वारा प्रदान किए गए अपवाद के लिए पात्र होने के लिए, वास्तविक संपत्ति का मालिक दावा करेगा और जूरी दंड के तहत काउंटी मूल्यांकनकर्ता को सालाना प्रमाणित करेगा कि पुनर्मूल्यांकन से मुक्ति के लिए इस उपखंड के परिच्छेद (1) और (2) द्वारा आवश्यक शर्तों को पूरा किया गया है और उस प्रमाणीकरण के रूप में काउंटी या राज्य द्वारा लेखा परीक्षण के अधीन होगा। राज्य समीकरण मंडल के पास राज्य की ओर से कोई भी लेखा परीक्षण करने का अधिकार होगा।

(5) इस उपखंड के परिच्छेद (1) के तहत पुनर्मूल्यांकन से बाहर की गई कोई भी वास्तविक संपत्ति केवल तब तक के पुनर्मूल्यांकन से बाहर रखी जाएगी जब तक कि वह इस उपखंड के परिच्छेद (1) और (2) द्वारा लगाई गई शर्तों को पूरा करती है। यदि ऐसी वास्तविक संपत्ति के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभकारी स्वामित्व में कोई बदलाव होता है, तो काउंटी मूल्यांकनकर्ता के लिए नया दावा और प्रमाणीकरण किया जाना चाहिए।

(6) करदाताओं द्वारा कोई अपील जो इस उपखंड के परिच्छेद (1) के लिए पुनर्मूल्यांकन से बाहर नहीं पाई जाती है, उपखंड (b) में प्रदान की गई अपील की सुनवाई के लिए प्रक्रिया के अधीन होगी।

(e) (1) यदि वाणिज्यिक या औद्योगिक वास्तविक संपत्ति के कब्जे वाले वर्ग फुटमाप के 50 प्रतिशत या उससे अधिक पर इस उपखंड के परिच्छेद (4) में परिभाषित छोटे व्यवसाय का कब्जा है, तो उपखंड (a) के परिच्छेद (1) के प्रावधान वर्ष 2025–26 के लिए ग्रहणाधिकार तारीख से पहले प्रभावी नहीं होंगे; बशर्ते, हालांकि, अगर विधान मंडल विधिपूर्वक उपखंड (b) द्वारा स्थापित करता है कि इस अनुच्छेद के तहत अर्हता प्राप्त एक वास्तविक संपत्ति 2025- 26 वित्तीय वर्ष के बाद ग्रहणाधिकार तारीख को फिर से मूल्यांकित की जाएगी, तब इस तरह की संपत्ति को उस बाद की ग्रहणाधिकार तारीख पर फिर से मूल्यांकन किया जाएगा।

(2) इस उपखंड के परिच्छेद (1) द्वारा प्रदान की गई स्थगन व्यवस्था का पात्र होने के लिए, संपत्ति का मालिक दावा करेगा/गी और जूरी दंड के तहत काउंटी मूल्यांकनकर्ता के समक्ष प्रति वर्ष प्रमाणित करेगा/गी कि पुनर्मूल्यांकन के स्थगन के लिए इस उपखंड के परिच्छेद (1) द्वारा आवश्यक शर्तों को पूरा किया गया है और उस प्रमाणन के अनुसार काउंटी या राज्य समीकरण मंडल द्वारा लेखा परीक्षण के अधीन किया जाएगा।

(3) कोई भी वास्तविक संपत्ति जिसके लिए पुनर्मूल्यांकन इस उपखंड के परिच्छेद (1) के तहत स्थगित किया जाता है, केवल तब तक के स्थगन के लिए पात्र होगी, जब तक कि वह इस उपखंड के परिच्छेद (1) द्वारा लगाए गए शर्तों को पूरा करती है और अगर इस तरह की वास्तविक संपत्ति के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभप्रद स्वामित्व में कोई बदलाव होता है, तो काउंटी मूल्यांकनकर्ता के समक्ष नया दावा और प्रमाणीकरण किया जाना ज़रूरी है। स्थगन की समाप्ति पर, संपत्ति उपखंड (a) के परिच्छेद (1) के अधीन होगी।

(4) इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, शब्द "छोटे व्यवसाय" में केवल वे व्यवसाय शामिल होंगे जो निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरा करते हैं:

(A) व्यवसाय में 50 से कम वार्षिक पूर्णकालिक कर्मचारी हैं।

(B) व्यवसाय स्वतंत्र रूप से स्वामित्व रखता है और संचालित होता है जैसे कि व्यवसाय के स्वामित्व के हित, प्रबंधन और संचालन किसी बाहरी स्रोत, व्यक्ति या किसी अन्य व्यवसाय द्वारा नियंत्रण, प्रतिबंध, संशोधन या सीमा के अधीन नहीं होते हैं।

(C) व्यवसाय, California में स्थित वास्तविक संपत्ति का मालिक है।

(f) इस अनुभाग के प्रयोजनों के लिए, किसी भी वर्ष दावा करने में विफलता, जिस समय दावा किया जाना आवश्यक है, उस समय प्रभावी कानूनों के अनुसार किया जाना आवश्यक है, कोई अपवाद या वर्गीकरण जो आंकलन या पुनर्मूल्यांकन को कम या बाधित करता है, उसे उस वर्ष के लिए अपवाद या वर्गीकरण से छूट माना जाएगा।

(g) अनुच्छेद XVI के अनुभाग 8.6 के उप अनुभाग (a) के लिए विधान मंडल द्वारा निर्धारित पद्धति का इस्तेमाल करके, किसी शहर, काउंटी या शहर और काउंटी के भीतर सकल कर योग्य मूल्यांकन में प्रतिशत परिवर्तन, राजस्व और कराधान संहिता के अनुभाग 97.70 के अनुसार किसी संगठन के वाहन लाइसेंस शुल्क समायोजन राशि की गणना करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें इस अनुभाग के आवेदन के परिणामस्वरूप किए गए अतिरिक्त मूल्यांकन शामिल नहीं होंगे।

(h) अनुच्छेद XVI या किसी अन्य कानून के अनुभाग 16 के बावजूद, इस अनुभाग के आवेदन के परिणामस्वरूप अतिरिक्त मूल्यांकित मूल्यांकन को कर वृद्धि के रूप में उपचार के लिए करों के किसी भी प्रभाग या वृद्धि की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा और किसी भी हालत में इसे वंचित नहीं किया जाएगा।

अनुभाग 7. अनुभाग 3.1 California का संविधान के अनुच्छेद XIII में इस तरह पढ़े जाने के लिए जोड़ा गया है:

अनुभाग 3.1. (a) (1) प्रत्येक करदाता मूर्त व्यक्तिगत संपत्ति पर कर का भुगतान करता है, जिसमें व्यावसायिक उपकरण और स्थिर वस्तुएँ शामिल हैं, जिनका इस्तेमाल व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है, निम्नलिखित में से कोई एक लागू होगा:

(A) (i) करदाता के लिए, जो छोटा सा व्यवसाय है, जैसा कि अनुच्छेद XIII A के अनुभाग 2.5 के उपखंड (e) के परिच्छेद (4) में परिभाषित किया गया है, व्यवसाय के प्रयोजनों के लिए स्वामित्व वाली और इस्तेमाल की जाने वाली सभी मूर्त संपत्ति कराधान से मुक्त है।

(ii) करदाता दावा करेगा/गी और जूरी के तहत काउंटी के मूल्यांकनकर्ता के समक्ष प्रमाणित करेगा/गी कि छूट के लिए इस उप-परिच्छेद द्वारा आवश्यक शर्त पूरी की गई है और ऐसा दावा काउंटी या राज्य द्वारा उस प्रमाणीकरण के अनुसार लेखा परीक्षण के अधीन होगा।

(B) इस उपखंड के परिच्छेद(1) के उप-परिच्छेद (A) के अधीन करदाता को छोड़कर, संयुक्त कर योग्य व्यक्तिगत संपत्ति और स्थिर वस्तुओं के लिए, प्रति करदाता, पांच लाख डॉलर ($500,000) तक की राशि को कराधान से छूट दी गई है।

(2) विमान और जहाज इस छूट के अधीन नहीं होंगे।

(3) विधान मंडल इस उपखंड द्वारा प्रदान की गई छूट की मात्रा को कम नहीं करेगा या उनके अनुप्रयोग को नहीं बदलेगा, लेकिन इस अनुच्छेद के अनुभाग 2 में उल्लिखित प्राधिकरण के अनुरूप इस उपखंड के परिच्छेद (1) के उप-परिच्छेद (B) में निर्दिष्ट छूट राशि को बढ़ा सकता है।

(b) विधान मंडल इस कानून के अनुसार प्रदान करेगा कि सभी संबंधित संस्थाएँ, जिनमें कोई भी सहायक, स्वामित्व कंपनियों, या मूल निगम शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, इस अनुभाग के प्रयोजनों के लिए उन्हें "करदाता" माना जाता है।

अनुभाग 8. अनुभाग 16 California का संविधान के अनुच्छेद XIII B में पढ़ने के लिए शामिल है:

अनुभाग.16. (a) इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, "करों की प्राप्तियों" में अनुच्छेद XIII A के अनुभाग 2.5 द्वारा उत्पन्न अतिरिक्त राजस्व शामिल नहीं होंगे।

(b) इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, सरकार की प्रत्येक संगठन की सीमा के अधीन विनियोजन में अनुच्छेद XIII A के अनुभाग 2.5 के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप एकत्रित अतिरिक्त राजस्वों के विनियोजन शामिल नहीं होंगे।

15

15 16 17 18

अनुभाग 9. प्रभावी तारीख।

यह उपाय 1 जनवरी 2022 से कार्यकारी हो जाएगा, सिवाय इसके कि अनुच्छेद XIII के अनुभाग 3.1 का उपखंड (a) 1 जनवरी 2024 से कार्यकारी होगा, और अनुच्छेद XVI के अनुभाग 8.6 का उपखंड (d) और अनुच्छेद XIII A के अनुभाग 2.5 का उपखंड (b) इस उपाय के पारित होने पर तुरंत कार्यकारी हो जाएंगे।

अनुभाग 10. विच्छेदनीयता।

इस अधिनियम के प्रावधान अलग किए जा सकने योग्य हैं। यदि किसी भी हिस्से, खंड, उपखंड, परिच्छेद, धारा, वाक्य, वाक्यांश, शब्द, या इस अधिनियम के कार्यान्वयन सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी भी न्यायालय के निर्णय द्वारा किसी भी कारण से अमान्य होने पर उस निर्णय से इस अधिनियम के शेष भाग की वैधता प्रभावित नहीं होगी। California राज्य के लोग इसके द्वारा घोषणा करते हैं कि वे इस अधिनियम को अपनाएंगे और प्रत्येक भाग, खंड, उपखंड, परिच्छेद, धारा, वाक्य, वाक्यांश, शब्द, और आवेदन को अमान्य या

असंवैधानिक घोषित नहीं किया जाएगा, चाहे इस अधिनियम का कोई भी हिस्सा या उसके कार्यान्वयन को बाद में अवैध घोषित किया जाए। पूर्व घोषित किए जाने के बावजूद, इस अधिनियम का अनुभाग 7 इसके अनुभाग 6 से अलग किए जाने योग्य नहीं है।

अनुभाग 11. उदार गठन।

इस अधिनियम का इस अधिनियम के अनुभाग 3 में व्यक्त के रूप में अपने उद्देश्यों को प्रभावी बनाने के लिए इस अधिनियम को उदारतापूर्वक समझा जाएगा।

प्रस्ताव 16

2019-2020 के नियमित सत्र (संकल्प अध्याय 23, 2020 के कानून) के संविधान संशोधन 5 द्वारा प्रस्तावित यह संशोधन स्पष्ट रूप से निम्न अनुभागों में संशोधन कर California के संविधान में संशोधन करता है; इसलिए, हटाए जाने के लिए प्रस्तावित मौजूदा प्रावधान ~~स्ट्राइक आउट प्रकार~~ में मुद्रित किए जाते हैं।

अनुच्छेद I में प्रस्तावित संशोधन

कि अनुच्छेद I के अनुभाग 31 को निरस्त किया जाता है।

~~अनुभाग 31. (a) राज्य, सार्वजनिक रोज़गार, सार्वजनिक शिक्षा, या सार्वजनिक अनुबंध के संचालन में नस्ल, लिंग, रंग, जातीयता, या राष्ट्रीय मूल के आधार पर किसी भी व्यक्ति या समूह के खिलाफ भेदभाव नहीं करेगा, या प्राथमिकता नहीं देगा।~~

~~(b) यह अनुभाग, अनुभाग की प्रभावी तारीख के बाद की गई कार्रवाई पर ही लागू होगा।~~

~~(c) इस अनुभाग की, किसी की भी लिंग के आधार पर प्रमाणित योग्यताओं को प्रतिबंधित करने के रूप में व्याख्या की जाएगी, जो सार्वजनिक रोज़गार, सार्वजनिक शिक्षा या सार्वजनिक अनुबंध के सामान्य संचालन के लिए यथोचित आवश्यक हैं।~~

~~(d) इस अनुभाग में किसी की भी अदालत के आदेश या सहमति की डिक्री को अमान्य करने के रूप में व्याख्या नहीं की जाएगी जो इस अनुभाग की प्रभावी तारीख के समय लागू है।~~

~~(e) इस अनुभाग में दिया गया कुछ भी ऐसी व्याख्या नहीं करता, जो किसी भी संघीय कार्यक्रम के लिए पात्रता को स्थापित करने या बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई को निषिद्ध करने के रूप में समझा जाएगा, जहां अपात्रता से राज्य को संघीय धन का नुकसान होगा।~~

~~(f) इस अनुभाग के प्रयोजनों के लिए, "राज्य" में शामिल होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि इन्हीं तक ही सीमित हो, स्वयं राज्य, कोई भी शहर, काउंटी, शहर और काउंटी, सार्वजनिक विश्वविद्यालय प्रणाली, California विश्वविद्यालय, सामुदायिक कॉलेज ज़िला, स्कूल ज़िला, विशेष ज़िला, या कोई भी अन्य राजनीतिक उपखंड या राज्य के या के भीतर के सरकारी साधन।~~

~~(g) घायल पार्टी की नस्ल, लिंग, रंग, जातीयता या राष्ट्रीय मूल की परवाह किए बिना, इस खंड के उल्लंघनों के लिए उपलब्ध समाधान समान होंगे, जैसा कि अन्यथा तत्कालीन मौजूदा California भेदभाव-विरोधी कानून के उल्लंघनों के लिए उपलब्ध हैं।~~

~~(h) यह अनुभाग स्व-निष्पादक होगा। यदि इस अनुभाग के किसी भाग या भागों को संघीय कानून या संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के साथ संघर्ष में पाया जाता है, तो यह अनुभाग अधिकतम सीमा तक लागू किया जाएगा जिसके लिए संघीय कानून और संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान अनुमति देता है। अमान्य ठहराया गया कोई भी प्रावधान इस अनुभाग के शेष हिस्सों से विच्छेद करने योग्य होगा।~~

प्रस्ताव 17

2019-2020 के नियमित सत्र (संकल्प अध्याय 24, 2020 के कानून) के विधानसभा संविधान संशोधन 6 द्वारा प्रस्तावित यह संशोधन स्पष्ट रूप से निम्न अनुभागों में संशोधन कर California के संविधान में संशोधन करता है; इसलिए हटाए जाने के लिए प्रस्तावित वर्तमान प्रावधानों को ~~स्ट्राइक आउट टाइप~~ में प्रिंट किया गया है और जोड़े जाने के लिए प्रस्तावित नए प्रावधान यह दर्शाने के लिए *इटैलिक टाइप* में प्रिंट किए गए हैं कि वे नए हैं।

अनुच्छेद II में प्रस्तावित संशोधन

पहला—अनुच्छेद II के अनुभाग 2 को इस तरह पढ़े जाने के लिए संशोधित किया गया है:

अनुभाग 2. *(a)* संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक जो 18 वर्ष की आयु का/की है और इस राज्य का/की निवासी है, मतदान कर सकता/ती है।

(b) राज्य या संघीय जेल में सज़ा भुगतते समय एक निर्वाचक को मतदान से अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, जैसा कि अनुभाग 4 में वर्णित है, उन्हें अपने जेल की सज़ा के पूरा होने पर मतदान का अधिकार बहाल हो जाएगा।

दूसरा—अनुच्छेद II के अनुभाग 4 को इस तरह पढ़े जाने के लिए संशोधित किया गया है:

अनुभाग 4. विधान मंडल चुनावों को प्रभावित करने वाली अनुचित प्रथाओं पर रोक लगाएगा और मानसिक रूप से अक्षम या ~~कारावास या पैरोल पर~~ *राज्य या संघीय जेल* में सज़ा काट रहे दोषियों के लिए अयोग्यता प्रदान करेगा।

प्रस्ताव 18

2019-2020 के नियमित सत्र (संकल्प अध्याय 30, 2020 के कानून) में विधानसभा संविधान संशोधन 4 द्वारा प्रस्तावित यह संशोधन स्पष्ट रूप से निम्न अनुभागों में संशोधन कर California के

संविधान में संशोधन करता है; इसलिए, जोड़े जाने वाले नए प्रावधानों को *इटैलिक प्रकार* में मुद्रित किया जाता है ताकि यह इंगित किया जा सके कि वे नए हैं।

अनुच्छेद II में प्रस्तावित संशोधन

अनुच्छेद II के अनुभाग 2 को इस तरह पढ़े जाने के लिए संशोधित किया गया है:

अनुभाग 2. *(a)* संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक जो *कम से कम* 18 वर्ष की आयु का/की है और इस राज्य *का*निवासी है, वह मतदान कर सकता/ती है।

(b) संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक जो 17 वर्ष की आयु का/की है, इस राज्य का/की निवासी है, और अगले आम चुनाव के समय तक उसकी आयु कम से कम 18 वर्ष होगी, तो वह अगले आम चुनाव, से पहले होने वाले किसी भी प्राथमिक या विशेष चुनाव में मतदान कर सकता है, यदि नागरिक उस आम चुनाव तक कम से कम 18 वर्ष की आयु का हो जाता/ती है तो वह मतदान करने के योग्य होगा/गी।

प्रस्ताव 19

2019-2020 के नियमित सत्र (संकल्प अध्याय 31, 2020 के कानून) में विधानसभा संविधान संशोधन 11 द्वारा प्रस्तावित यह संशोधन स्पष्ट रूप से निम्न अनुभागों को जोड़कर California के संविधान में संशोधन करता है; इसलिए, जोड़े जाने वाले नए प्रावधानों को *इटैलिक प्रकार* में मुद्रित किया जाता है ताकि यह इंगित किया जा सके कि वे नए हैं।

अनुच्छेद XIII A में प्रस्तावित संशोधन

पहला—इस उपाय को वरिष्ठ नागरिकों, गंभीर रूप से विकलांग, परिवार के लिए गृह संरक्षण, और जंगल की आग या प्राकृतिक आपदा अधिनियम (Natural Disasters Act) के पीड़ितों के रूप में जाना जाएगा और इसका इस प्रकार हवाला दिया जा सकता है।

दूसरा—कि अनुभाग 2.1 अनुच्छेद XIII A में इस प्रकार पढ़े जाने के लिए जोड़ा गया है:

अनुभाग 2.1. (a) वरिष्ठ नागरिकों, गंभीर रूप से विकलांग, जंगल की आग और प्राकृतिक आपदा के पीड़ितों और परिवारों के प्राथमिक निवास पर संपत्ति कर बढ़ाने को सीमित करता है। विधान मंडल द्वारा यह प्रस्ताव करने में और लोगों द्वारा इसे अपनाने के पीछे की मंशा है कि यह अनुभाग निम्नलिखित दोनों करेगा:

(1) गंभीर रूप से विकलांग, जंगल की आग या अन्य प्राकृतिक आपदाओं के शिकार लोगों, या 55 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों, जिन्हें परिवार या चिकित्सा देखभाल के करीब स्थानांतरित करने की आवश्यकता है, वैसे घर के मालिकों पर अनुचित स्थान प्रतिबंधों को हटाकर प्राथमिक निवास पर कर बढ़ाने को सीमित करके, घर के आकार को छोटा करने के लिए, एक ऐसा घर खोजें जो बेहतर ढंग से उनकी जरूरतों को पूरा करता हो, या एक क्षतिग्रस्त घर को बदलता हो और अग्नि सुरक्षा और आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए समर्पित निधि के माध्यम से घरों को जंगल की आग से होने वाले नुकसान को सीमित करता हो।

(2)अभिभावकों और दादा-दादियों के द्वारा प्राथमिक निवास के रूप में जारी इस्तेमाल को बनाए रखने के लिए अपने पारिवारिक घर का उत्तराधिकार अपने बच्चों और पोते-पोतियों को देने के अधिकार की रक्षा करते हुए प्राथमिक निवास के रूप में इस्तेमाल हो रहे पारिवारिक घरों पर संपत्ति कर बढ़ाने को सीमित करता है, जबकि पूर्वी तट के निवेशकों, मशहूर हस्तियों, धनी गैर-California वासियों और ट्रस्ट फ़ंड वारिसों द्वारा California में स्वामित्व वाले अवकाश गृहों, आय संपत्तियों और समुद्र तट के किराये पर संपत्ति कर का उचित हिस्सा चुकाने से बचने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली अनुचित कर बचावों को समाप्त करता है।

(b) वरिष्ठ नागरिकों, गंभीर रूप से अक्षम और जंगल की आग और प्राकृतिक आपदाओं के शिकार लोगों के लिए संपत्ति कर निष्पक्षता। इस संविधान या किसी अन्य कानून के किसी भी प्रावधान के बावजूद, 1 अप्रैल, 2021 से शुरू होकर और उसके बाद, निम्नलिखित लागू होंगे:

(1) लागू प्रक्रियाओं और परिभाषाओं के अधीन, जैसा कि कानून द्वारा प्रदान किया गया है, एक प्राथमिक निवास का मालिक, जो 55 वर्ष से अधिक आयु का है, गंभीर रूप से विकलांग है या किसी जंगल की आग या प्राकृतिक आपदा का शिकार है, अपने प्राथमिक निवास के कर योग्य मूल्य को इस राज्य में कहीं भी स्थित एक प्रतिस्थापन प्राथमिक निवास पर स्थानांतरित कर सकता है, भले ही प्रतिस्थापन प्राथमिक निवास का स्थान या मूल्य कुछ भी हो, जिसे मूल प्राथमिक निवास की बिक्री के दो साल के भीतर उस व्यक्ति के प्रमुख निवास के रूप में खरीदा या नवनिर्मित किया गया हो।

19

(2) इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए:

(A) मूल प्राथमिक निवास की तुलना में उसके बराबर या उससे कम मूल्य के प्रतिस्थापन प्राथमिक निवास के कर योग्य मूल्य के किसी भी हस्तांतरण के लिए, प्रतिस्थापन प्राथमिक निवास के कर योग्य मूल्य को मूल प्राथमिक निवास के कर योग्य मूल्य के रूप में माना जाएगा।

(B) मूल प्राथमिक निवास की तुलना में अधिक मूल्य के प्रतिस्थापन प्राथमिक निवास के कर योग्य मूल्य के किसी भी हस्तांतरण के लिए, प्रतिस्थापन प्राथमिक निवास के कर योग्य मूल्य की गणना मूल प्राथमिक निवास के पूर्ण नकद मूल्य और मूल प्राथमिक निवास के कर योग्य मूल्य में प्रतिस्थापन प्राथमिक निवास के पूर्ण नकद मूल्य के बीच के अंतर को जोड़कर की जाएगी।

(3) 55 वर्ष से अधिक आयु या गंभीर रूप से विकलांग प्राथमिक निवास के मालिक को इस उपखंड के अनुसार प्राथमिक निवास के कर योग्य मूल्य के तीन गुना से अधिक को स्थानांतरित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(4) कोई भी व्यक्ति जो इस उपखंड के अनुसार अपने प्राथमिक निवास के कर योग्य मूल्य को स्थानांतरित करना चाहता है उसे जिस काउंटी में प्रतिस्थापन प्राथमिक निवास स्थित है उसके मूल्यांकनकर्ता के पास एक आवेदन दायर करना होगा। आवेदन में कम से कम, राजस्व और कराधान कोड के अनुभाग 69.5 के उपखंड (f) के परिच्छेद (1) में निर्धारित जानकारी शामिल करनी होगी, जैसा कि उस अनुभाग में 1 जनवरी, 2020 को लिखा गया है।

(c) पारिवारिक घरों के लिए संपत्ति कर निष्पक्षता। इस संविधान या किसी अन्य कानून के किसी भी प्रावधान के बावजूद, 16 फरवरी, 2021 से शुरू होकर और उसके बाद, निम्नलिखित लागू होंगे:

(1) अनुभाग 2 के उपखंड (a) के प्रयोजनों के लिए, "खरीदे गए" और "स्वामित्व में परिवर्तन" शब्द में माता-पिता और उनके बच्चों के बीच हस्तांतरण के मामले में हस्तांतरण करने वाले के परिवार के घर की खरीद या हस्तांतरण शामिल नहीं है, जैसा कि विधान मंडल द्वारा परिभाषित किया गया है, अगर संपत्ति हस्तांतरण करने वाले के पारिवारिक घर के रूप में ही रहती है। यह उपखंड स्वैच्छिक हस्तांतरण और न्यायालयी आदेश या न्यायिक डिक्री के परिणामस्वरूप हस्तांतरण दोनों पर लागू होता है। हस्तांतरण करने वाले के पारिवारिक घर का नया कर योग्य मूल्य निम्नलिखित दोनों का योग होगा:

(A) पारिवारिक घर का कर योग्य मूल्य, अनुभाग 2 के उपखंड (b) द्वारा अधिकृत समायोजन के अधीन, हस्तांतरण करने वाले की खरीद या हस्तांतरण की तारीख से तुरंत पहले की खरीद की तारीख के रूप में निर्धारित किया जाता है।

(B) निम्नलिखित शुल्क लागू होते हैं:

(i) यदि हस्तांतरण करने वाले के द्वारा खरीद, या हस्तांतरण के बाद पारिवारिक घर का मूल्यांकन किया गया मूल्य, उप-परिच्छेद (A) में वर्णित कर योग्य मूल्य और एक मिलियन डॉलर ($1,000,000) के योग से कम है, तो शून्य डॉलर ($0)।

(ii) यदि हस्तांतरण करने वाले के द्वारा खरीद, या हस्तांतरण के बाद पारिवारिक घर का मूल्यांकन किया गया मूल्य, उप-परिच्छेद (A) में वर्णित कर योग्य मूल्य और एक मिलियन डॉलर ($1,000,000) के योग के बराबर या उससे अधिक है, तो हस्तांतरण करने वाले के द्वारा खरीद, या हस्तांतरण के बाद पारिवारिक घर का मूल्यांकन किए गए मूल्य में से उप-परिच्छेद (A) में वर्णित कर योग्य मूल्य और एक मिलियन डॉलर ($1,000,000) के योग को घटाकर प्राप्त होने वाली राशि के बराबर की राशि।

19

(2) अनुच्छेद (1) दादा-दादी और उनके पोते-पोतियों के बीच के पारिवारिक घर की खरीद या हस्तांतरण पर भी लागू होगा यदि उन पोते-पोतियों के माता-पिता, जो दादा-दादी के बच्चों के रूप में योग्य हैं, की खरीद या हस्तांतरण की तारीख तक मृत्यु हो गई है।

(3) परिच्छेद (1) और (2) पारिवारिक खेत की खरीद या हस्तांतरण पर भी लागू होंगे। इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, परिच्छेद (1) या (2) में "पारिवारिक घर" के किसी भी संदर्भ को इसके बजाय "परिवार के खेत" के रूप में संदर्भित किया जाएगा।

(4) 16 फरवरी 2023 से शुरू करते हुए और उसके बाद हर दूसरी 16 फरवरी को, राज्य समीकरण मंडल, संघीय आवास वित्त एजेंसी द्वारा निर्धारित, पूर्व कैलेंडर वर्ष के लिए California के लिए आवास मूल्य सूची में प्रतिशत में बदलाव को प्रतिबिंबित करने हेतु, मुद्रास्फ़ीति के लिए परिच्छेद (1) में वर्णित एक मिलियन डॉलर ($1,000,000) की राशि को समायोजित करेगा। राज्य समीकरण मंडल इस परिच्छेद द्वारा आवश्यक समायोजनों की गणना और प्रकाशन करेगा।

(5) (A) पारिवारिक घर की खरीद या हस्तांतरण के लिए इस अनुभाग द्वारा प्रदान किए गए संपत्ति कर लाभ को प्राप्त करने के लिए, उप-परिच्छेद (B) के तहत, हस्तांतरण करने वाला पारिवारिक घर की खरीद या हस्तांतरण के समय घर के मालिक की छूट या विकलांग सेवानिवृत्त सैनिक की छूट का दावा करेगा।

(B) पारिवारिक घर की खरीद या हस्तांतरण के समय गृहस्वामी की छूट या विकलांग सेवानिवृत्त सैनिक की छूट का दावा करने में विफल रहने वाला हस्तांतरण करने वाला, पारिवारिक घर की खरीद या हस्तांतरण के एक वर्ष के भीतर गृहस्वामी की छूट या विकलांग सेवानिवृत्त सैनिक की छूट का दावा करके इस अनुभाग द्वारा दिए गए संपत्ति कर का लाभ प्राप्त कर सकता है और पहले के बकाया या हस्तांतरण की तारीख और गृहस्वामी की छूट या विकलांग सेवानिवृत्त सैनिक की छूट का हस्तांतरण करने वाले द्वारा दावा करने की तारीख के बीच भुगतान किए गए कर का रिफ़ंड प्राप्त करने का हकदार होगा।

(d) अनुभाग 2 का उपखंड (h) 15 फरवरी, 2021 को या उससे पहले होने वाली किसी भी खरीद या हस्तांतरण पर लागू होगा, लेकिन उस तारीख के बाद होने वाली किसी भी खरीद या हस्तांतरण पर लागू नहीं होगा। अनुभाग 2 का उपखंड (h) 16 फरवरी, 2021 से निष्क्रिय होगा।

(e) इस अनुभाग के प्रयोजनों के लिए:

(1) "विकलांग सेवानिवृत्त सैनिक की छूट" का मतलब है अनुच्छेद XIII के अनुभाग 4 के उपखंड (a) द्वारा अधिकृत छूट।

(2) "पारिवारिक खेत" का मतलब किसी भी वास्तविक संपत्ति से है जो खेती के अधीन है या जिसका उपयोग चारा खिलाने या चराई के लिए किया जा रहा है, या जिसका उपयोग किसी भी कृषि वस्तु का उत्पादन करने के लिए किया जाता है, जैसे कि यह शब्द 1 जनवरी, 2020 को निर्दिष्ट, सरकारी कोड के अनुभाग 51201 में निर्धारित किया गया है।

(3) अनुच्छेद XIII के अनुभाग 3 के उपखंड (k) में इस्तेमाल किए गए शब्द के अनुसार "पारिवारिक घर" का मतलब "प्रधान निवास" के समान है।

(4) "पूर्ण नकद मूल्य" का मतलब अनुभाग 2 के उपखंड (a) में परिभाषित के अनुसार ही है।

(5) "गृहस्वामी की छूट" का मतलब है अनुच्छेद XIII के अनुभाग 3 के उपखंड (k) द्वारा प्रदान की गई छूट।

(6) "प्राकृतिक आपदा" का मतलब है, गवर्नर द्वारा घोषित आग, बाढ़, सूखा, तूफान, भूस्खलन, भूकंप, नागरिक अशांति, विदेशी आक्रमण, या ज्वालामुखी विस्फोट जैसी स्थितियों के कारण प्रभावित क्षेत्र के भीतर व्यक्तियों या संपत्ति की सुरक्षा के लिए आपदा या अत्यधिक संकट की स्थितियाँ।

(7) "प्राथमिक निवास" का मतलब है निम्न में से किसी एक के लिए योग्य निवास:

(A) घर के मालिक की छूट।

(B) विकलांग सेवानिवृत्त सैनिक की छूट।

(8) "प्रधान निवास" का मतलब उपखंड (b) में प्रयुक्त अनुभाग (2) के उपखंड (a) के अवधि के समान होता है।

(9) "प्रतिस्थापन प्राथमिक निवास" का मतलब अनुभाग 2 के उपखंड (a) में परिभाषित शब्द "प्रतिस्थापन निवास" के समान होता है।

(10) "कर योग्य मूल्य" का मतलब अनुभाग 2 के उपखंड (a) के अनुसार निर्धारित आधार वर्ष के मान के साथ-साथ अनुभाग 2 के उपखंड (b) द्वारा अधिकृत किसी भी समायोजन के समान होता है।

(11) "जंगल की आग या प्राकृतिक आपदा का शिकार" का मतलब है ऐसे प्राथमिक निवास का मालिक जो जंगल की आग या प्राकृतिक आपदा के परिणामस्वरूप काफी हद तक क्षतिग्रस्त हो गया है जिसका जंगल की आग या प्राकृतिक आपदा से तुरंत पहले प्राथमिक निवास के सुधार मूल्य से 50 प्रतिशत से अधिक हो। इस परिच्छेद के प्रयोजनों के लिए, "क्षति" में जंगल की आग या

प्राकृतिक आपदा के कारण प्रतिबंधित पहुंच के परिणामस्वरूप प्राथमिक निवास के मूल्य में होने वाली गिरावट शामिल है।

(12) "जंगल की आग" का वही मतलब है जो सरकारी कोड के अनुभाग 51177 के उपखंड (j) में परिभाषित किया गया है, जैसा कि उस खंड में 1 जनवरी 2020 को निर्दिष्ट किया गया है।

तीसरा—इसके साथ वह अनुभाग 2.2 अनुच्छेद XIII A में इस प्रकार पढ़े जाने के लिए जोड़ा गया है:

अनु. 2.2. (a) अग्नि-संरक्षण सेवाएँ, आपातकालीन प्रतिक्रिया और काउंटी सेवाओं का संरक्षण। यह प्रस्ताव करने में विधान मंडल और इसे अपनाने वाले लोगों की मंशा है, इस अनुभाग और अनुभाग 2.3 को निम्न दोनों को करने के लिए:

(1) अग्नि-संरक्षण और आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए राजस्व समर्पित करना, कम वित्त प्राप्त अग्नि ज़िलों में असमानताओं का निपटान करना, सभी समुदायों की जंगल की आग से सुरक्षा को सुनिश्चित करने और लाखों California वासियों के जीवन की रक्षा करना।

(2) काउंटी राजस्व और अन्य महत्वपूर्ण स्थानीय सेवाओं को सुरक्षित रखना।

(b) (1) California अग्नि प्रतिक्रिया निधि को एतद्द्वारा राज्य के खजाने में बनाया गया है।

(2) काउंटी राजस्व संरक्षण निधि को एतद्द्वारा राज्य के खजाने में बनाया गया है। अनुभाग 2.3 के अनुसार नकारात्मक लाभ प्राप्त कर रही पात्र स्थानीय एजेंसियों की प्रतिपूर्ति और California के कर और शुल्क प्रशासन विभाग की प्रशासनिक लागतों का भुगतान करने के उद्देश्य से काउंटी राजस्व संरक्षण निधि में पैसा वित्तीय वर्ष की परवाह किए बिना नियमित रूप से विनियोजित किया जाता है। निधि का पैसा केवल अनुभाग 2.3 में दिए गए विवरण के अनुसार ही खर्च किया जाएगा।

(c) अनुच्छेद XVI के अनुभाग 8 के लिए आवश्यक गणनाओं के प्रयोजनों के लिए, California अग्नि प्रतिक्रिया निधि और काउंटी राजस्व संरक्षण निधि के पैसे को सामान्य निधि राजस्व माना जाएगा जो अनुच्छेद XIII B के अनुसरण में विनियोजित हो सकता है।

(d) वित्त निदेशक आवश्यकता अनुसार निम्नलिखित कार्य करेंगे:

(1) 1 सितंबर, 2022 को या उससे पहले, और आने वाले प्रत्येक 1 सितंबर को या उससे पहले से लेकर 1 सितंबर 2027 तक, अनुभाग 2.1 के कार्यान्वयन से राज्य को होने वाले अतिरिक्त राजस्वों और बचतों की गणना सहित, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं, 30 जून को समाप्त होने वाले उससे पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान अनुच्छेद XVI के अनुभाग 8 के तहत राज्य के निधि के दायित्व में आई किसी भी कमी से उत्पन्न राज्य के आय कर राजस्व और शुद्ध बचत में होने वाली वृद्धि की गणना करना। इस परिच्छेद द्वारा आवश्यक गणना करने में, वित्त निदेशक वास्तविक डेटा या जहां वास्तविक डेटा उपलब्ध नहीं है वहां सर्वोत्तम उपलब्ध अनुमानों का इस्तेमाल करेगा। गणना अंतिम होगी और अंतर्निहित डेटा में किसी भी बाद के बदलाव के लिए समायोजित नहीं की जाएगी। वित्त निदेशक प्रत्येक वर्ष 1 सितंबर तक विधान मंडल और नियंत्रक के समक्ष गणना के परिणामों को प्रमाणित करेगा।

(2) 1 सितंबर 2028 को या उससे पहले और उसके बाद आने वाली प्रत्येक 1 सितंबर को, अनुभाग 2.1 के कार्यान्वयन से राज्य को होने वाले अतिरिक्त राजस्वों और बचतों की गणना सहित 30 जून को समाप्त होने वाले पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान अनुच्छेद XVI के अनुभाग 8 के तहत राज्य के निधि के दायित्व में आई किसी भी कमी से उत्पन्न राज्य आय कर राजस्व और शुद्ध बचत में होने वाली वृद्धि की गणना उस वित्तीय वर्ष में स्थानीय एजेंसियों को आबंटित संपत्ति कर राजस्वों में वृद्धि की दर से 30 जून को समाप्त होने वाले उससे पिछले वित्तीय वर्ष की राशि को गुणा करके करेगा। इस अनुच्छेद द्वारा आवश्यक गणना करने में, वित्त निदेशक वास्तविक डेटा या जहां वास्तविक डेटा उपलब्ध नहीं है वहां सर्वोत्तम उपलब्ध अनुमानों का इस्तेमाल करेगा। गणना अंतिम होगी और अंतर्निहित डेटा में किसी भी बाद के बदलाव के लिए समायोजित नहीं की जाएगी। वित्त निदेशक प्रत्येक वर्ष 1 सितंबर तक विधान मंडल और नियंत्रक के समक्ष गणना के परिणामों को प्रमाणित करेगा।

(e) 15 सितंबर, 2022 तक और उसके बाद की प्रत्येक 15 सितंबर तक नियंत्रक निम्नलिखित दोनों कार्य करेगा:

(1) लागू होने वाले वर्ष के लिए उपखंड (d) के अनुसार वित्त निदेशक द्वारा गणना की गई राशि के 75 प्रतिशत के बराबर राशि का सामान्य निधि से California अग्नि प्रतिक्रिया निधि में स्थानांतरण करना।

(2) लागू वर्ष के लिए उपखंड (d) के अनुसार वित्त निदेशक द्वारा गणना की गई राशि के 15 प्रतिशत के बराबर राशि का सामान्य निधि से काउंटी राजस्व संरक्षण निधि में स्थानांतरण करना। अनुभाग 2.3 के अनुसार काउंटी राजस्व संरक्षण निधि के लिए हस्तांतरित धन का इस्तेमाल नकारात्मक लाभ प्राप्त करने वाली पात्र स्थानीय एजेंसियों की प्रतिपूर्ति के लिए किया जाएगा।

(f) California अग्नि प्रतिक्रिया निधि की धनराशि को इस अनुभाग के प्रयोजनों के लिए विशेष रूप से प्रत्येक वित्तीय वर्ष में विधान मंडल द्वारा विनियोजित किया जाएगा और अन्यथा इसके सिवाय उपखंड (g) में प्रदत्त को छोड़कर, किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए विनियोजित नहीं किया जाएगा। California अग्नि प्रतिक्रिया निधि में धन का इस्तेमाल वित्तीय वर्ष की परवाह किए बिना विनियोग पर किया जा सकता है और (1) से (4), समावेशी, में निर्दिष्ट अग्नि शमन कर्मचारियों का विस्तार करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और उन उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किए गए वर्तमान राज्य या स्थानीय निधि के बदले नहीं किया जाएगा।

(1) California अग्नि प्रतिक्रिया निधि का बीस प्रतिशत धन अग्नि शमन कर्मियों को निधि देने के लिए वानिकी और अग्नि सुरक्षा विभाग को विनियोजित किया जाएगा।

(2) California अग्नि प्रतिक्रिया निधि में से अस्सी प्रतिशत धनराशि को विशेष ज़िला अग्नि प्रतिक्रिया निधि में जमा किया जाएगा, जिसे कि California अग्नि प्रतिक्रिया निधि के तहत उपखाते के रूप में बनाया जाएगा और विशेष ज़िलों में विनियोजित किया जाएगा जो निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार अग्नि सुरक्षा सेवाएं प्रदान करते हैं:

19

(A) इस परिच्छेद में वर्णित पचास प्रतिशत राशि का इस्तेमाल कम निधि प्राप्त विशेष ज़िलों में अग्नि शमन कर्मियों को निधि देने के लिए किया जाएगा, जो कि अग्नि सुरक्षा सेवाएं प्रदान करते हैं, 1 जुलाई 1978 के बाद बनाए गये थे और पूर्णकालिक या पूर्णकालिक समकक्ष स्टेशन-आधारित कर्मियों को नियुक्त करते हैं जो प्रारंभिक पूर्ण अलार्म असाइनमेंट का कम से कम 50 प्रतिशत पूरा करने के लिए तुरंत उपलब्ध रहते हैं।

(B) इस अनुच्छेद में वर्णित पच्चीस प्रतिशत का इस्तेमाल अग्नि सुरक्षा सेवाओं को प्रदान करने वाले विशेष ज़िलों में अग्नि शमन कर्मियों को निधि देने के लिए किया जाएगा, जो 1 जुलाई, 1978 से पहले बनाए गए थे, संपत्ति कर राजस्व की कम हिस्सेदारी के कारण कम निधि प्राप्त कर रहे हैं और 1 जुलाई, 1978 से सेवा स्तर की मांगों में वृद्धि, और पूर्णकालिक या पूर्णकालिक समकक्ष स्टेशन-आधारित कर्मियों को नियुक्त करते हैं जो प्रारंभिक पूर्ण अलार्म असाइनमेंट का कम से कम 50 प्रतिशत पूरा करने के लिए तुरंत उपलब्ध रहते हैं।

(C) इस पैराग्राफ में वर्णित राशि का पच्चीस प्रतिशत का इस्तेमाल उन विशेष ज़िलों में अग्नि शमन स्टाफ को निधि देने के लिए किया जाएगा जो अग्नि सुरक्षा सेवाएं प्रदान करते हैं और पूर्णकालिक या पूर्णकालिक समकक्ष स्टेशन-आधारित कर्मियों को नियुक्त करते हैं जो प्रारंभिक पूर्ण अलार्म असाइनमेंट का कम से कम 30 प्रतिशत शामिल करने के लिए लेकिन 50 प्रतिशत से कम पूरा करने के लिए तुरंत उपलब्ध रहते हैं।

19

(3) यह निर्धारित करने के लिए कि क्या एक विशेष ज़िला जो अग्नि सुरक्षा सेवाएं प्रदान करता है, अनुच्छेद (2) के प्रयोजनों के लिए कम निधि प्राप्त करता है, विधान मंडल प्राथमिकता के क्रम में निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखेगा:

(A) समुचित आग शमन को रोकने के लिए विशेष ज़िले के संपत्ति कर का राजस्व जिस स्तर तक अपर्याप्त है, उसकी गणना जनसंख्या

घनत्व, सेवा क्षेत्र के आकार और विशेष ज़िले की सीमाओं के भीतर करदाताओं की संख्या के के आधार पर किया जाता है।

(B) क्या विशेष ज़िले को, कानून 1979 के अध्याय 282 के अनुसार निर्माण के समय संपत्ति कर आबंटन प्राप्त हुआ था।

(C) भौगोलिक विविधता।

(4) एक विशेष ज़िले को पैसों का आबंटन जो परिच्छेद (2) के अनुसरण योग्य हो वह विशेष ज़िला जिम्मेदारीपूर्वक बजट बनाने में संलग्न हो सकता है और 10 वर्ष से कम नहीं की अवधि के साथ, यह सुनिश्चित करने के लिए कि विशेष ज़िला जिम्मेदार बजट बनाने में संलग्न हो सकता है और लंबी अवधि में पर्याप्त अग्नि शमन सेवाएं बनाए रख सकता है।

(g) उपखंड (f) के बावजूद यदि पहले वित्तीय वर्ष के बाद किसी भी वित्तीय वर्ष में जिसके लिए पैसा सामान्य निधि से California अग्नि प्रतिक्रिया निधि में हस्तांतरित किया जाता है इस अनुभाग के अनुसार वह राशि पिछले वित्त वर्ष में हस्तांतरित राशि से अधिक 10 प्रतिशत से अधिक होती है तो नियंत्रक उस 10 प्रतिशत से अधिक राशि का हस्तांतरण नहीं करेगा, जो कि किसी भी प्रयोजन के लिए सामान्य निधि से विनियोग के लिए उपलब्ध होगा।

चौथा—कि अनुभाग 2.3 अनुच्छेद XIII A में इस प्रकार पढ़े जाने के लिए जोड़ा गया है:

अनुभाग 2.3. (a) प्रत्येक काउंटी को सालाना, इस अनुभाग के अनुसार अपनाए गए विनियमन द्वारा California के कर विभाग और शुल्क प्रशासन द्वारा निर्दिष्ट तारीख तक निम्नलिखित राशियों को जोड़कर अनुभाग 2.1 के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप काउंटी और काउंटी की प्रत्येक स्थानीय एजेंसी के लिए लाभ का निर्धारण करना होगा:

अनुभाग 2.1 के उपखंड (b) के अनुसरण में बाहर जाने वाले अन्तर-काउंटी हस्तांतरण के लिए मूल प्राथमिक आवासों की बिक्री और पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप राजस्व में वृद्धि।

(2) राजस्व में कमी, जिसे नकारात्मक संख्या के रूप में व्यक्त किया जाएगा, अनुभाग 2.1 के उपखंड (b) के अनुसरण में अन्य काउंटियों में स्थित मूल प्राथमिक आवासों के कर योग्य मूल्यों के हस्तांतरण के साथ के परिणामस्वरूप आ रहे अन्तर-काउंटी हस्तांतरण के लिए काउंटी के भीतर स्थित प्राथमिक आवासों का प्रतिस्थापन।

3) अनुभाग 2.1 के उपखंड (c) से उत्पन्न राजस्व वृद्धि।

(b) एक काउंटी या काउंटी की कोई स्थानीय एजेंसी जिसे उपखंड (a) के अनुसरण में सकारात्मक लाभ प्राप्त होता है, तो वह काउंटी राजस्व संरक्षण कोष से प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगी। एक काउंटी या काउंटी की कोई स्थानीय एजेंसी जिसे उपखंड (a) के अनुसरण में नकारात्मक लाभ प्राप्त होता है, तो उसे काउंटी राजस्व संरक्षण कोष से प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए पात्र माना जाएगा।

(c) California कर और शुल्क प्रशासन विभाग उपखंड (a) के अनुसार निर्धारित राशियों के आधार पर प्रत्येक तीन वर्षों में प्रत्येक पात्र स्थानीय एजेंसी के प्रत्येक तीन साल के सकल लाभ का निर्धारण करेगा और नकारात्मक लाभ वाली प्रत्येक पात्र स्थानीय एजेंसी को काउंटी राजस्व संरक्षण कोष से उस राशि के बराबर प्रतिपूर्ति प्रदान करेगा। यदि इस अनुभाग के तहत प्रतिपूर्ति की कुल राशि को प्रदान करने के लिए उस निधि में अपर्याप्त धनराशि है, तो California का कर और शुल्क प्रशासन विभाग पात्र स्थानीय एजेंसी की प्रतिपूर्ति की राशि के आधार पर इस अनुभाग के तहत प्रतिपूर्तियों की कुल राशि के सापेक्ष प्रत्येक पात्र एजेंसी को निधि से समुनापातिक मात्रा में धन प्रदान करेगा।

(d) उपखंड (c) में वर्णित प्रत्येक तीन साल की अवधि के अंत में, California कर और शुल्क प्रशासन विभाग ने उस तीन साल की अवधि के दौरान नकारात्मक लाभ अर्जित करने वाली प्रत्येक स्थानीय एजेंसी को प्रतिपूर्ति प्रदान की है, नियंत्रक शेष राशि को किसी भी प्रयोजन के लिए विनियोग के लिए उपलब्ध रहने के लिए शेष राशि को, यदि कोई हो उसे काउंटी राजस्व संरक्षण निधि से सामान्य निधि में स्थातान्तरित करेगा।

(e) California का कर और शुल्क प्रशासन विभाग प्रशासनिक प्रक्रिया अधिनियम (Administrative Procedure Act) (सरकारी कोड के शीर्षक 2 के भाग 3 के अंश 1 के अध्याय 3.5 (अनुभाग 11340 के साथ शुरू करते हुए) प्रशासनिक प्रक्रिया अधिनियम के नियम प्रावधानों के अनुसार इस अनुभाग को लागू करने के लिए नियमों का प्रचार करेगा, जैसा कि समय-समय पर विधान मंडल, या उन प्रावधानों के किसी भी स्थानापन्न द्वारा संशोधित किया जा सकता है।

(f) इस अनुभाग और अनुभाग 2.2 के प्रयोजनों के लिए, एक "पात्र स्थानीय एजेंसी" एक काउंटी, एक शहर, एक शहर और काउंटी, एक विशेष ज़िला या एक स्कूल ज़िला है जो शिक्षा कोड के अनुभाग 42238.02 के उपखंड (o) के अनुसार निर्धारित है, जैसा कि 8 जनवरी, 2020 को लिखा गया है, जिसे इस अनुभाग के अनुसार निर्धारित एक नकारात्मक लाभ हुआ है।

प्रस्ताव 20

यह पहल उपाय California के संविधान के अनुच्छेद II के अनुभाग 8 के प्रावधानों के अनुसार लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

यह पहल उपाय दंड संहिता के अनुभागों में संशोधन एवं अनुवृद्धि करती है; इसलिए, हटाए जाने के लिए प्रस्तावित मौजूदा प्रावधान ~~स्ट्राइक आउट प्रकार~~ मुद्रित किए गए हैं और जोड़े जाने वाले नए प्रावधान *इटैलिक प्रकार* में मुद्रित किए गए हैं ताकि यह सूचित किया जा सके कि वे नए हैं।

प्रस्तावित कानून

अनुभाग 1. शीर्षक।

यह अधिनियम अपराध में कमी करने और California को सुरक्षित रखने अधिनियम (Reducing Crime and Keeping California Safe Act) 2018 के नाम से जाना और उद्धृत किया जायेगा।

अनुभाग 2. उद्देश्य।

यह उपाय हाल में बने कानूनों द्वारा उत्पन्न तीन संबंधित समस्याओं का समाधान कर देगा जिनके कारण California के लोगों और उनके बच्चों की सार्वजनिक सुरक्षा को हिंसक अपराधियों से खतरा है। यह उपाय:

(a) पैरोल प्रणाली को सुधारेगा ताकि हिंसक अपराधी जेल से जल्दी रिहा न हों, रिहाई उपरांत सामुदायिक पर्यवेक्षण की निगरानी को मजबूत करेगा, और रिहाई उपरांत सामुदायिक पर्यवेक्षण की शर्तों के उल्लंघन के लिए दंड को कड़ा करेगा;

(b) गंभीर चोरों और संगठित चोर समूहों के लिए जवाबदेही को बहाल करने के लिए चोरी संबंधित कानूनों को सुधारेगा; तथा

(c) हिंसक अपराधों को सुलझाने और निर्दोषों को मुक्त करने में मदद करने के लिए नशीले पदार्थ, चोरी, और घरेलू हिंसा से संबंधित अपराधों के दोषियों से DNA इकट्ठा किए जाने का विस्तार करेगा।

अनुभाग 3. निष्कर्ष एवं घोषणाएं।

(a) हिंसक अपराधियों की जल्दी रिहाई को रोकना।

(1) कमजोर बच्चों सहित हमारे राज्य के प्रत्येक व्यक्ति की हिंसक अपराधों से रक्षा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। हत्यारे, बलात्कारी, बाल उत्पीड़क और अन्य हिंसक अपराधियों को जेल से जल्दी रिहा नहीं किया जाना चाहिए।

(2) 2014 से, संयुक्त राज्य अमेरिका के बाकी हिस्सों की तुलना में California में हिंसक अपराधों में अधिक वृद्धि हुई है। 2013 से, Los Angeles में हिंसक अपराध 69.5% बढ़ गया है। 2015 के पहले छह महीनों के दौरान FBI द्वारा ट्रैक किए गए 25 सबसे बड़े अमेरिकी शहरों में से Sacramento में हिंसक अपराध अधिक तेजी से बढ़े हैं।

(3) पैरोल कानूनों में हाल के बदलावों से कुछ अपराधों को "हिंसक" परिभाषित करने में कानून की विफलता के कारण खतरनाक अपराधियों की जल्द रिहाई हुई है। इन बदलावों के कारण बाल यौन तस्करी, बेहोश व्यक्ति के साथ बलात्कार, घातक हथियार के साथ गुंडागर्दी, पुलिस अधिकारी या अग्निशमन अधिकारी पर हमले और घरेलू हिंसा के दोषियों को "अहिंसक अपराधी" माना गया।

(4) परिणामस्वरूप, ये तथाकथित "अहिंसक" अपराधी न्यायाधीश द्वारा आदेशित दंड के केवल एक अंश को पूरा करने के बाद ही जेल से जल्दी ही रिहाई के योग्य हो जाते हैं।

(5) नए अपराध करने और अपनी रिहाई अवधि के उपरांत जब वो नये अपराधों को अंजाम देते हैं और सामुदायिक निगरानी की शर्तों का उल्लंघन करने के बावजूद हिंसक अपराधियों को हमारे समुदायों में स्वतंत्र रहने की अनुमति दी जा रही है, जैसे Whittier पुलिस अधिकारी Keith Boyer की हत्या के आरोपी गिरोह का सदस्य।

(6) California वासियों को ऐसे हिंसक अपराधियों से बेहतर सुरक्षा की आवश्यकता है।

(7) California वासियों को बार-बार अपनी रिहाई उपरांत सामुदायिक पर्यवेक्षण की शर्तों का उल्लंघन करने वाले घोर-अपराधियों से बेहतर संरक्षण की आवश्यकता है।

(8) इस उपाय से कानून में सुधार होगा जिससे रिहाई की शर्तों का उल्लंघन करने वाले अपराधियों को पुनः न्यायालय में लाया जा सकेगा और ऐसे उल्लंघनों के लिए जवाबदेह ठहराया जा सकेगा।

(9) California वासियों को ऐसे हिंसक अपराधियों से बेहतर सुरक्षा की आवश्यकता है। यह उपाय जल्दी रिहाई के लिए इस तरह के अपराधों को "हिंसक अपराध" की परिभाषा देने के लिए कानून को बदलेगी।

(10) इस अधिनियम में कुछ भी अतिरिक्त "दंडनीय" अपराध बनाने के लिए अभिप्रेरित नहीं है, जिससे राज्य की जेल की आबादी में वृद्धि हो।

(11) इस अधिनियम में कुछ भी California सुधार एवं पुनर्वास विभाग की शैक्षिक और योग्यता क्रेडिट देने की क्षमता को प्रभावित करने के लिए अभिप्रेत नहीं है।

(b) क्रमिक चोरी और संगठित चोरी समूहों के लिए जवाबदेही को बहाल करना।

(1) California के कानून में हाल के बदलाव से आपराधिक रिकॉर्ड और चोरियों की गिनती पर ध्यान दिए बगैर बार-बार चोरी करने वाले व्यक्तियों को कम दंड मिल रहा है।

(2) परिणामस्वरूप, 2014 और 2016 के बीच, अमेरिकी की चोरी एवं संपत्ति के अपराधों में दूसरी सबसे अधिक वृद्धि California में हुई जबकि अन्य सभी राज्य लगातार गिरावट देख रहे हैं। California न्याय विभाग के अनुसार, 2014 से 13 प्रतिशत बढ़कर 2015 में चुराई गई संपत्ति का मूल्य $2.5 बिलियन था, जो कम से कम 10 वर्षों में सबसे बड़ी एकल वर्ष वृद्धि है।

(3) जो व्यक्ति बार-बार चोरी करते हैं वे अक्सर नशीले पदार्थों की अपनी आदत के लिए ऐसा करते हैं। California कानून में हाल के बदलावों ने बार-बार चोरी के आरोपी दोषियों को प्रभावी ड्रग उपचार कार्यक्रमों में भेजने की क्षमता कम कर दी है।

(4) California को चोरी संबंधित अपराधों के दोषियों के लिए मजबूत कानूनों की आवश्यकता है जिससे ड्रग के लिए चोरी करने वाले व्यक्तियों को मौजूदा दवा उपचार कार्यक्रमों में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। यह उपाय ऐसे सुधारों को लागू करता है।

(c) हिंसक अपराध को सुलझाने के लिए DNA इकट्ठा करने को पुनः प्रारम्भ करना।

(1) हिंसक अपराधों को सुलझाने के लिए अपराधियों से DNA एकत्र करना महत्वपूर्ण है। कम अपराधियों का DNA एकत्र किया

20

जा रहा है इस कारण हत्या, बलात्कार और डकैती सहित 450 से अधिक हिंसक अपराध सुलझ नहीं पाए हैं।

(2) एक दोषी बाल उत्पीड़क से 2015 में एकत्र DNA ने तीन दशक पहले Los Angeles काउंटी में हुए दो छह-वर्षीय लड़कों के बलात्कार एवं हत्याओं को सुलझाया। 2016 में एक चोरी की कार चलाते हुए पकड़े गए व्यक्ति के DNA ने 2012 के San Francisco Bay Area में 83 वर्षीय महिला की बलात्कार-हत्या के मामले को सुलझा दिया।

(3) California कानून में हुए हाल के बदलावों ने चोरी और ड्रग अपराधों में अनजाने में DNA संग्रह को समाप्त कर दिया। यह उपाय ऐसे अपराधों के लिए दोषी व्यक्तियों से DNA संग्रह को पुनर्स्थापित करता है।

(4) अधिक DNA नमूनों के संग्रह से संदिग्धों की पहचान करने, निर्दोषों को मुक्त करने और गलत तरीके से दोषी ठहराए गए मुक्त करने में मदद मिलेगी।

(5) यह उपाय उन मौजूदा कानूनी सुरक्षा उपायों को प्रभावित नहीं करता है जो किसी व्यक्ति पर अपराध का आरोप साबित न होने, बरी होने या निर्दोष पाए जाने पर उसकी DNA प्रोफाइल को हटाने की अनुमति देते हैं।

अनुभाग 4. पैरोल पर विचार।

अनुभाग 4.1. दंड संहिता की अनुभाग 3003 को इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित करता है:

3003. (a) इस अनुभाग में अन्यथा प्रदान के अलावा, पैरोल या शीर्षक 2.05 (अनुभाग 3450 से शुरू करते हुए) के अनुसार रिहाई उपरांत सामुदायिक पर्यवेक्षण पर छोड़े गए कैदी को उस काउंटी में वापस लाया जाएगा जो कैद से पूर्व कैदी का अंतिम कानूनी निवास स्थान था। पैरोल या शीर्षक 2.05 (अनुभाग 3450 से शुरू करते हुए) के अनुसरण में रिहाई उपरांत सामुदायिक पर्यवेक्षण पर छोड़े गए कैदी जिसे एक यौन अपराध के लिए जेल भेजा गया था, जिसके लिए अनुभाग 290 के तहत पंजीकरण की आवश्यकता होती है, सभी संभव उचित प्रयासों द्वारा, जब तक कि उस स्थान पर वापसी से किसी अन्य कानून का उल्लंघन या कैदी के शिकार के लिए खतरा पैदा न हो, उस शहर में लौटाया जाना चाहिए जो कैद से पहले कैदी का अंतिम कानूनी निवास स्थान था या एक करीबी भौगोलिक स्थान जहां कैदी के पारिवारिक, सामाजिक या आर्थिक संबंध हैं और पुनः प्रवेश सेवाएं उपलब्ध हैं। इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, "अंतिम कानूनी निवास-स्थल" को वह काउंटी या शहर नहीं माना जाएगा जहां कैदी ने राज्य की जेल या स्थानीय जेल या राज्य के अस्पताल में इलाज के दौरान अपराध किया था।

(b) उपखंड (a) के बावजूद, जनता के सर्वोत्तम हित में होने पर एक कैदी को दूसरी काउंटी या शहर में लौटाया जा सकता है। यदि अनुभाग 1168 के उपखंड (b) के अनुसरण में दंडित कैदियों के लिए पैरोल शर्तें तय करने वाला पैरोल सुनवाई मंडल, जैसा कि पैरोल विचार पैनल द्वारा निर्धारित किया गया है, या अनुभाग 1170 के अनुसरण में दंडित कैदियों के लिए पैरोल शर्तें तय करने वाला सुधार एवं पुनर्वास विभाग, निर्णय लेता है कि कैदी किसी अन्य काउंटी या शहर में लौटेंगे, तो वह अपने कारण पैरोल कैदी के स्थायी रिकॉर्ड में लिखित रूप से दर्ज करेगा और अनुभाग 3058.6 के अनुसरण में शेरिफ या पुलिस अधीक्षक को भेजे जाने वाले नोटिस में शामिल करेगा। अपना निर्णय लेने में, पैरोल प्राधिकरण अन्य कारकों में, पीड़ित एवं समुदाय की सुरक्षा को सबसे अधिक महत्व देते हुए, निम्नलिखित कारकों पर विचार करेगा:

(1) किसी पीड़ित, पैरोल कैदी, गवाह या किसी अन्य व्यक्ति के जीवन को बचाने या उसकी सुरक्षा की आवश्यकता।

(2) सार्वजनिक चिंता जो कि कैदी के पैरोल के सफलतापूर्वक पूरा होने की संभावना को कम कर देगी।

(3) नौकरी के प्रस्ताव, या शैक्षिक अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का सत्यापित अस्तित्व।

(4) दूसरी काउंटी में मौजूद परिवार जिसके साथ कैदी ने मजबूत रिश्ते बनाये रखे हैं और जिनके समर्थन से कैदी के पैरोल के सफलतापूर्वक पूरा होने की संभावना बढ़ सकती है।

(5) अनुभाग 2960 के तहत उपचार प्राप्त करने वाले पैरोल कैदियों के लिए आवश्यक आउट-पेशेंट उपचार कार्यक्रमों की कमी।

(c) काउंटी के बाहर की प्रतिबद्धता निर्धारित करने की प्रक्रिया में सुधार एवं पुनर्वास विभाग समुदाय और सभी गवाहों एवं पीड़ितों की सुरक्षा को प्राथमिकता देगा।

(d) अध्याय 5 के अनुच्छेद 1.5 (अनुभाग 2717.1 से शुरू करते हुए) के अनुसार होने वाले संयुक्त उद्यम कार्यक्रम में भाग लेने वाले कैदी के लिए निर्णय लेने में, यदि नियोक्ता पैरोल प्राधिकारी को सूचित करता है कि वह रिहाई के बाद कैदी को नियुक्त करने का इच्छुक है, तो पैरोल प्राधिकारी कैदी को उस काउंटी में छोड़ने पर गंभीर विचार करेगा जहां संयुक्त उद्यम कार्यक्रम नियोक्ता स्थित है।

(e) (1) यदि उपलब्ध हो, तो निम्नलिखित जानकारी सुधार एवं पुनर्वास विभाग द्वारा स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को उनके अधिकार-क्षेत्र में पैरोल या शीर्षक 2.05 (अनुभाग 3450 से शुरू करते हुए) के अनुसार रिहाई-उपरांत सामुदायिक पर्यवेक्षण पर छोड़े गये कैदी के बारे में प्रदान की जायेगी:

(A) अंतिम, पहला और मध्य नाम।

(B) जन्म तिथि।

(C) लिंग, जाति, ऊंचाई, वजन और बालों एवं आंखों का रंग।

(D) पैरोल या रिहाई-उपरांत सामुदायिक पर्यवेक्षण की तारीख।

(E) किसी नियंत्रित पदार्थ, यौन, या आगजनी के अपराध के परिणामस्वरूप पंजीकरण की आवश्यकता की स्थिति में, पंजीकरण की स्थिति।

(F) California आपराधिक सूचना नंबर, FBI नंबर, सामाजिक सुरक्षा नंबर और चालक लाइसेंस नंबर।

(G) प्रतिबद्धता की काउंटी।

(H) कैदी के शरीर पर घाव, निशान और टैटू का विवरण।

(I) वह अपराध जिसके लिए कैदी को दोषी ठहराया गया था, और जिसके परिणामस्वरूप पैरोल या रिहाई-उपरांत सामुदायिक पर्यवेक्षण किया गया है।

(J) निम्नलिखित सभी जानकारी सहित पता:

(i) स्ट्रीट नाम और नंबर। इस उप-परिच्छेद में पोस्ट ऑफिस बॉक्स नंबर स्वीकार्य नहीं हैं।

(ii) शहर एवं ज़िप कोड।

(iii) दिनांक जिस पर इस उप-परिच्छेद के अनुसार दिया गया पता प्रभावी बनाने के लिए प्रस्तावित किया गया था।

(K) निम्न सभी जानकारी सहित, संपर्क अधिकारी एवं इकाई:

(i) प्रत्येक संपर्क अधिकारी का नाम और टेलीफोन नंबर।

(ii) प्रत्येक संपर्क अधिकारी की संपर्क इकाई का प्रकार जैसे पैरोल इकाई, पंजीकरण इकाई या काउंटी परिवीक्षा इकाई।

(L) फोटो की एक डिजिटल प्रति और पैरोल पर बाहर व्यक्ति का कम से कम एक फिंगरप्रिंट।

(M) भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) या समान कंप्यूटर प्रोग्राम के साथ उपयोग के लिए कैदी के निवास स्थान का भौगोलिक कोआर्डिनेट।

(N) पूर्व किसी पैरोल अवधि के दौरान पर्यवेक्षण के रिकॉर्ड की प्रतियां।

(2) जब तक जानकारी अनुपलब्ध न हो, अनुभाग 3450 के अनुसार दोषी के रिहाई-उपरांत सामुदायिक पर्यवेक्षण पर जाने पर व्यक्ति की स्वास्थ्य एवं मानसिक स्वास्थ्य की जरूरतों को पहचानने के लिए सुधार एवं पुनर्वास विभाग, इलेक्ट्रॉनिक रूप से अनुभाग 3451 के उपखंड (a) में निर्धारित काउंटी एजेंसी को विचार करने के लिए कैदी की क्षय रोग की स्थिति, विशिष्ट चिकित्सा, मानसिक स्वास्थ्य एवं आउट-पेशेंट चिकित्सा जरूरतें, तथा कोई भी चिकित्सीय शंकाएं या दिव्यांगता संचारित करेगा। काउंटी एजेंसी से सभी संचार संघीय स्वास्थ्य बीमा पोर्टेबिलिटी एवं जवाबदेही अधिनियम 1996 (HIPAA) (पब्लिक कानून 104-191), आर्थिक एवं नैदानिक स्वास्थ्य के लिए संघीय स्वास्थ्य सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (HITECH) (सार्वजनिक कानून 111-005) के लागू प्रावधानों के अनुपालन, और संघीय नियम कोड के शीर्षक 45 के भाग 160 और 164 के गोपनीयता और सुरक्षा नियमों को लागू करते हुए होगा। यह परिच्छेद तब तक प्रभावी नहीं होगा, जब तक कि अमेरिकी स्वास्थ्य एवं मानव सेवा विभाग के सचिव या सचिव का पदनामित यह निर्धारित नहीं कर लेते हैं कि यह प्रावधान HIPAA द्वारा पूर्वाधिकृत नहीं है।

(3) परिच्छेद (2) के लिए आवश्यक सूचनाओं के अलावा, इस उपखंड में आवश्यक जानकारी राज्यव्यापी पैरोल डेटाबेस से आयेगी। प्रत्येक स्रोत से प्राप्त जानकारी एक ही समय-सीमा में होगी।

(4) इस उपखंड में आवश्यक सभी जानकारी एक डेस्कटॉप कंप्यूटर प्रणाली के प्रयोग योग्य फॉर्मेट में कंप्यूटर से कंप्यूटर हस्तांतरण का उपयोग करके प्रदान की जाएगी। अनुरोध पर, स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को इस जानकारी का हस्तांतरण उपलब्ध होगा।

(5) इस उपखंड में वर्णित जानकारी को अनधिकृत रूप से भेजना या प्राप्त करना अनुभाग 11143 का उल्लंघन है।

(f) किसी भी अन्य कानून के बावजूद, यदि पीड़ित या गवाह पैरोल पर रिहा कैदी के लिए अतिरिक्त दूरी का अनुरोध करते हैं, और अगर पैरोल सुनवाई मंडल या सुधार एवं पुनर्वास विभाग के अनुसार पीड़ित या गवाह की जान की रक्षा करने, सुरक्षा करने या भलाई करने की जरूरत है, तो पैरोल पर रिहा किया गया कैदी, निम्नलिखित अपराधों में से किसी के शिकार या गवाह के वास्तविक निवास के 35 मील के भीतर नहीं भेजा जायेगा:

(1) ~~परिच्छेद (1) से (7), समावेशी, और~~ अनुभाग 667.5 ~~के उपखंड (c) के परिच्छेद (11) और (16)~~ उपखंड (c) या *अनुभाग 3040.1 के उपखंड (a)* में परिभाषित हिंसक घोर-अपराध।

(2) अनुभाग 12022.53, 12022.7, या 12022.9 के अनुसार आरोपित तथा साबित अपराध जिसमें प्रतिवादी किसी व्यक्ति, सह-अपराधी के अलावा, को गंभीर शारीरिक चोट पहुंचाता है।

(3) अनुभाग 261 के उपखंड (a) के परिच्छेद (1), (3), या (4), अनुभाग 286 के उपखंड (f), (g), या (i), अनुभाग 287 अथवा पूर्व-अनुभाग 288a के उपखंड (f), (g), या (i), अथवा अनुभाग 289 के उपखंड (b), (d), या (e) का उल्लंघन।

(g) किसी भी अन्य कानून के बावजूद, अनुभाग 288 या 288.5 के उल्लंघन के लिए पैरोल पर रिहा कैदी, जिसके संबंध में सुधार एवं पुनर्वास विभाग निर्धारित करता है कि जनता को उससे उच्च जोखिम है, उसे पैरोल अवधि के दौरान सभी किंडरगार्टन और ग्रेड 1 से 12 सहित सार्वजनिक या निजी स्कूल के डेढ़ मील के भीतर भेजा या रखा नहीं जायेगा।

(h) किसी भी अन्य कानून के बावजूद, एक कैदी जो पैरोल पर या रिहा होने के बाद सामुदायिक पर्यवेक्षण के लिए रिहा किया जाता है, पीड़ित के या गवाह के वास्तविक निवास या रोजगार के 35 मील के भीतर एक स्थान पर वापस नहीं लौटाया जाएगा, यदि पीड़ित या गवाह पैरोल या रिहाई-उपरांत सामुदायिक पर्यवेक्षण में अतिरिक्त दूरी का अनुरोध करते हैं, और पैरोल सुनवाई मंडल या सुधार एवं पुनर्वास विभाग, या पर्यवेक्षण काउंटी एजेंसी को, जैसा लागू हो, पता चलता है कि पीड़ित के जीवन, सुरक्षा, या भलाई को संरक्षा की आवश्यकता है। यदि इस उपखंड का अनुपालन करते हुए रिहाई-उपरांत सामुदायिक पर्यवेक्षण पर रिहा कैदी को उसके अंतिम कानूनी निवास की काउंटी में रखा नहीं जा सकता है, तो पर्यवेक्षण काउंटी एजेंसी, प्राप्ति स्थल काउंटी के अनुमोदन पर कैदी को दूसरी काउंटी में स्थानांतरित कर सकती है।

(i) पैरोल के फैसले करते समय प्राधिकरण उस काउंटी से प्रतिबद्धताओं की संख्या की तुलना में पैरोल के समान वितरण और काउंटी से आउट-ऑफ-काउंटी प्रतिबद्धताओं के अनुपात पर विचार करेगा।

(j) किसी कैदी को किसी अन्य कानून के अनुसरण में दूसरे राज्य में भेजा जा सकता है। सुधार और पुनर्वास विभाग शीर्षक 2.05 (अनुभाग 3450 के साथ शुरू करते हुए) के अनुसरण में विमोचन-पश्चात सामुदायिक पर्यवेक्षण पर, राज्य के बाहर स्थापित किये गए कैदियों के स्थापन के बारे में स्थानीय संस्थाओं के साथ समन्वय करेगा।

(k) (1) परिच्छेद (2) में दिए गए को छोड़कर, सुधार और पुनर्वास विभाग वह एजेंसी होगी जो उपखंड (e) के अनुरूप कानून प्रवर्तन स्वचालित डेटा प्रणाली (LEADS) को लागू करने वाले कार्यक्रम, संसाधनों और कर्मचारियों के लिए मुख्य रूप से ज़िम्मेदार होगी, और उन पर उसका नियंत्रण होगा। शीर्षक 2.05 (अनुभाग 3450 के साथ शुरू करते हुए) के अनुसार विमोचन-पश्चात सामुदायिक पर्यवेक्षण के लिए रिहा किये गए कैदियों की निगरानी करने वाली काउंटी एजेंसियां, विभाग द्वारा राज्य जेल से रिहा किए गए कैदियों के बारे में सटीक जानकारी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, विभाग द्वारा अनुरोध की गई कोई भी जानकारी प्रदान करेगी। इस जानकारी में *पर्यवेक्षण के सभी रिकॉर्ड,* वारंट जारी करना, निरस्त करना या विमोचन-पश्चात सामुदायिक पर्यवेक्षण की समाप्ति शामिल हो सकती हैं। 1 अगस्त, 2011 को या उससे पहले, विमोचन-पश्चात सामुदायिक पर्यवेक्षण के लिए रिहा किये गए कैदियों की निगरानी करने के लिए प्राधिकृत काउंटी एजेंसियां, विभाग को सूचित करेंगी

कि उन काउंटी एजेंसियों को वह पर्यवेक्षण प्रदान करने के लिए उत्तरदायी स्थानीय इकाई के रूप में नामित किया गया है।

(2) परिच्छेद (1) के बावजूद, न्याय विभाग LEADS के तहत, मुख्य रूप से, फिंगरप्रिंट कार्ड से संबंधित सूचना को जारी करने के लिए ज़िम्मेदार होगा।

(*l*) उपखंड (k) के तहत आवश्यकताओं के अलावा, सुधार और पुनर्वास विभाग, California कानून प्रवर्तन दूरसंचार प्रणाली (CLETS) के पर्यवेक्षित विमोचित फ़ाइल में शामिल किए जाने के लिए न्याय विभाग को डेटा प्रस्तुत करेगा ताकि CLETS के माध्यम से कानून प्रवर्तन को विमोचन-पश्चात सामुदायिक पर्यवेक्षण पर सभी व्यक्तियों और पर्यवेक्षण प्रदान करने के लिए नामित काउंटी एजेंसी के बारे में सलाह दी जा सके। इस उपखंड द्वारा आवश्यक डेटा, इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।

अनुभाग 4.2. दंड संहिता में अनुभाग 3040.1 को इस प्रकार पढ़े जाने के लिए जोड़ा गया है:

3040.1 (a) संविधान के अनुच्छेद I की अनुभाग 32 के प्राधिकरण, सरकारी कोड के अनुभाग 12838.4 और 12838.5, दंड संहिता के अनुभाग 3000.1, 3041.5, 3041.7, 3052, 5000, 5054, 5055, 5076.2 और दंड संहिता के अनुभाग 5058 द्वारा प्रदान किए गए नियम बनाने के प्राधिकरण के तहत जल्दी रिहाई या पैरोल विचार के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित को "हिंसक आपराधिक उल्लंघनों" के रूप में परिभाषित किया जाएगा:

(1) हत्या या स्वैच्छिक हत्या।

(2) हाथापाई।

(3) बलात्कार, जैसा कि अनुभाग 261 के उपखंड (a) के परिच्छेद (2) या (6) में और अनुभाग 262 के उपखंड (a) के परिच्छेद (1) या (4) में परिभाषित किया गया है।

(4) गुदा संभोग, जैसा कि अनुभाग 286 के उपखंड (c) या (d) में परिभाषित किया गया है।

(5) मौखिक मैथुन, जैसा कि अनुभाग 287 के उपखंड (c) या (d) में परिभाषित किया गया है।

(6) अशिष्ट या कामोत्तेजक कार्य, जैसा कि अनुभाग 288 के उपखंड (a) या (b) में परिभाषित किया गया है।

(7) मृत्यु या राज्य के कारावास में आजीवन कारावास की सजा, कोई भी दंडनीय घोर-अपराध।

(8) कोई भी घोर-अपराध जिसमें प्रतिवादी, अपने साथी के अलावा किसी भी व्यक्ति को गहरी शारीरिक चोट पहुंचाता है जिसे 1 जुलाई 1977 पर या उससे बाद अनुभाग 12022.7, 12022.8 या 12022.9 के प्रावधानों और 1 जुलाई 1977 से पूर्व अनुभाग 213, 264, और 461 के प्रावधानों के अनुसार आरोपित या सिद्ध किया गया है, या कोई भी घोर-अपराध जिसमें प्रतिवादी बन्दूक का उपयोग करता है जिसका उपयोग अनुभाग 12022.3, 12022.5 या 12022.55 के उपखंड (a) के अनुसार आरोपित या सिद्ध किया गया है।

(9) कोई लूट।

(10) आगजनी, अनुभाग 451के उपखंड (a) या (b) के उल्लंघन में।

(11) यौन प्रवेश, जैसा कि अनुभाग 289 के उपखंड (a) या (j) में परिभाषित किया गया है।

(12) हत्या का प्रयास।

(13) अनुभाग 18745, 18750 या 18755 का उल्लंघन।

(14) अपहरण करना।

(15) अनुभाग 220 के उल्लंघन में एक निर्दिष्ट अपराध करने के इरादे से हमला करना।

(16) अनुभाग 288.5 के उल्लंघन में किसी बच्चे का लगातार यौन शोषण करना।

(17) अनुभाग 215 के उपखंड (a) में परिभाषित के अनुसार कार चोरी करना ।

(18) अनुभाग 264.1 का उल्लंघन करते हुए संगीत कार्यक्रम में बलात्कार, पति द्वारा बलात्कार या यौन प्रवेश करना।

(19) ज़बर्दस्ती वसूली, जैसा कि अनुभाग 518 में परिभाषित है, जो अनुभाग 186.22 का घोर उल्लंघन है।

(20) पीड़ितों या गवाहों को धमकी देना, जैसा कि अनुभाग 136.1 के उपखंड (c) में परिभाषित है।

(21) अनुभाग 460 के उपखंड (a) में परिभाषित प्रथम डिग्री की कोई भी चोरी, जिसमें यह आरोप लगाया गया हो और यह साबित किया गया है कि चोरी करते समय एक साथी के अलावा, कोई अन्य व्यक्ति निवास स्थान पर मौजूद था।

(22) अनुभाग 12022.53 का कोई भी उल्लंघन।

(23) अनुभाग 11418 के उपखंड (b) या (c) का उल्लंघन।

(24) हत्या करने के लिए उकसाना।

(25) अनुभाग 245 के उपखंड (a) और उपखंड (b) के परिच्छेद (2) के उल्लंघन में, बन्दूक के साथ हमला करना।

(26) अनुभाग 245 के उपखंड (a) के परिच्छेद (1) के उल्लंघन में घातक हथियार से हमला करना।

(27) अनुभाग 245 के उपखंडों (c) और (d) के उल्लंघन में शांति अधिकारी या फायर फाइटर के शरीर पर घातक हथियार से आपराधिक हमला करना।

(28) अनुभाग 245 के उपखंड (a) के परिच्छेद (4) के उल्लंघन में, गहरी शारीरिक चोट लगाने की संभावना वाले बल से आपराधिक हमला करना।

(29) अनुभाग 244 के उल्लंघन में कॉस्टिक रसायनों के साथ हमला।

(30) अनुभाग 210.5 के उल्लंघन में गलत सज़ा।

(31) अनुभाग 246 के उल्लंघन में बन्दूक चलाने का घोर-अपराध।

(32) अनुभाग 26100 के उपखंड (c) के उल्लंघन में, मोटर वाहन से बन्दूक चलाना।

(33) अनुभाग 273.5 के उल्लंघन में, घोर-आपराधिक घरेलू हिंसा के कारण कोई दर्दनाक स्थिति में।

(34) अनुभाग 140 के उल्लंघन में किसी अपराध के गवाह या पीड़ित के खिलाफ बल का प्रयोग करना या धमकी देने का घोर-अपराध।

(35) अनुभाग 148.10 के उल्लंघन में एक शांति अधिकारी का विरोध करना और मृत्यु या गंभीर चोट पहुंचाने का घोर-अपराध।

(36) अनुभाग 422.7 के अनुसरण में घृणा के कारण दंडनीय घोर-अपराध।

(37) अनुभाग 368 के उपखंड (b) के उल्लंघन में वृद्ध या आश्रित वयस्क से दुर्व्यवहार करने का अपराध।

(38) अनुभाग 261 के उपखंड (a) के परिच्छेद (1), (3), या (4) के उल्लंघन में बलात्कार।

(39) अनुभाग 262 के उल्लंघन में बलात्कार।

(40) अनुभाग 289 के उपखंड (b), (d), या (e) के उल्लंघन में यौन संभोग।

(41) अनुभाग 286 के उपखंड (f), (g), या (i) के उल्लंघन में गुदा संभोग।

(42) अनुभाग 287 के उपखंड (f), (g), या (i) के उल्लंघन में मौखिक मैथुन।

(43) अनुभाग 267 के उल्लंघन में, वेश्यावृत्ति के लिए नाबालिग का अपहरण।

(44) अनुभाग 236.1 के उपखंड (a), (b), या (c) के उल्लंघन में मानव तस्करी।

(45) अनुभाग 237ab के उल्लंघन में बाल शोषण।

(46) अनुभाग 18740 के उल्लंघन में किसी विनाशकारी उपकरण को रखना, विस्फोट करना या जलाना।

(47) अनुभाग 451 के उपखंड (c) के दो या अधिक उल्लंघन।

(48) इस उपखंड में वर्णित अपराध करने का कोई भी प्रयास।

(49) कोई भी घोर-अपराध जिसमे यह साबित होता है कि प्रतिवादी ने व्यक्तिगत रूप से एक खतरनाक या घातक हथियार का उपयोग किया है।

(50) अनुभाग 290 से 290.009, सहित, के अनुसरण में कोई भी अपराध जिसका परिणाम आजीवन यौन अपराधी पंजीकरण हो सकता है।

(51) इस अनुभाग में वर्णित किसी भी अपराध को करने की कोई भी साजिश।

(b) इस अनुभाग के प्रावधान ऐसे किसी भी कैदी पर लागू होंगे जो इस अनुभाग की प्रभावी तारीख पर या उसके बाद से सजा काट रहा हो, चाहे उसे कभी भी सजा सुनाई गई हो।

अनुभाग 4.3 अनुभाग 3040.2 दंड संहिता में, इस प्रकार पढ़े जाने के लिए जोड़ा गया है:

3040.2. (a) किसी अहिंसक अपराधी पैरोल विचार समीक्षा आयोजित किये जाने पर, पैरोल सुनवाई के मंडल के लिए सुनवाई अधिकारी, कैदी के बारे में सभी प्रासंगिक, विश्वसनीय जानकारी पर विचार करेगा।

(b) समीक्षा का मानक यह होगा कि, जैसे कि जेल से रिहा किये जाने पर यदि कैदी घोर-आपराधिक आचरण के परिणामस्वरूप, पीड़ित व्यक्तियों के बढ़ने का अनुचित जोखिम कार्य करेगा।

(c) इस निर्णय तक पहुंचने में, सुनवाई अधिकारी निम्नलिखित कारकों पर विचार करेगा:

(1) वर्तमान दोषसिद्धि से संबंधित परिस्थितियां।

(2) कैदी का आपराधिक इतिहास, जिसमें अन्य आपराधिक आचरण, जिसमें किशोर और वयस्क दोनों शामिल हैं, जिन्हें विश्वसनीय रूप से प्रलेखित किया गया है।

(3) कैदी का संस्थागत व्यवहार, जिसमें पुनर्वास संबंधी प्रोग्रामिंग और संस्थागत कदाचार दोनों शामिल हैं।

(4) किसी कैदी से कोई भी सूचना, कोई भी पीड़ित, चाहे वह संप्रेषण के समय और अभियोजन एजेंसी या एजेंसियों पंजीकृत हो अथवा नहीं।

(5) कैदी की अतीत और वर्तमान मानसिक स्थिति जैसा कि सुधार और पुनर्वास विभाग के रिकॉर्ड में दर्ज है।

(6) अपराध के बारे में कैदी का अतीत और मौजूदा रवैया।

(7) कोई भी अन्य सूचना जिस पर कैदी की रिहाई की उपयुक्तता निर्भर करती है।

(d) सुनवाई अधिकारी द्वारा, निम्नलिखित परिस्थितियों पर यह निर्धारित करने के लिए विचार किया जायेगा, कि कैदी रिहाई के लिए उपयुक्त है या नहीं:

(1) मौजूदा अपराध में कई पीड़ित व्यक्ति शामिल हैं ।

(2) उम्र या शारीरिक या मानसिक स्थिति के कारण पीड़ित विशेष रूप से अतिसंवेदनशील था।

(3) कैदी ने अपराध करते समय विश्वास की स्थिति का फायदा उठाया।

(4) कैदी अपराध करते समय बन्दूक या अन्य घातक हथियार से लैस था या उसका इस्तेमाल किया था।

(5) अपराध के दौरान पीड़ित को गहरी शारीरिक चोट लगी थी।

(6) कैदी ने सड़क के आपराधिक गिरोह के साथ मिलकर अपराध को अंजाम दिया। था

(7) कैदी ने अपराध करते समय अन्य साथियों का नेतृत्व किया या अपना प्रभुत्व दिखाया या कैदी ने अन्य लोगों को अपराध में भाग लेने के लिए को प्रेरित किया था।

(8) अपराध करने के दौरान, कैदी के पास रुक जाने का एक स्पष्ट अवसर था लेकिन उसे नकार कर कैदी ने अपराध करना जारी रखा था।

(9) कैदी अन्य विश्वसनीय रूप से प्रलेखित आपराधिक आचरण में संलग्न था जो अपराध का अभिन्न अंग था और जिसके लिए वर्तमान में कैदी जेल में है।

(10) जिस तरीके से अपराध किया गया था, वह पीड़ित के अलावा अन्य व्यक्तियों को गंभीर चोट पहुंचाने की क्षमता रखता था।

(11) अपराध करते समय कैदी परिवीक्षा, पैरोल, विमोचन पश्चात सामुदायिक निगरानी, या अनिवार्य पर्यवेक्षण पर या हिरासत में था या हिरासत से भाग गया था।

(12) अपराध करते के समय कैदी किसी भी प्रकार की सजा के पूर्व या उसके बाद रिहाई पर था।

(13) कैदी की हिंसा का पूर्व इतिहास, चाहे वह किशोर या वयस्क था।

(14) कैदी ने जेल में दुराचार किया।

(15) कैदी एक या अलग-अलग काउंटियों या न्यायालयों से, कई मामलों के कारण कैद किया गया है।

(e) कैदी की रिहाई की उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए सुनवाई अधिकारी द्वारा निम्नलिखित परिस्थितियों पर विचार किया जाएगा:

(1) कैदी का किशोरावस्था में पीड़ितों को नुकसान पहुंचाने या उन पर हमला करने का कोई रिकॉर्ड नहीं है।

(2) कैदी के हिंसक अपराध का कोई इतिहास नहीं है।

(3) कैदी ने पश्चाताप का प्रदर्शन किया है।

(4) कैदी की वर्तमान आयु के कारण पुनरावृत्ति का खतरा कम हो जाता है।

(5) कैदी ने रिहा किये जाने पर कोई यथार्थवादी योजना बनाई है या रिहाई के बाद उपयोग करने योग्य कौशल विकसित किया है।

(6) रिहा किये जाने पर कैदी की संस्थागत गतिविधियां कानून के भीतर कार्य करने की क्षमता प्रदर्शित करती हैं।

(7) कैदी ने आंशिक रूप से क्षम्य परिस्थितियों में अपराध में भाग लिया, जिसका कानूनी रूप से बचाव नहीं किया जा सकता है।

(8) कैदी के पास अपराध करने का कोई स्पष्ट पूर्वाभास नहीं था, लेकिन इसमें भाग लेने के लिए दूसरों द्वारा प्रेरित किया गया था।

(9) कैदी का न्यूनतम या कोई अपराधिक इतिहास नहीं है।

(10) कैदी की अपराध करने में निष्क्रिय भागीदारी थी या अल्प भूमिका थी।

(11) अपराध ऐसी असामान्य स्थिति के दौरान या उसके कारण किया गया जैसी स्थिति पुनः पैदा होने की संभावना नहीं है।

अनुभाग 4.4. अनुभाग 3040.3 को दंड संहिता में, इस प्रकार पढ़े जाने के लिए जोड़ा गया है:

3040.3. (a) एक ऐसा कैदी जो वर्तमान में समवर्ती, निरंतर गिरफ्तारी में है या जिस पर अनुभाग 3040.1 या अनुभाग 667.5 के उपखंड (c) के द्वारा हिंसक के रूप में परिभाषित किये गये किसी अपराध या अभियोग के लिए दी गई सजा पर रोक लगी हुई है, को संविधान की अनुच्छेद I के अनुभाग 32 के उद्देश्य से हिंसक अपराधी माना जाएगा।

(b) एक ऐसा कैदी जो मौजूदा समय में एक अनिश्चित सजा के लिए गिरफ्तारी में है, को संविधान की अनुभाग I के अनुभाग 32 के उद्देश्य से हिंसक अपराधी माना जाएगा।

(c) एक ऐसा कैदी जो मौजूदा समय पर गिरफ्तारी में है और सजा में ऐसी वृद्धि का पात्र है जो उसके अपराध को अनुभाग 667.5 के उपखंड (c) के अनुसार हिंसक के रूप में परिभाषित करती है, को संविधान की अनुच्छेद I के अनुभाग 32 के उद्देश्य से हिंसक अपराधी माना जाएगा।

(d) संविधान की अनुच्छेद I के अनुभाग 32 के उद्देश्य से "मुख्य अपराध" के लिए "संपूर्ण अवधि" की गणना, केवल उस अपराध के लिए गिरफ्तारी में बिताए गए वास्तविक दिनों के आधार पर की जाएगी।

अनुभाग 4.5. अनुभाग 3040.4 को दंड संहिता में, इस प्रकार पढ़े जाने के लिए जोड़ा गया है:

3040.4. संविधान की अनुच्छेद I के अनुभाग 28 के उपखंड (b) का अनुसरण करते हुए एक कैदी की जल्द पैरोल और रिहाई की समीक्षा करने से पहले अपराध के पीड़ितों को विभाग द्वारा यथोचित सूचना दी जाएगी। जल्द पैरोल पर विचार करने और समीक्षा प्रक्रिया में भाग लेने के संबंध में विभाग द्वारा पीड़ित को सुनवाई का अधिकार प्रदान किया जाएगा। विभाग जल्द रिहाई का निर्णय लेते समय पीड़ित, पीड़ित के परिवार और आम जनता की सुरक्षा पर विचार करेगा।

(a) जल्द पैरोल की समीक्षा करने से पहले, विभाग अभियोजन एजेंसी या एजेंसियों और पंजीकृत पीड़ितों को सूचना देगा, और जो पीड़ित पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें ढूंढने और सूचित करने का यथोचित प्रयास करेगा।

(b) सुनवाई अधिकारी के पास उपलब्ध सभी जानकारियों के साथ-साथ, निम्न जानकारी सहित परंतु सीमित नहीं, कैदी की सेंट्रल फाइल, वयस्क और किशोरावस्था के आपराधिक इतिहास के दस्तावेज़, संस्थागत आचरण जिसमें पुनर्वास कार्यक्रम और संस्थागत दुर्व्यवहार दोनों शामिल हैं, कोई भी व्यक्ति या संस्थान जो कैदी की और से पैरवी करता हो, और जनता द्वारा प्रदान की गई कोई भी जानकारी की समीक्षा करने का अधिकार अभियोजन एजेंसी के पास होगा।

(c) पीड़ित के पास जल्द पैरोल पर विचार के उद्देश्य से निवेदन, जिसमें गुप्त निवेदन भी शामिल है, देने का अधिकार होगा।

(d) सभी अभियोजन एजेंसियों, मामले में शामिल कोई भी कानून प्रवर्तन एजेंसी, और सभी पीड़ित चाहे वे पंजीकृत हो या नहीं के पास, मंडल को लिखित में अपनी प्रतिक्रिया देने का अधिकार होगा।

(e) जल्द पैरोल समीक्षा या विचार की कैदी की पात्रता की सूचना की तारीख से 90 दिन के अंदर अभियोजन एजेंसियों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और पीड़ितों द्वारा मंडल को अपनी प्रतिक्रिया आवश्यक रूप से दी जानी चाहिए।

(f) मंडल, अहिंसक अपराधी के पैरोल का निर्णय लेने के 10 दिन के अंदर अभियोजन एजेंसियों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और पीड़ितों को सूचित करेगा।

(g) अहिंसक अपराधी के पैरोल पर विचार के संबंध में अंतिम निर्णय की सूचना के 30 दिन के अंदर, कैदी और अभियोजन एजेंसियां निर्णय की समीक्षा करने के लिए निवेदन कर सकते हैं।

(h) यदि किसी कैदी को संविधान की अनुच्छेद I के अनुभाग 32 के अहिंसक अपराध के लिए पैरोल के प्रावधानों के अंतर्गत जल्द रिहाई देने से मना कर दिया जाता है तो पिछली बार मना करने के अंतिम निर्णय की तारीख से दो कैलेंडर वर्षों तक वह कैदी अहिंसक अपराध के लिए जल्द पैरोल पर विचार के लिए पात्र नहीं होगा।

अनुभाग 4.6. अनुभाग 3041 को दंड संहिता में, इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया गया है:

3041. (a) (1) यदि कोई कैदी अध्याय 4.5 (अनुभाग 1170 से शुरू करते हुए) के शीर्षक 7 के भाग 2, के अलावा किसी अन्य कानून के अंतर्गत सजायाफ्ता है, तो पैरोल की पात्रता के लिए उपयुक्तता के उद्देश्य से कैदी की गतिविधियों और आचरण की समीक्षा और दस्तावेज़ीकरण के लिए पैरोल सुनवाई बोर्ड छठे वर्ष के दौरान, कैदी की पात्र न्यूनतम पैरोल की तारीख से पहले प्रत्येक कैदी से मुलाकात करेगा। इस परामर्श के दौरान, मंडल द्वारा, कैदी

को पैरोल सुनवाई प्रक्रिया, पैरोल के लिए उसकी उपयुक्तता या अन-उपयुक्तता से संबंधित कानूनी तथ्यों के बारे में जानकारी दी जायेगी और कैदी को उसे सौंपे गए कार्यों, पुनर्वास कार्यक्रमों, और संस्थागत आचरण के संबंध में व्यक्तिगत सलाह दी जाएगी। इस परामर्श के 30 दिन के अंदर, मंडल इसके सकारात्मक और नकारात्मक निष्कर्षों और सिफारिशों को कैदी को लिखित में जारी करेगा।

(2) कैदी की न्यूनतम पैरोल पात्रता तारीख से एक वर्ष पहले दो या दो से अधिक कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर का पैनल कैदी से पुनः मुलाकात करेगा और अनुभाग 3041.5 के अनुसार सामान्य तौर पर पैरोल प्रदान करेगा। पैनल के सदस्यों में एक से अधिक डिप्टी कमिश्नर नहीं होगा।

(3) बहुमत से निर्णय ना हो पाने की स्थिति में, उन रिकॉर्ड के साथ जो बहुमत से निर्णय ना ले पाने वाले पैनल के समक्ष थे, इस मामले को संपूर्ण बेंच के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। संपूर्ण बेंच की समीक्षा पर, मंडल पैरोल देने या ना देने के लिए मतदान करेगा और निर्णय का वक्तव्य प्रस्तुत करेगा। संपूर्ण बेंच के समक्ष समीक्षा, उपखंड (e) के अनुसार की जाएगी।

(4) पैरोल प्रदान करने पर, कैदी को रिहा कर दिया जाएगा, बशर्ते सभी लागू समीक्षा अवधि पूरी हो चुकी हो। हालांकि तब भी, कैदी को अनुभाग 3046 के अनुसरण से, सिवाय तब जब कैदी अपने युवा अपराध पैरोल पात्रता तारीख या वृद्ध पैरोल ~~सौम्य~~ *पात्रता* की तारीख के कारण जल्द रिहाई का पात्र हो को छोड़कर, तय की गई न्यूनतम पैरोल पात्रता तारीख से पहले रिहा नहीं किया जाएगा।

(5) आखिरी पिछली बैठक में, पैनल के कम से कम एक कमिश्नर को उपस्थित होना चाहिए, सिवाय तब जब ऐसा संभव ना हो सके या तब जब आखिरी पिछली बैठक, प्रारंभिक बैठक हो। सुनवाई पैनल का कोई भी व्यक्ति, मंडल की संपूर्ण बेंच के समक्ष सुनवाई करके पैरोल से संबंधित किसी भी निर्णय की समीक्षा करने के लिए निवेदन कर सकता है। समीक्षा की परिस्थिति में, किसी कैदी को पैरोल प्रदान करने के लिए, संपूर्ण बेंच की समीक्षा में भाग लेने वाले मंडल के सदस्यों का पैरोल के पक्ष में बहुमत से मतदान करना आवश्यक होगा।

(b) (1) पैनल या मंडल की, संपूर्ण बेंच की बैठक, एक कैदी को पैरोल प्रदान करेगी, ऐसा वे केवल तब नहीं करेंगे जब वह यह निर्धारित करते हैं कि कैदी को दी गई वर्तमान सजा, अपराध या अपराधों की गंभीरता या वर्तमान या अतीत में अपराध या अपराधों की गंभीरता और उसके लिए दी गई सजा का समय, जनता की सुरक्षा की आवश्यकता पर विचार करते हुए कैद की अवधि को उस व्यक्ति के लिए और अधिक करने की आवश्यकता है। *पैनल या मंडल की, संपूर्ण बेंच की बैठक, यह निर्णय लेने के लिए, कैदी को वर्तमान और अतीत में दिए गए सभी अपराधों की सजा और कैदी के संपूर्ण आपराधिक इतिहास पर विचार करेगी।*

(2) जुलाई 30, 2001 के बाद, कैदी के पैरोल के लिए उपयुक्त होने के पैरोल पैनल के निष्कर्ष पर कोई भी निर्णय सुनवाई की तारीख के 120 दिनों के अंदर होगा। मंडल, इस समय के दौरान, पैनल के निर्णय की समीक्षा कर सकता है। इस उपखंड के अनुसरण से पैनल का निर्णय अंतिम होगा, सिवाय तब नहीं जब मंडल यह पाता है कि पैनल ने कानूनन कोई गलती की है, या पैनल का निर्णय किसी गलत तथ्य पर आधारित है, या मंडल के समक्ष नई जानकारी प्रस्तुत की जाएगी, इनमें से कोई भी जब सही किया जाएगा या मंडल द्वारा विचार किया जाएगा तो दोबारा सुनवाई के समय एक बहुत अलग निर्णय होने की अत्यधिक संभावना होगी। यह निर्धारित करने में, मंडल उन कमिश्नर के साथ परामर्श करेगा जिन्होंने पैरोल के लिए विचार करने के लिए सुनवाई की थी।

(3) पैनल के निर्णय को अस्वीकृत और दोबारा सुनवाई के लिए निर्दिष्ट नहीं किया जाएगा जब तक कि आम बैठक के बाद संपूर्ण बेंच की बैठक में मंडल द्वारा बहुमत से इसके लिए मतदान ना किया जाए।

(c) ऐसे कैदी जो, अनुभाग 1170.2 के अंतर्गत की गणना की तारीख के बजाय पिछले कानून के अंतर्गत पहले की तारीख पर पैरोल के पात्र थे, के लिए पैरोल के लिए उनकी उपयुक्तता की समीक्षा करने के उद्देश्य से मंडल कम से कम दो व्यक्तियों का पैनल नियुक्त करेगा जो प्रत्येक कैदी से वार्षिक मुलाकात करेगा जब तक कि उस व्यक्ति को कानूनी कार्रवाई के अनुसरण में रिहा नहीं कर दिया जाता या अनुभाग 1170.2 के अंतर्गत की गणना की तारीख तक की उसकी कैद की अवधि समाप्त ना हो।

(d) विधान मंडल का यह उद्देश्य है कि, जब तक कि कैदियों द्वारा पैरोल की सुनवाई, आजीवन पैरोल पर विचार की सुनवाई, या आजीवन कारावास रद्द करने की सुनवाई के लिए इंतजार करने का बैकलॉग ना हो तब तक सुनवाई तीन या इससे अधिक सदस्यों के पैनल द्वारा की जाए, जिसमें कमिश्नर बहुमत में हों। मंडल उन केसों की संख्या की मासिक सूचना देगा, जिनमें अनुभाग 3041.5 के उपखंड (a) या अनुभाग 3041.5 के उपखंड (b) के परिच्छेद (2) के अंतर्गत प्रारंभिक या आगे की पैरोल पर विचार की सुनवाई, सुनवाई तारीख के 30 दिन के अंदर पूर्ण करने की आवश्यकता कैदी द्वारा प्राप्त नहीं की गई है, सिवाय तब जब कैदी ने उन समय अवधि के अधिकार को छोड़ दिया हो। इस अनुभाग के उद्देश्य से इस रिपोर्ट को केसों का बैकलॉग माना जाएगा और इसमें बैकलॉग को समाप्त करने में हुई प्रगति और उन कैदियों की संख्या जिन्होंने समय अवधि के अपने अधिकार को छोड़ दिया है, की जानकारी शामिल की जाएगी। रिपोर्ट को मंडल की निर्धारित नियमित बैठक में सार्वजनिक किया जाएगा और एक लिखित रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई जाएगी और विधानमंडल को हर तिमाही पर भेजी जाएगी।

(e) इस अनुभाग के उद्देश्य से मंडल के संपूर्ण बेंच द्वारा समीक्षा का अर्थ है, मंडल द्वारा मामले की सुनवाई की तारीख को पदासीन कमिश्नरों के बहुमत द्वारा समीक्षा की गई। एक संपूर्ण बेंच द्वारा समीक्षा निम्न का अनुपालन करते हुए की जाएगी:

(1) समीक्षा करने वाले कमिश्नर सुनवाई के उन संपूर्ण रिकॉर्ड पर विचार करेंगे जिसके परिणाम स्वरूप मतदान बराबरी पर हुआ।

(2) समीक्षा सुनवाई के रिकॉर्ड तक सीमित रहेगी। रिकॉर्ड में सुनवाई की प्रतिलिपि या ऑडियो टेप, लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिकॉर्ड किए गए बयान शामिल होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप बराबरी पर मतदान हुआ, और कोई अन्य सामग्री जिस पर पैनल द्वारा वास्तव में विचार किया गया। संपूर्ण बेंच के द्वारा कार्यवाही में नए साक्ष्यों या टिप्पणियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

(3) मंडल पैरोल देने या ना देने के अपने निर्णय के बारे में अलग से कारण बताएगा।

(4) कोई कमिश्नर जो बराबरी से मतदान करने में शामिल था, को संपूर्ण बेंच द्वारा समीक्षा के दौरान मामले में विचार करने से मुक्त रखा जाएगा।

अनुभाग 4.7. अनुभाग 3454 को दंड संहिता में, इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया गया है:

3454. (a) अनुभाग 3451 के उपखंड (a) के अनुसरण पर काउंटी बोर्ड ऑफ सुपरवाइज़र्स द्वारा स्थापित सुपरवाइज़िंग काउंटी एजेंसी प्रत्येक व्यक्ति की रिहाई के बाद के कार्यक्रम का आंकलन और सुधार का निरीक्षण करने के लिए एक समीक्षा प्रक्रिया स्थापित करेगी। रिहाई के बाद कोई भी अतिरिक्त निरीक्षण परिस्थिति, उस अपराध जिसके लिए अपराधी ने जेल में समय बिताया है या अपराधी के दोबारा अपराध करने के खतरे, और अपराधी के आपराधिक इतिहास, और अन्यथा कानून के अनुसार उचित रूप से संबंधित की जानी चाहिए।

(b) अनुभाग 3451 के उपखंड (a) के अनुसरण पर काउंटी बोर्ड ऑफ सुपरवाइज़र्स द्वारा स्थापित प्रत्येक उत्तरदायी काउंटी एजेंसी सार्वजनिक सुरक्षा के साथ संगत अनुभाग 3453 में सूचीबद्ध निरीक्षण के लिए अतिरिक्त उचित परिस्थिति निर्धारित कर सकती है जिसमें अनुभाग 1210.7 में परिभाषित लगातार इलेक्ट्रॉनिक निरीक्षण, उचित पुनर्वास और उपचार सेवाओं के प्रावधान का आदेश देना, उचित प्रोत्साहन निर्धारित करना शामिल है, और कथित उल्लंघनों के लिए उचित जवाब निर्धारित करना और आदेश देना जो तुरंत, निर्धारित और मध्यम प्रतिबंध तक ही सीमित नहीं हैं और जिसमें अनुभाग 3015 के अनुसरण पर, न्यायालय में दोबारा भेजा जाना या शहर या काउंटी की जेल में सीधे कैद करना शामिल है। अपराधी की रिहाई के बाद की शर्तों के उल्लंघन की सजा के रूप में कुछ समय के लिए सीधे कैद करने के निरीक्षण के नियम को प्रोत्साहित किया जाएगा।

(c) जैसा कि इस शीर्षक “सीधे कैद करना” में प्रयोग किया गया है, शहर या काउंटी की एक जेल में अपराधी की रिहाई के बाद निरीक्षण की शर्तों का उल्लंघन करने के कारण कुछ समय के लिए कैद में रखना है। कैद में रखने की अवधि एक दिन और लगातार 10 दिनों तक हो सकती है। सीधे कैद करना एक तरीका है जिसे रिहाई के बाद निरीक्षण करने के लिए उत्तरदायी प्रत्येक काउंटी एजेंसी प्रयोग कर सकती है। कम समय के लिए, लेकिन आवश्यक होने पर कई बार, अपराधी की रिहाई के बाद निरीक्षण की शर्तों का उल्लंघन करने पर कुछ समय के लिए कैद करना अपराधी को उचित रूप से दंडित करेगा और कार्य और घरों में लंबी अवधि की कैद के कारण होने वाली परेशानियों से बचाएगा।

(d) कुछ समय के लिए सीधे कैद में डालने का निर्णय होने पर, न्यायालय, सार्वजनिक वकील, जिला वकील और शेरिफ को प्रत्येक सीधी कैद लागू करने के बारे में प्रोबेशन विभाग सूचित करेगा।

अनुभाग 4.8. अनुभाग 3455 को दंड संहिता में, इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया गया है:

3455. (a) यदि निरीक्षण करने वाली काउंटी एजेंसी, आंकलन प्रक्रिया प्रयोग करने के बाद अनुभाग 3454 के उपखंड (b) द्वारा अधिकृत मध्यम प्रतिबंध को उपयुक्त निर्धारित नहीं करती है, *या वह व्यक्ति जो निरीक्षण में है, ने रिहाई की शर्तों का तीसरी बार उल्लंघन किया है,* तो अनुभाग 1203.2 के अनुसरण पर निरीक्षण करने वाली काउंटी एजेंसी न्यायालय में रिहाई के बाद सामुदायिक निरीक्षण वापस लेने, संशोधन करने या रद्द करने के लिए आवेदन कर सकती है। इस अनुभाग के अनुसरण पर शुरू की गई प्रक्रिया में किसी भी समय, वह व्यक्ति लिखित में वकील पाने का अधिकार छोड़ सकता है, रिहाई के बाद सामुदायिक निरीक्षण का उल्लंघन करने को स्वीकार कर सकता है, न्यायालय की सुनवाई को छोड़ सकता है, और रिहाई के बाद सामुदायिक निरीक्षण में किए गए बदलावों को स्वीकार कर सकता है। आवेदन में एक लिखित रिपोर्ट शामिल की जानी चाहिए जिसमें आवेदन के बारे में अतिरिक्त जानकारी होगी, इस जानकारी में रिहाई के बाद सामुदायिक निरीक्षण से संबंधित नियम व शर्तें, कथित अंतर्निहित उल्लंघन की परिस्थितियां, उल्लंघन कर्ता का इतिहास और पृष्ठभूमि और कई सुझाव शामिल होंगे। इस उपखंड को लागू करने में, पूरे राज्य में एक समान प्रक्रिया स्थापित करने के लिए न्यायिक परिषद न्यायालय के फॉर्म्स और नियमों को ग्रहण करेगा इसमें निरीक्षण एजेंसी की रिपोर्ट की न्यूनतम विषय-वस्तु भी शामिल है। यह पाए जाने पर कि व्यक्ति ने रिहाई के बाद सामुदायिक निरीक्षण की शर्तों का उल्लंघन किया है, रिहाई के बाद सामुदायिक निरीक्षण वापस लेने वाले सुनवाई अधिकारी के पास निम्न सभी करने के अधिकार होंगे:

(1) व्यक्ति को रिहाई के बाद सामुदायिक निरीक्षण की शर्तों में बदलाव करके वापस भेजना, यदि उपयुक्त हो तो काउंटी की जेल में कुछ समय के लिए कैद शामिल करना।

(2) रिहाई के बाद सामुदायिक निरीक्षण वापस लेना और रद्द करना और व्यक्ति को काउंटी की जेल में कैद करने का आर्डर देना।

(3) अनुभाग 3015 के अनुसरण पर व्यक्ति को दोबारा न्यायालय भेजना या न्यायालय के विचार से उचित अन्य साक्ष्य-आधारित कार्यक्रम में भेजना।

(b) (1) रिहाई के बाद सामुदायिक निरीक्षण के दौरान किसी भी समय, यदि एक शांति कायम करने वाले अधिकारी, *जिसमें प्रोबेशन अधिकारी शामिल है,* के पास यह मानने का संभावित कारण है कि एक व्यक्ति जो रिहाई के बाद सामुदायिक निरीक्षण में है और अपनी रिहाई के नियमों और शर्तों का उल्लंघन कर रहा है, *या अनुभाग 1203.2 के अनुसरण पर रिहाई के बाद सामुदायिक निरीक्षण वापस लेने, बदलाव करने या रद्द करने की सुनवाई में उपस्थित होने में विफल रहता है* तो वह अधिकारी बिना किसी वारंट या अन्य प्रक्रिया के व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है और उसे अनुभाग 3451 के उपखंड (a) के अनुसरण पर काउंटी बोर्ड ऑफ सुपरवाइज़र्स द्वारा स्थापित सुपरवाइज़िंग काउंटी एजेंसी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। इसके अतिरिक्त, निरीक्षण करने वाली काउंटी एजेंसी द्वारा नियुक्त एक अधिकारी एक वारंट की मांग कर सकता है और एक न्यायालय या इसके द्वारा सरकारी कोड के अनुभाग 71622.5 के अनुसरण पर नियुक्त प्राधिकृत सुनवाई अधिकारी के पास उस व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करने के अधिकार होंगे।

(2) न्यायालय या इसके द्वारा अधिकृत सुनवाई अधिकारी के पास एक व्यक्ति के लिए वारंट जारी करने का अधिकार होगा जो इस अनुभाग के अंतर्गत फ़ाइल की गई एक दरख़्वास्त का विषय है या न्याय हित में किसी भी कारण से, या एक व्यक्ति को रिमांड में लेने के लिए कस्टडी में लेने के लिए जो दरख़्वास्त की सुनवाई में उपस्थित हुआ है या न्याय हित में किसी भी कारण से दरख़्वास्त की सुनवाई में प्रस्तुत होने में विफल रहा है।

20

(3) जब तक कि एक व्यक्ति रिहाई के बाद सामुदायिक निरीक्षण में है अन्यथा सीधे कैद करने की अवधि में हो, जब भी कोई व्यक्ति जो इस अनुभाग के अंतर्गत हो और उसे वारंट के साथ या बिना वारंट के या सामुदायिक निरीक्षण वापस लेने की दरख़्वास्त के कारण गिरफ्तार किया जाता है तो न्यायालय उसे किसी भी नियम और शर्तों के साथ जो न्यायालय को उपयुक्त लगे के अंतर्गत कस्टडी में निरीक्षण से रिहा करने को आदेश दे सकता है।

(c) सामुदायिक निरीक्षण वापस लेने की दरख़्वास्त फाइल होने के बाद सामुदायिक निरीक्षण वापस लेने की सुनवाई उचित समय अवधि में की जानी चाहिए। सिवाय उपखंड (b) के परिच्छेद (3) के प्रावधान को छोड़कर जिसमें साक्ष्य प्रबलता से यह दर्शाता है कि निरीक्षण के अंतर्गत व्यक्ति सार्वजनिक सुरक्षा के समक्ष एक अनुचित खतरा है, या वह व्यक्ति कस्टडी से रिहा करने के बाद पेश नहीं होगा, या न्याय के हित में किसी भी कारण से, निरीक्षण करने वाली काउंटी एजेंसी के पास यह निर्धारित करने का अधिकार होगा कि रिहाई के बाद सामुदायिक निरीक्षण वापस लेने की दरख़्वास्त के लिए न्यायालय में पहली बार पेश होने तक व्यक्ति को कस्टडी में रखा जाए या नहीं, यह निर्धारित करने पर एजेंसी द्वारा व्यक्ति को उसके पहली बार न्यायालय में पेश होने तक कैद में रखने का आदेश दिया जा सकता है।

(d) उपखंड (a) के परिच्छेद (1) और (2) के अनुसरण पर काउंटी की जेल में कैद में रखना, प्रत्येक कस्टडी में रखने के आदेश के लिए 180 दिनों से अधिक के लिए नहीं हो सकता है।

(e) इस शीर्षक के अंतर्गत व्यक्ति के पहली बार रिहाई के बाद सामुदायिक निरीक्षण में प्रवेश करने की तारीख से तीन वर्ष होने के बाद उस व्यक्ति को निरीक्षण या कस्टडी में नहीं रखा जा सकता, सिवाय तब जब उसका निरीक्षण अनुभाग 1203.2 या अनुभाग 3456 के उपखंड (b) के अंतर्गत हो रहा हो।

अनुभाग 5. DNA एकत्र करना।

अनुभाग 5.1 अनुभाग 296 को दंड संहिता में, इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया गया है:

296. (a) निम्नलिखित व्यक्ति इस अध्याय के अनुसार आवश्यक कानून प्रवर्तन पहचान विश्लेषण के लिए बक्कल स्वाब का नमूना, दाएं हाथ के अंगूठे का निशान, और दोनों हाथों की संपूर्ण हथेली की छाप, और कोई रक्त के नमूने या अन्य जैविक नमूने देंगे:

(1) कोई व्यक्ति जिसमें किशोर भी शामिल है, जिन्हें सजा दी गई है, या जो कबूल करते हैं, या विरोध नहीं करते हैं, किसी घोर अपराध के लिए, या विक्षिप्तता के कारण किसी घोर अपराध के लिए दोषी नहीं पाए जाते हैं, या कोई किशोर जिस पर कल्याण एवं संस्थान कोड (Welfare and Institutions Code) के अनुभाग 602 के अंतर्गत कोई घोर अपराध करने के लिए फैसला सुनाया गया है।

(2) कोई भी वयस्क जिसे निम्नलिखित में से किसी भी घोर अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया है या आरोपित किया गया है:

(A) अनुभाग 290 में निर्दिष्ट कोई भी घोर अपराध या अनुभाग 290 में वर्णित कोई भी घोर अपराध करने की कोशिश करना, या कोई भी घोर अपराध जिसके लिए एक व्यक्ति को California में अनुभाग 290 के अंतर्गत यौन अपराधी के रूप में पंजीकृत किया जाता है।

(B) हत्या या स्वेच्छा से नरसंहार या हत्या या स्वेच्छा से नरसंहार करने की कोशिश करना।

(C) कानून के लागू होने के ~~पांच साल बाद जनवरी 1 से शुरू करते हुए, जिसमें यह उप-परिच्छेद जोड़ा गया है और~~ *1, 2009* को, कोई भी व्यक्ति जिसको किसी भी घोर अपराध के लिए गिरफ्तार या आरोपित किया गया है, के रूप में संशोधित किया गया है।

(3) कोई भी व्यक्ति, जिसमें किशोर भी शामिल हैं, जिन्हें अनुभाग *290 से 290.009, सहित,* या *अनुभाग* 457.1 के अतंर्गत घोर या छोटा अपराध करने के लिए, या करने की कोशिश के लिए पंजीकृत करने की आवश्यकता है या कोई भी व्यक्ति, जिसमें किशोर भी शामिल हैं जिन्हें मानसिक स्वास्थ्य सुविधा, या यौन अपराध, न्यायालय द्वारा घोर अपराध के लिए आरोपित किए जाने के बाद ऐसी सुविधाओं या कार्यक्रमों के लिए भेजने पर उपचार कार्यक्रम में रखा गया है।

(4) कोई व्यक्ति, जिसमें किशोर शामिल नहीं हैं, जिन्हें किसी भी निम्नलिखित अपराध के लिए सजा दी गई है, या कबूल करते हैं, या विरोध नहीं करते हैं:

(A) अनुभाग 459.5 का अपराधिक उल्लंघन।

(B) अनुभाग 473 के उपखंड (a) का उल्लंघन जो कि अनुभाग 473 के उपखंड (b) के अनुसार एक अपराध के रूप में दंडनीय है।

(C) अनुभाग 476a के उपखंड (a) का उल्लंघन जो कि अनुभाग 476a के उपखंड (b) के अनुसार एक अपराध के रूप में दंडनीय है।

(D) अनुभाग 487 का उल्लंघन जो कि अनुभाग 490.2 के अनुसार एक अपराध के रूप में दंडनीय है।

(E) अनुभाग 496 का उल्लंघन जो कि एक अपराध के रूप में दंडनीय है।

(F) स्वास्थ्य एंव सुरक्षा संहिता के अनुभाग 11350 के उपखंड (a) का अपराधिक उल्लंघन।

(G) स्वास्थ्य एंव सुरक्षा संहिता के अनुभाग 11377 के उपखंड (a) का अपराधिक उल्लंघन।

(H) अनुभाग 243 के उपखंड (e) के परिच्छेद (1) का अपराधिक उल्लंघन।

(I) अनुभाग 273.5 का अपराधिक उल्लंघन।

(J) अनुभाग 368 के उपखंड (b) के अनुच्छेद (1) का अपराधिक उल्लंघन।

(K) कोई भी अपराध या उल्लंघन जिसमें पीड़ित को परिवार कोड के अनुभाग 6211 में निर्धारित किए अनुसार परिभाषित किया गया है।

(L) अनुभाग 647 के उपखंड (b) के परिच्छेद (3) का अपराधिक उल्लंघन।

~~(4)~~ *(5)* इस उपखंड में प्रयुक्त “घोर अपराध” शब्द में अपराध करने का प्रयास भी शामिल है।

~~(5)~~ *(6)* इस अध्याय में मौजूद किसी भी चीज़ को अयोग्य अपराध की याचिका के शर्त के रूप में प्रतिरूप, नमूनों या प्रिंट छापों के संग्रहण और विश्लेषण को प्रतिबंधित करने के रूप में नहीं लिया जा सकता है।

(b) इस अध्याय के प्रावधान और प्रतिरूप, नमूने और प्रिंट छाप को प्रस्तुत करने से संबंधित तत्संबंधी आवश्यकताएं प्रशासनिक रूप से व्यावहारिक होने पर, दी गई सज़ा का लिहाज़ किए बिना सभी सज़ा पाने वाले व्यक्तियों पर लागू होंगी, जिसमें शामिल हैं कोई मौत की

सज़ा, पैरोल की संभावना के बिना जीवन, या आजीवन या अनिश्चित अवधि तक जेल, या किसी वयस्क या वयस्क के रूप में मुकदमा चलाए गए किशोर के मामले, चाहे वह व्यक्ति बिना अपरिवर्तित, दंडित, या मूल्यांकन के लिए संदर्भित किया गया हो, और किसी ऐसे किशोर के मामले में किए गए निराकरण या स्थापन का लिहाज़ किए बिना, जिसे कोई महापराध करने वाले के रूप में पाया गया है या जो कल्याण और संस्थानों के कोड के अनुभाग 602 के तहत फ़ैसला किया गया है।

(c) उपखंड (a) में वर्णित योग्य व्यक्तियों द्वारा प्रशासनिक रूप से व्यावहारिक रूप में जल्द से जल्द प्रतिरूप, नमूने, और प्रिंट छापे को प्रस्तुत करने के लिए इस अध्याय के प्रावधान और इसकी आवश्यकताएं किसी भी मानसिक अस्पताल या अन्य सार्वजनिक या निजी उपचार में रहने या कैद होने की परवाह किए बिना लागू होंगी और इसमें निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, जिसमें किशोर भी शामिल हैं:

(1) कोई भी व्यक्ति कल्याण और संस्था कोड के प्रभाग 6 के भाग 2 के अध्याय 2 के अनुच्छेद 1 (अनुभाग 6300 के साथ शुरू करते हुए) के तहत एक मानसिक रूप से विक्षिप्त यौन अपराधी के रूप में राज्य अस्पताल या अन्य उपचार सुविधा के लिए प्रतिबद्ध है।

(2) कोई भी व्यक्ति जिसे दंड संहिता के भाग 3 के शीर्षक 1 के अध्याय 7 के अनुच्छेद 4 (अनुभाग 2960 से शुरू करते हुए) के प्रावधानों में बताए अनुसार कोई गंभीर मानसिक बीमारी है।

(3) कोई भी व्यक्ति जो कल्याण और संस्थानों कोड के प्रभाग 6 के भाग 2 के अध्याय 2 के अनुच्छेद 4 (अनुभाग 6600 के साथ शुरू करते हुए) के अनुसार यौन हिंसा का अपराधी पाया गया है।

(d) इस अध्याय के प्रावधान अनिवार्य हैं और लागू होते हैं, भले ही न्यायालय किसी व्यक्ति को सलाह देता है, जिसमें किशोर भी शामिल है, कि उसे परिवीक्षा, पैरोल, या दोषी की याचिका के रूप में, बिना किसी प्रतियोगिता के, या पागलपन के कारण से दोषी नहीं है, या उपखंड (a) में वर्णित किसी भी अपराध को स्वीकार किए जाने की शर्त के रूप में अपने डेटा बैंक और डेटाबेस नमूने, नमूने और प्रिंट इंप्रेशन प्रदान करने होंगे।

(e) यदि न्यायालय की कार्यवाही के किसी भी चरण में अभियोजन पक्ष का वकील निर्धारित करता है कि इस अध्याय के लिए, जैसा कि अनुभाग 296 के उपखंड (a) के तहत परिभाषित है, आवश्यक नमूने, नमूने और प्रिंट छापे पहले से ही किसी व्यक्ति से नहीं लिए गए हैं, तो अभियोजन पक्ष के वकील अदालत को सूचित मौखिक रूप से रिकॉर्ड पर, या लिखित रूप में करेंगे, और अनुरोध करेंगे कि अदालत प्रतिरूप, नमूने और कानून द्वारा आवश्यक प्रिंट छापे लेने का आदेश दे। हालांकि, अभियोजन पक्ष के वकील या किसी अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा अदालत को सूचित नहीं कर पाने के कारण किसी व्यक्ति को इस अध्याय के अनुसरण में प्रतिरूप, नमूने और प्रिंट छापे देने के दायित्व से राहत नहीं मिलेगी।

(f) किसी किशोर के अंतिम केस में या सजा सुनाए जाने से पहले न्यायालय पूछताछ करेगी और सत्यापित करेगी कि इस अध्याय के लिए आवश्यक नमूने, नमूने और प्रिंट छापे प्राप्त कर लिए गए हैं और यह तथ्य निर्णय के सार में शामिल है। न्यायालय द्वारा जारी किए गए फ़ैसले का सार यह दर्शाता है कि न्यायालय ने व्यक्ति को इस अध्याय की आवश्यकताओं का पालन करने का आदेश दिया है और व्यक्ति को राज्य के DNA और फ़ोरेंसिक पहचान डेटा बेस और डेटा बैंक कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा और इस अध्याय के अधीन किया जाएगा। हालांकि, अदालत द्वारा प्रतिरूप, नमूना, और प्रिंट छापे संग्रह को सत्यापित करने में विफलता या किसी किशोर के मामले में निर्णय या निपटान आदेश के सार में इन तथ्यों को दर्ज करना गिरफ्तारी, याचिका, सज़ा, या निपटान की पुष्टि नहीं करेगा, या इस अध्याय की आवश्यकताओं से एक व्यक्ति को अन्यथा कोई राहत नहीं मिलेगी।

अनुभाग 6. दुकानों से सामान चोरी।

अनुभाग. 6.1. दंड संहिता के अनुभाग 459.5 को इस तरह से पढ़े जाने के लिए संशोधित किया गया है:

459.5. (a) अनुभाग 459 के बावजूद, दुकानों से सामान चोरी को किसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान में *खुदरा संपत्ति* की ~~चोरी करने के इरादे~~ से प्रवेश के रूप में परिभाषित किया गया है, जबकि, वह प्रतिष्ठान नियमित व्यावसायिक घंटों के दौरान खुला रहता है, जहां खरीदी गई या खरीदी जाने वाली वाली संपत्ति का मूल्य नौ सौ पचास डॉलर ($950) से अधिक नहीं है। किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान में चोरी के इरादे से किया गया कोई भी अन्य प्रवेश सेंध लगाना है। दुकानों से सामान चोरी को अपराध के रूप में दंडित किया जाएगा, सिवाय इसके कि अनुभाग 667 के अनुभाग (e) के उपखंड के परिच्छेद (2) के उपखंड (C) के खंड (iv) में निर्दिष्ट अपराध के लिए पूर्व में एक या एक से अधिक सज़ा के साथ एक व्यक्ति या एक अपराध की आवश्यकता के लिए अनुभाग 290 के उपखंड (c) के पंजीकरण को अनुभाग 1170 के उपखंड (h) के पंजीकरण के अनुसार किया गया है।

(b) उपखंड (a) में परिभाषित किसी भी दुकानों से सामान चोरी के कार्य को शॉपलिफ़्टिंग के तौर पर माना जाएगा। कोई भी व्यक्ति, जिस पर दुकानों से सामान चोरी का आरोप है, उस पर उसी संपत्ति की चोरी या सेंध का आरोप नहीं लगाया जा सकता।

(c) "खुदरा संपत्ति या वाणिज्यिक वस्तु" का मतलब खुदरा वाणिज्य में बेचे जाने वाले किसी भी चीज़, उत्पाद, वस्तु, आइटम या घटक से है।

(d) "मूल्य" का मतलब किसी वस्तु का खुदरा मूल्य है, जो प्रभावित खुदरा प्रतिष्ठान द्वारा विज्ञापित है, जिसमें लागू कर भी शामिल हैं।

(e) यह अनुभाग आग्नेयास्त्र, जालसाज़ी, गैरकानूनी बिक्री, हस्तांतरण, या अनुभाग 484e के लिए ऐक्सेस कार्ड के अनुपालन की चोरी पर लागू नहीं होगा, अनुभाग 484f के लिए ऐक्सेस कार्ड के लिए जालसाज़ी, ऐक्सेस कार्ड के गैरकानूनी उपयोग के लिए अनुभाग 484g, अनुभाग 368 के एक बड़े अनुवर्ती से उपखंड (e) तक की चोरी, चोरी की संपत्ति, गबन, या पहचान की चोरी करने वाले अनुभाग 530.5 के अनुसरण या वाहन कोड की अनुभाग 10851 के लिए वाहन की चोरी या अनधिकृत उपयोग।

अनुभाग 6.2. दंड संहिता के अनुभाग 490.2 को इस तरह से पढ़े जाने के लिए संशोधित किया गया है:

490.2. (a) अनुभाग 487 या बड़ी चोरी को परिभाषित करने वाले कानून के किसी अन्य प्रावधान के बावजूद, किसी भी संपत्ति को चोरी से प्राप्त करना, जहां लिया गया धन, श्रम, वास्तविक या व्यक्तिगत संपत्ति का मूल्य नौ सौ पचास डॉलर ($950) से अधिक न हो, को चोरी माना जाएगा और वह अपराध के रूप में दंडित किया जाता है, सिवाय इसके कि ऐसे व्यक्ति को अनुभाग 1170 के उपखंड (h) के अनुसार दंडित किया जा सकता है, यदि उस व्यक्ति को परिच्छेद (2) के उप-परिच्छेद (C) के खंड (iv) में निर्दिष्ट अपराध के लिए पहले एक या एक से अधिक या अनुभाग 667 के उपनियम

(e) के लिए या अनुभाग 290 के उपखंड (c) के लिए पंजीकरण की आवश्यकता वाले अपराध के लिए, सज़ा मिल चुकी है।

(b) यह अनुभाग किसी भी ऐसी चोरी पर लागू नहीं होगा जो कानून के किसी अन्य प्रावधान का उल्लंघन करता है।

(c) यह अनुभाग आग्नेयास्त्र, *जालसाज़ी, गैरकानूनी बिक्री, हस्तांतरण, या अनुभाग 484e के लिए ऐक्सेस कार्ड के अनुपालन की चोरी पर लागू नहीं होगा, अनुभाग 484f के लिए ऐक्सेस कार्ड के लिए जालसाज़ी, ऐक्सेस कार्ड के गैरकानूनी उपयोग के लिए अनुभाग 484g, अनुभाग 368 के उपखंड (e) के अनुसरण में किसी बड़ी चोरी, चोरी की संपत्ति, गबन, या पहचान की चोरी के अनुभाग 530.5 के अनुसार, या वाहन कोड के अनुभाग 10851 के अनुसार वाहन की चोरी या अनधिकृत उपयोग।*

अनुभाग 7. क्रमिक चोरी।

अनुभाग 7.1. दंड संहिता के अनुभाग 490.3 इस प्रकार पढ़े जाने के लिए जोड़ा गया है:

490.3. (a) यह अनुभाग निम्नलिखित अपराधों पर लागू होता है:

(1) छोटी चोरी।

(2) दुकानों से सामान चोरी।

(3) बड़ी चोरी।

(4) चोरी।

(5) कार की चोरी।

(6) डकैती।

(7) अनुभाग 368 के उपखंड (d) या (e) के संदर्भ में एक बड़े या आश्रित वयस्क के खिलाफ़ अपराध।

(8) अनुभाग 496 का कोई भी उल्लंघन।

(9) वाहन कोड के अनुभाग 10851 के संदर्भ में किसी वाहन को अवैध रूप से ले जाना या चलाना।

(10) जालसाज़ी।

(11) अनुभाग 484e के अनुसार ऐक्सेस कार्ड की गैर-कानूनी बिक्री, स्थानांतरण, या संप्रेषण।

(12) अनुभाग 484f के अनुसार ऐक्सेस कार्ड की जालसाज़ी।

(13) अनुभाग 484g के अनुसार ऐक्सेस कार्ड का गैर-कानूनी उपयोग।

(14) अनुभाग 530.5 के अनुसार पहचान की चोरी।

(15) वाहन कोड के अनुभाग 10851 के अनुसार वाहन की चोरी या अनधिकृत उपयोग।

(b) अनुभाग 1170 के उपखंड (h) के परिच्छेद 3, अनुभाग 1170.12 के उपखंड (a) के परिच्छेद (2) और (4), अनुभाग 667 के उपखंड (c) के परिच्छेद (2) और (4) के बावजूद, कोई भी व्यक्ति, जिसे उपखंड (a) में निर्दिष्ट किसी भी दो या उस से ज़्यादा अपराधों का दोषी ठहराया गया हो, जो अपराध अलग-अलग अवसरों पर किए गए थे, और जो उसके बाद छोटी चोरी या दुकानों से सामान चोरी के लिए दोषी ठहराया जाता है, जहां धन, श्रम, या वास्तविक या ली गई निजी संपत्ति दो सौ पचास डॉलर ($250) से अधिक होगी, उसे काउंटी जेल में एक वर्ष से अधिक नहीं, या अनुभाग 1170 के उपखंड (h) के अनुसार कारावास का दंड दिया जाएगा।

(c) यह अनुभाग किसी व्यक्ति या व्यक्तियों पर इस आपराधिक लेनदेन से उत्पन्न होने वाले कानून के उल्लंघन का आरोप लगाने से नहीं रोकती है जो इस अनुभाग का उल्लंघन करता है।

अनुभाग 8. संगठित रिटेल चोरी।

अनुभाग 8.1. (a) दंड संहिता के अनुभाग 490.4 इस प्रकार पढ़े जाने के लिए जोड़ा गया है:

490.4 (a) "रिटेल प्रॉपर्टी या मर्चेंडाइज" का मतलब खुदरा वाणिज्य में बेचे जाने वाले किसी भी चीज़, उत्पाद, वस्तु, आइटम या घटक से है।

(b) "वैल्यू" का मतलब किसी वस्तु के खुदरा मूल्य से है, जो प्रभावित खुदरा प्रतिष्ठान द्वारा विज्ञापित है, जिसमें लागू कर भी शामिल हैं।

(c) कोई भी व्यक्ति, जो एक या एक से अधिक व्यक्तियों के साथ मिलकर, रिटेल प्रॉपर्टी के अनुभाग 459.5 या 490.2 के अनुसार 180 दिनों की अवधि में दो या अधिक चोरियां करता है जिसका कुल मूल्य दो सौ पचास डॉलर ($250) से अधिक होता है और अनधिकृत रूप से इस तरह की संपत्ति लेता है, तो वह संगठित खुदरा चोरी का दोषी है।

(d) अनुभाग 1170 के उपखंड (h) के परिच्छेद 3, अनुभाग 1170.12 के उपखंड (a) के परिच्छेद (2) और (4), अनुभाग 667 के उपखंड (c) के परिच्छेद (2) और (4) के बावजूद, अनुभाग 1170 के उपखंड (h) के अनुसार संगठित खुदरा चोरी के लिए काउंटी की जेल में एक वर्ष से अधिक नहीं के कारावास का दंड दिया जाएगा।

(e) इस अनुभाग के प्रयोजनों के लिए, साथ मिलकर चोरी करने वाले व्यक्तियों द्वारा चोरी की गई खुदरा संपत्ति का मूल्य एक ही बार में या शुल्क में एकत्र किया जा सकता है, जिसमें सभी खुदरा व्यापारियों के मूल्य का योग होता है, जो चोरी की डिग्री निर्धारित करने के लिए माना जाता है।

(f) इस अनुभाग के तहत किसी भी काउंटी में अभियोग चलाया जा सकता है जिसमें एक अंतर्निहित चोरी के लिए एक अलग अपराध के रूप में अभियोग चलाया जा सकता है।

(g) यह अनुभाग किसी व्यक्ति या व्यक्तियों पर इस आपराधिक लेनदेन से उत्पन्न होने वाले कानून के उल्लंघन का आरोप लगाने से नहीं रोकता है जो इस अनुभाग का उल्लंघन करता है।

अनुभाग 9. संशोधन।

यह अधिनियम विधानमंडल द्वारा संशोधित नहीं किया जाएगा सिवाय तब जब उस कानून के जो इस अधिनियम के उद्देश्यों, निष्कर्षों और घोषणाओं को पूरा करता है और प्रत्येक सदन में रोलकॉल वोट के माध्यम से जर्नल में दर्ज किया जाता है, जिसमें प्रत्येक सदन की सदस्यता का तीन-चौथाई हिस्सा, या एक ऐसे कानून द्वारा, जो मतदाताओं द्वारा अनुमोदित किए जाने पर ही प्रभावी हो जाता है।

अनुभाग 10. विच्छेदनीयता।

यदि इस अधिनियम का कोई प्रावधान, या किसी प्रावधान का कोई हिस्सा, या किसी व्यक्ति या परिस्थिति के लिए उसका आवेदन किसी भी कारण से अमान्य या असंवैधानिक है, तो शेष प्रावधान और आवेदन जो बिना अमान्य या असंवैधानिक प्रावधान या प्रभाव के दिए

20

जा सकते हैं, आवेदन प्रभावित नहीं होगा, लेकिन सम्पूर्ण ताकत और प्रभाव में रहेगा, और इसके लिए इस अधिनियम के प्रावधान गंभीर हैं।

अनुभाग 11. परस्पर-विरोधी पहलें।

(a) इस स्थिति में कि यह उपाय और संविधान के अनुच्छेद I के अनुभाग 32 के लिए पैरोल पर विचार करने के लिए एक और उपाय, पैरोल का निरसन और रिलीज़ के बाद सामुदायिक पर्यवेक्षण, DNA संग्रह, या चोरी के अपराध एक ही राज्यव्यापी मतदान पर दिखाई देंगे, के प्रावधान अन्य उपाय या उपायों को इस उपाय के विरोध में माना जाएगा। इस उपाय के साथ संघर्ष में होने वाले उपाय की तुलना में इस उपाय को अधिक सकारात्मक वोट मिलते हैं तो इस उपाय के प्रावधान पूरी तरह से मान्य होंगे, और अन्य उपाय या उपायों को निरर्थक माना जाएगा और अमान्य होंगे।

(b) यदि इस उपाय को मतदाताओं द्वारा अनुमोदित किया जाता है, लेकिन एक ही चुनाव में मतदाताओं द्वारा अनुमोदित किसी अन्य परस्पर विरोधी उपाय द्वारा कानून द्वारा अधिगृहीत किया जाता है, और परस्पर विरोधी मतदान उपाय को बाद में अमान्य ठहराया जाता है, तो यह उपाय स्व-क्रियान्वित होगा और इसे पूरी ताकत और प्रभाव दिया जाएगा।

प्रस्ताव 21

यह पहल California के संविधान के अनुच्छेद II के अनुभाग 8 के प्रावधानों के अनुसार लोगों के सामने प्रस्तुत की जाती है।

यह पहल नागरिक संहिता के अनुभागों में संशोधन करती है; इसलिए, हटाए जाने के लिए प्रस्तावित मौजूदा प्रावधान ~~स्ट्राइक आउट प्रकार~~ में मुद्रित किए जाते हैं और जोड़े जाने वाले नए प्रावधान *इटैलिक प्रकार* में मुद्रित किए जाते हैं ताकि यह बताया जा सके कि वे नए हैं।

प्रस्तावित कानून

किराया वहन-क्षमता अधिनियम (Rental Affordability Act)

California राज्य के लोग इसके द्वारा निम्नलिखित का आदेश देते हैं:

अनुभाग 1. शीर्षक।

यह अधिनियम "किराया वहन क्षमता अधिनियम" के तौर पर जाना जाएगा, और उद्धृत किया जा सकता है।

अनुभाग 2. निष्कर्ष एवं घोषणाएं।

California राज्य के लोग इसके बारे में जानते हैं और निम्नलिखित की घोषणा करते हैं:

(a) पहले से कहीं ज़्यादा California के निवासी (17 मिलियन से ज़्यादा लोग) घर किराये पर ले रहे हैं। राज्य के आंकड़ों के अनुसार, California में घर के स्वामित्व की दर 1940 के बाद अपने सबसे न्यूनतम स्तर पर गिर गई है। पुरानी सहस्राब्दी में से एक तिहाई (25–34 वर्ष की आयु वाले) व्यक्ति अभी भी अपने माता-पिता के साथ रहते हैं (अमेरिकी जनगणना ब्यूरो)।

(b) हाल के वर्षों में किराये के घरों की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। California में मध्य किराया देश के किसी भी अन्य राज्य से काफ़ी अधिक हैं, और सभी 50 राज्यों में, California में किरायों में चौथी सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है।

(C) किराये की बढ़ती कीमतों के परिणामस्वरूप, California के अधिकांश किरायेदार किराये के रूप में अपनी आय का 30 प्रतिशत से ज़्यादा देकर आवासीय लागत के बोझ से दब गए हैं। किराये के घरों में रहने वालों में से एक-तिहाई अपनी आय का 50 प्रतिशत किराये पर खर्च करते हैं।

(d) राष्ट्रीय कम आय संगठन के अनुसार, न्यूनतम वेतन पाने वाले एक California निवासी को औसत एक-बेडरूम अपार्टमेंट किराये पर लेने के लिए हर सप्ताह में 92 घंटे काम करना होगा।

(e) आवासीय असुरक्षा का सामना करने वाले परिवारों को अक्सर अपने किराये का भुगतान करने और अन्य बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के बीच निर्णय लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जो उनके स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। अस्थिर आवास और स्वास्थ्य में गिरावट से पीड़ित श्रमिक अपने काम को बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं जो उन्हें ग़रीबी और आवासहीनता की ओर धकेलता है।

(f) California शिक्षक संगठन, California नर्स संगठन और सेवा कर्मचारी अंतर्राष्ट्रीय यूनियन Service Employees International Union, SEIU जैसे श्रमिक संघों ने अपने सदस्यों के लिए किफ़ायती आवास को प्राथमिकता दी है। California के शहरी केंद्रों में शिक्षक आवास के लिए अपने वेतन का 40 से 70 प्रतिशत का भुगतान कर रहे हैं और बहुतों को नौकरी के लिए अपने घर से एक घंटे या ज़्यादा दूर रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।

(g) हालांकि राज्य संयुक्त राज्य अमेरिका की कुल आबादी का सिर्फ 12 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन California देश की 22 प्रतिशत आवासहीन आबादी का घर है। (California आवास एवं सामुदायिक विकास विभाग)

(h) 2018 के UCLA एंडरसन के पूर्वानुमान (UCLA Anderson Forecast) अध्ययन के अनुसार अधिक मीडियन किराये और सड़कों या अस्थायी आश्रयों में रहने वाले लोगों के बीच मज़बूत संबंध है। जब कम किफ़ायती आवास बाज़ार व्यक्तिगत जोखिम कारकों के साथ मिलते हैं, तो बेघरों की वृद्धि में योगदान करते हैं।

(i) आवासहीनता एक बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है। बेघरों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल परिषद के अनुसार, बेघर लोगों की समय से पहले मरने और संचारी रोग लगने की संभावना तीन से चार गुना ज़्यादा है।

(j) रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों ने चेतावनी दी है कि कमज़ोर आबादी कम जीवन प्रत्याशा, उच्च कैंसर दर, और अधिक जन्मजात दोष का सामना करती है जब वे अपने घरों के पड़ोस के विस्थापन के कारण अपने घरों से विस्थापित हो जाते हैं।

(k) घर की बढ़ी हुई लागतें यातायात की भीड़-भाड़ को बढ़ा रही है और यात्रियों को रोज़गार के अपने स्थानों से दूर रहने के लिए मजबूर कर रही है, जिससे आवागमन का समय बढ़ रहा है। प्यू चैरिटेबल ट्रस्ट (Pew Charitable Trusts) की एक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि 2010 और 2015 के बीच उन California निवासियों की संख्या में 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिन्हें हर तरफ़ से आने-जाने में 90 मिनट से अधिक समय लगता है; जो कि नौकरियों के आस-पास किफ़ायती आवास की कमी होने का प्रत्यक्ष परिणाम है।

(l) प्रमाणों के बढ़ते समूहों से पता चलता है कि किराये को स्थिर करने से किरायेदारों, राज्य की अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और अन्य सार्वजनिक सेवाओं को व्यापक लाभ हो सकते हैं।

अनुभाग 3. उद्देश्य एवं अभिप्राय।

California राज्य के लोग इस प्रकार से यह अधिनियम बनाने में निम्न उद्देश्यों और प्रयोजन की घोषणा करते हैं:

(a) California के शहरों और काउंटी को किराए के नियंत्रण संबंधी नीतियां विकसित और लागू करने की अनुमति देना, जो यह सुनिश्चित करती हों कि किरायेदार को अपने अधिकार-क्षेत्र में किफ़ायती किराए का आवास मिल सके।

(b) California के कई मिलियन किरायेदारों की जीवन गुणवत्ता में सुधार करना और उन California वासियों की संख्या को कम करना, जो रिहायश संबंधी गंभीर चुनौतियों और आवासहीनता का सामना करते हैं।

(c) पूरे California में प्रभावित समुदायों के निष्कासन और विस्थापन के प्रवाह को काबू करना।

(d) किसी शहर, काउंटी, या शहर और काउंटी को आवासीय संपत्ति के किराये की दर को नियंत्रित करने वाले किसी भी स्थानीय कानून का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए, बशर्ते संपत्ति को कब्जे का प्रमाण पत्र प्राप्त हुए कम से कम 15 वर्ष हो गए हों।

(e) खाली होने के बाद किराये की दरों को नियंत्रित करने के लिए स्थानीय कानूनों को अनुमति देने के लिए जबकि स्थानीय अध्यादेश के तहत एक खाली यूनिट पर किसी भी अन्य वृद्धि के अलावा किराये की दरों में 15 प्रतिशत से अधिक ना बढ़ाने के लिए मकान मालिक को अनुमति प्रदान करता है।

(f) किसी भी स्थानीय किराये नियंत्रण कानून से एक या दो आवासीय घरों के मालिकों को छूट देने के लिए।

अनुभाग 4. नागरिक संहिता के अनुभाग 1954.50 को इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया गया है:

1954.50. यह अध्याय ~~Costa-Hawkins~~ किराया ~~आवास~~ *वहनीयता अधिनियम (Costa-Hawkins Rental Housing Affordability Act)* के तौर पर जाना जाएगा और उद्धृत किया जा सकता है।

अनुभाग 5. नागरिक संहिता के अनुभाग 1954.52 को इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया गया है:

1954.52. (a) कानून का कोई और प्रावधान होने के बावजूद, रिहायशी वास्तविक जायदाद का मालिक किसी निवास स्थान या यूनिट के लिए आरंभिक और बाद की सभी किराए की दरें तय कर सकता है, जिसके बारे में निम्न में से कोई भी सत्य है:

(1) इसके पास ~~1 फरवरी 1995 के बाद जारी किए गए कब्जे का प्रमाण पत्र~~ *है इसका कब्जे का पहला आवासीय प्रमाण पत्र उस तारीख के 15 वर्षों के भीतर है जिस पर मालिक प्रारंभिक या बाद में किराये की दर स्थापित करना चाहता है।*

(2) ~~इसे पहले ही नव निर्मित यूनिटों के लिए स्थानीय छूट के अनुसरण में, 1 फरवरी, 1995 को या इससे पहले किसी सार्वजनिक निकाय के रिहायशी किराया नियंत्रण अध्यादेश से छूट मिली है:~~

~~(3)~~ (A) यह किसी भी अन्य निवास स्थान यूनिट के शीर्षक से हस्तांतरणीय अलग है या किसी उपखंड में एक प्रविभाजित हित है, जैसा कि व्यापार एवं पेशा संहिता के अनुभाग 11004.5 के उपखंड (b), (d) या (f) में दर्शाया गया है, *और मालिक एक प्राकृतिक व्यक्ति है जिसके पास दो से अधिक रिहायशी आवास या रिहायशी यूनिट्स नहीं हैं।*

(B) यह परिच्छेद निम्न में से किसी पर भी लागू नहीं होता:

(i) कोई निवास स्थान या यूनिट, जहां अनुभाग 1946.1 के अनुसरण में नोटिस द्वारा मकान मालिक की ओर से पूर्ववर्ती किराएदारी समाप्त कर दी गई हो या अनुभाग 827 के अनुसरण में नोटिस दी गई किराएदारी की अवधि में बदलाव पर समाप्त कर दी गई हो।

(ii) कोई कन्डोमिनियम निवास स्थान या यूनिट, जिसे मूल्य के लिए प्रामाणिक ख़रीदार के लिए प्रविभाजक द्वारा अलग से नहीं बेचा गया है। इस अध्याय के उद्देश्यों के लिए यूनिट की आरंभिक किराया राशि 7 मई, 2001 को लागू वैध किराया होगी, जब तक कि इस अध्याय के किसी भिन्न प्रावधान द्वारा किराए की राशि संचालित न की जाए। यद्यपि, यदि कोई कन्डोमिनियम निवास स्थान या यूनिट ~~उपखंड (a) के~~ परिच्छेद (1) ~~या (2)~~ के मापदंड को पूरा करती है, या एक को छोड़कर सभी निवास स्थानों या यूनिटों को मूल्य के लिए प्रामाणिक ख़रीदार के लिए प्रविभाजक द्वारा अलग से बेचा गया हो, और प्रविभाजक ने उस शेष न बेचे गए कन्डोमिनियम निवास स्थान या यूनिट को उपखंड घटित होने के बाद कम से कम एक वर्ष तक के लिए अपनी मुख्य रिहायश के तौर पर रखा हो, तो ~~परिच्छेद (3)~~ का उप-परिच्छेद (A) उसे न बेचे गए कन्डोमिनियम निवास स्थान या यूनिट पर लागू होगा।

~~(C) जहां किसी निवास स्थान या यूनिट, जिसमें आरंभिक या बाद की किराया दरें 1 जनवरी, 1995 को लागू किसी अध्यादेश या राज-पत्र प्रावधान द्वारा नियंत्रित की जाती हैं, उन पर निम्न लागू होगा:~~

~~(i) वास्तविक जायदाद का कोई मालिक, जैसा कि इस परिच्छेद में वर्णन किया गया है, 1 जनवरी, 1999 को या इसके बाद की सभी मौजूदा और नई किराएदारियों के लिए आरंभिक और बाद की सभी किराये की दरें तय कर सकता है, यदि 1 जनवरी, 1999 को या इसके बाद लागू किराएदारी 1 जनवरी, 1996 और 31 दिसम्बर, 1998 के बीच बनाई गई थी।~~

~~(ii) 1 जनवरी, 1999 से शुरू करते हुए, वास्तविक जायदाद का कोई मालिक, जैसा कि इस परिच्छेद में वर्णन किया गया है, सभी नई किरायेदारियों के लिए आरंभिक और बाद की सभी किराये की दरें तय कर सकता है, यदि पिछली किरायेदारी 31 दिसम्बर, 1995 को लागू की गई थी।~~

~~(iii) किसी निवास स्थान या यूनिट के लिए आरंभिक किराया दर, जैसा कि इस परिच्छेद में दिया गया है, जिसमें आरंभिक किराया दर 1 जनवरी, 1995 को लागू अध्यादेश या राज-पत्र प्रावधान द्वारा नियंत्रित की जाती है, 1 जनवरी, 1999 तक, अनुभाग 1954.53 के उपखंड (c) के अनुसरण में गणना की गई राशि से अधिक नहीं हो सकती। रिहायशी वास्तविक जायदाद का कोई मालिक, जैसा कि इस परिच्छेद में वर्णन किया गया है, 1 जनवरी, 1999 तक, किसी निवास स्थान या यूनिट के केवल वहां पर ही आरंभिक किराया दर तय कर सकता है, जहां किरायेदार ने स्वेच्छा से इसे खाली किया हो, छोड़ दिया हो, या नागरिक प्रक्रिया संहिता के अनुभाग 1161 के परिच्छेद (2) के अनुसरण में उसे बेदखल किया गया हो।~~

(b) उपखंड (a) वहां लागू नहीं होता, जहां मालिक ने प्रत्यक्ष वित्तीय योगदान या अन्य प्रकार से सरकारी कोड के शीर्षक 7 के प्रभाग 1 के अध्याय 4.3 (अनुभाग 65915 से शुरू करते हुए) में निर्दिष्ट किसी अन्य प्रकार की सहायता के लिहाज़ से सार्वजनिक निकाय के साथ अनुबंध के लिए सहमति दी हो।

(c) इस अनुभाग में कोई भी तथ्य किसी सार्वजनिक निकाय के प्राधिकरण को प्रभावित करने के अर्थ में नहीं होगा, जो अन्य प्रकार

से बेदखली के लिए आधार को नियंत्रित करने या निरीक्षण करने के लिए मौजूद हो सकता है।

(d) यह अनुभाग किसी ऐसे निवास स्थान या यूनिट पर लागू नहीं होता, जिसमें स्वास्थ्य, सुरक्षा, आग, या भवन संहिता संबंधी गंभीर उल्लंघन हैं, आपदाओं के कारण होने को छोड़कर, जिनके लिए उपयुक्त सरकारी एजेंसी द्वारा सम्मन जारी किया गया है और जो छह महीनों से या इससे अधिक समय से पूर्ववर्ती खाली जगह के लिए ज्यों की त्यों है।

(e) California कानून के अनुसार, किसी शहर, काउंटी, या शहर और काउंटी द्वारा अधिनियमित किसी भी स्थानीय चार्टर प्रावधान, अध्यादेश या विनियमन द्वारा किसी संपत्ति पर रिटर्न की उचित दर के लिए एक मकान मालिक के अधिकार का पालन नहीं किया जाएगा।

अनुभाग 6. नागरिक संहिता के अनुभाग 1954.53 को इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया गया है:

1954.53 (a) कानून का कोई और प्रावधान होने के बावजूद, *और अनुभाग 1954.52 की और इस अनुभाग के उपखंड (b) में दिए गए को छोड़कर, एक शहर, काउंटी, या शहर और काउंटी स्थानीय चार्टर प्रावधान, अध्यादेश या विनियमन द्वारा प्रारंभिक और सभी बाद के किराये को नियंत्रित कर सकते हैं।* ~~रिहायशी वास्तविक जायदाद का मालिक किसी निवास स्थान या यूनिट के लिए आरंभिक किराये की दर तय कर सकता है, सिवाय इसके कि निम्नलिखित में से कोई भी लागू होता है:~~

~~(1) अनुभाग 1946.1 के अनुसरण में नोटिस द्वारा मकान मालिक की ओर से पूर्ववर्ती किरायेदारी समाप्त कर दी गई हो या अनुभाग 827 के अनुसरण में नोटिस दी गई किरायेदारी की अवधि में बदलाव पर समाप्त कर दी गई हो, किराये या फीस की राशि में कानून द्वारा अनुमति दिए गए किसी बदलाव को छोड़कर। इस अनुच्छेद के उद्देश्य के लिए, किसी सरकारी एजेंसी के साथ किसी अनुबंध या रिकॉर्ड किए गए इकरारनामे की मालिक की समाप्ति या गैर नवीकरण, जो किसी योग्य किरायेदार को किराया सीमा प्रदान करती है, अनुच्छेद 827 के अनुसरण में किरायेदारी की अवधि में बदलाव के तौर पर मानी जाएगी।~~

~~(A) ऐसे अधिकार-क्षेत्र में, जो अध्यादेश या राज-पत्र प्रावधान द्वारा किसी निवास स्थान या यूनिट के लिए किराये की दर को नियंत्रित करता है, कोई मालिक, जो किसी ऐसी सरकारी एजेंसी, जो किसी योग्य किरायेदार को किराया सीमा प्रदान करती है, के साथ किसी अनुबंध या रिकॉर्ड किए इकरारनामे को समाप्त करता है या नवीकरण करने में असफल रहता है, अनुबंध या इकरारनामे की समाप्ति या गैर नवीकरण की तारीख के बाद तीन वर्ष तक आरंभिक दर तय नहीं कर सकता। तीन वर्ष की अवधि के दौरान स्थापित किसी भी नई किरायेदारी के लिए, उस खाली किए गए निवास स्थान या यूनिट में स्थापित नई किरायेदारी के लिए किराया दर किसी सरकारी एजेंसी, जिसने किसी योग्य किरायेदार के लिए किराया सीमा प्रदान की है, के साथ समाप्त किए या नवीकरण न किए अनुबंध या रिकॉर्ड किए इकरारनामे के अंतर्गत किराये के समान, साथ ही अनुबंध या रिकॉर्ड किए इकरारनामे की समाप्ति या रद्द किये जाने के बाद अधिकृत किन्हीं वृद्धियों की समान दर पर होगी।~~

~~(B) उप अनुच्छेद (A) 12 माह की या किसी सरकारी एजेंसी, जो किसी योग्य किरायेदार के लिए किराया सीमा प्रदान करती है, के साथ मालिक के अनुबंध या रिकॉर्ड किए इकरारनामे के अनुसरण में, 1 जनवरी, 2000 के बाद तय अवधि से अधिक अवधि की किसी भी नई किरायेदारी पर लागू नहीं होता, जब तक कि उस निवास स्थान या यूनिट में पूर्ववर्ती खाली जगह किसी सरकारी एजेंसी के साथ नवीकरण न किए या रद्द किए गये अनुबंध या रिकॉर्ड किए इकरारनामे के अनुसरण में थी, जो उस उप परिच्छेद में बताए गए योग्य किरायेदार के लिए किराया सीमा प्रदान करता है।~~

~~(2) मालिक ने प्रत्यक्ष वित्तीय योगदान या अन्य प्रकार से सरकारी कोड के शीर्षक 7 के खंड 1 के अध्याय 4.3 (अनुभाग 65915 से शुरू करते हुए) में निर्दिष्ट किसी अन्य प्रकार की सहायता के लिहाज़ से सार्वजनिक निकाय के साथ अनुबंध के लिए सहमति दी हो।~~

~~(3) किसी निवास स्थान या यूनिट के लिए आरंभिक किराया दर, जिसकी आरंभिक किराया दर 1 जनवरी, 1995 को लागू अध्यादेश या राज-पत्र प्रावधान द्वारा नियंत्रित की जाती है, 1 जनवरी, 1999 तक, उपखंड (c) के अनुसरण में गणना की गई राशि से अधिक नहीं हो सकती।~~

~~(b) उपखंड (a) आरंभिक भर्ती के लिए स्थापित किराये की दर पर अपने अधिभोग की पूरी अवधि के लिए उसी किरायेदार, पट्टेदार, अधिकृत उप-किरायेदार या अधिकृत उप-पट्टेदार द्वारा आरंभिक भर्ती के नवीनीकरण पर लागू होता है, और इसमें शामिल है।~~

~~(c)~~

(b) किसी अधिकार-क्षेत्र में जो चार्टर प्रावधान, आर्डिनेंस, अथवा विनियमन द्वारा किसी निवास स्थान या यूनिट के लिए किराया दर नियंत्रित करता है, ~~*जिसकी आरंभिक किराया दर 1 जनवरी, 1995 को लागू अध्यादेश या राज-पत्र प्रावधान द्वारा नियंत्रित* की जाती है, 1 जनवरी, 1999 तक, इस उपखंड के अनुसरण में स्थापित की जाएगी। जहां~~ *पिछले* किरायेदार ने नागरिक प्रक्रिया कोड कीअनुभाग 1161 के परिच्छेद (2) के अनुसरण में स्वेच्छा से घरखाली कर दिया, त्याग दिया, या उसे *निकाल दिया गया है,* ~~वहां~~ *आवास या इकाई के मालिक आवासीय वास्तविक संपत्ति का मालिक किसी भी खाली या त्यागे हुए आवास या यूनिट के लिए प्रारंभिक किराये की दर, जो* ~~दो गुना से अधिक नहीं हो सकती, कि बशर्ते कि जो बाद के तीन वर्षों की अवधि के दौरान किराये की दर में किसी भी वृद्धि के साथ संयोजन में, उस राशि में स्थापित करें जो तत्काल किरायेदारी के लिए प्रभावी रूप से किराये की दर से 15 प्रतिशत अधिक नहीं है या उस राशि में तुलनीय यूनिटों के लिए मौजूदा बाजार किराया का 70 प्रतिशत है, जो भी राशि~~ अधिक हो, इस उपखंड के लिए प्रारंभिक दर स्थापित की जाए।

इस उपखंड के अनुसरण में स्थापित प्रारंभिक किराये की दर किराये ~~के दरों में कोई भी वृद्धि~~ *का स्थानीय किराया कानून के अनुसरण में] अन्यथा अधिकृत किराये* की दरों में वृद्धि या प्रतिस्थापन के स्थान पर नहीं हो सकती है।

~~(d) (1) इस अनुभाग या कानून के किसी भी अन्य प्रावधान में कोई भी तथ्य व्यक्त की गई इमारत को प्रतिबंधित करने के लिए किराये की यूनिट के पट्टे पर या किराये पर लेने के समझौते पर लागू नहीं किया जाएगा, जबकि इसके विषयाधीन किराये की यूनिट को उप-पट्टे पर दिया जाता है। इस अनुभाग में कोई भी तथ्य 1 जनवरी, 1996 से पहले के अनुबंधों के दायित्वों को कम करने के अर्थ में नहीं होगा।~~

~~(2) यदि मूल अधिवास करने वाला निवासी या निवासियों जिन्होंने मालिक के साथ किराये पर समझौते के अनुसरण में निवास या यूनिट का अधिग्रहण किया था, वह या वे अब वहाँ स्थायी रूप से नहीं रहते हैं, तो मालिक इस अनुभाग द्वारा अनुमत किसी भी राशि से एक वैध~~

21

~~उप-पट्टेदार या निर्दिष्ट व्यक्ति का किराया बढ़ा सकता है, जो उस निवास या यूनिट में 1 जनवरी, 1996 से पहले नहीं रहता/रहती थी।~~

~~(3) यह उपखंड एक आवास या यूनिट के अधिभोग में आंशिक परिवर्तनों पर लागू नहीं होता जहां परिसरों के एक या अधिक अधिभोगी, ऊपर के लिए प्रदान किए गए मालिक के साथ समझौते के अनुसरण में, निवास या यूनिट के वैध कब्जे में एक अधिभोगी की तरह रहता/रहती है, या जहां एक वैध उप-पट्टेदार या निर्दिष्ट व्यक्ति, जो 1 जनवरी, 1996 से पहले उस निवास या यूनिट में रहता था, का उस निवास या यूनिट पर कब्ज़ा रहता है। इस अनुभाग में कोई भी तथ्य उप-पट्टेदार या निर्दिष्ट व्यक्ति के लिए सहमति को रोकने के मालिक के अधिकार को बढ़ाने या कम करने के अर्थ में नहीं होगा।~~

~~(4) मालिक द्वारा किराये की स्वीकृति अन्यथा उप-पट्टेदार या निर्दिष्ट व्यक्ति को प्रतिबंधित करने वाले अनुबंध के लिए छूट के रूप में काम नहीं करती है या के प्रवर्तन को नहीं रोकती है या प्रारंभिक किराये की दर स्थापित करने के किसी मालिक के अधिकारों की छूट के रूप में कार्य नहीं करती, जब तक कि मालिक को किरायेदार से लिखित नोटिस प्राप्त नहीं होता है जो उस अनुबंध की एक पार्टी होती है और उसके बाद किराये को स्वीकार किया है।~~

~~(e)~~ *(c)* इस अनुभाग में कोई भी तथ्य किसी सार्वजनिक निकाय के प्राधिकरण को प्रभावित करने के अर्थ में नहीं होगा, जो अन्य प्रकार से बेदखली के लिए आधार को नियंत्रित करने या निरीक्षण करने के लिए मौजूद हो सकता है।

~~(f) यह अनुभाग~~ *(d) उपखंड (b)* किसी भी आवास या यूनिट पर लागू नहीं होता, यदि निम्नलिखित सभी शर्तें पूरी होती हैं:

(1) स्वास्थ्य या सुरक्षा कोड की अनुभाग 17920.3 द्वारा परिभाषित के अनुसार, आपदा से होने वाले किसी भी उल्लंघन को छोड़कर, उचित सरकारी एजेंसी, गंभीर स्वास्थ्य, सुरक्षा, आग या इमारत संहिता उल्लंघन के रूप में किसी निरीक्षण रिपोर्ट में उस आवास या यूनिट का उल्लेख किया गया है।

(2) यह सम्मन खाली किये जाने की तारीख से कम से कम 60 दिन पहले जारी किया गया था।

(3) उद्धृत उल्लंघन तब समाप्त नहीं हुआ था जब पूर्व किरायेदार ने घर खाली कर दिया था और 60 दिनों के लिए या उससे लंबे समय तक ज्यों का त्यों रहा था। हालांकि, इन 60-दिनों की अवधि को उस उचित सरकारी एजेंसी द्वारा बढ़ाया जा सकता है जिसने यह सम्मन जारी किया था।

अनुभाग 7. उदार गठन।

इस अधिनियम को व्यापक रूप से अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए माना जाएगा।

अनुभाग 8. संशोधन और निरस्त करना।

California के संविधान के अनुच्छेद II के अनुभाग 10 के उपखंड (c) के अनुसरण में, राज्यपाल द्वारा हस्ताक्षरित सदस्यता के दो-तिहाई द्वारा सहमति से, जरनल में दर्ज रोलकॉल मतदान द्वारा प्रत्येक हाउस में पारित एक कानून द्वारा अपने उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए विधान मंडल इस अधिनियम को संशोधित कर सकता है। आवासीय किराये की दरों को स्थापित करने के लिए इस अधिनियम द्वारा शहर, काउंटी, या शहर और काउंटी में बहाल की गई शक्तियों को प्रतिबंधित या समाप्त करने वाला कोई भी कानून तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि अधिकांश मतदाताओं द्वारा अनुमोदित न किया जाए।

अनुभाग 9. विच्छेदनीयता।

यदि इस अधिनियम का कोई प्रावधान या किसी भी व्यक्ति या परिस्थिति के लिए आवेदन अमान्य पाया जाता है, तो वह अवैधता अधिनियमों के अन्य प्रावधानों या आवेदनों को प्रभावित नहीं करेगी, जिसे अमान्य प्रावधान या आवेदनों के बिना लागू किया जा सकता है, और इस प्रयोजन के लिए इस अधिनियम के प्रावधान विच्छेदनीय हैं।

अनुभाग 10. परस्पर-विरोधी उपाय।

यदि यह अधिनियम और आवासीय किराये की दरों को स्थापित करने वाले स्थानीय सरकारी एजेंसियों के अधिकार को संबोधित करने वाला कोई अन्य उपाय उसी राज्यव्यापी चुनाव मतपत्र पर दिखाई देगा, तो अन्य उपाय या उपायों के प्रावधान को इस अधिनियम के साथ परस्पर-विरोधी समझा जाएगा। यदि इस अधिनियम के साथ परस्पर-विरोधी समझे जाने वाले किसी अन्य उपाय की तुलना में इस अधिनियम को अधिक सकारात्मक वोट प्राप्त होते हैं, तो इस अधिनियम के प्रावधान पूरी तरह से प्रबल होंगे, और अन्य उपाय या उपायों को अमान्य माना जाएगा।

प्रस्ताव 22

यह पहल उपाय California के संविधान के अनुच्छेद II के अनुभाग 8 के प्रावधानों के अनुसार लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

यह पहल व्यवसाय और पेशे कोड में अनुभाग जोड़ता है और राजस्व और कर लगाने के *कोड* के एक अनुभाग में संशोधन करता है; इसलिए, जोड़े जाने के लिए प्रस्तावित नए प्रावधान, यह दर्शाने के लिए कि वे नए हैं, *तिरछे टाइप* में छापे गए हैं।

प्रस्तावित कानून

अनुभाग 1. अध्याय 10.5 (अनुभाग 7448 से शुरू करते हुए करते हुए) को व्यापार और पेशे की संहिता के प्रभाग 3 में जोड़ा गया है, जो पढ़ा जाएगा:

अध्याय 10.5. ऐप आधारित ड्राइवरों और सेवाएं

अनुच्छेद 1. अध्याय, निष्कर्ष और घोषणाएं, और प्रयोजन का कथन

7448. शीर्षक । यह अध्याय ऐप आधारित ड्राइवरों और सेवाओं का संरक्षण अधिनियम (Protect App-Based Drivers and Services Act) के व्यापार के रूप में जाना जाएगा, और उद्धृत किया जा सकता है।

7449. निष्कर्ष एवं घोषणाएं। California राज्य के लोग इसके बारे में जानते हैं और निम्नलिखित की घोषणा करते हैं:

(a) हजारों California वासियों को आधुनिक अर्थव्यवस्था में आमदनी के साधन के रूप में यात्रियों का परिवहन करने और भोजन, किराने का सामान और अन्य सामान की डिलीवरी के लिए ऐप-आधारित राइडशेयर और डिलीवरी प्लेटफॉर्म का उपयोग करके स्वतंत्र ठेकेदारों के रूप में काम करने के लिए चुना जा रहा है, जबकि यह तय करने का लचीलापन बनाए रखा गया है कि वे कब, कहां और कैसे काम करते हैं।

(b) इन ऐप-आधारित राइडशेयर और डिलीवरी ड्राइवरों में वे माता-पिता शामिल हैं जो बच्चों के स्कूल में रहने के दौरान लचीले शेड्यूल पर काम करना चाहते हैं; ऐसे छात्र जो कक्षाओं के बीच पैसा कमाना चाहते हैं; ऐसे रिटायर्ड जो स्थिर आमदनी को बढ़ाने के लिए और

सामाजिक संपर्क के लिए सप्ताह में कुछ घंटे राइडशेयर या डिलीवरी करते हैं; मिलिट्री के जीवन साथी और साथी जो अक्सर स्थानांतरित होते हैं; और Californians के रहने की उच्च लागत से जूझ रहे परिवारों जिन्हें अतिरिक्त आमदनी की आवश्यकता है।

(c) Californians के लाखों उपभोक्ता और व्यवसाय, और कुल मिलाकर हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था, भी उन लोगों की सेवाओं से भी लाभान्वित होते है जो ऐप-आधारित राइडशेयर और डिलीवरी प्लेटफॉर्म का उपयोग करके स्वतंत्र ठेकेदारों के रूप में काम करते हैं। ऐप-आधारित राइडशेयर और डिलीवरी ड्राइवरों जनता के लिए सुविधाजनक और सस्ता परिवहन प्रदान कर रहे हैं, ख़राब और नशे में की जाने वाली ड्राइविंग को कम कर रहे हैं, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए गतिशीलता में सुधार कर रहे हैं, उन परिवारों के लिए नए परिवहन विकल्प प्रदान कर रहे हैं जो वाहन को वहन नहीं कर सकते हैं, और किराने की दुकानों, रेस्टोरेंट, खुदरा विक्रेताओं और अन्य स्थानीय व्यवसायों और उनके संरक्षक के लिए नया सस्ता और सुविधाजनक डिलीवरी विकल्प प्रदान कर रहे हैं।

(d) हालांकि, हाल के कानून ने हजारों California वासियों के काम करने के लचीले अवसरों को छीनने की धमकी दी है, संभावित रूप से उन्हें शिफ्ट और अनिवार्य घंटे सेट करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जो नौकरियों और उनके द्वारा काम करने के घंटों के बारे में उनके निर्णय लेने की क्षमता को छीन रहा है।

(e) ऐप-आधारित राइडशेयर और डिलीवरी प्लेटफॉर्म का उपयोग करके पूरे राज्य में स्वतंत्र ठेकेदारों के रूप में काम करने के लिए California वासियों की क्षमता की रक्षा करना आवश्यक है ताकि लोग यह चुन सकें कि वे कौन सी नौकरी लेते हैं, अपनी पसंद के अनुसार जितना ज्यादा या कम काम करना चाहते हैं वो कर सकें, और कई प्लेटफ़ॉर्म या कंपनियां के साथ काम कर सकें, सभी ऐप-आधारित राइडशेयर और डिलीवरी सेवाओं तक पहुंच को संरक्षित करते हुए, जो उपभोक्ताओं, छोटे व्यवसायों और California वासियों की अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक हैं।

(f) ऐप-आधारित राइडशेयर और डिलीवरी ड्राइवर आर्थिक सुरक्षा के हकदार हैं। यह अध्याय स्वतंत्र रूप से काम करने की उनकी स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए आवश्यक है, जबकि इन कामगारों को नए लाभ और सुरक्षा भी प्रदान कर रहा है जो मौजूदा कानून के तहत उपलब्ध नहीं हैं। इन लाभों और सुरक्षा में किफायती देखभाल अधिनियम (Affordable Care Act, ACA) के तहत आवश्यक औसत योगदान के साथ स्वास्थ्य सेवा सब्सिडी; बिना किसी अधिकतम सीमा के न्यूनतम मजदूरी से 120 प्रतिशत तक नई न्यूनतम आमदनी की गारंटी; वाहन के खर्च का मुआवजा; व्यावसायिक दुर्घटना बीमा जो नौकरी के दौरान चोटों को कवर करता है; और भेदभाव और यौन उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा शामिल है।

(g) California कानून एवं राइडशेयर और डिलीवरी नेटवर्क कंपनियों को स्वतंत्र ठेकेदारों के रूप में काम करने के लिए ऐप-आधारित राइडशेयर और डिलीवरी ड्राइवरों के अधिकार को प्रभावित किए बिना ड्राइवरों और उपभोक्ताओं दोनों की सुरक्षा की रक्षा करनी चाहिए। इस तरह की सुरक्षा में, कम से कम, ड्राइवरों की आपराधिक पृष्ठभूमि की जांच करना; ड्रग और शराब से संबंधित अपराधों के लिए शून्य सहनशीलता की नीतियां; और ड्राइवर को सुरक्षा का प्रशिक्षण देना चाहिए।

7450. प्रयोजन का कथन इस अध्याय के प्रयोजन निम्नलिखित के अनुसार है:

(a) राज्य भर में राइडशेयर और डिलीवरी नेटवर्क कंपनियों के साथ स्वतंत्र ठेकेदारों के रूप में काम करने को चुनने के लिए California वासियों के मूल कानूनी अधिकार की रक्षा करना।

(b) प्रत्येक ऐप-आधारित राइडशेयर और डिलीवरी ड्राइवर के द्वारा व्यक्तिगत अधिकार की रक्षा करने के लिए लचीलापन होना कि वे उनके खुद के घंटे तय कर सकें कि वे कब, कहाँ और कैसे काम करते हैं।

(c) राइडशेयर और डिलीवरी नेटवर्क कंपनियों के द्वारा ऐप-आधारित राइडशेयर और डिलीवरी ड्राइवरों के लिए नए सुरक्षा और लाभ प्रदान करने की आवश्यकता के लिए, जिसमें न्यूनतम मुआवजा स्तर, नौकरी पर चोट लगने को कवर करने के लिए बीमा, ऑटोमोबाइल दुर्घटना बीमा, योग्य ड्राइवरों के लिए स्वास्थ्य देखभाल में सब्सिडी, उत्पीड़न और भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा, और अनिवार्य संविदात्मक अधिकार और अपील प्रक्रिया शामिल है।

(d) इस बात को सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए कि ऐप-आधारित राइडशेयर और डिलीवरी ड्राइवरों ग्राहकों या जनता के लिए खतरा पैदा नहीं करते हैं, आपराधिक पृष्ठभूमि की जांच, ड्राइवर सुरक्षा प्रशिक्षण और अन्य सुरक्षा प्रावधानों की आवश्यकता के द्वारा सार्वजनिक सुरक्षा में सुधार करना।

अनुच्छेद 2. ऐप-आधारित ड्राइवर की स्वतंत्रता

7451. स्वतंत्रता की रक्षा। कानून के किसी भी अन्य प्रावधान के बावजूद, जिसमें श्रम कोड, बेरोज़गारी बीमा कोड, और औद्योगिक संबंध विभाग के किसी आदेश, विनियमन, या राय या किसी मंडल, प्रभाग, या औद्योगिक संबंध विभाग के भीतर आयोग शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है, कोई ऐप-आधारित ड्राइवर स्वतंत्र ठेकेदार होता है और ऐप-आधारित ड्राइवर के नेटवर्क कंपनी के साथ रिश्ते के संबंध में कर्मचारी या एजेंट नहीं है, यदि निम्न स्थितियां पूरी होती हैं:

(a) नेटवर्क कंपनी एकपक्षीय रूप से विशिष्ट तिथि, दिन के समय या घंटों की संख्या को निर्धारित नहीं करती है, जिसके दौरान ऐप-आधारित ड्राइवर को नेटवर्क कंपनी के ऑनलाइन-सक्षम आवेदन या प्लेटफ़ॉर्म पर लॉग इन करना होगा।

(b) नेटवर्क कंपनी के ऑनलाइन-सक्षम आवेदन या प्लेटफॉर्म को एक्सेस करने की शर्त के रूप में नेटवर्क कंपनी को किसी भी विशिष्ट राइडशेयर सेवा या डिलीवरी सेवा अनुरोध को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है।

(c) नेटवर्क कंपनी ऐप-आधारित ड्राइवर को व्यस्त समय के अलावा समय पर अन्य नेटवर्क कंपनियों के माध्यम से राइडशेयर सेवाओं या डिलीवरी सेवाओं को करने से प्रतिबंधित नहीं करती है।

(d) नेटवर्क कंपनी ऐप-आधारित ड्राइवर को किसी अन्य वैध व्यवसाय या व्यापार को करने से प्रतिबंधित नहीं करती है।

7452. अनुबंध और सेवा समाप्ति का प्रावधान। (a) किसी नेटवर्क कंपनी और एक ऐप-आधारित ड्राइवर नेटवर्क कंपनी के

22

ऑनलाइन-सक्षम आवेदन या प्लेटफॉर्म तक पहुंच प्राप्त करने से पहले एक लिखित समझौते में प्रवेश करेगा।

(b) नेटवर्क कंपनी ऐप-आधारित ड्राइवर के साथ अनुबंध को तब तक समाप्त नहीं करेगी जब तक कि अनुबंध में निर्दिष्ट किये गये किसी आधार पर आधारित न हो।

(c) नेटवर्क कंपनियां उन ऐप-आधारित ड्राइवरों के लिए एक अपील प्रक्रिया प्रदान करेंगी, जिनके अनुबंध नेटवर्क कंपनी द्वारा समाप्त किए गए हैं।

7452.5 स्वतंत्रता अप्रभावित। इस अध्याय सहित अनुच्छेद 3 (अनुभाग 7453 से शुरू करते हुए) से अनुच्छेद 11 तक (अनुभाग 7467 से शुरू करते हुए) में शामिल कुछ भी, की व्याख्या किसी भी तरह नेटवर्क कंपनी और ऐप-आधारित ड्राइवर के बीच उन संबंधों को बदलने के लिए नहीं की जाएगी, जिनके लिए अनुभाग 7451 में रखी गई शर्तों को संतुष्ट किया गया हैं।

अनुच्छेद 3. मुआवजा

7453. आमदनी की गारंटी। (a) कोई नेटवर्क कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक आमदनी अवधि के लिए, एक ऐप-आधारित ड्राइवर को, इस अनुभाग में निर्धारित शुद्ध आमदनी न्यूनतम सीमा से कम मुआवजा नहीं दिया जाएगा। शुद्ध आमदनी न्यूनतम सीमा ऐप से जुड़े हुए ड्राइवरों के लिए एक मुआवजे के न्यूनतम स्तर की गारंटी देता है जिसे कम नहीं किया जा सकता है। किसी भी तरह से शुद्ध आमदनी न्यूनतम सीमा ऐप-आधारित ड्राइवरों को मुआवजे से उच्च स्तर की आमदनी अर्जित करने से प्रतिबंधित नहीं करती है।

(b) प्रत्येक आमदनी अवधि के लिए, कोई नेटवर्क कंपनी ऐप-आधारित ड्राइवर की शुद्ध आमदनी को उस आमदनी अवधि के दौरान ऐप-आधारित ड्राइवर के लिए शुद्ध न्यूनतम सीमा की तुलना करेगी। उस स्थिति में जब आमदनी की अवधि में ऐप-आधारित ड्राइवर की शुद्ध आमदनी उस आमदनी की अवधि की शुद्ध आमदनी न्यूनतम सीमा से कम है, नेटवर्क कंपनी ऐप-आधारित ड्राइवर की आमदनी में अंतर के लिए एक अतिरिक्त राशि का लेखा शामिल करेगी, जो अगली आमदनी की अवधि के दौरान दिया जाएगा तथा ऐसे देने में इससे ज्यादा देरी नहीं की जाएगी।

(c) कोई नेटवर्क कंपनी या एजेंट, किसी भी ग्रेच्युटी या उसके किसी हिस्से को नहीं लेगा, प्राप्त करेगा या बनाए रखेगा, जो किसी ग्राहक द्वारा ऐप-आधारित ड्राइवर के लिए भुगतान किया जाता है, या उसे दिया जाता है या उसके लिए छोड़ा जाता है या सवारी या डिलीवरी के संबंध में भुगतान की गई ग्रेच्युटी के कारण सवारी या डिलीवरी के लिए ऐप-आधारित ड्राइवर को देय आमदनी से किसी भी राशि की कटौती नहीं करेगा। कोई नेटवर्क कंपनी जो ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड द्वारा ग्रेच्युटी का भुगतान करने की अनुमति देती है, वह क्रेडिट कार्ड रसीद पर ग्राहक द्वारा इंगित ग्रेच्युटी की संपूर्ण राशि का, बिना क्रेडिट कार्ड के किसी ऐसे भुगतान प्रसंस्करण शुल्क या लागत की कटौती के, जिसे क्रेडिट कार्ड कंपनी द्वारा नेटवर्क कंपनी को चार्ज किया गया हो, ऐप-आधारित ड्राइवर को भुगतान करेगी।

(d) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित परिभाषाएं लागू होती हैं:

(1) "लागू न्यूनतम वेतन" का अर्थ है, सभी उद्योगों के लिए राज्य द्वारा आज्ञापित न्यूनतम वेतन या, यदि किसी यात्री या वस्तु को स्थानीय सरकार की सीमाओं के भीतर से उठाया जाता है, जहां आम तौर पर सभी उद्योगों के लिए उच्चतर न्यूनतम वेतन लागू होता है, तो उस स्थानीय सरकार का न्यूनतम वेतन। लागू न्यूनतम वेतन उस स्थान पर निर्धारित किया जाएगा जहां से एक यात्री या वस्तु को उठाया जाता है, और उस राइडशेयर अनुरोध या डिलीवरी अनुरोध को पूरा करने के लिए खर्च किये गए समय के लिए लागू होगा।

(2) "आमदनी की अवधि" का अर्थ है नेटवर्क कंपनी द्वारा निर्धारित वेतन अवधि, जो लगातार 14 कैलेंडर-दिनों से अधिक नहीं होती है।

(3) "शुद्ध आमदनी" का अर्थ है आमदनी की एक अवधि में ऐप-आधारित ड्राइवर द्वारा प्राप्त की गई सभी आमदनी, बशर्ते कि राशि निम्नलिखित दोनों मानकों के अनुरूप हो:

(A) राशि में ग्रेच्युटी, टोल्स, सफाई शुल्क, हवाई अड्डे की फीस या अन्य ग्राहक पास-थ्रू शामिल नहीं हैं।

(B) राशि में प्रोत्साहन या अन्य बोनस शामिल हो सकते हैं।

(4) "शुद्ध न्यूनतम आमदनी सीमा" का अर्थ है, किसी भी आमदनी की अवधि के लिए, कुल राशि जिसमें शामिल है:

(A) सभी काम में लगाए गए समय के लिए, उस काम में लगाए गए समय के लिए लागू न्यूनतम वेतन का 120 प्रतिशत का योग।

(B) (i) इस उप-अनुच्छेद में दिए गए वाहन के खर्च के लिए प्रति-मील मुआवजा और काम में लगाए गए मील की कुल संख्या का गुणांक।

(ii) इस अध्याय की प्रभावी तिथि के बाद और 2021 कैलेंडर वर्ष के लिए, वाहन के खर्च के लिए प्रति मील मुआवजा तीस सेंट ($ 0.30) प्रति काम में लगाए गए मील होगा। 2021 के बाद के कैलेंडर वर्षों के लिए, काम में लगाए गए मील की मात्रा को खंड (iii) के अनुसरण में समायोजित किया जाएगा।

(iii) 2021 के बाद के कैलेंडर वर्षों के लिए, खंड (ii) में वर्णित वाहन खर्च के लिए महंगाई में किसी भी वृद्धि को दर्शाने के लिए प्रति-मील मुआवजा का वार्षिक रूप से समायोजित किया जाएगा, जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के श्रम सांख्यिकी ब्यूरो द्वारा सभी शहरी उपभोक्ताओं के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-U) द्वारा मापा जाता है। कोषाध्यक्ष कार्यालय इस उप-अनुच्छेद द्वारा आवश्यक समायोजन की गणना और प्रकाशन करेगा।

(e) जब तक कि प्रत्येक आमदनी की अवधि के लिए ऐप-आधारित ड्राइवर की शुद्ध आमदनी, उपखंड (b) में उल्लिखित उस आमदनी की अवधि के लिए ऐप-आधारित ड्राइवर की शुद्ध आमदनी न्यूनतम आमदनी के बराबर या उससे अधिक है तब तक इस अनुभाग की व्याख्या, किसी भी कंपनी को किसी भी दिए गए राइडशेयर या डिलीवरी अनुरोध के लिए ऐप-आधारित ड्राइवर को मुआवजे की एक विशेष राशि प्रदान करने के लिए, नहीं की जाएगी। स्पष्टता के लिए, इस अनुभाग में, शुद्ध आमदनी न्यूनतम सीमा की गणना प्रत्येक आमदनी अवधि के दौरान औसत आधार पर की जा सकती है।

अनुच्छेद 4. फायदे

7454. स्वास्थ्य देखभाल सब्सिडी। (a) वहनीय देखभाल अधिनियम (ACA) के तहत आवश्यक औसत योगदान के अनुरूप, नेटवर्क कंपनी योग्य ऐप-आधारित ड्राइवरों को इस अनुभाग में निर्धारित त्रैमासिक स्वास्थ्य देखभाल सब्सिडी प्रदान करेगी। एक ऐप-आधारित ड्राइवर, जो कैलेंडर तिमाही के दौरान किसी नेटवर्क कंपनी के प्लेटफ़ॉर्म पर प्रति सप्ताह काम में लगाए गए समय की निम्नलिखित मात्रा का औसत प्राप्त करता है वह, नेटवर्क कंपनी से निम्नलिखित सब्सिडी प्राप्त करेगा:

(1) कैलेंडर तिमाही में काम में लगाए गए समय के औसतन 25 घंटे या प्रति सप्ताह में उससे अधिक के लिए, तिमाही में हर महीने लागू औसत मासिक कवर किए गए California प्रीमियम के लिए औसत ACA योगदान का 100 प्रतिशत से अधिक या बराबर भुगतान।

(2) कैलेंडर तिमाही में कम से कम 15 लेकिन औसतन प्रति सप्ताह 25 घंटे से कम काम में लगाए गए प्रति सप्ताह के लिए, तिमाही में हर महीने लागू औसत मासिक कवर किए गए California प्रीमियम के लिए औसत ACA योगदान के 50 प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक का भुगतान।

(b) प्रत्येक आमदनी अवधि के अंत में, एक नेटवर्क कंपनी प्रत्येक ऐप-आधारित ड्राइवर को निम्नलिखित जानकारी प्रदान करेगी:

(1) आमदनी की अवधि के दौरान नेटवर्क कंपनी के ऑनलाइन-सक्षम आवेदन या प्लेटफ़ॉर्म पर ऐप-आधारित ड्राइवर द्वारा काम में लगाए गए समय की संख्या।

(2) उस समय तक मौजूदा कैलेंडर तिमाही के दौरान नेटवर्क कंपनी के ऑनलाइन-सक्षम आवेदन या प्लेटफ़ॉर्म पर ऐप-आधारित ड्राइवर द्वारा काम में लगाए गए समय की गणना।

(c) कवर्ड California विनियमों को अपना सकते हैं या उसमें संशोधन कर सकते हैं, क्योंकि यह इस अनुभाग के अनुसरण में सब्सिडी प्राप्त करने वाले ऐप-आधारित ड्राइवर कवर्ड California द्वारा स्वास्थ्य योजनाओं में नामांकन करने की अनुमति देने के लिए उपयुक्त है।

(d) (1) उपखंड (a) में निर्धारित स्वास्थ्य देखभाल सब्सिडी प्रदान करने की शर्त के अनुसार, एक नेटवर्क कंपनी को एक अर्हक स्वास्थ्य योजना में एक ऐप-आधारित ड्राइवर के मौजूदा नामांकन का प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो सकती है। स्वास्थ्य बीमा सदस्यता या पहचान पत्र, स्वास्थ्य योजना से कवरेज और प्रकटीकरण के साक्ष्य, या दावे प्रस्तुत करने के लिए दावा प्रपत्र या अन्य दस्तावेज़; मौजूदा नामांकन के प्रमाण के रूप में शामिल हो सकता है, लेकिन इस तक सीमित नहीं है।

(2) एक ऐप-आधारित ड्राइवर को परिच्छेद (1) के अनुसार नामांकन का प्रमाण प्रदान करने के लिए कैलेंडर तिमाही के अंत से 15 कैलेंडर दिनों से कम दिन नहीं मिलेंगे।

(3) एक नेटवर्क कंपनी, उपखंड (a) के तहत एक कैलेंडर तिमाही के लिए देय स्वास्थ्य देखभाल सब्सिडी, जैसा परिच्छेद (1) में निर्धारित है कैलेंडर तिमाही के अंत के 15 दिनों के भीतर या ऐप-आधारित ड्राइवर द्वारा नामांकन के प्रमाण के प्रस्तुत होने के 15 दिनों के भीतर, जो भी बाद में हो, प्रदान करेगी।

(e) इस अनुभाग के प्रयोजनों के लिए, एक कैलेंडर तिमाही निम्नलिखित चार अवधियों को संदर्भित करता है:

(1) 1 जनवरी से 31 मार्च तक।

(2) 1 अप्रैल से 30 जून तक।

(3) 1 जुलाई से 30 सितंबर तक।

(4) 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक।

(f) इस अनुभाग की व्याख्या इस प्रकार नहीं की जाएगी, जो एक ऐप आधारित ड्राइवर को एक ही कैलेंडर तिमाही के लिए एक से अधिक नेटवर्क कंपनी से स्वास्थ्य देखभाल सब्सिडी प्राप्त करने से रोके।

(g) 31 दिसंबर, 2020 को या उससे पहले या उसके बाद और प्रत्येक 1 सितंबर से पहले, कवर्ड California, एक कवर्ड California कांस्य स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए अगले कैलेंडर वर्ष के लिए एक व्यक्ति के लिए औसत राज्यवार मासिक प्रीमियम प्रकाशित करेगा।

(h) संयुक्त राज्य अमेरिका या California राज्य में एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली या काफी हद तक ऐसी प्रणाली लागू करती है जो इस अनुभाग के तहत सब्सिडी प्राप्त करने वालों को कवरेज का विस्तार करती है तो इस स्थिति में यह अनुभाग निष्क्रिय हो जाएगा।

7455. हानि और देयता संरक्षण। कोई नेटवर्क कंपनी California में 90 दिनों से अधिक काम नहीं करेगी, जब तक कि नेटवर्क कंपनी निम्नलिखित बीमा कवरेज चालू नहीं करती, प्रदान नहीं करती या अन्यथा उपलब्ध नहीं कराती है:

(a) ऐप-आधारित ड्राइवरों के लाभ के लिए, चिकित्सीय खर्चों और चोटों के कारण हुई आमदनी में कमी को कवर करने के लिए व्यावसायिक दुर्घटना बीमा जब ऐप-आधारित ड्राइवर नेटवर्क कंपनी के ऑनलाइन-सक्षम आवेदन या प्लेटफॉर्म के साथ ऑनलाइन है। नीतियां न्यूनतम रूप में निम्नलिखित प्रदान करेंगी:

(1) कम से कम एक मिलियन डॉलर ($1,000,000) तक के चिकित्सीय खर्च के लिए कवरेज।

(2) (A) सभी नेटवर्क कंपनियों के ऐप-आधारित ड्राइवर की औसत साप्ताहिक आमदनी के 66 प्रतिशत के बराबर दिव्यांगता भुगतान चोट की तारीख के साथ, न्यूनतम और अधिकतम साप्ताहिक भुगतान दर, श्रम कोड की अनुभाग 4453 के उपखंड (a) के अनुसार चोट के बाद पहले 104 सप्ताह तक निर्धारित किया जाना है।

(B)"औसत साप्ताहिक कमाई" का अर्थ है कि ऐप-आधारित ड्राइवर की कवर्ड दुर्घटना से पहले 28 दिनों के दौरान सभी नेटवर्क कंपनियों से कुल कमाई का चार से प्रभाग।

(b) ऐप-आधारित ड्राइवरों की पति-पत्नियों, बच्चों, या अन्य आश्रितों के लाभ के लिए, ऐप-आधारित ड्राइवर की चोटों के लिए आकस्मिक मृत्यु बीमा, जब ऐप-आधारित ड्राइवर नेटवर्क कंपनी के ऑनलाइन-सक्षम आवेदन या प्लेटफ़ॉर्म के साथ ऑनलाइन है जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो जाती है। इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, दफनाने पर खर्च और मृत्यु-लाभ, श्रम कोड की अनुभाग 4701 और अनुभाग 4702 के अनुसार निर्धारित किए जाएंगे।

(c) इस अनुभाग के प्रयोजनों के लिए, "ऑनलाइन" का अर्थ है वह समय जब कोई ऐप-आधारित ड्राइवर किसी नेटवर्क कंपनी के ऑनलाइन-सक्षम आवेदन या प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहा है और नेटवर्क कंपनी से या उस समय के दौरान राइडशेयर सेवाओं या डिलीवरी सेवाओं के लिए अनुरोध प्राप्त कर सकता है।

(d) उपखंडों (a) और (b) के तहत व्यावसायिक दुर्घटना बीमा या आकस्मिक मृत्यु बीमा किसी ऐसी दुर्घटना को कवर करने के लिए आवश्यक नहीं होगा जो ऑनलाइन होने के दौरान लेकिन काम में लगाए गए समय के बाहर हुई हो जहां घायल ऐप-आधारित ड्राइवर काम में लगाए गए समय में एक या एक से अधिक अन्य नेटवर्क कंपनियों के प्लेटफ़ॉर्म पर हो या जहां ऐप-आधारित ड्राइवर व्यक्तिगत गतिविधियों में लगा हुआ हो। यदि कोई दुर्घटना एक से अधिक नेटवर्क कंपनी द्वारा बनाए रखे गए व्यावसायिक दुर्घटना बीमा या आकस्मिक मृत्यु बीमा द्वारा कवर की जाती है, तो उस नेटवर्क कंपनी का बीमाकर्ता, जिसके विरुद्ध दावा दायर किया गया है, उपखंडों (a) और (b) में तय की गई कवरेज और सीमा तक वह एक या एक से अधिक अन्य नेटवर्क कंपनियों से कवरेज के फायदा हिस्से के लिए योगदान का हकदार होगा।

(e) इस प्रभाग के उपखंड (a) या (b) के तहत ऐप-आधारित ड्राइवर को प्रदान किए गए किसी भी लाभ को, बीमा कोड के प्रभाग 2 के भाग 3 के अध्याय 1 के अनुच्छेद 2 (अनुभाग 11580 से शुरू करते हुए करते हुए) के तहत प्रदान किए गए किसी बीमा के तहत राशियों के निर्धारण के लिए श्रमिक क्षतिपूर्ति कानून या दिव्यांगता लाभ के तहत देय राशियों को देय माना जाएगा।

(f) (1) जनता के लाभ के लिए, अनुभाग 7463 में परिभाषित के अनुसार DNC प्रति घटना ऐसे मामलों में काम में लगाए गए समय के दौरान ऐप-आधारित ड्राइवर द्वारा ऑटोमोबाइल के संचालन के कारण लगने वाली ऐसी चोटों या नुकसानों के लिए तीसरी पार्टी को क्षतिपूर्ति करने के लिए कम से कम एक मिलियन डॉलर ($1,000,000) का ऑटोमोबाइल देयता बीमा बनाए रखेगा, जहां ऑटोमोबाइल अन्यथा किसी ऐसी नीति द्वारा कवर न हो जो बीमा कोड के अनुभाग 11580.1 के उपखंड (b) का अनुपालन करता हो।

(2) जनता के लाभ के लिए, अनुभाग 7463 में परिभाषित अनुसार TNC, सार्वजनिक उपयोगिता कोड के प्रभाग 2 के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 (अनुभाग 5430 से शुरू करते हुए) की आवश्यकता के अनुसार देयता बीमा नीतियों को बनाए रखेगा।

(3) जनता के लाभ के लिए, अनुभाग 7463 में परिभाषित अनुसार TCP, सार्वजनिक उपयोगिता कोड के प्रभाग 2 के अध्याय 8 के अनुच्छेद 4 (अनुभाग 5391 से शुरू करते हुए) की आवश्यकता के अनुसार देयता बीमा पॉलिसियों को बनाए रखेगा।

अनुच्छेद 5. भेदभाव विरोधी और सार्वजनिक सुरक्षा

7456. भेदभाव-विरोधी। (a) यह एक गैरकानूनी प्रथा है, जब तक कि कोई व्यक्ति प्रामाणिक व्यावसायिक योग्यता या सार्वजनिक या ऐप-आधारित ड्राइवर की सुरक्षा की आवश्यकता के आधार पर, किसी नेटवर्क कंपनी के लिए; जाति, रंग, वंश, राष्ट्रीय मूल, धर्म, पंथ, आमदनी, शारीरिक या मानसिक दिव्यांगता, लिंग, यौन अभिविन्यास, लिंग पहचान या अभिव्यक्ति, चिकित्सीय स्थिति, आनुवंशिक जानकारी, वैवाहिक स्थिति, या सैन्य या अनुभवी स्थिति पर आधारित; किसी भी ऐप-आधारित ड्राइवर या संभावित ऐप-आधारित ड्राइवर के साथ अनुबंध करने से इनकार करने, उसके साथ अनुबंध को समाप्त करने या नेटवर्क कंपनी के ऑनलाइन-सक्षम आवेदन या प्लेटफ़ॉर्म से निष्क्रिय करने के लिए न हो।

(b) इस अनुभाग के अनुसरण में लाए गए दावों को केवल अनरूह सिविल राइट्स अधिनियम (Unruh Civil Rights Act) (नागरिक संहिता की अनुभाग 51) द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं के तहत लाया जाएगा और इसकी आवश्यकताओं और उपायों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।

7457. यौन उत्पीड़न रोकथाम। (a) एक नेटवर्क कंपनी राइडशेयर सेवाओं या डिलीवरी सेवाओं का उपयोग कर रहे ऐप-आधारित ड्राइवरों और जनता के सदस्यों की सुरक्षा के लिए एक यौन उत्पीड़न नीति विकसित करेगी। यह नीति नेटवर्क कंपनी की इंटरनेट वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। यह नीति कम से कम निम्नलिखित सारे कार्य करेगी:

(1) उन व्यवहारों की पहचान करें जो यौन उत्पीड़न का गठन कर सकते हैं जिसमें निम्न शामिल हैं: अवांछित यौन इशारे; लेयरिंग, हरकतें या यौन रूप से विचारोत्तेजक वस्तुएं, चित्र, कार्टून या पोस्टर प्रदर्शित करना; अपमानजनक टिप्पणियां, एपीथेट्स, स्लर्स या चुटकुले; ग्राफिक टिप्पणियां, यौन रूप से अपमानजनक शब्द, या विचारोत्तेजक या अश्लील संदेश या निमंत्रण; और शारीरिक स्पर्श या हमला, साथ ही साथ गतिरोध या अवरोध करना।

(2) संकेत देगी कि नेटवर्क कंपनी, और कई मामलों में कानून, एप-आधारित ड्राइवरों और ग्राहकों को निषिद्ध उत्पीड़न करने से राइडशेयर सेवाओं या डिलीवरी सेवाओं का उपयोग करने पर रोक लगाती है।

(3) ऐप-आधारित ड्राइवरों, ग्राहकों और राइडशेयर यात्रियों के लिए शिकायतें दर्ज करने की एक प्रक्रिया स्थापित करें जो संभव सीमा तक गोपनीयता; एक निष्पक्ष और समय पर जांच; और जांच प्रक्रिया के दौरान एकत्र की गई जानकारी के आधार पर उपचारात्मक कार्रवाई और संकल्प सुनिश्चित करेगी।

(4) राइडशेयर सेवाओं या डिलीवरी सेवाओं का उपयोग करने वाले ऐप-आधारित ड्राइवरों और ग्राहकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से शिकायते दर्ज करने के अवसर प्रदान करे ताकि शिकायतों को जल्दी से हल किया जा सके।

(5) जब नेटवर्क कंपनी दुराचार के आरोप प्राप्त करे, तो यह एकत्रित की गई जानकारी के आधार पर उचित निष्कर्ष तक पहुंचने में एक निष्पक्ष, समय पर, और व्यापक जांच करने का संकेत देगी।

(6) स्पष्ट करे कि न तो ऐप-आधारित ड्राइवर और न ही राइडशेयर सेवाओं या डिलीवरी सेवाओं का उपयोग करने वाले ग्राहकों के विरुद्ध, अच्छे इरादे से शिकायत करने या किसी अन्य ऐप-आधारित ड्राइवर, ग्राहक, या राइडशेयर यात्री की जांच में भाग लेने के परिणामस्वरूप जवाबी कार्रवाई की जाएगी।

(b) नेटवर्क कंपनी के ऑनलाइन-सक्षम आवेदन या प्लेटफॉर्म के माध्यम से राइडशेयर सेवाएं या डिलीवरी सेवाएं प्रदान करने से पहले, एक ऐप-आधारित ड्राइवर निम्नलिखित में से दोनों कार्य करेगा:

(1) नेटवर्क कंपनी की यौन उत्पीड़न नीति की समीक्षा करेगा।

(2) उस नेटवर्क कंपनी से पुष्टि करेगा, जिसके लिए इलेक्ट्रॉनिक पुष्टि पर्याप्त होगी, कि ऐप-आधारित ड्राइवर ने नेटवर्क कंपनी की यौन उत्पीड़न नीति की समीक्षा कर ली है।

(c) इस अनुभाग के अनुसरण में लाए गए दावों को केवल अनरूह सिविल राइट्स एक्ट (नागरिक संहिता की अनुभाग 51) द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं के तहत लाए जाएंगे और इसकी आवश्यकताओं और उपायों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।

7458. आपराधिक पृष्ठभूमि की जांच। (a) कोई नेटवर्क कंपनी स्वयं, या किसी तीसरे पक्ष द्वारा उस प्रत्येक ऐप-आधारित ड्राइवर के लिए आपराधिक पृष्ठभूमि की प्रारंभिक स्थानीय और राष्ट्रीय जांच कराएगी, जो राइडशेयर सेवाएं या डिलीवरी सेवाएं प्रदान करने के लिए नेटवर्क कंपनी के ऑनलाइन-सक्षम आवेदन या प्लेटफॉर्म का उपयोग करता है। पृष्ठभूमि की जांच सार्वजनिक उपयोगिता कोड के अनुभाग 5445.2 के उपखंड (a) में निहित मानकों के अनुरूप होगी। प्रारंभिक पृष्ठभूमि की जांच के लिए नेटवर्क कंपनी द्वारा ऐप-आधारित ड्राइवर की सहमति प्राप्त करने के बाद, इसके विपरीत कानून के किसी अन्य प्रावधान के बावजूद, उस ऐप-आधारित ड्राइवर के आपराधिक इतिहास की निरंतर निगरानी के लिए किसी अतिरिक्त सहमति की आवश्यकता नहीं होगी, यदि नेटवर्क कंपनी इस तरह की निरंतर निगरानी करने का चयन करती है।

(b) नेटवर्क कंपनी किसी ऐप-आधारित ड्राइवर को नेटवर्क कंपनी के ऑनलाइन-सक्षम आवेदन या प्लेटफॉर्म का उपयोग करने की अनुमति देने से पहले उपखंड (a) द्वारा आवश्यक प्रारंभिक आपराधिक पृष्ठभूमि की जांच को पूरा करेगी। नेटवर्क कंपनी ऐप-आधारित ड्राइवर को आपराधिक पृष्ठभूमि की प्रारंभिक जांच की भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां या सारांश प्रदान करेगी।

(c) निम्न में से कोई भी एक लागू होने पर किसी ऐप-आधारित ड्राइवर को नेटवर्क कंपनी के ऑनलाइन-सक्षम आवेदन या प्लेटफॉर्म का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी:

(1) ड्राइवर को कभी भी सार्वजनिक उपयोगिता कोड के अनुभाग 5445.2 के उपखंड (a) के परिच्छेद (2) के उप-परिच्छेद (B) में सूचीबद्ध किसी भी अपराध के लिए, दंड संहिता के अनुभाग 1192.7 के उपखंड (c) द्वारा परिभाषित किसी भी गंभीर अपराध के लिए, या दंड संहिता की अनुभाग 422.55 द्वारा परिभाषित किसी भी घृणा अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो।

(2) ड्राइवर को पिछले सात वर्षों के भीतर सार्वजनिक उपयोगिता कोड की अनुभाग 5445.2 के उपखंड (a) के परिच्छेद (3) में सूचीबद्ध किसी भी अपराध का दोषी ठहराया गया है।

(d) (1) नेटवर्क कंपनी के ऑनलाइन-सक्षम आवेदन या प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के लिए ऐप-आधारित ड्राइवर की क्षमता को निलंबित कर दिया जा सकता है यदि नेटवर्क कंपनी को पता चलता है कि ड्राइवर को निम्नलिखित में से किसी भी सूचीबद्ध अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया है:

(A) सार्वजनिक उपयोगिता कोड के अनुभाग 5445.2 के उपखंड (a) के परिच्छेद (2) के उप-परिच्छेद (B) या परिच्छेद (3)

(B) इस अनुभाग के उपखंड (c)।

(2) परिच्छेद(1) में वर्णित निलंबन को सार्वजनिक उपयोगिता कोड के अनुभाग 5445.2 के उपखंड (a) के परिच्छेद (2) के उप-परिच्छेद (B), या परिच्छेद (3) में सूचीबद्ध किसी भी ऐसे अपराध के लिए गिरफ़्तारी की स्थिति से हटाया जा सकता है जिसके परिणामस्वरूप कोई दोषी अपराध सिद्धि नहीं हुई हो। इस तरह की स्थिति में शामिल होते हैं किसी भी प्रासंगिक आरोप से तथ्यात्मक बेगुनाही का परिणाम, मुकदमें में दोषमुक्ति, यह इंगित करना वाला हलफनामा कि कथित अपराध पर अधिकार-क्षेत्र वाले अभियोजन पक्ष के वकील ने एक आपराधिक शिकायत दर्ज करने से मना कर दिया है, या यह इंगित करने वाला हलफनामा कि दंड संहिता के भाग 2 शीर्षक 3 (अनुभाग 799 से शुरू करते हुए) के अध्याय 2 में वर्णित सभी प्रासंगिक समय अवधियों की समय सीमा समाप्त हो चुकी हैं।

(e) इस अनुभाग की किसी भी बात को नेटवर्क कंपनी को आपराधिक इतिहास से संबंधित अतिरिक्त मानकों को लागू करने से रोकने के लिए नहीं समझा जाएगा।

(f) नागरिक संहिता की अनुभाग 1786.12 के बावजूद, एक जांच उपभोक्ता रिपोर्टिंग एजेंसी नेटवर्क कंपनी को उस व्यक्ति के बारे में जांच पड़ताल की एक उपभोक्ता रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकती है, जो ऐप-आधारित ड्राइवर बनना चाहता है, चाहे वह ऐप-आधारित ड्राइवर कर्मचारी बनने वाला हो या नेटवर्क कंपनी का एक स्वतंत्र ठेकेदार।

7459. सुरक्षा प्रशिक्षण. (a) ऐप-आधारित ड्राइवर को नेटवर्क कंपनी के ऑनलाइन-सक्षम आवेदन या प्लेटफॉर्म का उपयोग करने की अनुमति देने से पहले नेटवर्क कंपनी के लिए आवश्यक होगा कि ऐप-आधारित ड्राइवर इस अनुभाग में वर्णित प्रशिक्षण को पूरा करें।

(b) एक नेटवर्क कंपनी प्रत्येक ऐप-आधारित ड्राइवर को सुरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करेगी। इस अनुभाग द्वारा आवश्यक सुरक्षा प्रशिक्षण में निम्नलिखित विषय शामिल होंगे:

(1) टकराव से बचाव और रक्षात्मक ड्राइविंग तकनीकें।

(2) अत्यधिक गति, DUI, और विचलित ड्राइविंग जैसे टकराव पैदा करने वाले तत्वों की पहचान।

(3) यौन हमले और दुर्व्यवहार की पहचान और रिपोर्ट देना।

(4) तैयार फूड या ग्रॉसरी की डिलीवरी करने वाले ऐप-आधारित ड्राइवरों के लिए, तापमान नियंत्रण सहित, फूड की डिलीवरी से संबंधित खाद्य सुरक्षा जानकारी।

(c) प्रशिक्षण नेटवर्क कंपनी के विवेकानुसार हो सकता है, यह प्रशिक्षण ऑनलाइन, वीडियो के जरिए, या व्यक्तिगत तौर पर उपलब्ध कराया जाएगा।

(d) उपखंड (a) के बावजूद, एक नेटवर्क कंपनी के साथ 1 जनवरी, 2021 से पहले, राइडशेयर सेवाएं या डिलीवरी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए एक अनुबंध करने वाले किसी ऐप-आधारित ड्राइवर के पास इस अनुभाग की आवश्यकता के अनुसार सुरक्षा प्रशिक्षण पूरा करने के लिए 1 जुलाई, 2021 तक की अवधि होगी, और वह इस तिथि तक नेटवर्क कंपनी की ऑनलाइन-सक्षम आवेदन के जरिए राइडशेयर सेवाएं या डिलीवरी सेवाएं उपलब्ध कराना जारी रख सकता है। 1 जुलाई, 2021 को और उसके बाद, इस उपखंड में बताए गए ऐप-आधारित ड्राइवरों को राइडशेयर सेवाएं और डिलीवरी सेवाएं उपलब्ध कराना जारी रखने के लिए इस अनुभाग की आवश्यकता के अनुसार प्रशिक्षण पूरा करना चाहिए।

(e) जन सुरक्षा को और बढ़ाने के लिए कोई सुरक्षा उत्पाद, विशेषता, प्रक्रिया, मापदंड, या एक नेटवर्क कंपनी द्वारा की गई अन्य कोशिश, या एक नेटवर्क कंपनी द्वारा उपकरण का प्रावधान एक रोज़गार या एक ऐप-आधारित ड्राइवर के साथ एजेंसी के संबंध का एक संकेत नहीं है।

7460. शून्य सहनशीलता नीतियां। (a) कोई नेटवर्क कंपनी एक "शून्य सहनशीलता नीति" बनाएगी जिसमें एक ऐप-आधारित

22

ड्राइवर की नेटवर्क कंपनी की ऑनलाइन-सक्षम आवेदन या प्लेटफॉर्म तक पहुंच को किसी ऐसी स्थिति में तुरंत निलंबित करना अनिवार्य होगा जिसमें नेटवर्क कंपनी को उसकी ऑनलाइन-सक्षम आवेदन या प्लेटफॉर्म के जरिए या किसी अन्य कंपनी-स्वीकृत तरीके के द्वारा, किसी व्यक्ति से एक रिपोर्ट मिलती है जिसे इसका उचित तौर पर शक है कि ऐप-आधारित ड्राइवर राइडशेयर सेवाएं या डिलीवरी सेवाएं उपलब्ध कराने के दौरान नशीले पदार्थों या अल्कोहल के प्रभाव में है।

(b) उपखंड (a) में बताए गए के अनुसार कोई रिपोर्ट मिलने पर, कोई नेटवर्क कंपनी आगे की जांच के लिए कंपनी की ऑनलाइन-सक्षम आवेदन या प्लेटफॉर्म से ऐप-आधारित ड्राइवर को तुरंत निलंबित करेगी।

(c) नेटवर्क कंपनी उपखंड (a) में बताए गए के अनुसार शून्य सहनशीलता नीति के कथित उल्लंघन की रिपोर्ट देने वाले किसी ऐप-आधारित ड्राइवर या ग्राहक की कंपनी की ऑनलाइन-सक्षम आवेदन या प्लेटफॉर्म तक पहुंच को निलंबित कर सकती है जिसमें वह ड्राइवर या ग्राहक जानता है कि रिपोर्ट निराधार है या उसने एक ड्राइवर की ऑनलाइन-सक्षम आवेदन या प्लेटफॉर्म तक पहुंच को अनुचित तरीके से समाप्त करने के इरादे से रिपोर्ट का आधार बनाया है।

7460.5 नेटवर्क कंपनी कानून प्रवर्तन को आपात स्थितियों, अत्यावश्यक परिस्थितियों, और गंभीर घटनाओं से संबंधित जांच में सहायता के लिए जानकारी देने के निवेदन जमा करने की एक निरंतर और विशेष व्यवस्था उपलब्ध कराएगी।

7461. ऐप-आधारित ड्राइवर विश्राम। एक ऐप-आधारित ड्राइवर एक नेटवर्क कंपनी की ऑनलाइन-सक्षम आवेदन पर किसी 24-घंटे की अवधि में कुल 12 घंटे से अधिक लॉग इन और ड्राइविंग नहीं करेगा, जब तक कि ड्राइवर पहले से ही 6 घंटे की एक बिना व्यवधान वाली अवधि के लिए लॉग ऑफ न हो। अगर कोई ऐप-आधारित ड्राइवर किसी 24-घंटे की अवधि में कुल 12 घंटे से अधिक लॉग ऑन और ड्राइविंग करता है, 6 घंटे की एक बिना व्यवधान वाली अवधि के लिए लॉग ऑफ किए बिना, तो ड्राइवर को नेटवर्क कंपनी की ऑनलाइन-सक्षम आवेदन या प्लेटफॉर्म में कम से कम 6 घंटे की एक बिना व्यवधान वाली अवधि के लिए वापस लॉग इन करने से प्रतिबंधित किया जाएगा।

7462. किसी ऐप-आधारित ड्राइवर का रूप धारण करना। (a) कोई व्यक्ति जो राइडशेयर या डिलीवरी सेवाएं उपलब्ध कराने के दौरान या उपलब्ध कराने की कोशिश में किसी ऐप-आधारित ड्राइवर का जाली तरीके से रूप धारण करता है तो वह एक अपराध का दोषी होगा, और उसे एक काउंटी जेल में छह वर्ष तक की कैद की सजा, या दस हजार डॉलर ($10,000) तक का जुर्माना, या दोनों भुगतना पड़ सकता है। इस उपखंड में कुछ भी किसी अन्य कानून के तहत अभियोजन को नहीं रोकता।

(b) कानून द्वारा उपलब्ध कराए गए किसी अन्य दंड के अतिरिक्त, कोई व्यक्ति जो राइडशेयर या डिलीवरी सेवाएं उपलब्ध कराने के दौरान या उपलब्ध कराने की कोशिश में किसी ऐप-आधारित ड्राइवर का जाली तरीके से रूप धारण करता है वह दंड कोड के अनुभाग 207, 209, 220, 261, 264.1, 286, 287, 288, या 289 में बताया गया एक अपराध या अपराध की कोशिश होगी और उसे पांच वर्षों की एक अतिरिक्त अवधि के लिए सजा दी जाएगी।

(c) कानून द्वारा उपलब्ध कराए गए किसी अन्य दंड के अतिरिक्त, कोई व्यक्ति जो राइडशेयर या डिलीवरी सेवाएं उपलब्ध कराने के दौरान या उपलब्ध कराने की कोशिश में किसी ऐप-आधारित ड्राइवर का जाली तरीके से रूप धारण करता है वह एक गंभीर अपराध या गंभीर अपराध की कोशिश होगी और ऐसा करने में अपराध में एक साथी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर पर बड़ी शारीरिक चोट पहुंचता है तो उसे पांच वर्षों की एक अतिरिक्त अवधि के लिए सजा दी जाएगी।

(d) कानून द्वारा उपलब्ध कराए गए किसी अन्य दंड के अतिरिक्त, कोई व्यक्ति जो राइडशेयर या डिलीवरी सेवाएं उपलब्ध कराने के दौरान या उपलब्ध कराने की कोशिश में किसी ऐप-आधारित ड्राइवर का जाली तरीके से रूप धारण करता है वह एक गंभीर अपराध या गंभीर अपराध की कोशिश होगी और ऐसा करने में अपराध में एक साथी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है तो उसे 10 वर्षों की एक अतिरिक्त अवधि के लिए सजा दी जाएगी।

अनुच्छेद 6. परिभाषाएं

7463. इस अध्याय के उद्देश्यों के लिए, निम्नलिखित परिभाषाएं लागू होंगी:

(a) "ऐप-आधारित ड्राइवर" का अर्थ है एक व्यक्ति जो एक DNC कूरियर, TNC ड्राइवर, या TCP ड्राइवर या परमिट धारक है; और जिसके लिए अनुभाग 7451 के उपखंडों (a) से (d) सहित, में दी गई शर्तें निर्धारित की गई हैं।

(b) "एवरेज ACA कंट्रीब्यूशन" का अर्थ है औसत मासिक कवर्ड California प्रीमियम की डॉलर राशि का 82 प्रतिशत।

(c) "एवरेज मासिक कवर्ड California प्रीमियम" अनुभाग 7454 के उपखंड (g) के अनुसार प्रकाशित डॉलर राशि के समान है।

(d) "कवर्ड California" का अर्थ है California स्वास्थ्य लाभ एक्सचेंज (California Health Benefit Exchange), सरकारी कोड के शीर्षक 22 में कोडबद्ध किया (अनुभाग 100500 से शुरू होते हुए) गया।

(e) "ग्राहक" का अर्थ है एक या अधिक स्वाभाविक व्यक्ति या व्यावसायिक संस्थाएं।

(f) "डिलीवरी नेटवर्क कंपनी" (DNC) का अर्थ है एक व्यावसायिक संस्था जो California राज्य में एक मांग के आधार पर डिलीवरी सेवाएं देने के लिए एक ऑनलाइन-सक्षम आवेदन या प्लेटफॉर्म संचालित करती है, और DNC कूरियर्स द्वारा काम में लगाए गए समय और काम में लगाए गए मीलों का एक रिकॉर्ड रखती है। डिलीवरी की सुविधा किसी मांग के आधार पर दी जाती है अगर DNC कूरियर्स को प्रत्येक डिलीवरी निवेदन को स्वीकार या मना करने का विकल्प उपलब्ध कराया गया है और DNC को DNC की ऑनलाइन-सक्षम आवेदन या प्लेटफॉर्म तक पहुंच बरकरार रखने की एक शर्त के तौर पर DNC कूरियर के किसी विशेष डिलीवरी निवेदन को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है।

(g) "डिलीवरी नेटवर्क कंपनी कूरियर" (DNC कूरियर) का अर्थ है कोई व्यक्ति जो एक DNC की ऑनलाइन-सक्षम आवेदन या प्लेटफॉर्म के जरिए डिलीवरी सेवाएं उपलब्ध कराता है।

(h) "डिलीवरी सेवाओं" का अर्थ है डिलीवरी निवेदनों को पूरा करना, इसका अर्थ है किसी स्थान से किसी आइटम या आइटम्स

22

को पिकअप करना और एक यात्री वाहन, बाइसिकल, स्कूटर, पैदल चलकर, सार्वजनिक परिवहन, या परिवहन के अन्य समान साधनों के उपयोग से आइटम्स की पिकअप के स्थान से 50 मील के अंदर मौजूद ग्राहक की ओर से चुने गए एक स्थान पर डिलीवरी करना। एक डिलीवरी निवेदन में एक से अधिक लोग शामिल हो सकते हैं, लेकिन विभिन्न ग्राहकों द्वारा दिए गए 12 अलग ऑर्डर्स से अधिक नहीं। किसी DNC कूरियर द्वारा आइटम्स का चयन, एकत्र करना, या खरीदारी डिलीवरी सेवाएं में शामिल हो सकते हैं बशर्ते वे कार्य एक डिलीवरी के संबंध में किए गए हैं जिसके लिए DNC कूरियर ने डिलीवरी करने की सहमति दी है। डिलीवरी सेवाएं में वे डिलीवरी शामिल नहीं हैं जो अनुभाग 26090 का विषय-वस्तु हैं, जैसा कि वह अनुभाग अक्टूबर 29, 2019 को पढ़ा जाता है।

(i)"काम में लगाए गए मीलों" का अर्थ है एक यात्री वाहन में काम में लगाए गए समय के दौरान चलाए गए सभी मील जो नेटवर्क कंपनी के स्वामित्व वाला, लीज पर, या किराये पर लिया गया नहीं है।

(j) (1) "काम में लगाए गए समय" का अर्थ है, परिच्छेद (2) में तय की गई शर्तों के विषय के अनुसार समय की अवधि, जो एक नेटवर्क कंपनी की ऑनलाइन-सक्षम आवेदन या प्लेटफॉर्म में दर्ज की गई है, एक ऐप-आधारित ड्राइवर के एक राइडशेयर निवेदन या डिलीवरी निवेदन को स्वीकार करने से लेकर ऐप-आधारित ड्राइवर के उस राइडशेयर निवेदन या डिलीवरी निवेदन को पूरा करने तक।

(2) (A) काम में लगाए गए समय में निम्नलिखित शामिल नहीं होगा:

(i) ग्राहक द्वारा निवेदन रद्द करने के बाद एक राइडशेयर सर्विस या डिलीवरी सर्विस देने में खर्च किया कोई समय।

(ii) एक राइडशेयर सर्विस या डिलीवरी सर्विस पर खर्च किया गया कोई समय जिसमें ऐप-आधारित ड्राइवर पूरा होने से पहले सर्विस देना छोड़ता है।

(B) नेटवर्क कंपनी उस समय को भी बाहर रख सकती है अगर ऐसा करना नेटवर्क कंपनी की ऑनलाइन-सक्षम आवेदन या प्लेटफॉर्म के जाली तरीके से इस्तेमाल के लिए सुधार या रोकने के लिए उचित तौर पर आवश्यक है।

(k)"स्थानीय सरकार" का अर्थ है एक शहर, काउंटी, शहर और काउंटी, चार्टर शहर, या चार्टर काउंटी।

(l)"नेटवर्क कंपनी" का अर्थ है एक व्यावसायिक संस्था जो एक DNC या एक TNC है।

(m) "यात्री वाहन" का अर्थ है एक यात्री वाहन जैसा वाहन कोड के अनुभाग 465 में परिभाषित है।

(n) "क्वालिफाइंग हेल्थ प्लान" का अर्थ है एक स्वास्थ्य बीमा योजना जिसमें ऐप-आधारित ड्राइवर सब्सक्राइबर है, जिसे एक नियोक्ता द्वारा प्रायोजित नहीं किया गया है, और जो एक Medicare या Medicaid प्लान नहीं है।

(o) "राइडशेयर सर्विस" का अर्थ है एक या अधिक व्यक्तियों का परिवहन।

(p) "ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क कंपनी" (TNC) का पब्लिक यूटिलिटीज कोड के अनुभाग 5431 के उपखंड (c) में दी गई परिभाषा के समान अर्थ है।

(q) "ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क कंपनी ड्राइवर"(TNC driver) का पब्लिक यूटिलिटीज कोड के अनुभाग 5431 के उपखंड (a) में दी गई परिभाषा के समान अर्थ है।

(r) "चार्टर-पार्टी कैरियर ऑफ पैसेंजर्स"(TCP) का पब्लिक यूटिलिटीज कोड के अनुभाग 5360 में दी गई परिभाषा के समान अर्थ होगा, बशर्ते ड्राइवर राइडशेयर सर्विस को एक नेटवर्क कंपनी की ऑनलाइन आवेदन या प्लेटफॉर्म के जरिए एक यात्री वाहन का इस्तेमाल कर उपलब्ध करा रहा है।

अनुच्छेद 7. एकसमान कार्य मापदंड

7464. (a) एक एकल राइडशेयर सर्विस या डिलीवरी सर्विस देने में एक ऐप-आधारित ड्राइवर को अक्सर कई स्थानीय सरकारों के अधिकार-क्षेत्र की सीमाओं में यात्रा करने की आवश्यकता होती है। California में 500 से अधिक शहर और काउंटीज़ हैं, जिससे एक से अन्य अधिकार-क्षेत्र में सेवाओं में स्थानीय विनियमों के अतिव्यापन, अलग होने, और विपरीत होने की स्थिति बन सकती है।

(b) राइडशेयर सेवाएं और डिलीवरी सेवाओं के एक से अन्य अधिकार-क्षेत्र में होने के प्रकार के कारण, और इस अध्याय द्वारा स्थापित अन्य आवश्यकताओं और मापदंडों के अतिरिक्त, राज्य इसके द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों में एकाधिकार रखता है:

(1) ऐप-आधारित ड्राइवर का मुआवजा और ग्रेच्युटी, अनुभाग 7453 में दिए गए को छोड़कर।

(2) ऐप-आधारित ड्राइवर की शेड्यूलिंग, छुट्टी, स्वास्थ्य देखभाल अनुदान, और कार्य-संबंधित कोई अन्य स्टाइपेंड, अनुदान, या लाभ।

(3) ऐप-आधारित ड्राइवर के लिए लाइसेंस और बीमा की आवश्यकताएं।

(4) नेटवर्क कंपनी के एक ऐप-आधारित ड्राइवर के अनुबंध को समाप्त करने के संबंध में ऐप-आधारित ड्राइवर के अधिकार।

(c) उपखंड (b) के बावजूद, इस अनुभाग में कोई भी चीज स्थानीय सरकार की अपराध या घोर-अपराधों के लिए सजा देने के उद्देश्य से आवश्यक स्थानीय अध्यादेशों को अपनाने या 29 अक्टूबर, 2019 से पहले लागू किए गए स्थानीय अध्यादेशों और विनियमों को लागू करने की क्षमता को सीमित नहीं करती।

अनुच्छेद 8. आमदनी की रिपोर्टिंग

7464.5 (a) कोई नेटवर्क कंपनी जो एक तीसरी-पार्टी के निपटारे वाले संगठन के तौर पर अधिनियमित है उसे ऐसे प्रत्येक भागीदार प्राप्तकर्ता के लिए एक वापसी जानकारी तैयार करनी होगी जो California के एक पते वाला ऐप-आधारित ड्राइवर है जिसके पास रिपोर्ट किए जाने वाले भुगतान के लेन-देन की एक कुल राशि एक कैलेंडर वर्ष में छह सौ डॉलर ($600) के बराबर या अधिक है, चाहे तीसरी-पार्टी निपटारे वाले संगठन और प्राप्तकर्ता के बीच लेन-देन की कितनी भी संख्या हो। एक तीसरी-पार्टी निपटारे वाले संगठन को इन राशियों की रिपोर्ट फ्रेंचाइज़ी कर मंडल को और एक प्रति प्राप्तकर्ता को देनी चाहिए, चाहे इसमें संघीय रिपोर्टिंग का उत्तरदायित्व नहीं है। वापसी जानकारी में निम्नलिखित की पहचान होगी:

(1) भागीदार प्राप्तकर्ता का नाम, पता और कर पहचान संख्या।

(2) हिस्सेदार प्राप्तकर्ता के संबंध में रिपोर्ट किए जाने वाले भुगतान के लेन-देन की कुल राशि।

(b) आंतरिक राजस्व मंडल को लंबित ऐसी वापसी जानकारी की तिथि के बाद 30 दिनों के अंदर, नेटवर्क कंपनी उपखंड (a) द्वारा आवश्यक किसी वापसी जानकारी की एक प्रति फ्रेंचाइज़ी कर मंडल के पास दर्ज करेगी और एक प्रति हिस्सेदार प्राप्तकर्ता को उपलब्ध कराएगी।

(c) एक नेटवर्क कंपनी इस आवश्यकता को आंतरिक राजस्व मंडल के पास फॉर्म 1099-K की एक प्रति जमा करने के द्वारा या फ्रेंचाइज़ी कर मंडल द्वारा उपलब्ध कराए गए एक फॉर्म को जमा कर पूरा कर सकती है जिसमें Cal-1099-K के समान जानकारी शामिल है।

(d) इस अनुभाग के उद्देश्यों के लिए:

(1) "हिस्सेदार प्राप्तकर्ता" का यूनाइटेड स्टेट्स कोड के शीर्षक 26 के अनुभाग 6050W(d) (1) (A) (ii) में उपलब्ध कराए गए के समान अर्थ है।

(2) "रिपोर्ट किए जाने वाले भुगतान लेन-देन" का यूनाइटेड स्टेट्स कोड के शीर्षक 26 के अनुभाग 6050W(c) (1) में उपलब्ध कराए गए के समान अर्थ है।

(3) "तीसरी-पार्टी निपटारे वाले संगठन" का यूनाइटेड स्टेट्स कोड के शीर्षक 26 के अनुभाग 6050W(b) (3) में उपलब्ध कराए गए के समान अर्थ है।

(e) यह अनुभाग उन स्थितियों में लागू नहीं होगा जहां एक हिस्सेदार प्राप्तकर्ता के लिए रिपोर्ट किए जाने वाले भुगतान के लेन-देन की कुल राशि एक कैलेंडर वर्ष में छह सौ डॉलर ($600) से कम है या जहां हिस्सेदार प्राप्तकर्ता एक ऐप-आधारित ड्राइवर नहीं है।

(f) यह अनुभाग 1 जनवरी, 2021 को या उसके बाद रिपोर्ट किए जाने वाले भुगतान के लेन-देन पर लागू होगा।

अनुच्छेद 9. संशोधन

7465. (a) इस अध्याय की प्रभावी तिथि के बाद, विधान मंडल के प्रत्येक सदन में सदस्यता के आठ में से सात भाग सदस्यों की सहमति से पत्रिका में दर्ज रोलकॉल वोट के द्वारा कानून पारित करके संशोधित कर सकता है, बशर्ते कि यह कानून इस अध्याय के साथ सुसंगत हो, और इसके उद्देश्यों को आगे बढ़ाता हो। इस अध्याय की प्रभावी तिथि के बाद इस अध्याय में संशोधन करने की मांग करने वाला कोई भी विधेयक पारित नहीं किया जा सकता है या कानून नहीं बन सकता, जब तक कि विधान मंडल के प्रत्येक सदन में इसके पारित होने से कम से कम 12 व्यावसायिक दिन पहले अपने अंतिम रूप में विधेयक मुद्रित नहीं किया जाता, और विधान मंडल के सदस्यों को वितरित नहीं किया जाता, और इंटरनेट पर प्रकाशित नहीं किया जाता।

(b) 29 अक्टूबर, 2019 के बाद, लेकिन इस अध्याय की प्रभावी तिथि से पहले लागू किया गया कोई भी कानून, जो इस अध्याय में एक संशोधन करेगा, इस अध्याय की प्रभावी तिथि के बाद सक्रिय होगा जब तक कि कानून उपखंड (a) की आवश्यकताओं के अनुसार पारित नहीं किया गया हो।

(c) (1) इस अध्याय के उद्देश्यों का वर्णन अनुच्छेद 1 (अनुभाग 7448 से शुरू करते हुए करते हुए) में दिया गया है।

(2) अनुभाग 7451 को संशोधित करने वाला कोई कानून इस अध्याय के उद्देश्यों को आगे नहीं बढ़ाता।

(3) कोई कानून जो ऐप-आधारित ड्राइवरों को एक विशेष राइडशेयर सर्विस या डिलीवरी सर्विस देने से रोकता है जबकि अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को समान राइडशेयर सर्विस या डिलीवरी सर्विस देने की अनुमति देता है, या अन्यथा ऐप-आधारित ड्राइवरों पर उनकी वर्गीकरण स्थिति पर आधारित असमान नियामक बोझ डालता है, वह इस अध्याय में एक संशोधन का गठन करता है और उसे उपखंडों (a) और (b) में तय किए गए इस अध्याय के उद्देश्यों के अनुसार संशोधनों को नियंत्रित करने वाली प्रक्रियाओं के अनुपालन में लागू किया जाना ज़रूरी है।

(4) कोई कानून जो किसी संस्था या संगठन को ऐप-आधारित ड्राइवरों के हितों का ड्राइवरों के नेटवर्क कंपनियों के साथ अनुबंधीय संबंधों, या ड्राइवरों के मुआवजे, लाभों, या कार्य स्थितियों के संबंध में प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत करता है, इस अध्याय के एक संशोधन का गठन करेगा और उसे उपखंडों (a) और (b) में तय किए गए इस अध्याय के उद्देश्यों के अनुसार संशोधनों को नियंत्रित करने वाली प्रक्रियाओं के अनुपालन में लागू किया जाना ज़रूरी है।

(d) कोई कानून जो ऐप-आधारित ड्राइवरों और राइडशेयर सेवाएं या डिलीवरी सेवाएं का इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों को आपराधिक गतिविधि के विरुद्ध अधिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त अपराध या घोर-अपराध दंड लगाता है उसे प्रत्येक सदन की सदस्यता के बहुमत की सहमति के साथ, उपखंडों (a) और (b) का अनुपालन किए बिना ही विधान मंडल द्वारा पत्रिका में दर्ज रोलकॉल वोट के द्वारा कानून पारित करके लागू किया जा सकता है।

अनुच्छेद 10. विनियमन

7466. (a) कवर्ड California द्वारा अनुभाग 7454 के उपखंडों (c) और (g) को लागू करने और प्रशासन के लिए आपातस्थिति प्रावधान अपनाए जा सकते हैं।

(b) इस अनुभाग के अनुरूप अपनाए गए किसी आपातस्थिति विनियम को सरकारी कोड के शीर्षक 2 के प्रभाग 3 के भाग 1 के अध्याय 3.5 (अनुभाग 11340 से शुरू करते हुए होते हुए) के अनुसार अपनाया जाएगा, और, उस अध्याय के उद्देश्यों के लिए, सरकारी कोड के अनुभाग 11349.6 सहित, विनियम को अपनाना एक आपातस्थिति है और इसे प्रशासनिक कानून का कार्यालय सार्वजनिक शांति, स्वास्थ्य और सुरक्षा, और सामान्य कल्याण के तुरंत संरक्षण के लिए आवश्यक मानेगा। कानून के किसी अन्य प्रावधान के बावजूद, कवर्ड California द्वारा अपनाए गए आपात विनियमन अपनाने की तिथि से दो वर्षों तक प्रभावी रह सकते हैं।

अनुच्छेद 11. विच्छेदनीयता

7467. (a) उपखंड (b)के अधीन, इस अध्याय के प्रावधान अलग-अलग किए जा सकते हैं। यदि किसी भी हिस्से, अनुभाग, उपखंड, परिच्छेद, खंड, वाक्य, वाक्यांश, शब्द, या इस अध्याय के कार्यान्वयन सक्षम अधिकार-क्षेत्र के किसी भी न्यायालय के निर्णय द्वारा किसी भी कारण से अमान्य होने पर उस निर्णय से इस अध्याय के शेष भाग की वैधता प्रभावित नहीं होगी। California राज्य के लोग इसके द्वारा घोषणा करते हैं कि वे इस अध्याय को अपनाएंगे और प्रत्येक भाग, अनुभाग, उपखंड, परिच्छेद, खंड, वाक्य, वाक्यांश, शब्द, और आवेदन को अमान्य या असंवैधानिक घोषित नहीं किया जाएगा, चाहे इस अध्याय का कोई भी हिस्सा या उसके कार्यान्वयन को बाद में अवैध घोषित किया जाए।

22

(b) उपखंड (a) के बावजूद, अगर कोई भाग, अनुभाग, उपखंड, परिच्छेद, खंड, वाक्य, वाक्यांश, शब्द, या अनुच्छेद 2 (अनुभाग 7451 से शुरू होते हुए) के अनुभाग 7451 को लागू करना, जैसा कि मतदाताओं द्वारा जोड़ा गया है, सक्षम अधिकार-क्षेत्र के किसी भी न्यायालय के निर्णय द्वारा किसी भी कारण से अमान्य होने पर, वह निर्णय इस अध्याय के बाकी प्रावधानों पर पूरी तरह लागू होगा, और इस अध्याय के किसी भी प्रावधान को मान्य या कानून की शक्ति द्वारा दिया गया नहीं माना जाएगा।

अनुभाग 2. राजस्व और कराधान कोड (Revenue and Taxation Code) के अनुभाग 17037 को इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया गया है:

17037. इस भाग से संबंधित अन्य कोड या सामान्य कानूनों में प्रावधानों में निम्नलिखित सभी शामिल हैं:

(a) कर तैयार करने वालों से संबंधित, व्यवसाय और पेशे की कोड, के प्रभाग 3 का अध्याय 20.6 (अनुभाग 9891 से शुरू होते हुए)

(b) फ्रेंचाइज़ी और आमदनी कर कानूनों के प्रशासन से संबंधित, भाग 10.2 (अनुभाग 18401 से शुरू होते हुए)।

(c) संपत्ति कर सहायता और स्थगन कानून से संबंधित, भाग 10.5 (अनुभाग 20501 से शुरू होते हुए)।

(d) करदाताओं के अधिकारों के विधेयक से संबंधित, भाग 10.7 (अनुभाग 21001 से शुरू होते हुए)।

(e) कॉर्पोरेशन कर कानून से संबंधित, भाग 11 (अनुभाग 23001 से शुरू होते हुए)।

(f) फ्रेंचाइज़ी कर मंडल से संबंधित, अनुभाग 15700 से 15702.1, सरकारी कोड सहित।

(g) व्यवसाय और पेशे की कोड के खंड 3 के अध्याय 10.5 का अनुच्छेद 8 (अनुभाग 7464.5 से शुरू होते हुए)।

अनुभाग 3. परस्पर-विरोधी कार्यवाही।

(a) इस पहल उपाय और अन्य मतपत्र संबंधी उपाय या उपायों के, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से, कर्मचारी वर्गीकरण से निपटने की स्थिति में, ऐप-आधारित ड्राइवरों के मुआवजे, या लाभ पूरे राज्य में समान चुनाव मतपत्र पर दिखेंगे, अन्य मतपत्र संबंधी उपाय या उपायों को इस उपाय के परस्पर विरोध में माना जाएगा। यदि इस पहल उपाय को अधिक पुष्टिकारक वोट प्राप्त होते हैं, तो इस उपाय के प्रावधान पूरी तरह से प्रबल होंगे, और अन्य मतदान उपाय या उपायों या के प्रावधानों को अमान्य माना जाएगा।

(b) यदि यह पहल उपाय मतदाताओं द्वारा अनुमोदित किया गया है, लेकिन उसी चुनाव में मतदाताओं द्वारा अनुमोदित किसी भी अन्य विरोधाभासी मतदान उपाय द्वारा पूरे या कुछ हिस्सों में अतिक्रमण किया जाता है, और इस तरह के विरोधाभासी उपाय को बाद में अमान्य रखा गया है, तो यह उपाय स्वयं-कार्यान्वित होगा और इसे संपूर्ण बल और प्रभाव दिया जाएगा।

अनुभाग 4. कानूनी बचाव।

इस अनुभाग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मतदाताओं की इच्छा का बचाव करने से इन्कार करने वाले राज्य के राजनेताओं द्वारा मतदाताओं के बहुमूल्य अधिकार को अनुचित तरीके से खारिज न किया जा सके। इसलिए, यदि यह अधिनियम California राज्य के मतदाताओं द्वारा अनुमोदित किया जाता है और उसके बाद एक कानूनी चुनौती के अधीन होता है, जो इस अधिनियम के दायरे या अमल को किसी भी तरह से सीमित करने का प्रयास करता है, या आरोप लगाता है कि यह अधिनियम पूरे या आंशिक रूप से, किसी भी स्थानीय, राज्य या संघीय कानून का उल्लंघन करता है और राज्यपाल और महान्यायवादी, दोनों इस अधिनियम का बचाव करने से इनकार करते हैं, तो फिर निम्नलिखित कार्रवाई की जाएगी:

(a) सरकारी कोड या किसी अन्य कानून के भाग 2 के प्रभाग 3 के शीर्षक 2 के अध्याय 6 (अनुभाग 12500 से शुरू करते हुए) के विपरीत कुछ भी होने के बावजूद, महान्यायवादी, California राज्य की ओर से, इस अधिनियम की रक्षा और इसके सख्ती से बचाव लिए स्वतंत्र वकील नियुक्त करेगा।

(b) स्वतंत्र वकील नियुक्त करने या उसके बाद, महान्यायवादी स्वतंत्र वकील की योग्यता का निर्धारण करने में उचित परिश्रम करेगा और स्वतंत्र वकील से लिखित पुष्टि प्राप्त करेगा कि स्वतंत्र वकील ईमानदारी से और सख्ती से इस अधिनियम का बचाव करेंगे। अनुरोध पर लिखित अभिकथन सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।

(c) ऐसे मामलों में इस अधिनियम की रक्षा का समर्थन करने के लिए जहां राज्यपाल और महान्यायवादी मतदाताओं की इच्छा के बावजूद ऐसा करने में विफल रहते हैं, एक निरंतर विनियोजन है जिससे कि सामान्य निधि से नियंत्रक को वित्तीय वर्ष की परवाह किए बिना किया जाता है। स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र वकील को बनाए रखने की लागत को कवर करने के लिए आवश्यक राशि में और California राज्य की ओर से इस अधिनियम का सख्ती से बचाव करना।

अनुभाग 5. उदार गठन।

अपने उद्देश्यों को प्रभावी बनाने के लिए इस अधिनियम को उदारतापूर्वक समझा जाएगा।

प्रस्ताव 23

यह पहल उपाय California के संविधान के अनुच्छेद II के अनुभाग 8 के प्रावधानों के अनुसार लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

यह पहल विधेयक स्वास्थ्य और सुरक्षा संहिता में अनुभाग जोड़ता है; इसलिए, जोड़े जाने के लिए प्रस्तावित नए प्रावधान, यह दर्शाने के लिए कि वे नए हैं, *तिरछे टाइप* में छापे गए हैं।

प्रस्तावित कानून

अनुभाग 1. नाम

इस अधिनियम को "डायलिसिस मरीज़ों के जीवन की रक्षा अधिनियम (Protect the Lives of Dialysis Patients Act)" के रूप में जाना जाएगा।

अनुभाग 2. निष्कर्ष और उद्देश्य।

California राज्य के लोगों द्वारा अपनाया गया यह अधिनियम, निम्नलिखित निष्कर्ष निकालता है और निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करता है:

(a) लोग निम्नलिखित निष्कर्ष निकालते हैं:

22

23

(1) किडनी डायलिसिस एक जीवन रक्षक प्रक्रिया है जिसमें रक्त को किसी व्यक्ति के शरीर से निकाला जाता है, विषाक्त पदार्थों को साफ़ किया जाता है और फिर मरीज़ के शरीर में पहुंचा दिया जाता है। इसे कई घंटों के एक सत्र में, सप्ताह में कम से कम तीन बार किया जाना चाहिए, और मरीज़ को अपने जीवन के बचे हुए हिस्से या जब तक गुर्दा प्रत्यारोपण नहीं होता है तब तक उपचार जारी रखना होता है।

(2) California में, लगभग 70,000 लोग डायलिसिस उपचार करवाते हैं।

(3) California में केवल दो बहुराष्ट्रीय, लाभकारी निगम लगभग तीन-चौथाई डायलिसिस क्लीनिक संचालित या प्रबंधित करते हैं और California में लगभग 75 प्रतिशत डायलिसिस मरीज़ों का इलाज करते हैं। ये दोनों बहुराष्ट्रीय निगम अपने डायलिसिस कार्यों से प्रतिवर्ष अरबों डॉलर कमाते हैं, जिसमें अकेले California से $350 मिलियन से अधिक कमाते हैं।

(4) डायलिसिस प्रक्रिया और उपचार के दुष्प्रभावों से मरीज़ों को कई ख़तरे पेश आते हैं और California में कई डायलिसिस क्लीनिक देखभाल के उचित मानकों को बनाए रखने में विफल रहे हैं। उचित मानकों को बनाए रखने में विफलता से मरीज़ को नुकसान पहुंचाए, अस्पताल में भर्ती होना और यहां तक कि मौत भी हो सकती है।

(5) मौजूदा में डायलिसिस क्लीनिक को गुणवत्ता वाली देखरेख, मरीज़ की देखरेख की योजना के उचित पालन को सुनिश्चित करने और सुरक्षा प्रोटोकॉल की निगरानी के लिए साइट पर एक डॉक्टर को रखना आवश्यक नहीं है। जब भी डायलिसिस उपचार प्रदान किया जा रहा हो, तब मरीज़ों के लिए साइट पर एक चिकित्सक उपलब्ध होना चाहिए।

(6) डायलिसिस उपचार में सीधे रक्तप्रवाह तक पहुंच होती है, जो मरीज़ों को खतरनाक संक्रमण होने के खतरे में डालती है। संक्रमण दर की उचित रिपोर्टिंग और पारदर्शिता क्लीनिकों को गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करती है और मरीज़ों को उनकी देखभाल के लिए सर्वोत्तम विकल्प बनाने में मदद करती है।

(7) जब अस्पताल और नर्सिंग होम जैसी स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं बंद हो जाती हैं, तो California नियामक मरीज़ों को नुकसान से बचाने के लिए कदम उठा सकते हैं। इसी तरह, डायलिसिस क्लीनिक बंद होने पर कमज़ोर मरीज़ों को मज़बूत सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए।

(8) California में किडनी डायलिसिस मरीज़ों के लिए सुरक्षा उपायों को लागू करने के प्रयासों के खिलाफ़ डायलिसिस कॉर्पोरेशनों ने मिलकर 2018 और 2019 में California के मतदाताओं और विधान मंडल को प्रभावित करने के लिए $100 मिलियन से अधिक खर्च किया है।

(b) उद्देश्य:

(1) इस अधिनियम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आउट पेशेंट किडनी डायलिसिस क्लीनिक अंतिम चरण के किडनी की बीमारी से पीड़ित लोगों को गुणवत्ता और सस्ती मरीज़ देखभाल प्रदान करे।

(2) इस अधिनियम का उद्देश्य राज्य के कार्यान्वयन और प्रशासन के लिए बजट तटस्थ होना है।

अनुभाग 3. अनुभाग 1226.7 को स्वास्थ्य और सुरक्षा कोड में इस प्रकार पढ़े जाने के लिए जोड़ा गया है:

1226.7. (a) दीर्घकालिक डायलिसिस क्लीनिक बिना यह जाने कि मरीज के इलाज का भुगतान करने के लिए ज़िम्मेदार कौन है, सभी मरीज़ों को देखभाल की समान गुणवत्ता प्रदान करेगा। इसके अलावा, कोई भी दीर्घकालिक डायलिसिस क्लीनिक मरीज के इलाज का भुगतान करने के लिए कौन ज़िम्मेदार है, उसके आधार पर उसे इलाज की पेशकश और उसकी देखभाल से इन्कार नहीं करेगा। इस तरह के निषिद्ध भेदभाव में इस आधार पर भेदभाव की भुगतानकर्ता एक व्यक्तिगत मरीज़, निजी इकाई, बीमाकर्ता, Medi-Cal, Medicaid या Medicare है, शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है। यह अनुभाग एक दीर्घकालिक डायलिसिस क्लिनिक के शासी निकाय पर भी लागू होगा, जो यह सुनिश्चित करेगा कि इस अनुभाग द्वारा निषिद्ध कोई भी भेदभाव शासी निकाय के स्वामित्व या संचालन वाले किसी क्लीनिक पर भी ना हो।

(b) परिभाषाएं:

(1) "दीर्घकालिक डायलिसिस क्लिनिक" का वही अर्थ है जो अनुभाग 1204 में दिया गया है।

(2) "शासी निकाय" का अर्थ है एक व्यक्ति, फ़र्म, संगठन, साझेदारी, निगम, या अन्य इकाई जो एक दीर्घकालिक डायलिसिस क्लिनिक का मालिक है या उसे संचालित करता है जिसके लिए एक लाइसेंस जारी किया गया है, चाहे वह लाइसेंस वह व्यक्ति या संस्था खुद प्रत्यक्ष रूप से रखती हो।

अनुभाग 4. अनुभाग 1226.8 को स्वास्थ्य और सुरक्षा कोड में इस प्रकार पढ़े जाने के लिए जोड़ा गया है:

1226.8. (a) हर दीर्घकालिक डायलिसिस क्लीनिक को दीर्घकालिक डायलिसिस क्लिनिक के खर्च पर, कम से कम एक लाइसेंस प्राप्त चिकित्सक को हर समय केंद्र पर डायलिसिस मरीज़ों का इलाज करने के लिए मौजूद होना होगा। इस चिकित्सक पर मरीज़ की सुरक्षा और चिकित्सा देखभाल के प्रावधान और गुणवत्ता को निर्देशित करने का अधिकार और ज़िम्मेदारी होगी।

(1) एक दीर्घकालिक डायलिसिस क्लीनिक केवल योग्य चिकित्सक की प्रामाणिक कमी के आधार पर इस उपखंड (a) से अपवाद प्राप्त करने के लिए विभाग से आवेदन कर सकता है। इस तरह के दिखाने पर, विभाग, किसी क्लीनिक को तब अनुभाग (a) से अपवाद दे सकता है जब क्लीनिक में डायलिसिस के मरीज़ों के इलाज के समय एक लाइसेंस प्राप्त चिकित्सक, एक नर्स, या एक चिकित्सक में से कोई उपलब्ध हो।

(2) परिच्छेद (1) के अनुसरण में विभाग द्वारा दिए गए अपवाद की अवधि उस तिथि से एक कैलेंडर वर्ष होगी जिस दिन क्लिनिक को विभाग के निर्धारण की सूचना दी जाती है।

(b) हर दीर्घकालिक डायलिसिस क्लिनिक के लिए, क्लिनिक या इसकी शासी इकाई, विभाग को रिपोर्ट, अनुसूची और डायलिसिस क्लिनिक स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित संक्रमण ("डायलिसिस क्लिनिक HAI") डेटा, जो कि घटना और प्रकार सहित, पर जारी करेगी, जो California में प्रत्येक दीर्घकालिक डायलिसिस क्लिनिक में डायलिसिस क्लिनिक HAI और विभाग के रूप में ऐसी अन्य जानकारी डायलिसिस क्लिनिक HAI दरों पर पारदर्शिता प्रदान करने और मरीज़ सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त होगी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी या क्लिनिक या शासी निकाय के अन्य प्रमुख अधिकारी, समीक्षा के बाद अधिकारी द्वारा संतुष्ट होने पर झूठे साक्ष्य पेश करने के दंड के तहत प्रमाणित करेंगे कि विभाग

23

को सौंपी गई डायलिसिस क्लिनिक HAI रिपोर्ट सटीक और पूर्ण है। विभाग अपनी इंटरनेट वेबसाइट पर डायलिसिस क्लिनिक के HAI डेटा को इस रिपोर्ट से, उसी स्तर पर विस्तार से पोस्ट करेगा जैसा कि रिपोर्ट में दिया गया है। पोस्ट की गई जानकारी में हर दीर्घकालिक डायलिसिस क्लिनिक की शासी इकाई की पहचान करने वाली जानकारी शामिल होगी।

(1) इस उपखंड की आवश्यकताओं के अनुसार विभाग को रिपोर्ट करने के अलावा, दीर्घकालिक डायलिसिस क्लीनिक राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल सुरक्षा नेटवर्क की आवश्यकताओं और प्रक्रियाओं के अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल सुरक्षा नेटवर्क को डायलिसिस क्लिनिक के HAI डेटा की रिपोर्ट करेगा।

(2) अगर विभाग निर्धारित करता है कि कोई दीर्घकालिक डायलिसिस क्लिनिक या शासी इकाई सूचना को बनाए रखने या इस उपखंड के तहत आवश्यक रिपोर्ट को समय पर प्रस्तुत करने में विफल रहा है, या प्रस्तुत की गई रिपोर्ट ग़लत या अपूर्ण थी, तो विभाग दीर्घकालिक डायलिसिस क्लिनिक या शासी निकाय के खिलाफ़ कम एस कम एक लाख डॉलर($100,000) दंड का आंकलन करेगा। विभाग उल्लंघन की गंभीरता, अशुद्धि या छोड़ी गई जानकारी की भौतिकता, और उल्लंघन के लिए स्पष्टीकरण की शक्ति के आधार पर दंड की मात्रा निर्धारित करेगा। इस परिच्छेद के अनुसरण में एकत्र की गई दंड राशि का उपयोग विभाग द्वारा दीर्घकालिक डायलिसिस क्लीनिकों को नियंत्रित करने वाले कानूनों को क्रियान्वित और लागू करने के लिए किया जाएगा।

(c) परिभाषाएं इस अनुभाग के उद्देश्यों के लिए:

(1) “दीर्घकालिक डायलिसिस क्लिनिक" का वही अर्थ है जो अनुभाग 1204 में दिया गया है।

(2) "डायलिसिस क्लिनिक HAI" का अर्थ है एक रक्तप्रवाह संक्रमण, स्थानीय पहुंच साइट संक्रमण, या डायलिसिस घटना से संबंधित संवहनी पहुंच संक्रमण, जो कि रोग नियंत्रण और रोकथाम के लिए संघीय स्वास्थ्य केंद्र के राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल सुरक्षा नेटवर्क द्वारा परिभाषित है, या कोई उपयुक्त अतिरिक्त या वैकल्पिक विकल्प जो कि विभाग के विनियमन द्वारा परिभाषित है।

(3) "शासी निकाय" का वही अर्थ होगा जो अनुभाग 1226.7 में दिया गया है।

(4) "लाइसेंस प्राप्त चिकित्सक" का अर्थ है व्यवसाय और पेशे कोड के प्रभाग 2 के अध्याय 5 (अनुभाग 2000 से शुरू करते हुए) के अनुसार राज्य द्वारा लाइसेंस प्राप्त एक नेफ़्रोलॉजिस्ट या अन्य चिकित्सक।

(5) "राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल सुरक्षा नेटवर्क" का मतलब है, सुरक्षित, इंटरनेट-आधारित प्रणाली, जिसे रोग नियंत्रण और रोकथाम के लिए संघीय केंद्रों द्वारा विकसित और प्रबंधित किया जाता है, जो HAI की घटनाओं और प्रक्रिया उपायों से संबंधित जोखिम-समायोजित डायलिसिस क्लिनिक HAI डेटा की रिपोर्ट करता है, जो इन संक्रमणों, या किसी भी उत्तराधिकारी डेटा संग्रह प्रणाली को रोकने के लिए लागू किया गया है जो एक ही उद्देश्य को पूरा करता है।

(6) "नर्स प्रैक्टिशनर" का अर्थ है बिजनेस और प्रोफेशन्स कोड के प्रभाग 2 के अध्याय 6 (अनुभाग 2700 से शुरू करते हुए) के अनुसरण में लाइसेंसधारी पंजीकृत नर्स जिसे पंजीकृत नर्सिंग मंडल द्वारा नर्स प्रैक्टिशनर के रूप में प्रमाणित किया गया है।

(7) "लाइसेंस प्राप्त चिकित्सक" का अर्थ है व्यवसाय और पेशे कोड के प्रभाग 2 के अध्याय 7.7 (अनुभाग 3500 से शुरू) के अनुसरण में राज्य द्वारा लाइसेंस प्राप्त एक नेफ़्रोलॉजिस्ट या अन्य चिकित्सक।

अनुभाग 5. अनुभाग 1226.9 को स्वास्थ्य और सुरक्षा कोड में इस प्रकार पढ़े जाने के लिए जोड़ा गया है:

1226.9. (a) किसी दीर्घकालिक डायलिसिस क्लिनिक को बंद करने से पहले, या दीर्घकालिक डायलिसिस क्लिनिक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के स्तर को कम करने या समाप्त करने से पहले, क्लिनिक या इसकी शासी इकाई को विभाग को लिखित सूचना प्रदान करना और लिखित सहमति प्राप्त करना होगा।

(b) विभाग के पास किसी भी प्रस्तावित सेवा को बंद करने की सहमति देने, कम करने या समाप्त करने के लिए सशर्त सहमति देने, या सहमति नहीं देने का विवेकाधिकार होगा। इसका निर्धारण करने में, विभाग क्लिनिक, उसकी शासी इकाई, और किसी भी अन्य इच्छुक पार्टी द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी को ध्यान में रख सकता है, और विभाग द्वारा प्रासंगिक किसी भी कारक पर विचार किया जाएगा, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है:

(1) प्रभावित समुदाय के लिए स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की उपलब्धता और पहुंच पर प्रभाव शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है, मरीज़ों की देखभाल के लिए क्लिनिक की विस्तृत योजना तक निर्बाध पहुंच होगी।

(2) क्लिनिक या शासी निकाय द्वारा क्लिनिक के स्वामित्व या संचालन को दूसरी इकाई को बेचने, लीज़, या अन्यथा में स्थानांतरित करने के अच्छे प्रयासों के साक्ष्य जो पुरानी डायलिसिस देखभाल प्रदान करेगा।

(3) क्लिनिक और इसके शासी निकाय के वित्तीय संसाधन।

(c) परिभाषाएं:

(1) “डायलिसिस क्लिनिक" का वही अर्थ है जो अनुभाग 1204 में दिया गया है।

(2) "शासी निकाय" का वही अर्थ है जो अनुभाग 1226.7 में दिया गया है।

अनुभाग 6. अनुभाग 1226.10 को स्वास्थ्य और सुरक्षा कोड में इस प्रकार पढ़े जाने के लिए जोड़ा गया है:

1226.10. (a) यदि कोई दीर्घकालिक डायलिसिस क्लिनिक या शासी निकाय अनुभाग 1226.8 या 1226.9 के अनुसार विभाग द्वारा एक विवाद का निर्धारण करता है, तो दीर्घकालिक डायलिसिस क्लिनिक या शासी निकाय अनुभाग 131071 के अनुसरण में 10 कार्य दिवसों के भीतर सुनवाई के लिए अनुरोध कर सकता है। जब सभी अपीलें समाप्त हो जाएंगी और विभाग की स्थिति कायम रहेगी तब दीर्घकालिक डायलसिस क्लिनिक या प्रशासी निकाय सभी प्रशासकीय दंड राशियों का भुगतान करेगा।

(b) परिभाषाएं:

(1) “ डायलिसिस क्लिनिक" का वही अर्थ है जो अनुभाग 1204 में दिया गया है।

23

(2) "शासी निकाय" का वही अर्थ है जो अनुभाग 1226.7 में दिया गया है।

अनुभाग 7. अनुभाग 1266.3 को स्वास्थ्य और सुरक्षा कोड में इस प्रकार पढ़े जाने के लिए जोड़ा गया है:

1266.3. लोगों का आशय है कि California के करदाता डायलिसिस मरीज़ों की जीवन सुरक्षा अधिनियम के उचित मूल्य के क्रियान्वयन और लागू करने के लिए वित्तीय रूप से ज़िम्मेदार न हों। इस आशय को सिद्ध करने के लिए, अनुभाग 1266 के अनुसरण में दीर्घकालिक डायलिसिस क्लीनिकों पर लगाए गए शुल्कों की गणना, आकलन और संग्रह करते समय, विभाग अनुभाग 1226.7 से 1226.10 को क्रियान्वित और लागू करने से जुड़ी सभी लागतों को ध्यान में रखेगा।

अनुभाग 8. इस अधिनियम में कुछ भी स्वास्थ्य और सुरक्षा कोड की अनुभाग 1250 के उपखंड (a), (b) या (f) के अनुरूप लाइसेंस प्राप्त स्वास्थ्य सुविधाओं को प्रभावित करने का इरादा नहीं रखता है।

अनुभाग 9. (a) राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग अधिनियम की प्रभावी तारीख के बाद एक वर्ष के भीतर, इस अधिनियम के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा कोड के अनुभाग 1226.8 और 1226.9 को लागू करने वाले नियमों को अपनाएगा।

(b) यदि विभाग अधिनियम की प्रभावी तारीख के बाद एक वर्ष के भीतर आवश्यक अंतिम विनियमों को अपनाने में असमर्थ है, तो आपातकालीन कार्यान्वयन विनियमों को अपनाना एक आपातकाल माना जाएगा और सार्वजनिक शांति, स्वास्थ्य, सुरक्षा, या सामान्य कल्याण के तत्काल संरक्षण के लिए आवश्यक है, जिस स्थिति में विभाग प्रारंभिक आपातकालीन कार्यान्वयन विनियमों को अधिनियम की प्रभावी तारीख के बाद एक वर्ष से अधिक समय तक नहीं अपनाएगा, या उसके बाद जैसे ही ऐसा करना व्यावहारिक होगा। यदि इस तरह के आपातकालीन नियमों को अपनाया जाता है, तो आपातकालीन विनियम समाप्त होने तक विभाग आवश्यक अंतिम विनियमों को अपनाएगा।

अनुभाग 10. California के संविधान के अनुच्छेद II के अनुभाग 10 के उपखंड (c) के अनुसरण में, इस अधिनियम को राज्यव्यापी चुनाव में लोगों के वोट के लिए प्रस्तुत किए जाने के बाद से विधेयक द्वारा या विधान मंडल द्वारा वैध रूप से पारित किए गए और राज्यपाल द्वारा हस्ताक्षरित कानून द्वारा संशोधित किया जा सकता है, परंतु सिर्फ अधिनियम के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए।

अनुभाग 11. (a) डायलिसिस की कार्य परिस्थितियों से संबंधित इस पहल विधेयक और कोई और पहल विधेयक या विधेयकों (पुराने डायलिसिस क्लीनिकों का विनियमन या डायलिसिस मरीज़ों के उपचार और देखभाल सहित, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है) को राज्यव्यापी चुनाव मतपत्र पर दिखाया जाएगा, एवं अन्य पहल के विधेयक या विधेयकों को इस विधेयक के साथ प्रतिकूल माना जाएगा। यदि इस अधिनियम को अधिक सकारात्मक वोट प्राप्त होते हैं, तो इस अधिनियम के प्रावधान पूरी तरह से प्रबल होंगे और अन्य विधेयक या विधेयकों के प्रावधानों को अमान्य माना जाएगा।

(b) यदि यह पहल विधेयक मतदाताओं द्वारा अनुमोदित किया गया है, लेकिन उसी चुनाव में मतदाताओं द्वारा अनुमोदित किसी भी अन्य विरोधाभासी पहल विधेयकों द्वारा पूरे या कुछ हिस्सों में इसका स्थान लेता है और इस तरह की विरोधाभासी पहल को बाद में अमान्य माना जाता है, तो यह विधेयक स्व-कार्यान्वित होगा और इसे संपूर्ण बल और प्रभाव दिया जाएगा।

अनु. 12. इस अधिनियम के प्रावधान अलग किए जा सकने योग्य हैं। यदि इस अधिनियम का कोई प्रावधान या इसका विनियोग अवैध पाया जाता है, तो वह अवैधता अन्य प्रावधानों या विनियोगों को प्रभावित नहीं करेगी, जिसे अवैध प्रावधानों या विनियोग के बिना लागू किया जा सकता है। California राज्य के लोग इसके द्वारा घोषणा करते हैं कि वे इस अधिनियम को अपनाएंगे और हर भाग, खंड, उपखंड, परिच्छेद, अनुभाग, वाक्य, वाक्यांश, शब्द और आवेदन जिसे अमान्य या असंवैधानिक घोषित नहीं किया जाएगा, चाहे इस अधिनियम का कोई भी हिस्सा या उसके कार्यान्वयन को बाद में अवैध घोषित किया जाए।

प्रस्ताव 24

यह पहल उपाय California के संविधान के परिच्छेद II के अनुभाग 8 के प्रावधानों के अनुसार लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

यह पहल नागरिक कोड के अनुभागों में संशोधन एवं अनुवृद्धि करती है; इसलिए, हटाए जाने के लिए प्रस्तावित मौजूदा प्रावधान ~~स्ट्राइकआउट प्रकार~~ में मुद्रित किए जाते हैं और जोड़े जाने वाले नए प्रावधान *तिरछे प्रकार* में मुद्रित किए जाते हैं ताकि यह बताया जा सके कि वे नए हैं।

प्रस्तावित कानून

2020 का California निजता अधिकार अधिनियम
(California Privacy Rights Act of 2020)

अनुभाग 0.5: विषय-सूची

अनुभाग 1: शीर्षक: 2020 का California निजता अधिकार अधिनियम

अनुभाग 2: निष्कर्ष एवं घोषणाएं

अनुभाग 3: उद्देश्य एवं आशय

A. उपभोक्ता अधिकार

B. व्यवसायों की ज़िम्मेदारियां

C. कानून का कार्यान्वयन

अनुभाग 4: व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करने वाले व्यवसायों के सामान्य कर्तव्य

अनुभाग 5: व्यक्तिगत जानकारी को हटाने संबंधी उपभोक्ता का अधिकार

अनुभाग 6: गलत व्यक्तिगत जानकारी को सही करने संबंधी उपभोक्ता का अधिकार

अनुभाग 7: एकत्र की जा रही व्यक्तिगत जानकारी को जानने संबंधी उपभोक्ता का अधिकार। व्यक्तिगत जानकारी तक पहुंच का अधिकार

अनुभाग 8: कौन सी व्यक्तिगत जानकारी बेची या साझा की जाती है और किसके साथ, यह जानने का उपभोक्ता का अधिकार

अनुभाग 9: व्यक्तिगत जानकारी की बिक्री या साझाकरण से बाहर निकलने का उपभोक्ता का अधिकार

अनुभाग 10: संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी के उपयोग और प्रकटीकरण को सीमित करने संबंधी उपभोक्ता का अधिकार

23
24

अनुभाग 11: बाहर निकलने या अन्य अधिकारों के इस्तेमाल के बाद प्रतिशोध न लिए जाने संबंधी उपभोक्ता का अधिकार
अनुभाग 12: सूचना, प्रकटीकरण, सुधार और विलोपन संबंधी आवश्यकताएँ
अनुभाग 13: व्यक्तिगत जानकारी की बिक्री, साझाकरण और उपयोग को सीमित करने और संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी के उपयोग के तरीके
अनुभाग 14: परिभाषाएं
अनुभाग 15: छूटें
अनुभाग 16: व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षा उल्लंघन
अनुभाग 17: प्रशासनिक प्रवर्तन
अनुभाग 18: उपभोक्ता निजता निधि
अनुभाग 19: परस्पर-विपरीत प्रावधान
अनुभाग 20: पूर्वक्रय अधिकार
अनुभाग 21: विनियमन
अनुभाग 22: आनाकानी विरोधी
अनुभाग 23: त्याग
अनुभाग 24: California निजता संरक्षण एजेंसी का संस्थापन
अनुभाग 25: संशोधन
अनुभाग 26: विच्छेदनीयता
अनुभाग 27: परस्पर-विरोधी पहल
अनुभाग 28: आधार
अनुभाग 29: विधान
अनुभाग 30: बचत का परिच्छेद
अनुभाग 31: प्रभावी और प्रभावशील तिथियां

अनुभाग. 1. शीर्षक।

इस उपाय को "California निजता अधिकार अधिनियम 2020 (California Privacy Rights Act of 2020)" के रूप में जाना जाएगा और उद्धृत किया जा सकता है।

अनुभाग 2. निष्कर्ष एवं घोषणाएं।

California राज्य के लोग जैसा नीचे दिया गया है वैसा सम्पूर्ण रूप से पाते हैं और घोषित करते हैं:

A. 1972 में, California के मतदाताओं ने California के संविधान में संशोधन करके सभी लोगों के "अहस्तांतरणीय" अधिकारों के बीच निजता का अधिकार शामिल किया था। मतदाताओं ने आधुनिक समाज में डेटा संग्रह और उपयोग के कारण व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सुरक्षा में तेजी से बढ़ते अतिक्रमण की प्रतिक्रिया स्वरुप ऐसा अधिनियमित किया था। संशोधन ने प्रत्येक California वासी के लिए निजता का कानूनी और प्रवर्तनीय संवैधानिक अधिकार स्थापित किया। निजता के इस अधिकार का आधार लोगों की अपनी व्यक्तिगत जानकारी की बिक्री समेत उपयोग को नियंत्रित करने की क्षमता है।

B. चूंकि California के मतदाताओं ने निजता के संवैधानिक अधिकार को मंजूरी दी, California विधान मंडल ने California वासियों की निजता को सुरक्षित रखने के लिए विशिष्ट तंत्र को अपनाया है, जिसमें ऑनलाइन निजता संरक्षण अधिनियम (Online Privacy Protection Act), डिजिटल वर्ल्ड अधिनियम (Digital World Act) और Shine the Light में California के नाबालिगों के लिए निजता अधिकार शामिल हैं, लेकिन उपभोक्ताओं को यह जानने का कोई अधिकार नहीं था कि किसी व्यवसाय ने उनके बारे में कौन सी व्यक्तिगत जानकारी एकत्र की है और उन्होंने इसका उपयोग कैसे किया है और न ही उनके पास व्यवसायों को उनकी व्यक्तिगत जानकारी को बेचने से रोकने का अधिकार था।

C. यह सब 2018 में बदला, जब 629,000 से अधिक California के मतदाताओं ने California उपभोक्ता निजता अधिनियम 2018 को मतदान किए जाने योग्य बनाने के लिए याचिकाओं पर हस्ताक्षर किए। इस उपाय को नैतिक शक्ति देने के लिए विधान मंडल ने California उपभोक्ता निजता अधिनियम 2018 (California Consumer Privacy Act of 2018, CCPA) को कानून में बदला। CCPA California के उपभोक्ताओं को यह जानने का अधिकार देता है कि व्यवसाय ने उनके बारे में क्या जानकारी एकत्र की है, उनकी निजी जानकारी हटाने, व्यवसायों को उनकी व्यक्तिगत जानकारी बेचने से रोकने समेत इसका उपयोग उनको इंटरनेट ब्राउज करते समय एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट में बार-बार आने वाले विज्ञापनों के द्वारा उन्हें परेशान करने से रोकने और यदि वे अपनी व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा के लिए उचित कदम नहीं उठाते हैं, तो व्यवसायों को जवाबदेह बनाने का अधिकार देता है।

D. CCPA के प्रभावी होने से पहले भी, विधान मंडल ने कानून में संशोधन करने के लिए 2019 में कई बिलों पर विचार किया, जिनमें से कुछ ने इसे काफी कमजोर कर दिया होता। जब तक California के मतदाता कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, तो कड़ी मेहनत से लड़कर जीते गए उपभोक्ताओं के अधिकार भविष्य के कानून द्वारा कमज़ोर किए जा सकते हैं।

E. निजता अधिकारों को कम करने के बजाय, California को समय के साथ उन्हें मजबूत बनाना चाहिए। कई व्यवसाय उपभोक्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करते हैं और उनका उपयोग करते हैं, कई बार उपभोक्ताओं को इस बात की जानकारी नहीं होती की व्यवसाय उनकी व्यक्तिगत जानकारी का क्या उपयोग करते हैं और उसे अपने पास क्यों रखते हैं। नित्य प्रयोग में, उपभोक्ता अक्सर अनुबंध की ऐसी व्यवस्था में प्रवेश करते हैं, जिसमें हालांकि वो किसी सामान या सेवा के लिए पैसे नहीं देते हैं, वे उस सामान या सेवा का उपयोग अपने ध्यान या अपनी निजी जानकारी तक पहुंच के बदले करते है। चूंकि सामान या सेवा के लिए जिस व्यक्तिगत जानकारी का वे आदान-प्रदान करते हैं, उसका मूल्य अक्सर व्यवसाय के कार्य व्यवहार के आधार पर अस्पष्ट होता है, अतः उपभोक्ताओं के पास अक्सर लेनदेन को आंकने का कोई बेहतर तरीका नहीं होता है। इसके अलावा, समझौते या नीतियों की शर्तें जिनमें प्रक्रिया लिखी जाती हैं, वे अक्सर जटिल और अस्पष्ट होती हैं और परिणामस्वरूप, अधिकांश उपभोक्ताओं के पास उन्हें पढ़ने या समझने का कभी समय ही नहीं होता है।

F. जानकारी की यह विषमता उपभोक्ताओं के लिए यह समझना मुश्किल बना देती है कि वे क्या आदान-प्रदान कर रहे हैं और इसलिए व्यवसायों के साथ प्रभावी ढंग से बातचीत करना उनके लिए कठिन हो जाता है। अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों के विपरीत जहां उपभोक्ता खरीदारियों की तुलना कर सकते हैं या एक नज़र में समझ सकते हैं कि सामान या सेवा महंगी या सस्ती है, उपभोक्ता के लिए यह पता लगाना मुश्किल है कि किसी भी व्यवसाय के लिए उपभोक्ता

की जानकारी कितनी महत्वपूर्ण है, जब व्यवसायों के मध्य डेटा के उपयोग की कार्य प्रणालियों में इतना व्यापक अंतर हो।

G. इसलिए राज्य का ऐसे कानूनों को लागू करने में हित है, जो उपभोक्ताओं को पूरी तरह से समझने में मदद करें कि उनकी जानकारी का उपयोग किस तरह से और किस उद्देश्य से किया जा रहा है। जिस प्रकार से खाद्य पदार्थों पर लगे अवयव लेबल उपभोक्ताओं को अधिक प्रभावी ढंग से खरीदारी करने में मदद करते हैं, उसी प्रकार डेटा प्रबंधन कार्य प्रणालियों के बारे में प्रकटीकरण उपभोक्ताओं को डेटा अर्थव्यवस्था में अधिक जानकारी युक्त प्रतिभागी बनने और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने में मदद करेगा। इसके अलावा, यदि कोई उपभोक्ता किसी व्यवसाय को अपने डेटा को न बेचने के लिए कह सकता है तो उस उपभोक्ता को यह देखने के लिए कि क्या वास्तव में उस डेटा को बेचा जा रहा है, किसी निजता नीति को बारीकी से देखना नहीं पड़ेगा और परिणामस्वरूप बहुत से समय और धन की बचत होती है।

H. उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए व्यवसायों के साथ बातचीत करते समय उन्हें बराबरी की स्थिति में रखने के लिए मजबूत कानूनों की आवश्यकता है। उपभोक्ताओं को अपनी व्यक्तिगत जानकारी के उपयोग की स्पष्ट व्याख्या का हकदार होना चाहिए, जिसमें यह भी शामिल है कि विज्ञापन के लिए इसका उपयोग कैसे किया जाता है और व्यवसायों को अपनी संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी के उपयोग को सीमित करने की अनुमति देकर, इसे नियंत्रित, सही या इसे हटा सकें जिससे उपभोक्ताओं को पहचान की चोरी से सुरक्षा में मदद के लिए, उनकी व्यक्तिगत जानकारी की बिक्री या साझाकरण से बाहर रहने और उनके बारे में गलत जानकारी को सही करने का अनुरोध व्यवसायों से कर सकें।

I. California कई नई तकनीकों में विश्व में अग्रणीय है जिन्होंने हमारे समाज को नया रूप दिया है। इंटरनेट के बिना आज दुनिया की कल्पना नहीं की जा सकती है, यह मानव इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण आविष्कारों में से एक है और कई नई सेवाएं और व्यवसाय जो इसके उपरांत विकसित हुए, जिनमें से कई का आविष्कार यहां California में किया गया था। इंटरनेट के लिए सबसे सफल व्यवसाय मॉडल में से एक ऐसी सेवाएं रही हैं जो उपभोक्ताओं से शुल्क लेने के बजाय धन कमाने के लिए विज्ञापन पर निर्भर करती हैं। विज्ञापन-समर्थित सेवाएं पीढ़ियों से अस्तित्व में हैं और उपभोक्ताओं और व्यवसायों के लिए समान रूप से शानदार मॉडल हो सकती हैं। हालांकि, कुछ विज्ञापन व्यवसाय इंटरनेट पर उपभोक्ताओं की हर गतिविधि पर नज़र रखने के लिए और उनके व्यक्तिगत पसंद की विस्तृत प्रोफाइल बनाने के लिए आज उन प्रौद्योगिकियों और साधनों का उपयोग करते हैं जिनके द्वारा वे व्यक्तिगत जानकारी को बड़े पैमाने पर इकट्ठा करके बेचते हैं और यह बात उपभोक्ताओं के लिए बिलकुल अस्पष्ट हैं। कुछ कंपनियां जो उपभोक्ताओं से शुल्क नहीं लेती हैं, वे उपभोक्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी से पैसे बनाकर इन सेवाओं पर सब्सिडी देती हैं। उपभोक्ताओं के पास उनकी जानकारी के उपयोग को गैर-आक्रामक निजता समर्थक विज्ञापन तक सीमित करने के लिए आवश्यक जानकारी और साधन होने चाहिए यदि वो ऐसा चाहें तो उनकी व्यक्तिगत जानकारी ऐसे सैकड़ों व्यवसायों को बेची या साझा नहीं की जा सकती जिनके बारे में उन्होंने कभी नहीं सुना। ये साधन न होने के कारण, उपभोक्ताओं के लिए इन अनुबंधों को पूरी तरह से समझना लगभग असंभव होगा, जिसमें वे अनिवार्य रूप से प्रवेश करते हैं जब वे विभिन्न व्यवसायों के साथ बातचीत करते हैं।

J. बच्चे अपने निजता अधिकारों के संबंध में बातचीत करने के दृष्टिकोण से विशेष रूप से संवेदनशील होते हैं। माता-पिता को यह नियंत्रित करने में सक्षम होना चाहिए कि उनके छोटे बच्चों के बारे में कौन सी जानकारी एकत्र और बेची या साझा की जाती है और उनको यह मांग करने का अधिकार दिया जाना चाहिए कि कंपनियां उनके बच्चों के बारे में एकत्र की गई जानकारी को हटा दें।

K. व्यवसाय को उपभोक्ताओं के डेटा सुरक्षा उल्लंघनों के लिए सीधे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और उपभोक्ताओं को सूचित किया जाना चाहिए जब भी उनकी अत्यंत संवेदनशील जानकारी को जोखिम में डाला गया हो।

L. स्वतंत्र रक्षक, जिसका लक्ष्य उपभोक्ता की निजता की सुरक्षा करना है, उसको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि व्यवसायों और उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और दायित्वों के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हो और उपभोक्ताओं के निजता अधिकारों का उल्लंघन करने वाले व्यवसायों के खिलाफ कानून को सख्ती से लागू करना चाहिए।

अनुभाग 3. उद्देश्य एवं आशय।

इस अधिनियम को लागू करते समय, California राज्य के लोगों का यह उद्देश्य और आशय है कि निजता के संवैधानिक अधिकारों सहित, उपभोक्ताओं के अधिकारों की आगे भी रक्षा होती रहे। इस अधिनियम का कार्यान्वयन निम्नलिखित सिद्धांतों के आधार पर किया जाएगा:

A. उपभोक्ता अधिकार

1. उपभोक्ताओं को पता होना चाहिए कि उनकी और उनके बच्चों की व्यक्तिगत जानकारी कौन एकत्र कर रहा है, इसका उपयोग कैसे किया जा रहा है और इसे किसको बताया जा रहा है, जिससे उनके पास अपनी और बच्चों की व्यक्तिगत जानकारी के व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने पर सार्थक नियंत्रण रखने के लिए आवश्यक जानकारी हो।

2. उपभोक्ताओं को अपनी व्यक्तिगत जानकारी के उपयोग को नियंत्रित करने में समर्थ होना चाहिए, जिसमें उनकी संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी के अनधिकृत उपयोग या प्रकटीकरण को सीमित करना शामिल है, जिनसे उपभोक्ता को नुकसान होने का जोखिम बढ़ जाता है और उनके पास इस बारे में सार्थक विकल्प होना चाहिए कि यह कैसे एकत्र, उपयोग और प्रकट की जाए।

3. उपभोक्ताओं के पास उनकी व्यक्तिगत जानकारी तक पहुंच होनी चाहिए और उन्हें इसे सही करने, हटाने और एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में ले जाने में समर्थ होना चाहिए।

4. उपभोक्ताओं या उनके अधिकृत एजेंट्स को आसानी से उपलब्ध स्वयं-सेवा देने वाले साधनों के माध्यम से इन विकल्पों का उपयोग करने में समर्थ होना चाहिए।

5. उपभोक्ताओं को ऐसा करने के लिए दंडित किए बिना इन अधिकारों का उपयोग करने में समर्थ होना चाहिए।

6. उपभोक्ताओं को उनकी सबसे संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी को हैकर्स और सुरक्षा उल्लंघनों से बचाने के लिए उचित सावधानी बरतने में विफल व्यवसायों को अपने प्रति जवाबदेह ठहराने में सक्षम होना चाहिए।

7. उपभोक्ताओं को व्यवसायों द्वारा की जाने वाली उनकी व्यक्तिगत जानकारी के उपयोग से फायदा होना चाहिए।

8. उपभोक्ताओं और व्यवसायों के बीच के संबंध की तुलना में कर्मचारियों या स्वतंत्र ठेकेदारों और व्यवसायों के बीच के संबंधों में अंतर को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों और स्वतंत्र ठेकेदारों के निजता हितों की भी सुरक्षा की जानी चाहिए। इसके अलावा, इस कानून का राष्ट्रीय श्रम संबंध अधिनियम (National Labor Relations Act) के तहत संगठित और सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार में हस्तक्षेप करने का उद्देश्य नहीं है। 1 जनवरी 2023 तक कर्मचारी और व्यवसाय से व्यावसायिक संवाद के लिए इस शीर्षक में छूट का विस्तार करना इस अधिनियम का उद्देश्य और प्रयोजन है।

B. व्यवसायों की ज़िम्मेदारियां

1. व्यवसायों को विशिष्ट रूप से और स्पष्ट तरीके से उपभोक्ताओं को सूचित करना चाहिए कि वे व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग कैसे करते हैं और कैसे उपभोक्ता अपने अधिकारों और पसंद का उपयोग कर सकते हैं।

2. व्यवसायों को केवल विशिष्ट, स्पष्ट और वैध प्रकट उद्देश्यों के लिए उपभोक्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करनी चाहिए और उन उद्देश्यों से असंगत कारणों के लिए उपभोक्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी को आगे एकत्रित, उपयोग या प्रकट नहीं करना चाहिए।

3. व्यवसायों को उपभोक्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी केवल उस सीमा तक एकत्र करनी चाहिए, जो उस प्रयोजन के संबंध में ज़रूरी और सीमित है, जिसके लिए उसे एकत्र, उपयोग और साझा किया जा रहा है।

4. व्यवसायों को उपभोक्ताओं और उनके अधिकृत एजेंटों को आसानी से सुलभ साधनों के साथ अपनी और अपने बच्चों की व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने, इसे हटाने या इसे सही करने, इसकी व्यापार प्लेटफार्मों, सेवाओं, व्यवसायों और उपकरणों में बिक्री या साझा किए जाने से बाहर निकलने और उनकी संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग सीमित करने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए।

5. व्यवसायों द्वारा इन अधिकारों का उपयोग करने के लिए उपभोक्ताओं को दंडित नहीं किया जाना चाहिए।

6. व्यवसायों को सुरक्षा उल्लंघन से उपभोक्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी को बचाने के लिए उचित सावधानी बरतनी चाहिए।

7. उपभोक्ताओं के निजता अधिकारों का उल्लंघन करने पर व्यवसायों को जवाबदेह बनाया जाना चाहिए और उल्लंघन के कारण बच्चों के प्रभावित होने पर दंड अधिक होना चाहिए।

C. कानून का कार्यान्वयन

1. उपभोक्ताओं के अधिकार और व्यवसायों के उत्तरदायित्व को व्यवसाय और नवोन्मेष पर पड़ने वाले प्रभाव पर ध्यान देते हुए उपभोक्ता निजता को सशक्त करने के उद्देश्य से लागू किया जाना चाहिए। उपभोक्ता की निजता और नए लाभकारी उत्पादों और सेवाओं का विकास आवश्यक रूप से असंगत लक्ष्य नहीं हैं। मजबूत उपभोक्ता निजता अधिकार ऐसे नए उत्पादों का अविष्कार करने और विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जो निजता की रक्षा करते हैं।

2. व्यवसायों और उपभोक्ताओं को उनकी ज़िम्मेदारियों और अधिकारों के बारे में स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान किया जाना चाहिए।

3. कानून को, उपभोक्ता को व्यवसाय के साथ ज्ञात और स्वतंत्र रूप से, व्यवसाय के लिए उपभोक्ता की व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग करने के बारे में बातचीत करने का स्थान देना चाहिए।

4. कानून को तकनीकी परिवर्तनों के अनुसार समायोजित होना चाहिए, उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों का उपयोग करने में मदद करनी चाहिए और उपभोक्ता गोपनीयता को मजबूत करने के निरंतर लक्ष्य के अनुपालन में व्यवसायों की सहायता करनी चाहिए।

5. कानून को उपभोक्ता के लिए सहायक नए उत्पादों और सेवाओं को सक्षम करना चाहिए और व्यवसाय के लिए कार्यान्वयन की दक्षता को बढ़ावा देना चाहिए, बशर्ते कि संशोधन उपभोक्ता की गोपनीयता से समझौता या उसे कमज़ोर न करें।

6. इसके संचालन में सुधार करने के लिए, यदि आवश्यक हो, तो कानून को संशोधित किया जाना चाहिए, बशर्ते कि संशोधन व्यवसाय और नवाचार पर प्रभाव पर ध्यान देते हुए, उपभोक्ता गोपनीयता से समझौता या उसे कमज़ोर न करें।

7. व्यवसाय को सशक्त प्रशासनिक और नागरिक प्रवर्तन के माध्यम से कानून का उल्लंघन करने के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।

8. जिस सीमा तक यह उपभोक्ता गोपनीयता और व्यवसाय अनुपालन को आगे बढ़ाता है, कानून को अन्य अधिकार-क्षेत्र में गोपनीयता कानूनों के अनुकूल होना चाहिए।

अनुभाग 4. नागरिक कोड के अनुभाग 1798.100 को इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया गया है:

1798.100. व्यवसायों के सामान्य कर्तव्य जो व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करते हैं

~~1798.100. (a) किसी उपभोक्ता को यह अनुरोध करने का अधिकार होगा कि वह व्यवसाय जो किसी उपभोक्ता की व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करता है, उस उपभोक्ता को व्यक्तिगत जानकारी की श्रेणियां और विशिष्ट भागों को प्रकट करे जिसे व्यवसाय ने एकत्र किया है।~~

~~(b)~~ *(a)* एक व्यवसाय जो *किसी उपभोक्ता की व्यक्तिगत जानकारी* ~~एकत्र~~ *करने के संग्रह को नियंत्रित करता है, संग्रह किये जाने पर या उससे पहले, निम्नलिखित* ~~के रूप में उपभोक्ताओं~~ *को सूचित करेगा:*

(1) व्यक्तिगत सूचनाओं की श्रेणियां जो एकत्र की जानी चाहिए और जिन उद्देश्यों के लिए व्यक्तिगत जानकारी *एकत्रित की जाती है या उपयोग किया जाता है या* ~~उनका उपयोग किया जाएगा~~ *और क्या वह जानकारी बेची जाती है या साझा की जाती है। कोई व्यवसाय* बिना इस अनुभाग के अनुरूप उपभोक्ता को नोटिस उपलब्ध कराए बिना व्यक्तिगत जानकारी की अतिरिक्त श्रेणियों को एकत्र नहीं करेगा या अतिरिक्त उद्देश्यों *के लिए एकत्रित की गई व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग नहीं करेगा, जो प्रकट किये गए उद्देश्य से असंगत है जिसके लिए व्यक्तिगत जानकारी एकत्रित की गई थी।*

(2) यदि व्यवसाय संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी एकत्रित करता है, तो एकत्रित की जाने वाली संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी की श्रेणियां और जिन उद्देश्यों के लिए संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी की श्रेणियां एकत्रित या उपयोग की जाती हैं और वह जानकारी बेची जाती है या साझा की जाती है। कोई व्यवसाय बिना इस अनुभाग के अनुरूप उपभोक्ता को नोटिस उपलब्ध कराए बिना संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी की अतिरिक्त श्रेणियों को एकत्रित नहीं करेगा या अतिरिक्त उद्देश्यों के लिए एकत्रित की गई संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग नहीं करेगा, जो उस प्रकट किये गए उद्देश्य से असंगत है जिसके लिए संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी एकत्रित की गई थी।

(3) वह समय अवधि जिसके लिए व्यवसाय व्यक्तिगत जानकारी की प्रत्येक श्रेणी को बनाए रखने का इरादा रखता है, जिसमें संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी शामिल है या यदि यह संभव नहीं है, तो उस अवधि को निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंड, बशर्ते कि कोई व्यवसाय उस प्रकट उद्देश्य के लिए यथोचित आवश्यक होने से अधिक समय के बाद, प्रत्येक प्रकट उद्देश्य के लिए किसी उपभोक्ता की व्यक्तिगत जानकारी या संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी नहीं रखेगा।

(b) कोई व्यवसाय, जो तृतीय पक्ष के रूप में कार्य करता है, एक उपभोक्ता के बारे में व्यक्तिगत जानकारी के संग्रह को नियंत्रित करता है, अपनी इंटरनेट वेबसाइट के मुख्य पेज पर आवश्यक जानकारी को प्रमुखता से और सुस्पष्ट रूप से प्रदान करके उपखंड (a) के तहत अपने दायित्व को संतुष्ट कर सकता है। इसके अलावा, यदि कोई व्यवसाय तृतीय पक्ष के रूप में अधिनियमित करते हुए अपने परिसर में किसी उपभोक्ता के बारे में व्यक्तिगत जानकारी के संग्रह को नियंत्रित करता है, जिसमें वाहन भी शामिल है, तो व्यवसाय संग्रह के समय या उससे पहले, उपभोक्ताओं को एकत्रित की जाने वाली व्यक्तिगत जानकारी की श्रेणियों और उन उद्देश्यों के बारे में सूचित करेगा जिनके लिए व्यक्तिगत जानकारी की श्रेणियों का उपयोग किया जाता है और क्या वह व्यक्तिगत जानकारी उ स्थान पर एक साफ और सुस्पष्ट तरीके से बेची जाती है।

(c) किसी व्यवसाय द्वारा उपभोक्ता की व्यक्तिगत जानकारी का संग्रह, उपयोग, प्रतिधारण और साझा करना उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए यथोचित आवश्यक और आनुपातिक होगा, जिनके लिए व्यक्तिगत जानकारी एकत्रित या संसाधित की गई थी या एक अन्य प्रकट किये गए उद्देश्य के लिए जो उस संदर्भ के साथ संगत है जिसमें व्यक्तिगत जानकारी एकत्र की गई थी और आगे उन तरीकों से संसाधित नहीं किया गया जो उन उद्देश्यों से असंगत है।

(d) कोई व्यवसाय जो किसी उपभोक्ता की व्यक्तिगत जानकारी एकत्रित करता है और जो उस व्यक्तिगत जानकारी को किसी तृतीय पक्ष को बेचता या साझा करता है या जो किसी व्यावसायिक प्रयोजन के लिए सेवा प्रदाता या ठेकेदार के सामने इसका खुलासा करता है, वह तृतीय पक्ष, सेवा प्रदाता या ठेकेदार, के साथ एक समझौता करेगा कि:

(1) निर्दिष्ट करे कि व्यक्तिगत जानकारी केवल सीमित और निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए व्यवसाय द्वारा बेची या बताई गई है।

(2) इस शीर्षक के तहत लागू दायित्वों का पालन करने के लिए तृतीय पक्ष, सेवा प्रदाता या ठेकेदार को बाध्य करता है और इस शीर्षक के लिए आवश्यक गोपनीयता का स्तर प्रदान करने के लिए उन व्यक्तियों को बाध्य करता है।

(3) व्यावसायिक अधिकारों को यह सुनिश्चित करने के लिए और उचित कदम उठाने के लिए अनुदान देता है कि तृतीय पक्ष, सेवा प्रदाता या ठेकेदार इस शीर्षक के तहत व्यवसाय के दायित्वों के अनुरूप तरीके से हस्तांतरित व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग करते हैं।

(4) तृतीय पक्ष, सेवा प्रदाता या ठेकेदार के लिए व्यवसाय को सूचित करना आवश्यक होगा यदि वह यह निर्धारित करता है कि वह अब इस शीर्षक के तहत अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर सकता है।

(5) परिच्छेद (4) सहित, नोटिस पर, व्यवसाय को, व्यक्तिगत जानकारी के अनधिकृत उपयोग को रोकने और सही करने के लिए यथोचित और उचित कदम उठाने का अधिकार देता है।

(e) कोई व्यवसाय जो एक उपभोक्ता की व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करता है, अनुभाग 1798.81.5 के अनुसार अनधिकृत या अवैध उपयोग, विनाश, उपयोग, संशोधन या प्रकटीकरण से व्यक्तिगत जानकारी की रक्षा के लिए व्यक्तिगत सूचना की प्रकृति के लिए उचित सुरक्षा प्रक्रियाओं और प्रथाओं को लागू करेगा।

(f) इस अनुभाग में कुछ भी व्यापार गोपनीयता का खुलासा करने के लिए व्यवसाय को आवश्यकता नहीं होगी, जैसा कि अनुभाग 1798.185 के उपखंड (a) के परिच्छेद (3) के अनुसरण में अपनाए गए नियमों में निर्दिष्ट है।

~~(c) कोई व्यवसाय किसी उपभोक्ता को, केवल सत्यापन योग्य उपभोक्ता अनुरोध प्राप्त होने पर, उपखंड (a) में निर्दिष्ट जानकारी प्रदान करेगा।~~

~~(d) कोई व्यवसाय जो किसी उपभोक्ता से व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने के लिए एक सत्यापन योग्य उपभोक्ता अनुरोध प्राप्त करता है, तुरंत इस अनुभाग द्वारा व्यक्तिगत जानकारी, उपभोक्ता को नि:शुल्क देने और वितरित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा। जानकारी, मेल या इलेक्ट्रॉनिक रूप से वितरित की जा सकती है और यदि इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रदान की जाती है, तो जानकारी एक पोर्टेबल और तकनीकी रूप से व्यवहार्य, आसानी से उपयोग करने योग्य प्रारूप में होगी जिसे उपभोक्ता द्वारा इस जानकारी को बिना बाधा के किसी अन्य संस्था को भेजा जा सके। कोई व्यवसाय किसी भी समय उपभोक्ता को व्यक्तिगत जानकारी प्रदान कर सकता है, लेकिन उपभोक्ता को व्यक्तिगत जानकारी 12 महीने की अवधि में दो बार से अधिक प्रदान करने की आवश्यकता नहीं होगी।~~

~~(e) इस अनुभाग में, व्यवसाय को किसी एकल, एक बार के लेन-देन के लिए एकत्रित की गई किसी भी व्यक्तिगत जानकारी को बनाए रखने की आवश्यकता नहीं होगी, यदि इस तरह की जानकारी व्यवसाय द्वारा बेची या बरकरार नहीं रखी जाती है या जानकारी की पुन: पहचान अन्यथा लिंक नहीं की जाती है या इस प्रकार बनाए रखी नहीं जाती है कि उसे व्यक्तिगत जानकारी माना जाए।~~

अनुभाग 5. नागरिक कोड के अनुभाग 1798.105 को इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया गया है:

1798.105 व्यक्तिगत जानकारी को हटाने के लिए उपभोक्ताओं का अधिकार

~~1798.105.~~ (a) किसी उपभोक्ता को यह अनुरोध करने का अधिकार होगा कि व्यवसाय उस उपभोक्ता के बारे में किसी भी व्यक्तिगत जानकारी को हटा दें जो व्यवसाय ने उपभोक्ता से एकत्रित की है।

(b) कोई व्यवसाय जो उपभोक्ताओं के बारे में व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करता है, वह उसका खुलासा, अनुभाग 1798.130 के अनुसरण में, उपभोक्ता की व्यक्तिगत जानकारी को हटाने का अनुरोध करने के लिए उपभोक्ता के अधिकार के तहत करेगा।

(c) *(1)* इस अनुभाग के उपखंड (a) के अनुसरण में, कोई व्यवसाय जो किसी उपभोक्ता से उस उपभोक्ता की व्यक्तिगत जानकारी को हटाने के लिए एक सत्यापन योग्य उपभोक्ता अनुरोध प्राप्त करता है, वह उपभोक्ता रिकॉर्ड से उपभोक्ता की व्यक्तिगत जानकारी को हटा देगा और किसी भी सेवा प्रदाता या ठेकेदार को उपभोक्ता की

24

व्यक्तिगत जानकारी को उनके रिकॉर्ड से हटाने के लिए ~~सीधे~~ *~~सूचित करेगा~~ और सभी तृतीय पक्षों को, जिनको व्यवसाय ने व्यक्तिगत जानकारी बेची है या साझा की है,* उस उपभोक्ता की व्यक्तिगत जानकारी को हटाने के लिए सूचित करेगा, जब तक कि यह असंभव साबित न हो या इसमें अनुपातहीन प्रयास शामिल न हों।

(2) कानूनों के अनुपालन या इस शीर्षक के अन्तर्गत अन्य उद्देश्यों के लिए, पूरी तरह से अनुमत सीमा तक, व्यवसाय उस उपभोक्ता का, जिसने व्यक्तिगत जानकारी को बेचे जाने के विरुद्ध अनुरोध किया है, की व्यक्तिगत जानकारी को रोकने के उद्देश्य से, हटाने के अनुरोधों का एक गोपनीय रिकॉर्ड रख सकता है।

(3) कोई सेवा प्रदाता या ठेकेदार व्यवसाय के लिए एक सत्यापन योग्य उपभोक्ता अनुरोध के जवाब में और व्यवसाय के निर्देश पर सहयोग करेगा, हटाएगा या व्यवसाय को हटाने के लिए सक्षम करेगा और सेवा प्रदाता या ठेकेदार द्वारा एकत्रित, उपयोग, संसाधित या बनाए रखी जाने वाली उपभोक्ता की व्यक्तिगत जानकारी को हटाने के लिए अपने स्वयं के सेवा प्रदाताओं या ठेकेदारों को सूचित करेगा। सेवा प्रदाता या ठेकेदार, किसी भी ऐसे सेवा प्रदाता, ठेकेदार या तृतीय पक्ष को सूचित करेंगे, जिन्होंने व्यक्तिगत जानकारी को सेवा प्रदाता या ठेकेदार के माध्यम से ऐक्सेस किया हो सकता है, जब तक कि उपभोक्ता की व्यक्तिगत जानकारी को हटाने के लिए, व्यवसाय के निर्देशन पर जानकारी तक पहुंचा गया था जब तक कि यह असंभव साबित न हो या इसमें असुरक्षित प्रयास शामिल न हों। किसी सेवा प्रदाता या ठेकेदार को उपभोक्ता द्वारा सीधे सेवा प्रदाता या ठेकेदार को दी गई जानकारी को हटाने के अनुरोध का अनुपालन करने की तब तक आवश्यकता नहीं होगी, जब तक कि उस सेवा प्रदाता या ठेकेदार ने उपभोक्ता की व्यक्तिगत जानकारी को, सेवा प्रदाता या व्यवसाय के ठेकेदार के रूप में अपनी भूमिका की हद तक जानकारी को एकत्रित, उपयोग, संसाधित या बनाए रखा है।

(d) एक व्यवसाय *या* एक सेवा प्रदाता *या ठेकेदार को, जो व्यवसाय, किसी अन्य सेवा प्रदाता या अन्य ठेकेदार* के साथ अपने अनुबंध के अनुसार कार्य कर रहा है, उसे उपभोक्ता की व्यक्तिगत जानकारी को हटाने के लिए उपभोक्ता के अनुरोध का अनुपालन करने की आवश्यकता नहीं होगी, यदि व्यवसाय *~~या~~* सेवा प्रदाता *या* ठेकेदार के लिए उपभोक्ता की व्यक्तिगत जानकारी को बनाए रखना निम्न कारणों से *उचित रूप से* आवश्यक है:

(1) उस लेनदेन को पूरा करना जिसके लिए व्यक्तिगत जानकारी एकत्र की गई थी, लिखित वारंटी या उत्पाद वापस लेने की शर्तों को पूरा करना जो कि उपभोक्ता के साथ चल रहे व्यावसायिक संबंध के व्यवसाय के संदर्भ में संघीय कानून के अनुसार या जैसा *उपभोक्ता द्वारा यथोचित अपेक्षित* है, उपभोक्ता द्वारा मांगे गये माल या सेवा प्रदान करना या अन्यथा व्यवसाय और उपभोक्ता के बीच एक अनुबंध के अनुसार कार्य करना।

(2) ~~सुरक्षा घटनाओं का पता लगाना, दुर्भावनापूर्ण, भ्रामक, कपटपूर्ण या अवैध गतिविधि से बचाव करना या उस गतिविधि के लिए ज़िम्मेदार लोगों पर मुकदमा चलाना।~~ *उपभोक्ता की व्यक्तिगत जानकारी के उपयोग की उस सीमा तक सुरक्षा और अखंडता को सुनिश्चित करने में मदद करना जहां तक कि उन उद्देश्यों के लिए यथोचित आवश्यक और आनुपातिक है।*

(3) उन त्रुटियों को पहचानने और सुधारने के लिए डिबग करना जो मौजूदा उद्देश्यपूर्ण कार्यक्षमता को ख़राब करते है।

(4) मुक्त बोलने के अधिकार का प्रयोग करना, दूसरे उपभोक्ता के अधिकार को सुनिश्चित करना कि उस उपभोक्ता का मुक्त बोलने का अधिकार है या कानून द्वारा प्रदत्त किसी दूसरे अधिकार का प्रयोग करना।

(5) दंड संहिता के भाग 2 के शीर्षक 12 के अध्याय 3.6 (अनुभाग 1546 के साथ शुरू होते हुए) के अनुसरण में California इलेक्ट्रॉनिक संचार गोपनीयता अधिनियम (California Electronic Communications Privacy Act) का अनुपालन करना।

(6) ~~सार्वजनिक हित में सार्वजनिक या सहकर्मी-समीक्षित वैज्ञानिक, ऐतिहासिक या सांख्यिकीय अनुसंधान~~ में कार्यरत होना, जो*अन्य सभी लागू नैतिकता और गोपनीयता कानूनों के अनुरूप या* उनका पालन करता है, जब व्यापार द्वारा जानकारी को हटाना असंभव हो या इस तरह के अनुसंधान को *पूरा करने की क्षमता* ~~को प्राप्त करने~~ को गंभीर रूप से अवरुद्ध करता है, अगर उपभोक्ता द्वारा सूचित सहमति प्रदान की गई है।

(7) पूरी तरह से आंतरिक उपयोगों को सक्षम करना जो उपभोक्ता के व्यवसाय *के साथ संबंध के आधार पर उपभोक्ता की अपेक्षाओं के साथ समान रूप से संरेखित हैं और उस संदर्भ के साथ संगत हैं जिस संदर्भ में उपभोक्ता ने जानकारी प्रदान की थी।*

(8) कानूनी दायित्व का पालन करना।

~~(9) अन्यथा उपभोक्ता की व्यक्तिगत जानकारी का, आंतरिक रूप से, एक वैध तरीके से, उस संदर्भ के साथ संगत रूप में जिसमें उपभोक्ता ने जानकारी प्रदान की है, उपयोग किया जाना।~~

अनुभाग 6. नागरिक कोड में अनुभाग 1798.106 को इस प्रकार पढ़े जाने के लिए जोड़ा गया है:

1798.106. उपभोक्ताओं की गलत व्यक्तिगत जानकारी को सही करने का अधिकार

(a) किसी उपभोक्ता को उस व्यवसाय को, जो उपभोक्ता के बारे में गलत व्यक्तिगत जानकारी रखता है, उस गलत जानकारी को सही करने के लिए अनुरोध करने का अधिकार होगा जो उस व्यक्तिगत जानकारी की प्रकृति और व्यक्तिगत जानकारी के प्रसंस्करण के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।

(b) कोई व्यवसाय जो उपभोक्ताओं के बारे में व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करता है, अनुभाग 1798.130 के अनुसरण में, गलत व्यक्तिगत जानकारी के सुधार का अनुरोध करने का उपभोक्ता के अधिकार का खुलासा करेगा।

(c) कोई व्यवसाय जो गलत व्यक्तिगत जानकारी को सही करने के लिए एक सत्यापन योग्य उपभोक्ता अनुरोध प्राप्त करता है, अनुभाग 1798.130 के अनुसरण में और अनुभाग 1798.185 के उपखंड (a) के परिच्छेद (8) के लिए अपनाए गए प्रावधानों के अनुसरण में उपभोक्ता द्वारा निर्देशित गलत जानकारी को सही करने के लिए व्यावसायिक रूप से उचित प्रयासों का उपयोग करेगा।

अनुभाग 7. नागरिक कोड के अनुभाग 1798.110 को इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया गया है:

1798.110. कौन सी व्यक्तिगत जानकारी एकत्रित की जा रही है, यह जानने का उपभोक्ता का अधिकार। व्यक्तिगत जानकारी तक पहुंचने का अधिकार

~~1798.110.~~ (a) किसी उपभोक्ता को यह अनुरोध करने का अधिकार होगा कि कोई व्यवसाय जो उपभोक्ता के बारे में व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करता है, वह उपभोक्ता को निम्नलिखित बताए:

(1) उस उपभोक्ता के बारे में एकत्र की गई व्यक्तिगत जानकारी की श्रेणियां।

(2) उन स्रोतों की श्रेणियां जिनसे व्यक्तिगत जानकारी एकत्र की जाती है।

(3) व्यक्तिगत जानकारी एकत्रित करने, ~~या~~ बेचने या *साझा करने* का व्यावसायिक या व्यावसायिक उद्देश्य।

(4) तृतीय पक्षों ~~की श्रेणियां जिनके~~ *साथ* व्यवसाय व्यक्तिगत जानकारी ~~साझा करते हैं~~ या *प्रकट* करते हैं।

(5) उस उपभोक्ता के बारे में एकत्र की गई व्यक्तिगत जानकारी के विशिष्ट खंड।

(b) कोई व्यवसाय जो किसी उपभोक्ता के बारे में व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करता है, वह उपभोक्ता को अनुभाग 1798.130 के परिच्छेद (3) के उपखंड *(a) के उप-परिच्छेद (B)* के अनुसरण में ऐसी जानकारी खुलासा करेगा, जिससे उपखंड (a) में निर्दिष्ट जानकारी उपभोक्ता *से सत्यापन योग्य उपभोक्ता अनुरोध प्राप्त होने पर, बशर्ते कि किसी व्यवसाय को परिच्छेद (1) से (4), समावेशी, उपखंड (a) का अनुपालन माना जाएगा, उस सीमा तक जहां तक जानकारी की श्रेणियों और व्यवसाय या व्यावसायिक उद्देश्य के लिए यह आवश्यक होगा कि व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करना, बेचना या साझा करना, समावेशी उपखंड (a) के साथ परिच्छेदों (1) से (4) के अनुसरण में उपभोक्ता का खुलासा किया जाना उसी तरह की जानकारी है, जिस तरह से इसने समावेशी, उपखंड (c) के परिच्छेद (1) से (4) के अनुसरण में है।*

(c) कोई व्यवसाय जो उपभोक्ताओं के बारे में व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करता है, उनका खुलासा अनुभाग 1798.130 के उपखंड (a) के परिच्छेद (5) के उप-परिच्छेद (B) के अनुसरण में करेगा:

(1) उपभोक्ताओं के बारे में एकत्र की गई व्यक्तिगत जानकारी की श्रेणियां।

(2) उन स्रोतों की श्रेणियां जिनसे व्यक्तिगत जानकारी एकत्रित की जाती है।

(3) व्यक्तिगत जानकारी एकत्रित करने ~~या~~ बेचने या *साझा करने* का व्यावसायिक या वाणिज्यिक उद्देश्य।

(4) तृतीय पक्षों ~~की श्रेणियां जिनके~~ *साथ* व्यवसाय व्यक्तिगत जानकारी ~~साझा करते हैं~~ या *प्रकट* करते हैं।

(5) यह कि उपभोक्ता को स्वयं के बारे में व्यक्तिगत जानकारी के विशिष्ट भागों का अनुरोध करने का अधिकार है जिसे व्यवसाय ने एकत्रित किया है।

~~(d) इस अनुभाग के अनुसार व्यवसाय को निम्नलिखित करने की आवश्यकता नहीं होती है:~~

~~(1) एक एकल लेन-देन के लिए एकत्रित की गई उपभोक्ता के बारे में किसी भी व्यक्तिगत जानकारी को बनाए रखने, यदि, व्यवसाय की सामान्य कार्यप्रणाली में, उपभोक्ता के बारे में वह जानकारी बनाए रखी नहीं जाती है।~~

~~(2) किसी भी डेटा को पुनः पहचानना या उसे अन्यथा लिंक करना, जिसे व्यवसाय की सामान्य कार्यप्रणाली में उस तरह से नहीं रखा जाता है जिसे व्यक्तिगत जानकारी माना जाए।~~

अनुभाग 8. नागरिक कोड के अनुभाग 1798.115 को इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया गया है:

1798.115. उपभोक्ताओं का यह जानने का अधिकार कि कौन सी व्यक्तिगत जानकारी बेची जाती है या साझा की जाती है और किससे

~~1798.115.~~ (a) किसी उपभोक्ता को यह अनुरोध करने का अधिकार होगा कि वह व्यवसाय जो उपभोक्ता की व्यक्तिगत जानकारी को बेचता *या साझा करता* है या जो किसी व्यावसायिक उद्देश्य के लिए इसको प्रकट करता है, उस उपभोक्ता को निम्न बताए:

(1) व्यक्तिगत जानकारी की श्रेणियां जो व्यवसाय ने उपभोक्ता के बारे में एकत्रित की हैं।

(2) उपभोक्ता के बारे में उस व्यक्तिगत जानकारी की श्रेणियां, जिन्हें व्यवसाय द्वारा बेचा *या साझा किया गया* है और उन तृतीय पक्ष की श्रेणियां जिन्हें व्यक्तिगत जानकारी बेची गई *या साझा की गई*, तृतीय पक्ष की प्रत्येक श्रेणी के लिए व्यक्तिगत जानकारी की श्रेणी या श्रेणियों के द्वारा जिसे व्यक्तिगत जानकारी बेची *या साझा की गई* थी।

(3) उपभोक्ता के बारे में व्यक्तिगत जानकारियों की श्रेणियां जिन्हें व्यवसाय ने किसी व्यावसायिक उद्देश्य *के लिए प्रकट किया और उन व्यक्तियों की श्रेणियां, जिनके सामने व्यावसायिक उद्देश्य के लिए इसे प्रकट किया गया।*

(b) एक व्यवसाय जो किसी उपभोक्ता के बारे में व्यक्तिगत जानकारी बेचता *या साझा करता है* या जो किसी व्यावसायिक उद्देश्य के लिए किसी उपभोक्ता की व्यक्तिगत जानकारी को प्रकट करता है, अनुभाग 1798.130 के उपखंड (a) के परिच्छेद (4) के अनुसरण में उपखंड (a) में निर्दिष्ट जानकारी, उपभोक्ता के सामने, उपभोक्ता से एक सत्यापित उपभोक्ता अनुरोध प्राप्त होने पर प्रकट करेगा।

(c) एक व्यवसाय जो उपभोक्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी बेचता *या साझा करता* है या किसी व्यावसायिक उद्देश्य के लिए उपभोक्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी प्रकट करता है, अनुभाग 1798.130 के उपखंड (a) के परिच्छेद (5) के उप-परिच्छेद (C) के अनुसरण में प्रकट करेगा:

(1) उपभोक्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी की श्रेणी या श्रेणियां जो उसने बेची *या साझा की हैं या* यदि व्यवसाय ने उपभोक्ता की व्यक्तिगत जानकारी को बेचा *या साझा नहीं किया* है, तो यह उस तथ्य को प्रकट करेगा।

(2) उपभोक्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी की श्रेणी या श्रेणियां जो उसने किसी व्यावसायिक उद्देश्य के लिए प्रकट की है या यदि व्यवसाय ने किसी व्यावसायिक उद्देश्य के लिए उपभोक्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी प्रकट नहीं की है, तो यह उस तथ्य का खुलासा करेगा।

(d) तृतीय पक्ष किसी ऐसे उपभोक्ताके बारे में व्यक्तिगत जानकारी नहीं बेचेगी *या साझा नहीं करेगी, जो किसी व्यवसाय द्वारा बेची गई या साझा की गई है,* जब तक कि उपभोक्ता को स्पष्ट नोटिस नहीं मिला हो और उसे अनुभाग 1798.120 के अनुसरण में ऑप्ट-आउट करने का अधिकार का उपयोग करने का अवसर न प्रदान किया गया हो।

अनुभाग 9. नागरिक कोड के अनुभाग 1798.120 को इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया गया है:

1798.120. व्यक्तिगत जानकारी बेचने या साझा करने से ऑप्ट-आउट करने का उपभोक्ता का अधिकार

~~1798.120.~~ (a) किसी भी उपभोक्ता को, किसी भी समय, तृतीय पक्ष को उपभोक्ता के बारे में व्यक्तिगत जानकारी बेचने *या साझा करने* वाले व्यवसाय को उपभोक्ता की व्यक्तिगत जानकारी को न बेचने *या न साझा करने* के लिए निर्देशित करने का अधिकार होगा। इस अधिकार को *बिक्री या साझाकरण* से ऑप्ट-आउट करने के अधिकार के रूप में संदर्भित किया जा सकता है।

(b) एक व्यवसाय जो उपभोक्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी *बेचता है या उसे तृतीय पक्ष के साथ* साझा करता है, अनुभाग 1798.135 के उपखंड (a) के अनुसरण में, उपभोक्ताओं को नोटिस प्रदान करेगा, कि यह जानकारी बेची *या साझा की* जा सकती है और उपभोक्ताओं को उनकी व्यक्तिगत जानकारी की बिक्री *या साझाकरण* से "ऑप्ट-आउट करने का अधिकार" है।

(c) उपखंड (a) के बावजूद, यदि व्यवसाय को वास्तविक ज्ञान है कि उपभोक्ता 16 वर्ष से कम आयु का है तो कोई व्यवसाय उपभोक्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी को नहीं बेचेगा *या साझा* नहीं करेगा, जब उपभोक्ता कम से कम 13 वर्ष का हो और 16 वर्ष से कम आयु का हो या 13 वर्ष से कम आयु के उपभोक्ताओं के मामले में, उपभोक्ता के माता-पिता या अभिभावक ने उपभोक्ता की व्यक्तिगत जानकारी की बिक्री *या साझाकरण* के लिए सकारात्मक रूप से अधिकृत न किया हो। वह व्यवसाय जो जानबूझकर उपभोक्ता की आयु पर ध्यान नहीं देता है, समझा जाएगा कि उसे उपभोक्ता की आयु का वास्तविक ज्ञान था। ~~इस अधिकार को "ऑप्ट-इन करने के अधिकार" के रूप में संदर्भित किया जा सकता है।~~

(d) एक व्यवसाय जिसे किसी उपभोक्ता की ओर से उपभोक्ता की व्यक्तिगत जानकारी को बेचने *या साझा* न करने के दिशानिर्देश प्राप्त हुए हो या किसी कम आयु के उपभोक्ता की व्यक्तिगत जानकारी के मामले में नाबालिग उपभोक्ता की व्यक्तिगत जानकारी को बेचने *या साझा करने के लिए सहमति नहीं मिली हो, उसे, अनुभाग 1798.135 के उपखंड* ~~(a)~~ *(c)* के परिच्छेद (4) के अनुसरण में, उपभोक्ता के दिशानिर्देश प्राप्त होने के बाद उपभोक्ता की व्यक्तिगत जानकारी को बेचने *या साझा करने से* निषिद्ध किया जाएगा, जब तक कि उपभोक्ता व्यक्तिगत जानकारी बेचने *या साझा करने* के लिए ~~एक्सप्रेस प्राधिकरण~~ *सहमति* नहीं प्रदान करता।

अनुभाग 10. नागरिक कोड में अनुभाग 1798.121 को इस प्रकार पढ़े जाने के लिए जोड़ा गया है:

1798.121. संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग एवं प्रकटीकरण को सीमित करने का उपभोक्ता अधिकार

~~1798.121.~~ *(a) एक उपभोक्ता को किसी भी समय, उपभोक्ता के बारे में संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी एकत्रित करने वाले किसी व्यवसाय को उपभोक्ता की संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग उस उपयोग तक सीमित करने के लिए निर्देशित करने का अधिकार होगा जो अनुभाग 1798.140 के उपखंड (e) के परिच्छेद (2), (4), (5) और (8) में उल्लिखित सेवाओं को करने के लिए उन वस्तुओं या सेवाओं का अनुरोध करने वाले औसत उपभोक्ता द्वारा यथोचित अपेक्षित सेवाएं देने या माल प्रदान करने के लिए आवश्यक हो और अनुभाग 1798.185, के उपखंड (a) के परिच्छेद (19) उप-परिच्छेद (C) के अनुसरण में अपनाये गए विनियमों द्वारा अधिकृत हो। एक व्यवसाय जो इस उपखंड में निर्दिष्ट के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए किसी उपभोक्ता की संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग या खुलासा करता है, वह, अनुभाग 1798.135 के उपखंड (a) के अनुसरण में उपभोक्ताओं को नोटिस प्रदान करेगा कि अतिरिक्त, निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए किसी सेवा प्रदाता या ठेकेदार के सामने इस जानकारी का उपयोग या खुलासा किया जा सकता है और उपभोक्ताओं को अपनी संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी के उपयोग या प्रकटीकरण को सीमित करने का अधिकार है।*

(b) एक व्यवसाय जिसे उपखंड (a) द्वारा अधिकृत के अलावा उपभोक्ता की संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग या खुलासा नहीं करने के लिए दिशा-निर्देश प्राप्त हुआ है, उसे अनुभाग 1798.135 के उपखंड (c) के परिच्छेद (4) के अनुसरण में उपभोक्ता के निर्देश की प्राप्ति के बाद किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपभोक्ता की संवेदनशील निजी जानकारी का उपयोग या उपलब्धता से प्रतिबंधित किया जाएगा जब तक उपभोक्ता बाद में अतिरिक्त उद्देश्यों के लिए उपभोक्ता की संवेदनशील निजी जानकारी के उपयोग या उपलब्धता के लिए सहमति प्रदान नहीं करता है।

(c) एक सेवा प्रदाता या ठेकेदार जो किसी व्यवसाय को उपखंड (a) द्वारा अधिकृत उद्देश्यों को पूरा करने में सहायता करता है वह व्यवसाय से निर्देश प्राप्त होने के बाद संवेदनशील निजी जानकारी का उपयोग नहीं कर सकता है और जहां तक उसे वास्तविक ज्ञान है कि निजी जानकारी किसी अन्य उद्देश्य के लिए संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी है। एक सेवा प्रदाता या ठेकेदार को व्यवसाय से निर्देशों के प्रति उत्तर में व्यवसाय के साथ एक लिखित अनुबंध और केवल उस व्यवसाय के साथ उसके ताल्लुक के संबंध के अनुसरण में केवल प्राप्त संवेदनशील निजी जानकारी के उपयोग को सीमित करने की आवश्यकता होती है।

(d) संवेदनशील निजी जानकारी जो किसी उपभोक्ता के बारे में विशेषताओं का उल्लेख करने के उद्देश्य से एकत्र या संसाधित की जाती है, इस अनुभाग के अधीन नहीं है, जैसा कि अनुभाग 1798.185 के उपखंड (a) के परिच्छेद (19) के उप- परिच्छेद (C) के अनुसरण में अपनाए गए नियमों में आगे परिभाषित किया गया है और अनुभाग 1798.100 सहित इस अधिनियम के अन्य सभी वर्गों के प्रयोजनों के लिए व्यक्तिगत जानकारी के रूप में माना जाएगा।

अनुभाग 11. नागरिक कोड के अनुभाग 1798.125 को इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया गया है:

1798.125. ऑप्ट आउट करने या अन्य अधिकारों के इस्तेमाल के बाद कोई प्रतिशोध नहीं लेने का उपभोक्ता का अधिकार

~~1798.125.~~ (a) (1) एक व्यवसाय किसी उपभोक्ता के साथ केवल इसलिए भेदभाव नहीं करेगा क्योंकि उपभोक्ता ने इस शीर्षक के तहत उपभोक्ता के किसी भी अधिकार का प्रयोग किया है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है:

(A) उपभोक्ता को वस्तुओं या सेवाओं से वंचित रखना।

(B) छूट या अन्य लाभों के उपयोग के माध्यम से या दंड लगाकर माल या सेवाओं के लिए अलग-अलग कीमतें या दरें चार्ज करना।

(C) उपभोक्ता को वस्तुओं या सेवाओं का एक अलग स्तर या गुणवत्ता प्रदान करना।

(D) यह सुझाव देना कि उपभोक्ता वस्तुओं या सेवाओं के लिए एक अलग मूल्य या दर या वस्तुओं या सेवाओं का अलग स्तर या गुणवत्ता प्राप्त करेगा।

(E) अनुभाग 1798.145 के उपखंड (m) के परिच्छेद (2) के उप-परिच्छेद (A) में परिभाषित इस शीर्षक के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए एक कर्मचारी, रोजगार के लिए आवेदक या स्वतंत्र ठेकेदार के खिलाफ प्रतिशोध लेना।

(2) इस उपखंड में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो एक व्यवसाय को *उपखंड (b) के अनुसरण में,* एक उपभोक्ता को एक अलग मूल्य या दर चार्ज करने से या वस्तुओं या सेवाओं का अलग स्तर या गुणवत्ता प्रदान करने से रोकता है, यदि यह अंतर उपभोक्ता के डेटा द्वारा व्यवसाय को प्रदान किए गए मूल्य से उचित रूप से संबंधित है।

(3) यह उपखंड किसी व्यवसाय को इस शीर्षक के अनुरूप लॉयल्टी, पुरस्कार, प्रीमियम सुविधाएं, छूट या क्लब कार्ड कार्यक्रमों की पेशकश करने से नहीं रोकता है।

(b) (1) कोई व्यवसाय, व्यक्तिगत जानकारी संग्रह करने, व्यक्तिगत जानकारी की बिक्री *या साझा करने* या व्यक्तिगत जानकारी को ~~हटाने~~ से *रोकने* के लिए उपभोक्ताओं को मुआवजे के रूप भुगतान सहित वित्तीय प्रोत्साहन की पेशकश कर सकता है। कोई व्यवसाय उपभोक्ता को वस्तुओं या सेवाओं की एक अलग कीमत, दर, स्तर या गुणवत्ता प्रदान कर सकता है यदि वह मूल्य या अंतर उपभोक्ता के डेटा द्वारा व्यवसाय को प्रदान किए गए मूल्य से ~~सीधे~~ *उचित रूप से* संबंधित है।

(2) एक व्यवसाय जो इस उपखंड के अनुसार कोई वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करता है, वह अनुभाग 1798.130 के अनुसार वित्तीय प्रोत्साहन के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित करेगा।

(3) कोई व्यवसाय किसी उपभोक्ता को वित्तीय प्रोत्साहन कार्यक्रम में तभी प्रवेश कर सकता है जब उपभोक्ता अनुभाग 1798.130 के अनुसरण में व्यवसाय को ऑप्ट-इन की सहमति देता है जो स्पष्ट रूप से वित्तीय प्रोत्साहन कार्यक्रम की समग्र अवधि का वर्णन करता है और जिसे उपभोक्ता द्वारा किसी भी समय रद्द किया जा सकता है। *यदि कोई उपभोक्ता ऑप्ट-इन सहमति प्रदान करने से इनकार करता है, तो उसके बाद व्यवसाय उपभोक्ता द्वारा ऑप्ट-इन सहमति प्रदान करने के अगले अनुरोध से पहले कम से कम 12 महीने पहले प्रतीक्षा करेगा या जैसा कि अनुभाग 1798.185 के अनुसार अपनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित किया गया है।*

(4) कोई व्यवसाय ऐसे वित्तीय प्रोत्साहन सुविधाओं का उपयोग नहीं करेगा जो प्रकृति में अन्यायपूर्ण, अनुचित, प्रतिरोधी या अनुपयोगी हैं।

अनुभाग 12. नागरिक कोड के अनुभाग 1798.130 को इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया गया है:

1798.130. सूचना, प्रकटीकरण, सुधार और मिटाए जाने के लिए आवश्यकताएं

~~1798.130~~ (a) अनुभाग 1798.100, 1798.105, *1798.106,* 1798.110, 1798.115 और 1798.125 का अनुपालन करने के लिए, कोई व्यवसाय, एक ऐसे रूप में, जो उपभोक्ताओं के लिए उचित रूप से सुलभ है

(1) (A) अनुभाग 1798.110 और 1798.115 के अनुसरण में, आवश्यक सूचना के लिए अनुरोध दर्ज करने के लिए उपभोक्ताओं को दो या दो से अधिक नामित तरीके उपलब्ध कराएं या कम से कम, एक टोल-फ्री टेलीफ़ोन नंबर सहित, *क्रमशः अनुभाग 1798.105 और 1798.106 के अनुसरण में हटाने या सुधार के लिए अनुरोध।* एक व्यवसाय जो विशेष रूप से ऑनलाइन संचालित होता है और जिसका एक उपभोक्ता के साथ सीधा संबंध होता है जिससे वह व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करता है उसे अनुभाग 1798.110 और 1798.115 के अनुसरण में, आवश्यक जानकारी का खुलासा करने के लिए अनुरोध करने के लिए *या क्रमशः अनुभाग 1798.105 और 1798.106 के अनुसरण में हटाने या सुधार करने के लिए* केवल एक ईमेल पता प्रदान करना आवश्यक है।

(B) यदि व्यवसाय एक इंटरनेट वेबसाइट संचालित करता है, तो अनुभाग 1798.110 और 1798.115 के अनुसरण में आवश्यक जानकारी का खुलासा करने के लिए अनुरोध दर्ज करने के लिए *या अनुभाग 1798.105 और 1798.106 के अनुसरण में क्रमशः हटाने या सुधार के लिए अनुरोध करने के लिए* उपभोक्ताओं को इंटरनेट वेबसाइट उपलब्ध कराता है।

(2) *(A)* उपभोक्ता से आवश्यक सत्यापित उपभोक्ता अनुरोध प्राप्त करने के 45 दिनों के भीतर उपभोक्ता के अनुरोध के आधार पर आवश्यक जानकारी को नि:शुल्क बताना और उपलब्ध कराना, *निजी गलत जानकारी को सही करना या किसी उपभोक्ता की निजी जानकारी को हटाना।* व्यवसाय तुरंत यह निर्धारित करने के लिए कदम उठाएगा कि क्या अनुरोध एक सत्यापित उपभोक्ता अनुरोध है, लेकिन यह उपभोक्ता के अनुरोध की प्राप्ति के 45 दिनों के भीतर जानकारी का खुलासा करने और देने, *निजी गलत जानकारी को सही करने या निजी जानकारी को हटाने* के व्यवसाय की ज़िम्मेदारी का विस्तार नहीं करेगा। जब उचित रूप से आवश्यक हो, आवश्यक जानकारी प्रदान करने, *निजी गलत जानकारी को सही करने या निजी जानकारी को हटाने* के समय अवधि को अतिरिक्त 45 दिनों के लिए एक बार बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते उपभोक्ता को पहले 45-दिन की अवधि के भीतर एक्सटेंशन का नोटिस प्रदान किया जाए। *आवश्यक जानकारी* के प्रकटीकरण में, ~~व्यवसाय द्वारा सत्यापन योग्य उपभोक्ता अनुरोध की प्राप्ति से पिछले 12 महीने की अवधि की जानकारी होगी और~~ यदि उपभोक्ता का व्यवसाय के साथ खाता है तो उसे लिखित रूप में, यदि उपभोक्ता का व्यवसाय के साथ खाता नहीं है तो उसे मेल या इलेक्ट्रॉनिक रूप से, एक आसानी से उपयोग करने योग्य प्रारूप में, जो उपभोक्ता को बिना किसी परेशानी के इस जानकारी को एक इकाई से दूसरी इकाई में हस्तांतरित करने की सुविधा देता हो उस प्रारूप में बनाया और वितरित किया जाएगा। व्यवसाय को उपभोक्ता के प्रमाणीकरण की आवश्यकता हो सकती है, जो अनुरोध की गई निजी जानकारी की प्रकृति के अनुसार उचित है, लेकिन उपभोक्ता को प्रमाणित उपभोक्ता अनुरोध करने के लिए व्यवसाय के साथ एक खाता बनाने की आवश्यकता नहीं होगी *बशर्ते* ~~कि~~ *यदि* उपभोक्ता का व्यवसाय के साथ खाते को ~~संचालित करता हो~~, *खाता हो*, व्यवसाय उपभोक्ता को ~~उस खाते के माध्यम से अनुरोध प्रस्तुत करने का~~ अनुरोध कर सकता है। *एक सत्यापित उपभोक्ता अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए उस खाते का उपयोग करें।*

(B) आवश्यक सूचना के प्रकटीकरण में व्यापार द्वारा सत्यापन योग्य उपभोक्ता अनुरोध की प्राप्ति से पिछले 12 महीने की अवधि को कवर किया जाएगा, बशर्ते अनुभाग 1798.185 के उपखंड (a) के परिच्छेद (9) के लिए एक विनियमन के अनुसरण को अपनाने पर, एक उपभोक्ता व्यवसाय से 12 महीने की अवधि से अधिक की

24

आवश्यक जानकारी का खुलासा करने का अनुरोध कर सकता है और व्यापार को वह जानकारी प्रदान करना आवश्यक होगा जब तक कि ऐसा करना असंभव प्रतीत न हो या इसमें अत्यधिक प्रयास शामिल हो। 12 महीने की अवधि से अधिक की आवश्यक जानकारी का अनुरोध करने के लिए एक उपभोक्ता का अधिकार और उस जानकारी को प्रदान करने का किसी व्यवसाय का दायित्व, केवल 1 जनवरी, 2022 को या उसके बाद एकत्र की गई व्यक्तिगत जानकारी पर लागू होगा। इस उप- परिच्छेद में ऐसा कुछ भी नहीं है जो व्यवसाय को किसी भी समय के लिए निजी जानकारी रखने के लिए बाध्य करे।

(3) *(A) एक व्यवसाय जो अनुभाग 1798.110 या 1798.115 के अनुसरण में एक सत्यापित उपभोक्ता अनुरोध प्राप्त करता है वह किसी सेवा प्रदाता या ठेकेदार से या द्वारा प्राप्त जानकारी सहित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त जानकारी को उपभोक्ता को उपलब्ध कराएगा। अनुभाग 1798.110 या 1798.115 के अनुसरण में, सेवा प्रदाता या ठेकेदार ने सेवा प्रदाता या ठेकेदार के रूप में अपनी भूमिका में उपभोक्ता के बारे में व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करने की सीमा तक किसी सेवा प्रदाता या ठेकेदार को उपभोक्ता या उपभोक्ता के अधिकृत एजेंट से सीधे प्राप्त किए गए सत्यापन योग्य उपभोक्ता अनुरोध का अनुपालन करने की आवश्यकता नहीं होगी। कोई सेवा प्रदाता या ठेकेदार एक ऐसे व्यवसाय को सहायता प्रदान करेगा जिसके साथ उसके प्रमाणित उपभोक्ता अनुरोध के प्रति उत्तर से संबंधित संविदात्मक संबंध है, जिसमे सेवा प्रदाता या ठेकेदार के पास उपलब्ध उपभोक्ता की निजी जानकारी जिसे सेवा प्रदाता या ठेकेदार ने व्यवसाय को सेवाएं प्रदान करने के परिणामस्वरूप प्राप्त किया है उसे व्यवसाय को प्रदान करना और गलत जानकारी को सुधारने या व्यवसाय को समान कार्य करने के लिए सक्षम बनाना शामिल हैं लेकिन इन्हीं तक ही सीमित नहीं हैं। कोई सेवा प्रदाता या ठेकेदार, जो व्यवसाय के साथ लिखित अनुबंध के अनुसार व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करता है, उसे अनुभाग 1798.100 के उपखंड (d) से (f) की आवश्यकताओं के अनुपालन में, प्रसंस्करण की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त तकनीकी और संगठनात्मक उपायों के माध्यम से व्यवसाय की सहायता करने की आवश्यकता होगी।*

(B) अनुभाग 1798.110 के उपखंड (b) के उद्देश्यों के लिए:

~~(A)~~ *(i)* उपभोक्ता की पहचान करना, उपभोक्ता द्वारा प्रमाणित उपभोक्ता अनुरोध में दी गई जानकारी का व्यवसाय द्वारा उपभोक्ता के बारे में पहले एकत्रित की गई किसी भी निजी जानकारी का मिलान करना।

~~(B)~~ *(ii)* उपखंड (c) में सूचित श्रेणी या श्रेणियों के सन्दर्भ में जो एकत्र की गई निजी जानकारी का सबसे बारीकी से वर्णन करती है, ~~पिछले 12 महीनों में~~ *लागू होने वाली समयाविधि के लिए* उपभोक्ता के बारे में एकत्र की गई निजी जानकारी की श्रेणी या श्रेणियों की पहचान करना; *स्रोतों की श्रेणियां जहां से उपभोक्ता की निजी जानकारी एकत्रित की गई है; उपभोक्ता की व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करने, बेचने या साझा करने के लिए व्यावसायिक या वाणिज्यिक उद्देश्य; तृतीय पार्टी की श्रेणियां जो व्यवसाय उपभोक्ता की निजी जानकारी उपलब्ध कराते हैं।*

(iii) उपभोक्ता से प्राप्त व्यक्तिगत जानकारी के विशिष्ट भाग को ऐसे प्रारूप में प्रदान करें, जो औसत उपभोक्ता के लिए आसानी से समझने योग्य हो, जहां तक संभव हो तकनीक रूप से सुसंगत हो, व्यवस्थित, आमतौर पर उपयोग किया जाने वाला, मशीन द्वारा समझने योग्य फ़ॉर्मेट में हो जिसे उपभोक्ता के अनुरोध पर किसी परेशानी के बिना अन्य इकाई को हस्तांतरित किया जा सके। "जानकारी के विशिष्ट भाग" में सुरक्षा और सत्यनिष्ठा को सुनिश्चित करने में मदद के लिए या प्रावधान द्वारा निर्धारित उत्पन्न डेटा शामिल नहीं होता है। जब कोई उपभोक्ता सेवाओं के बदलने के संदर्भ में किसी व्यवसाय को उपभोक्ता की व्यक्तिगत जानकारी को एक व्यवसाय से दूसरे में स्थानांतरित करने का निर्देश देता है तब व्यक्तिगत जानकारी को किसी व्यवसाय द्वारा उपलब्ध कराया हुआ नहीं माना जाता है।

(4) अनुभाग 1798.115 के उपखंड (b) के उद्देश्यों के लिए:

(A) उपभोक्ता की पहचान करें और उपभोक्ता द्वारा प्रमाणित उपभोक्ता अनुरोध में दी गई जानकारी का व्यवसाय द्वारा उपभोक्ता के बारे में पहले एकत्रित की गई किसी भी निजी जानकारी का मिलान करना।

(B) उपखंड (c) में सूचित श्रेणी के संदर्भ में *लागू समयावधि के दौरान* ~~पिछले 12 महीने में~~ व्यवसाय द्वारा बेचे *या साझा किए गए* उपभोक्ता के व्यक्तिगत जानकारी की श्रेणी या श्रेणियों की पहचान करें जो निजी जानकारी का सबसे बारीकी से वर्णन करती है और उपखंड (c) में सूचित श्रेणी के संदर्भ में *लागू समयावधि के दौरान* ~~पिछले 12 महीने में~~ जिन तृतीय पार्टी को उपभोक्ता के व्यक्तिगत जानकारी बेची *या साझा की गई* है उसकी श्रेणी प्रदान करें जो बेचे या *साझा किए गए* व्यक्तिगत जानकारी का बारीकी से वर्णन करती है। व्यवसाय एक सूची में जानकारी उपलब्ध कराएगा जो उप-परिच्छेद (C) के प्रयोजनों के लिए उत्पन्न सूची से अलग है।

(C) उपखंड (c) में सूचित श्रेणी के संदर्भ में *लागू होने वाली समयावधि के दौरान* ~~पिछले 12 महीने में~~ व्यवसाय द्वारा व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपलब्ध कराए गए उपभोक्ता के व्यक्तिगत जानकारी की श्रेणी या श्रेणियों की पहचान करें जो निजी जानकारी का सबसे बारीकी से वर्णन करती है और उपखंड (c) में सूचित श्रेणी के संदर्भ में *लागू होने वाली समयावधि के दौरान* ~~पिछले 12 महीने में~~ जिन ~~अन्य पक्षों~~ के *लोगों को* उपभोक्ता के व्यक्तिगत जानकारी व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपलब्ध कराइ गई है उसकी श्रेणी प्रदान करें जो उपलब्ध कराए गए व्यक्तिगत जानकारी का सबसे बारीकी से वर्णन करती है। व्यवसाय एक सूची में जानकारी उपलब्ध कराएगा जो उप-परिच्छेद (B) के प्रयोजनों के लिए बनाई गयी सूची से अलग हो।

(5) यदि व्यवसाय की ऑनलाइन गोपनीयता नीति या नीतियां हैं तो निम्नलिखित को व्यवसाय की गोपनीयता नीति या नीतियों में और उपभोक्ताओं के गोपनीयता अधिकारों के किसी भी California-विशिष्ट विवरण में उपलब्ध कराएं या यदि व्यवसाय अपनी इंटरनेट वेबसाइट पर उन नीतियों को बनाए नहीं रखता है और उस जानकारी को हर 12 महीने में कम से कम एक बार अपडेट करता है:

(A) *उपखंड (a) के परिच्छेद (1) के उप-परिच्छेद (A) में दिए गए अनुरोधों को छोड़कर,* अनुभाग 1798.100, 1798.105, *1798.106,* 1798.110, 1798.115 और 1798.125 और ~~एक~~ *दो* या अधिक निर्दिष्ट तरीकों के अनुसरण में उपभोक्ता के अधिकारों का विवरण।

(B) अनुभाग 1798.110 के उपखंड (c) के उद्देश्यों के लिए~~;~~*:*

(i) a उपखंड (c) में गणना की गई श्रेणी या श्रेणियों के संदर्भ में पिछले 12 महीनों में उपभोक्ताओं के बारे में एकत्र की गई निजी

जानकारी की श्रेणियों की एक सूची जो एकत्र की गई निजी जानकारी का सबसे निकट से वर्णन करती है।

(ii) उन स्रोतों की श्रेणियां जिनसे उपभोक्ताओं की निजी जानकारी एकत्र की जाती है।

(iii) उपभोक्ताओं की निजी जानकारी एकत्रित करने, बेचने या साझा करने का व्यावसायिक या वाणिज्यिक उद्देश्य।

(iv) तृतीय पक्षों की श्रेणियाँ जिन्हें व्यवसाय उपभोक्ताओं की निजी जानकारी उपलब्ध कराता है।

(C) अनुभाग 1798.115 के उपखंड (c) के परिच्छेद (1) और (2) के प्रयोजनों के लिए, दो अलग-अलग सूचियां:

(i) *उपखंड (c) में सूचित श्रेणी या श्रेणियों के अनुसार* उसके द्वारा पिछले 12 महीनों में उपभोक्ता के बारे में बेची *या साझा की गई* व्यक्तिगत जानकारी की श्रेणी की सूची जो बेची या साझा की गई व्यक्तिगत जानकारी का बारीकी से वर्णन करती है *या यदि व्यवसाय ने* पिछले 12 महीनों में उपभोक्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी को बेचा *या साझा नहीं किया है, तो व्यवसाय अपनी गोपनीयता नीति में* उस तथ्य को प्रमुखता से बताएगा।

(ii) उपखंड (c) में सूचित श्रेणी के अनुसार उसके द्वारा पिछले 12 महीनों में व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपभोक्ता के बारे में उपलब्ध कराई गई व्यक्तिगत जानकारी की श्रेणी की सूची जो उपलब्ध कराई गई व्यक्तिगत जानकारी का बारीकी से ~~वर्णन करती है~~ *या* यदि व्यवसाय ने पिछले 12 महीनों में व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपभोक्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी को उपलब्ध नहीं कराया है, तो व्यवसाय उस तथ्य को बताएगा।

(6) सुनिश्चित करें कि इस शीर्षक के साथ व्यवसाय की गोपनीयता कार्यप्रणालियों या व्यवसाय के अनुपालन के बारे में उपभोक्ता के पूछताछ के लिए ज़िम्मेदार सभी व्यक्तियों को अनुभाग 1798.100, 1798.105, *1798.106*, 1798.110, 1798.115, 1798.125 और इस अनुभाग और उन अनुभागों के तहत अपने अधिकारों का उपयोग करने के लिए उपभोक्ताओं को निर्देशित करने के बारे में सूचित किया जाए।

(7) उपभोक्ता से एकत्र की गई किसी भी व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग उपभोक्ता के अनुरोध पर व्यवसाय के सत्यापन के संबंध में केवल सत्यापन के प्रयोजनों के लिए करें *और व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा न करें, सत्यापन के उद्देश्यों के लिए इसे आवश्यक से अधिक समय तक अपने पास न रखें या असंबंधित उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग न करें।*

(b) व्यवसाय अनुभाग 1798.110 और 1798.115 के द्वारा आवश्यक जानकारी को एक ही उपभोक्ता को 12 महीने की अवधि में दो से अधिक बार प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं है।

(c) अनुभाग 1798.100, 1798.110 और 1798.115 *के* अनुसरण में निजी जानकारी की श्रेणियों को उपलब्ध कराना आवश्यक है *उन्हें निजी जानकारी की श्रेणियों का वर्णन करके* अनुभाग 1798.140 *के उपखंड (v) के परिच्छेद (1) सहित उप-परिच्छेद (A) से (K) में निर्धारित विशिष्ट शब्दों का उपयोग करके निजी जानकारी की श्रेणियों का वर्णन करके और अनुभाग 1798.140 के उपखंड (ae) सहित परिच्छेद (1) से (9) में निर्धारित विशिष्ट शब्दों का उपयोग करके संवेनदशील जानकारी की श्रेणियों का वर्णन करके अनुभाग 1798.140 की* व्यक्तिगत जानकारी *और संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी की* ~~परिभाषा~~ *का* पालन करेगा।

अनुभाग 13. नागरिक कोड के अनुभाग 1798.135 को इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया गया है:

1798.135. निजी जानकारी की बिक्री, साझा करने और उपयोग को सीमित करने और संवेदनशील निजी जानकारी के उपयोग की विधियां

~~1798.135~~ (a) कोई व्यवसाय जिसे ~~अनुभाग 1798.120 का अनुपालन करना आवश्यक है~~*, जो अनुभाग 1798.121 के उपखंड (a) द्वारा प्राधिकृत अन्य प्रयोजनों के अलावा उपभोक्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी उस रूप में बेचता है या साझा करता है या उपभोक्ताओं की संवेदनशील निजी जानकारी का उपयोग करता है या साझा करता है,* जो उपभोक्ताओं के लिए उचित रूप से सुलभ है:

(1) व्यवसाय के ~~इंटरनेट~~ *इंटरनेट* ~~होमपेज~~ *होमपेजिस पर, एक* ~~इंटरनेट वेब पेज~~ *इंटरनेट वेब पेज को* "मेरी निजी जानकारी को मत बेचो या साझा करो" शीर्षक से *स्पष्ट और प्रत्यक्ष लिंक प्रदान करना,* जो उपभोक्ता या उपभोक्ता द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति को उपभोक्ता की निजी जानकारी को बेचने *या साझा करने से* ऑप्ट-आउट करने में सक्षम बनाता है।

(2) व्यवसाय के इंटरनेट होमपेज पर "मेरी संवेदनशील निजी जानकारी का उपयोग सीमित करो" शीर्षक से स्पष्ट और प्रत्यक्ष लिंक प्रदान करना, जो उपभोक्ता या उपभोक्ता द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति को उपभोक्ता को अनुभाग 1798.121 के उपखंड (a) द्वारा प्राधिकृत संवेदनशील निजी जानकारी का उपयोग सीमित करने या उपलब्ध करने में सक्षम बनाता है।

(3) व्यवसाय के समझ के आधार पर, परिच्छेद (1) और (2) का अनुपालन करने के एवज में, व्यवसाय के इंटरनेट होमपेज पर एकल, स्पष्ट रूप से लेबल लिंक का उपयोग करना, यदि वह लिंक आसानी से किसी उपभोक्ता को उपभोक्ता की निजी जानकारी की बिक्री या साझा करने से ऑप्ट-आउट करने और उपभोक्ता की संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी के उपयोग या उपलब्धता को सीमित करने की सुविधा देता है।

(4) किसी व्यवसाय द्वारा परिच्छेद (1), (2) या (3) के अनुसरण में प्राप्त ऑप्ट-आउट अनुरोधों का जवाब देने की परिस्थिति में किसी उत्पाद या सेवा के उपयोग के लिए किसी शुल्क के बारे में उपभोक्ता को सूचित करके, उपभोक्ता की निजी जानकारी को बनाए रखने, उपयोग करने, बेचने या साझा करने के लिए अनुभाग 1798.125 के उपखंड (b) के अनुसरण में प्रदान किए गए किसी भी वित्तीय प्रोत्साहन की शर्तों को प्रस्तुत करना।

(b) (1) यदि व्यवसाय उपभोक्ताओं को उनकी निजी जानकारी की बिक्री या साझा करने से ऑप्ट-आउट करने और अनुभाग 1798.185 के उपखंड (a) के परिच्छेद (20) के अनुसरण में अपनाई गई विनियमों में निर्धारित तकनीकी विशिष्टताओं के आधार पर, एक प्लेटफ़ॉर्म, तकनीक या मैकेनिज़्म द्वारा, उपभोक्ता की सहमति के साथ भेजे गए ऑप्ट-आउट वरीयता सिग्नल के माध्यम से उनकी संवेदनशील निजी जानकारी के उपयोग को सीमित करने की अनुमति देता है, व्यवसाय की बिक्री से ऑप्ट-आउट करने के लिए उपभोक्ता के इरादे को दर्शाने पर या उपभोक्ता की निजी जानकारी साझा करने या उपभोक्ता की संवेदनशील निजी जानकारी का उपयोग या उपलब्धता सीमित करने या दोनों के लिए व्यवसाय को अनुसरण की आवश्यकता नहीं होगी।

(2) ऐसा व्यवसाय जो उपभोक्ताओं को उनकी निजी जानकारी की बिक्री या साझेदारी से ऑप्ट-आउट करने और उनके संवेदनशील निजी जानकारी का परिच्छेद (1) के अनुसरण में उपयोग सीमित करने की सुविधा देता है वह अतिरिक्त उद्देश्यों के लिए उस व्यवसाय के उपभोक्ता की संवेदनशील निजी जानकारी की बिक्री या साझा करने या उपभोक्ता की संवेदनशील निजी जानकारी का उपयोग करने के संबंध में एक वेब पेज के लिए एक लिंक प्रदान कर सकता है जो उपभोक्ता को व्यवसाय के लिए ऑप्ट-आउट वरीयता सिग्नल को अनदेखा करने की सुविधा प्रदान करता है बशर्ते:

(A) सहमति वेब पेज भी उपभोक्ता या उपभोक्ता द्वारा अधिकृत व्यक्ति को जितनी आसानी से उपलब्ध कराया जाता है उतनी ही आसानी से सहमति रद्द करने की सुविधा प्रदान करता है।

(B) वेब पेज का लिंक उपभोक्ता जिस वेब पेज पर जाना चाहता है उस पर उपभोक्ता के अनुभव को कम नहीं करता है समान वेब पेज पर अन्य लिंक के समान ही दिखावट, एहसास और आकार हो।

(C) सहमति वेब पेज अनुभाग 1798.185 के उपखंड (a) के परिच्छेद (20) के अनुसरण में अपनाई गई विनियमों में निर्धारित तकनीकी विशिष्टताओं का अनुपालन करता है।

(3) एक व्यवसाय जो उपखंड (a) का अनुपालन करता है उसे उपखंड (b) के अनुपालन की आवश्यकता नहीं है। स्पष्टता के प्रयोजनों के लिए, व्यवसाय चुन सकता है कि उपखंड (a) का अनुपालन करना है या उपखंड (b) का।

(c) कोई व्यवसाय *जो इस अनुभाग के अधीन है* उसे:

(1) व्यवसाय को उपभोक्ता की निजी जानकारी को बेचने *या साझा नहीं करने या उपभोक्ता की संवेदनशील निजी जानकारी का उपयोग या उपलब्धता सीमित करने के लिए* उपभोक्ता को एक खाता बनाने *या आवश्यकता से अधिक जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता* नहीं *नहीं होगी।*

(2) ~~अनुभाम~~ *अनुभाग* 1798.120 *और 1798.121* के अनुसरण में उपभोक्ता के अधिकारों का विवरण शामिल करेगा, *साथ ही* "मेरी निजी जानकारी को मत बेचें *या साझा न करें*" ~~इंटरनेट वेब पेज~~ *इंटरनेट वेब पेज और "मेरी संवेदनशील निजी जानकारी का उपयोग सीमित करें" इंटरनेट वेब पेज का अलग लिंक शामिल करेगा यदि संभव हो या दोनों विकल्पों के लिए एकल लिंक या एक कथन जिसका व्यापार जवाब देता है और उपखंड (b) के अनुसार एक प्लेटफ़ॉर्म, तकनीक या मैकेनिज़्म द्वारा भेजे गए ऑप्ट-आउट वरीयता संकेतों द्वारा पालन करता है:*

(A) इसकी ऑनलाइन गोपनीयता नीति या नीतियों में यदि व्यवसाय की ऑनलाइन गोपनीयता नीति या नीतियां हैं।

(B) उपभोक्ताओं के गोपनीयता अधिकारों का कोई भी California-विशिष्ट विवरण।

(3) सुनिश्चित करेगा कि व्यवसाय की गोपनीयता कार्यप्रणालियों या इस शीर्षक के साथ व्यवसाय के अनुपालन के बारे में उपभोक्ता पूछताछ को संभालने के लिए ज़िम्मेदार सभी व्यक्तियों को ~~अनुभाम~~ ~~अनुभागों~~ 1798.120, *1798.121* और इस अनुभाग और उन अनुभागों के तहत अपने अधिकारों का उपयोग करने के लिए उपभोक्ताओं को निर्देशित करने के बारे में सूचित किया जाए।

(4) उन उपभोक्ताओं के लिए जो अपनी निजी जानकारी की बिक्री *या साझा करने से ऑप्ट-आउट करने या अपनी संवेदनशील निजी जानकारी के उपयोग या उपलब्धता को सीमित करने के अधिकार का प्रयोग करते हैं, उपभोक्ता की* निजी जानकारी *को बेचने या साझा करने या* ~~उपभोक्ता के बारे में व्यवसाय द्वारा एकत्र की गई~~ *उपभोक्ता की संवेदनशील निजी जानकारी का उपयोग करने या उपलब्ध* कराने से रोक देते हैं *और उपभोक्ता द्वारा उपभोक्ता की निजी जानकारी की बिक्री या साझा करने को अधिकृत करने या अतिरिक्त उद्देश्यों के लिए या नियमों द्वारा अधिकृत उपभोक्ता की संवेदनशील निजी जानकारी का उपयोग और उपलब्धता के लिए कम से कम 12 महीने तक प्रतीक्षा करते हैं।*

(5) ~~ऐसे उपभोक्ता के लिए जिसने उपभोक्ता की निजी जानकारी की बिक्री का विकल्प छोड़ दिया है, उनसे उपभोक्ता की निजी जानकारी की बिक्री करने के लिए अधिकृत करने का अनुरोध करने से पहले उनके ऑप्ट-आउट करने के निर्णय का कम से कम 12 महीने तक सम्मान करें~~ *16 वर्ष से कम आयु के उपभोक्ता जो अपनी व्यक्तिगत जानकारी की बिक्री या साझेदारी के लिए सहमति नहीं देते हैं, 16 वर्ष से कम उम्र के उपभोक्ता की निजी जानकारी को बेचने या साझा करने से बचना चाहिए और उपभोक्ता की सहमति का अनुरोध करने से पहले कम से कम 12 महीने तक या नियमों के अनुसार उपभोक्ता के 16 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक इंतजार करना होगा।*

(6) उपभोक्ता के ऑप्ट-आउट अनुरोध को प्रस्तुत करने के संबंध में उपभोक्ता से एकत्र की गई किसी भी निजी जानकारी का उपयोग पूरी तरह से ऑप्ट-आउट अनुरोध के अनुपालन के प्रयोजनों के लिए करेगा।

~~(b)~~ *(d)* इस शीर्षक में आम तौर पर व्यवसाय द्वारा जनता के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले होमपेज के आवश्यक लिंक और टेक्स्ट सहित किसी भी चीज़ के लिए शीर्षक का अनुपालन व्यवसाय के लिए अनिवार्य नहीं होना होगा, यदि व्यवसाय California के उपभोक्ताओं के लिए समर्पित एक अलग और अतिरिक्त होमपेज रखता है और जिसमें आवश्यक लिंक और टेक्स्ट शामिल होते हैं और व्यवसाय यह सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाता है कि California उपभोक्ताओं को California उपभोक्ताओं के लिए समर्पित होमपेज पर निर्देशित किया जाए और न कि आम तौर पर जनता के लिए होमपेज पर उपलब्ध कराया जाएगा।

~~(c)~~ *(e)* एक उपभोक्ता किसी अन्य व्यक्ति को ~~केवल~~ उपभोक्ता की निजी जानकारी की बिक्री *या साझेदारी* से ऑप्ट-आउट करने *और उपभोक्ता की संवेदनशील निजी जानकारी का उपयोग सीमित करने के लिए* अधिकृत कर सकता है, *उपखंड (b) के परिच्छेद (1) के परिभाषित ऑप्ट-आउट वरीयता सिग्नल के माध्यम सहित जो उपभोक्ता के ऑप्ट-आउट के इरादे को दर्शाता है* और एक व्यवसाय महान्यायवादी *द्वारा अपनाए गए विनियमन के आधार उपभोक्ता द्वारा उपभोक्ता की ओर से कार्य करने के लिए अधिकृत व्यक्ति से प्राप्त ऑप्ट-आउट अनुरोध का अनुपालन करेगा, चाहे व्यवसाय ने उपखंड (a) या (b) किसी का भी अनुपालन करना चुना हो। स्पष्टता के प्रयोजनों के लिए, कोई व्यवसाय जो उपखंड (a) के अनुपालन का चुनाव करता है, अनुभाग 1798.125 के अनुरूप उपभोक्ता के ऑप्ट-आउट होने का जवाब दे सकता है।*

(f) यदि कोई व्यवसाय निजी जानकारी एकत्र करने के लिए व्यवसाय द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति को उपभोक्ता के ऑप्ट-आउट होने के अनुरोध का संचार करता है, तो इसके बाद व्यक्ति उस उपभोक्ता की

24

निजी जानकारी का उपयोग केवल व्यवसाय द्वारा निर्दिष्ट या अन्यथा इस शीर्षक द्वारा स्वीकृत व्यावसायिक उद्देश्य के लिए करेगा और निम्न से निषिद्ध होगा:

(1) व्यक्तिगत जानकारी बेचना या साझा करना।

(2) उस उपभोक्ता की निजी जानकारी को अपने पास रखना, उपयोग करना या उसे उपलब्ध कराना।

(A) व्यवसाय को दी जाने वाली सेवाओं के प्रदर्शन के विशिष्ट उद्देश्य के अलावा किसी भी उद्देश्य के लिए।

(B) व्यक्ति और व्यवसाय के बीच प्रत्यक्ष व्यापार संबंधों के बाहर से।

(C) व्यवसाय को सेवाएँ प्रदान करने के अलावा एक व्यावसायिक उद्देश्य के लिए।

(g) कोई व्यवसाय जो उपखंड (f) के अनुसार एक व्यक्ति के लिए उपभोक्ता के ऑप्ट-आउट के अनुरोध का संचार करता हैं तो यदि ऑप्ट-आउट अनुरोध प्राप्त करने वाला व्यक्ति शीर्षक में उल्लिखित प्रतिबंधों का उल्लंघन करता है तो वह व्यवसाय इस शीर्षक के तहत उत्तरदायी नहीं होगा बशर्ते कि ऑप्ट-आउट करने के अनुरोध के संचार के समय, व्यक्ति इस तरह के उल्लंघन का इरादा रखता है इस बात की व्यवसाय के पास वास्तविक जानकारी या विश्वास करने का कारण नहीं था। किसी भी तरह के अनुबंध या समझौते का कोई भी प्रावधान जो किसी भी तरह से माफ़ करने या सीमित करने का प्रावधान करता है, यह निष्प्रभावी और अप्रवर्तनीय होगा।

अनुभाग 14. नागरिक कोड के अनुभाग 1798.140 को इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया गया हैं:

1798.140. परिभाषाएं।

~~1798.140.~~ इस शीर्षक के प्रयोजनों के लिए:

(a) "विज्ञापन और विपणन" का अर्थ किसी व्यवसाय या व्यवसाय की ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा माल, सेवा या रोज़गार प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से किया गया संचार होता है।

~~(a)~~ *(b)* "उपभोक्ता जानकारी को अलग करना" का अर्थ है वह जानकारी जो उपभोक्ताओं के समूह या श्रेणी से संबंधित है, जिसमें से व्यक्तिगत उपभोक्ता पहचान को हटा दिया गया है, जो कि किसी उपभोक्ता या परिवार से जुड़ी नहीं है, जिसमें डिवाइस भी शामिल है। "उपभोक्ता जानकारी को अलग करना" का मतलब एक या अधिक व्यक्तिगत उपभोक्ता रिकॉर्ड से नहीं है जिन्हें पहचाना नहीं गया गया है।

~~(b)~~ *(c)*"बॉयोमेट्रिक जानकारी" का अर्थ है किसी व्यक्ति की *शारीरिक, जैविक या व्यवहार संबंधी विशेषताएँ,* जिसमें व्यक्तिगत पहचान स्थापित करने के लिए किसी व्यक्ति के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड (DNA) से संबंधित जानकारी शामिल है, जिसका उपयो~~मकिया जा सकता~~ हैया जिसका *उपयोग,* एकल रूप में, दूसरे के साथ या अन्य पहचान डेटा के साथ संयोजन में किया जाना *है*। बॉयोमीट्रिक जानकारी में आईरिस, रेटीना, फ़िंगरप्रिंट, चेहरे, हाथ, हथेली, नस पैटर्न और आवाज़ की रिकॉर्डिंग की इमेज शामिल है, जिसमें से एक पहचानकर्ता टेम्पलेट, जैसे कि एक फ़ेसप्रिंट, एक छोटा टेम्पलेट या एक वॉयसप्रिंट निकाला जा सकता है लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है और कीस्ट्रोक पैटर्न या ताल, चाल पैटर्न या लय और नींद, स्वास्थ्य या व्यायाम डेटा जिसमें पहचान की जाने योग्य जानकारी शामिल होती है।

~~(c)~~ *(d)* "व्यवसाय" का अर्थ है:

(1) कोई एकल स्वामित्व, साझेदारी, सीमित देयता कंपनी, निगम, संगठन या अन्य कानूनी इकाई जो अपने शेयरधारकों या अन्य मालिकों के लाभ या वित्तीय लाभ के लिए संगठित या संचालित होती है, जो उपभोक्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करती है *या* जिसकी ओर से जानकारी एकत्र की जाती है और अकेले या दूसरों के साथ संयुक्त रूप से, उपभोक्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी के प्रसंस्करण के उद्देश्यों और साधनों को निर्धारित करता है, जो कि California राज्य में व्यापार करता है और जो निम्नलिखित सीमा रेखाओं में से एक या अधिक को पूरा करता है:

(A) ~~जिसका~~ 1 जनवरी को कैलेंडर वर्ष में, *पूर्ववर्ती कैलेंडर वर्ष में, अनुभाग 1798.185 के उपखंड (a) के परिच्छेद (5) के अनुसरण में समायोजित* पच्चीस मिलियन डॉलर ($25,000,000) से अधिक का वार्षिक सकल राजस्व था।

(B) ~~व्यवसाय के वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए~~, अकेले या संयोजन में, वार्षिक खरीदता है, या ~~वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए~~ शेयरों, अकेले या संयोजन में, ~~50,000~~ *100,000 या* अधिक उपभोक्ताओं- या ~~परिवारों या उपकरणों की~~ व्यक्तिगत जानकारी साझा करता है, बेचता है।

(C) उपभोक्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी को बेचने *या साझा* करके अपने वार्षिक राजस्व का 50 प्रतिशत या उससे अधिक प्राप्त करता है।

(2) कोई भी इकाई जो किसी व्यवसाय द्वारा नियंत्रित करती है या नियंत्रित की जाती है, जैसा कि परिच्छेद (1), में परिभाषित किया गया है और जो व्यवसाय के साथ आम ब्रांडिंग साझा करती है *और जिसके साथ व्यापार उपभोक्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी साझा करती है।* "नियंत्रण" या "नियंत्रित" का अर्थ है किसी व्यवसाय के मतदान सुरक्षा के किसी भी वर्ग के बकाया शेयरों का 50 प्रतिशत से अधिक, वोट देने की शक्ति या स्वामित्व; अधिकांश निदेशकों या समान कार्यों का उपयोग करने वाले व्यक्तियों के चुनाव पर किसी भी तरीके से नियंत्रण; या किसी कंपनी के प्रबंधन पर नियंत्रण प्रभाव डालने का अधिकार। "कॉमन ब्रांडिंग" का अर्थ है एक साझा नाम, सेवा-चिह्न या ट्रेडमार्क *जिसे औसत उपभोक्ता समझेगा कि दो या अधिक इकाइयां आमतौर पर एक स्वामित्व में हैं।*

(3) व्यवसायों से बना एक संयुक्त उद्यम या साझेदारी जिसमें प्रत्येक व्यवसाय का कम से कम 40 प्रतिशत हिस्सा हो। इस शीर्षक के प्रयोजनों के लिए, संयुक्त उद्यम या साझेदारी और प्रत्येक व्यवसाय जो संयुक्त उद्यम या साझेदारी की रचना करता है, को अलग से एकल व्यवसाय माना जाएगा, सिवाय इसके कि प्रत्येक व्यवसाय के अधिकार में व्यक्तिगत जानकारी को अन्य व्यवसाय के साथ साझा या संयुक्त उद्यम या साझेदारी का खुलासा नहीं किया जाएगा।

(4) कोई व्यक्ति जो California में व्यापार करता है, जो परिच्छेद (1), (2) या (3) द्वारा कवर नहीं किया जाता है और जो स्वेच्छा से California निजता संरक्षण एजेंसी को प्रमाणित करता है कि वह इस शीर्षक का अनुपालन करता है और इससे बाध्य है।

~~(d)~~ *(e)* "व्यावसायिक उद्देश्य" का अर्थ व्यवसाय ~~या सेवा प्रदाता~~ के परिचालन उद्देश्यों या अन्य अधिसूचित उद्देश्यों या *सेवा प्रदाता या ठेकेदार के परिचालन उद्देश्यों* के लिए व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग है, जैसा कि *अनुभाग 1798.185 के उपखंड के परिच्छेद (11) के उपखंड (a)* के अनुसरण में अपनाए गए नियमों द्वारा

24

परिभाषित किया गया है, बशर्ते कि व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग आवश्यक रूप से ज़रूरी हो और ~~परिचालन~~ उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आनुपातिक हो, जिसके लिए व्यक्तिगत जानकारी एकत्र की गई थी या संसाधित की गई थी या किसी अन्य ~~परिचालन~~ उद्देश्य के लिए जो उस संदर्भ में संगत है जिसमें व्यक्तिगत जानकारी एकत्र की गई थी। व्यावसायिक उद्देश्य ये हैं:

(1) उपभोक्ता और समवर्ती लेन-देन के साथ एक ~~मौजूदा बातचीत से संबंधित लेखांकन, सहित, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है~~, अद्वितीय आगंतुकों के लिए विज्ञापन इंप्रेशन की गिनती, सत्यापन की स्थिति और विज्ञापन इंप्रेशन की गुणवत्ता की पुष्टि और इस विनिर्देश और अन्य मानकों के अनुपालन का लेखांकन।

(2) ~~सुरक्षा घटनाओं का पता लगाना, दुर्भावनापूर्ण, भ्रामक, धोखाधड़ी या अवैध गतिविधि से बचाव करना और उस गतिविधि के लिए ज़िम्मेदार लोगों पर मुकदमा चलाना।~~ *उपभोक्ता की व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग इस उद्देश्य के लिए सुरक्षा और सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के लिए काफी हद तक आवश्यक है और समानुपातिक है।*

(3) उन त्रुटियों की पहचान करने और उनकी मरम्मत करने के लिए डीबगिंग करना जो मौजूदा इच्छित कार्यक्षमता को ख़राब करते हैं।

(4) छोटी अवधि, क्षणिक उपयोग, *सहित, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं, गैर-अधिकृत विज्ञापन, जो व्यवसाय के साथ उपभोक्ता की वर्तमान बातचीत* के हिस्से के रूप में दिखाया गया है, बशर्ते कि *उपभोक्ता की* व्यक्तिगत जानकारी किसी अन्य तृतीय पार्टी को नहीं बताई जाती है और उसकी प्रोफ़ाइल बनाने के लिए *उपयोग* नहीं किया जाता है ~~किसी~~ उपभोक्ता या अन्यथा किसी व्यक्ति को ~~व्यवसाय~~ *के साथ* मौजूदा बातचीत के बाहर उपभोक्ता के अनुभव को बदल देता हैजिसमें शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है, उसी बातचीत के हिस्से के रूप में दिखाए गए *विज्ञापनों के प्रासंगिक अनुकूलन।*

(5) व्यवसाय ~~या सेवा प्रदाता~~ की ओर से सेवाओं का प्रदर्शन करना, जिसमें खातों को बनाए रखना या सेवा देना, ग्राहक सेवा प्रदान करना, प्रसंस्करण या ऑर्डर और लेन-देन को पूरा करना, ग्राहकों की जानकारी की पुष्टि करना, प्रसंस्करण भुगतान करना, वित्तपोषण प्रदान करना, विज्ञापन या ~~बाज़ार~~ सेवाएं प्रदान करना, विश्लेषणात्मक सेवाएं प्रदान करना *या भंडारण सेवाएं* प्रदान करना या व्यवसाय या सेवा प्रदाता की ओर से समान सेवाओं का भंडारण या ~~प्रदान करना~~ शामिल है।

(6) विज्ञापन और बाज़ार सेवाएं प्रदान करना, उपभोक्ता को क्रॉस-संदर्भ व्यवहार संबंधी विज्ञापन को छोड़कर, बशर्ते कि विज्ञापन और विपणन के उद्देश्य से, एक सेवा प्रदाता या ठेकेदार ऑप्ट-आउट किए गए उपभोक्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी को संयोजित नहीं करेगा, जो कि सेवा प्रदाता या ठेकेदार है, व्यक्तिगत सूचनाओं के साथ व्यापार, जो सेवा प्रदाता या ठेकेदार को प्राप्त होता है या किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों की ओर से प्राप्त होता है या उपभोक्ताओं से स्वयं की बातचीत से प्राप्त होता है।

~~(6)~~ *(7)* तकनीकी विकास और प्रदर्शन के लिए आंतरिक शोध करना।

~~(7)~~ *(8)* किसी सेवा या उपकरण की गुणवत्ता या सुरक्षा को सत्यापित करने या बनाए रखने के लिए उपक्रम गतिविधियां जो व्यवसाय द्वारा स्वामित्व, निर्मित, उसके लिए निर्मित या नियंत्रित की जाती हैं और उस सेवा या डिवाइस को बेहतर बनाना, उन्नत करना या जिसके लिए स्वामित्व, निर्माण, निर्माण किया गया है या व्यवसाय द्वारा नियंत्रित।

~~(e)~~ *(f)* "कलेक्ट", "एकत्र" या "संग्रह" का अर्थ है किसी भी माध्यम से किसी उपभोक्ता से संबंधित किसी भी व्यक्तिगत जानकारी को खरीदना, किराये पर लेना, इकट्ठा करना, प्राप्त करना, प्राप्त करना या ऐक्सेस करना। इसमें उपभोक्ता से सक्रिय रूप से या निष्क्रिय रूप से या उपभोक्ता के व्यवहार का अवलोकन करके जानकारी प्राप्त करना शामिल है।

~~(f)~~ *(g)* "वाणिज्यिक उद्देश्य" का अर्थ किसी व्यक्ति के वाणिज्यिक या आर्थिक हितों को आगे बढ़ाना है, जैसे कि किसी अन्य व्यक्ति को उत्पादों, वस्तुओं, संपत्ति, सूचना, या सेवाओं को खरीदने, प्रदान करने, या विनिमय करने या सक्षम करने के लिए प्रेरित करना, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, एक वाणिज्यिक लेन-देन है। ~~"वाणिज्यिक उद्देश्य "में वो व्याख्यान शामिल नहीं होते हैं जो कि राज्य या संघीय न्यायालयों ने गैर-वाणिज्यिक व्याख्यान के रूप में पहचाना है, जिसमें राजनीतिक व्याख्यान और पत्रकारिता शामिल हैं।~~

(h) "सहमति" का अर्थ किसी भी स्वतंत्र रूप से दिए गए, विशिष्ट, सूचित, और उपभोक्ता की इच्छाओं के प्रति स्पष्ट संकेत है जिसके द्वारा उपभोक्ता, या उपभोक्ता का कानूनी अभिभावक, एक व्यक्ति जिसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी है, या उपभोक्ता के लिए एक रूढ़िवादी के रूप में अधिनियमित करने वाला व्यक्ति शामिल है, सहित एक बयान या एक स्पष्ट सकारात्मक कार्रवाई के द्वारा, उपभोक्ता से संबंधित व्यक्तिगत जानकारी के प्रसंस्करण के लिए एक संकीर्ण रूप से परिभाषित विशेष उद्देश्य के लिए समझौते को दर्शाता है। सामान्य या व्यापक उपयोग की शर्तों, या इसी तरह के दस्तावेज़ की स्वीकृति, जिसमें अन्य, असंबंधित जानकारी के साथ व्यक्तिगत जानकारी प्रसंस्करण के विवरण शामिल हैं, सहमति का गठन नहीं करता है। सामाग्री के किसी हिस्से पर मंडराना, उसे म्यूट करना, उसे रोकना या बंद करना सहमति का गठन नहीं करता है। इसी तरह, डार्क पैटर्न के उपयोग के माध्यम से प्राप्त समझौता सहमति का गठन नहीं करता है।

~~(g)~~ *(i)* "उपभोक्ता" का अर्थ है एक प्राकृतिक व्यक्ति जो California का निवासी है, जैसा कि California विनिमयन कोड के शीर्षक 18 के अनुभाग 17014 में परिभाषित किया गया है, जैसा कि यह अनुभाग 1 सितंबर, 2017 को पढ़ा गया था, हालांकि इसकी पहचान किसी भी विशिष्ट पहचानकर्ता द्वारा की गई थी।

(j) (1) "ठेकेदार" से आशय उस व्यक्ति से है, जिसे व्यवसाय किसी व्यावसायिक उद्देश्य के लिए किसी उपभोक्ता की व्यक्तिगत जानकारी उपलब्ध कराता है, जो व्यवसाय के साथ एक लिखित अनुबंध का अनुसरण करता है, बशर्ते कि वह अनुबंध:

(A) ठेकेदार को प्रतिबंधित करता है:

(i) व्यक्तिगत जानकारी बेचना या साझा करना।

(ii) अनुबंध में निर्दिष्ट व्यावसायिक उद्देश्यों के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए व्यक्तिगत जानकारी को फिर से प्राप्त करना, उपयोग करना या खुलासा करना, जिसमें अनुबंध में निर्दिष्ट व्यावसायिक उद्देश्यों के अलावा किसी व्यावसायिक उद्देश्य के लिए व्यक्तिगत जानकारी को बनाए रखना, उपयोग करना या खुलासा करना शामिल है, या अन्यथा जिसकी इस शीर्षक में अनुमति दी गई है।

(iii) ठेकेदार और व्यवसाय के बीच प्रत्यक्ष व्यापारिक संबंधों के बाहर जानकारी को फिर से प्राप्त करना, उपयोग करना या प्रकट करना।

(iv) व्यक्तिगत जानकारी, जिसे ठेकेदार व्यक्तिगत जानकारी के साथ व्यापार के साथ एक लिखित अनुबंध के अनुसरण में प्राप्त करता है, को किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों से प्राप्त करता है, या उपभोक्ता के साथ अपनी स्वयं की बातचीत से एकत्र करता है, बशर्ते कि ठेकेदार उपखंड (e) के परिच्छेद (6) और California सुरक्षा संरक्षण एजेंसी द्वारा अपनाए गए विनियमों को छोड़कर, अनुभाग 1798.185 के उपखंड (a) के परिच्छेद (10) के अनुसरण में अपनाए गए विनियमों में परिभाषित किए गए किसी भी व्यावसायिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए व्यक्तिगत जानकारी को जोड़ सकता है।

(B) ठेकेदार द्वारा बनाया गया एक प्रमाणन शामिल है कि ठेकेदार उप-अनुच्छेद (A) के प्रतिबंधों को समझता है और उनका अनुपालन करेगा।

(C) ठेकेदार के साथ समझौते के अधीन, उपायों के माध्यम से अनुबंध के साथ ठेकेदार के अनुपालन की निगरानी करने के लिए व्यापार, सहित, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है, हर 12 महीने में कम से कम एक बार चल रही मैनुअल समीक्षा और स्वचालित स्कैन और नियमित आंकलन, लेखा-परीक्षण या अन्य तकनीकी और परिचालन परीक्षण कर सकता है।

(2) यदि कोई ठेकेदार किसी अन्य व्यक्ति को व्यवसाय की ओर से किसी व्यावसायिक उद्देश्य के लिए व्यक्तिगत जानकारी को संसाधित करने में सहायता करने के लिए संलग्न करता है, या यदि ठेकेदार द्वारा लगाए गए किसी अन्य व्यक्ति को उस व्यावसायिक उद्देश्य के लिए व्यक्तिगत जानकारी को संसाधित करने में सहायता करने के लिए संलग्न किया है, तो यह सूचित करेगा उस नियुक्ति का कारण, और नियुक्ति एक लिखित अनुबंध के अनुसरण में होगी जो दूसरे व्यक्ति को परिच्छेद (1) में निर्धारित सभी आवश्यकताओं का पालन करने के लिए बाध्य करेगा।

(k) "क्रॉस-कोंटेक्स्ट बिहेवियरल एडवरटाइजिंग" का अर्थ है उपभोक्ता के व्यवसाय से जुड़ी उपभोक्ता की व्यक्तिगत जानकारी, विशिष्ट ब्रांडेड वेबसाइट, आवेदन, या सेवाओं के अलावा व्यवसाय से अलग, विशिष्ट ब्रांडेड वेबसाइट, आवेदन के आधार पर किसी उपभोक्ता को विज्ञापन का लक्ष्य बनाने, या सेवा जिसके साथ उपभोक्ता इरादतन बातचीत करता है।

(l) "डार्क पैटर्न" का अर्थ है एक उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस जिसे उपयोगकर्ता द्वारा स्वायत्तता, निर्णय लेने या चुनाव करने के लिए दबाव डालने या बिगाड़ने के पर्याप्त प्रभाव के साथ डिज़ाइन या हेरफेर किया गया है, जैसा कि विनियमन द्वारा परिभाषित किया गया है।

~~(h)~~ *(m)* "पहचान न करने योग्य बनाना" का अर्थ है ऐसी जानकारी जिसका उपयोग *यथोचित रूप से जानकारी प्राप्त करने के लिए नहीं किया जा सकता है, या अन्यथा उससे जुड़ा हो, किसी विशेष उपभोक्ता ने यह जानकारी दी है कि वह व्यवसाय जिसके पास जानकारी है:*

(1) यह सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय करता है कि जानकारी किसी उपभोक्ता या परिवार से संबंधित न की जा सके।

(2) सार्वजनिक रूप से जानकारी को पहचान न करने योग्य बनाए रखने और उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध करता है और जानकारी को फिर से पहचानने का प्रयास नहीं करता है, सिवाय इसके कि व्यवसाय पूरी तरह से यह निर्धारित करने के उद्देश्य से जानकारी को फिर से पहचानने का प्रयास कर सकता है कि क्या इसकी पहचान न करने योग्य बनाने की प्रक्रिया इस उपखंड की आवश्यकताओं को पूरा करती है।

(3) इस उपखंड के सभी प्रावधानों का पालन करने के लिए जानकारी के किसी भी प्राप्तकर्ता को अनुबंधित करता है। किसी विशेष उपभोक्ता से ~~प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ने, पहचानने, वर्णन करने, सक्षम होने, बशर्ते कि ऐसा व्यवसाय जो एक ऐसी पहचान न करने योग्य बना सकने वाली जानकारी का उपयोग करता है:~~

~~(1) उस व्यवसाय ने तकनीकी सुरक्षा उपायों को लागू किया है जो उस उपभोक्ता को पहचानने पर रोक लगाते हैं जिनसे जानकारी प्राप्त की जा सकती है।~~

~~(2) उस व्यवसाय ने ऐसी व्यावसायिक प्रक्रियाएं लागू की हैं जो विशेष रूप से जानकारी की पुन: पहचान पर रोक लगाती हैं।~~

~~(3) उस व्यवसाय ने पहचान न करने योग्य बना सकने वाली जानकारी को अनजाने में जारी होने से रोकने के लिए व्यावसायिक प्रक्रियाओं को लागू किया है।~~

~~(4) वह व्यवसाय जानकारी को फिर से प्रकट करने का कोई प्रयास नहीं करता है।~~

~~(i)~~ *(n)* "अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए नामित तरीके" का अर्थ है एक मेलिंग पता, ईमेल पता, इंटरनेट वेब पेज, इंटरनेट वेब पोर्टल, टोल-फ्री टेलीफ़ोन नंबर, या अन्य लागू होने वाली संपर्क जानकारी, जिससे उपभोक्ता इस शीर्षक के तहत अनुरोध या निर्देश प्रस्तुत कर सकते हैं, और अनुभाग 1798.185 के अनुसरण में महान्यायवादी अनुमोदित करके किसी व्यवसाय से संपर्क करने का कोई भी नया, उपभोक्ता-अनुकूल साधन।

~~(j)~~ *(o)* "डिवाइस" का अर्थ है कोई भी भौतिक वस्तु जो इंटरनेट से सीधे या परोक्ष रूप से या किसी अन्य डिवाइस से कनेक्ट होने में सक्षम है।

~~(k) "स्वास्थ्य बीमा जानकारी" का अर्थ है एक उपभोक्ता की बीमा पॉलिसी संख्या या ग्राहक पहचान संख्या, उपभोक्ता की पहचान करने के लिए स्वास्थ्य बीमाकर्ता द्वारा उपयोग किया जाने वाला कोई भी विशिष्ट पहचानकर्ता, या उपभोक्ता के कार्यान्वयन में कोई जानकारी और दावा करने वाले इतिहास, यदि जानकारी लिंक है या किसी व्यवसाय या सेवा प्रदाता द्वारा एक उपकरण के माध्यम से उपभोक्ता या घर के लिए उचित रूप से जोड़ने योग्य जिसमें कोई भी अपील रिकॉर्ड शामिल हैं।~~

~~(l)~~ *(p)* "होमपेज" का अर्थ है एक इंटरनेट वेबसाइट का परिचयात्मक पृष्ठ और कोई भी इंटरनेट वेब पेज जहां व्यक्तिगत जानकारी एकत्र की जाती है। ऑनलाइन सेवा के मामले में, जैसे कि मोबाइल आवेदन, होमपेज का अर्थ है आवेदन का प्लेटफ़ॉर्म पेज या डाउनलोड पृष्ठ, आवेदन के भीतर एक लिंक, जैसे आवेदन कॉन्फ़िगरेशन, "विवरण," "जानकारी, या "सेटिंग्स पृष्ठ" से और कोई अन्य स्थान जो उपभोक्ताओं को ऐप्लिकेशन डाउनलोड करने से पहले, *इस शीर्षक* सहित अनुभाग ~~1798.135 के उपखंड (a)~~ द्वारा आवश्यक ~~नोटिस~~, *नोटिसों* की समीक्षा करने की अनुमति देता है, जिसमें ये शामिल है लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है।

(q) "परिवार" का अर्थ है, एक समूह, जो उपभोक्ताओं की पहचान करता है, जो एक ही आवासीय पते पर एक-दूसरे के साथ निवास करते हैं और आम उपकरणों या सेवाओं का उपयोग करते हैं।

~~(m)~~ *(r)* "इंफ़र" या "इंफ़रेंस" का अर्थ है जानकारी, डेटा, मान्यताओं या निष्कर्षों को तथ्यों, सबूतों या सूचना या डेटा के किसी अन्य स्रोत से प्राप्त करना।

(s) "इरादतन बातचीत करता है" का अर्थ है, जब उपभोक्ता किसी व्यक्ति के साथ एक या अधिक माध्यम से बातचीत करना चाहता है, जिसमें व्यक्ति की वेबसाइट पर जाना या व्यक्ति से कोई उत्पाद या सेवा खरीदना शामिल है। सामाग्री के किसी हिस्से पर होवर करना, म्यूट करना, उस पर अनिश्चित होना, उसे रोकना या बंद करना किसी व्यक्ति के साथ बातचीत करने के लिए उपभोक्ता के सहमति का गठन नहीं करता है।

(t) "गैर-व्यक्तिगत विज्ञापन" का अर्थ है वह विज्ञापन और विपणन जो उपभोक्ता के सटीक जियोलोकेशन के अपवाद के साथ व्यापार के साथ उपभोक्ता की वर्तमान बातचीत से प्राप्त एक उपभोक्ता की व्यक्तिगत जानकारी पर आधारित है।

~~(n)~~ *(u)* "व्यक्ति" का अर्थ है कोई व्यक्ति, स्वामित्व, फ़र्म, साझेदारी, संयुक्त उद्यम, सिंडिकेट, व्यापार ट्रस्ट, कंपनी, निगम, सीमित देयता कंपनी, संघ, समिति, और किसी अन्य संगठन या साथ मिल कर काम करने वाले व्यक्तियों का समूह।

~~(o)~~ *(v)* (1) "व्यक्तिगत जानकारी" का अर्थ है वह जानकारी जो किसी विशेष उपभोक्ता या घराने से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी होने, पहचानने, वर्णन करने, यथोचित रूप से सक्षम हो, या *यथोचित* रूप से जुड़ी हो सकती है। व्यक्तिगत जानकारी में शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है, यदि किसी विशेष उपभोक्ता या परिवार की, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, पहचान की जाती है, से संबंधित है, वर्णन करती है, *यथोचित* रूप से संबंधित किये जाने में सक्षम है:

(A) असली नाम, उपनाम, डाक पता, अद्वितीय व्यक्तिगत पहचानकर्ता, ऑनलाइन पहचानकर्ता, इंटरनेट प्रोटोकॉल पता, ईमेल पता, खाता नाम, सामाजिक सुरक्षा नंबर, चालक का लाइसेंस नंबर, पासपोर्ट नंबर, या अन्य जैसे समान पहचानकर्ता।

(B) अनुभाग 1798.80 के उपखंड (e) में वर्णित व्यक्तिगत जानकारी की कोई भी ~~श्रेणियां।~~

(C) California या संघीय कानून के तहत संरक्षित वर्गीकरण की विशेषताएं।

(D) व्यक्तिगत संपत्ति, उत्पादों या सेवाओं के रिकॉर्ड, खरीदी, प्राप्त या विचार, या अन्य खरीद या उपभोग या प्रवृत्ति के रिकॉर्ड सहित वाणिज्यिक जानकारी।

(E) बायोमेट्रिक जानकारी।

(F) इंटरनेट या अन्य इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क गतिविधि की जानकारी, जिसमें ब्राउज़िंग इतिहास, खोज इतिहास, और इंटरनेट वेबसाइट एप्लिकेशन या विज्ञापन के साथ उपभोक्ता के संपर्क के बारे में जानकारी शामिल है लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है।

(G) जियोलोकेशन डेटा।

(H) ऑडियो, इलेक्ट्रॉनिक, दृश्य, थर्मल, घ्राण संबंधी (सूंघने से संबंधित), या इसी तरह की जानकारी।

(I) पेशेवर या रोज़गार से संबंधित जानकारी।

(J) शिक्षा की जानकारी, जिसे पारिवारिक शैक्षिक अधिकारों और निजता अधिनियम (Family Educational Rights and Privacy Act) (20 U.S.C. अनुभाग 1232 g; 34 C.F.R. भाग 99) में परिभाषित सार्वजनिक रूप से उपलब्ध व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी के रूप में परिभाषित नहीं किया गया है।

(K) इस उपखंड में पहचानी गई किसी भी जानकारी से तैयार किए गए संदर्भ उपभोक्ता की प्राथमिकताओं, विशेषताओं, मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों, भविष्यवाणियों, व्यवहार, दृष्टिकोण, बुद्धिमत्ता, योग्यता और योग्यता को दर्शाते हुए एक प्रोफ़ाइल बनाते हैं।

(L) संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी।

(2) "व्यक्तिगत जानकारी" में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी *या कानूनी रूप से प्राप्त सत्य जानकारी शामिल नहीं है, जो सार्वजनिक चिंता का विषय है*। इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, "सार्वजनिक रूप से उपलब्ध" का अर्थ है*:* वह जानकारी जो संघीय, राज्य या स्थानीय सरकार के रिकॉर्ड *से वैध रूप से उपलब्ध कराई जाती है, या यह जानकारी कि किसी व्यवसाय के पास वैध रूप से विश्वास करने के लिए एक उचित आधार है जिसे उपभोक्ता द्वारा आम तौर पर उपलब्ध कराया जाता है या व्यापक रूप से वितरित मीडिया से, या उपभोक्ता द्वारा; या किसी व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी, जिसके बारे में उपभोक्ता ने जानकारी का खुलासा किया हो, यदि उपभोक्ता ने विशिष्ट दर्शकों तक जानकारी को सीमित नहीं किया है।* "सार्वजनिक रूप से उपलब्ध" होने का अर्थ किसी उपभोक्ता द्वारा उपभोक्ता के ज्ञान के बिना किसी व्यवसाय द्वारा एकत्र की गई बायोमेट्रिक जानकारी नहीं है।

(3) "व्यक्तिगत जानकारी" में उस उपभोक्ता जानकारी को शामिल नहीं किया गया है जो उपभोक्ता जानकारी को पहचान न करने योग्य बनाई गई या एकत्रित की गई।

(w) "सटीक जियोलोकेशन" का अर्थ है कि कोई भी डेटा जो किसी डिवाइस से प्राप्त होता है और जिसका उपयोग या भावी उपयोग किसी भौगोलिक क्षेत्र के भीतर एक उपभोक्ता का पता लगाने के लिए किया जाता है, जो 1,850 फ़ीट की त्रिज्या वाले सर्कल के क्षेत्र के बराबर या उससे कम होता है, सिवाय विनियमों के अनुसरण में।

~~(p)~~ *(x)* "संभाव्य पहचानकर्ता" का अर्थ है एक उपभोक्ता या *उपभोक्ता के* उपकरण की पहचान, व्यक्तिगत जानकारी की किसी भी श्रेणी में गणना किये गये के आधार पर नहीं बल्कि उससे अधिक संभावना की निश्चितता की एक हद के आधार पर, जिसकी व्यक्तिगत जानकारी की परिभाषा में गणना की गई है।

~~(q)~~ *(y)* "प्रसंस्करण" का अर्थ है किसी भी ऑपरेशन या ऑपरेशन का सेट जो व्यक्तिगत ~~डेटा~~ *जानकारी* पर या व्यक्तिगत ~~डेटा~~ *जानकारी* के आधार पर किया जाता है, चाहे स्वचालित साधनों द्वारा किया गया हो या नहीं।

(z) "प्रोफ़ाइलिंग" का अर्थ किसी भी व्यक्ति की प्राकृतिक जानकारी से संबंधित कुछ व्यक्तिगत पहलुओं और विशेष रूप से विश्लेषण करने या भविष्यवाणी करने के लिए अनुभाग 1798.185 के उपखंड (a) के परिच्छेद (16) के अनुसरण में नियमों के अनुसरण में व्यक्तिगत जानकारी के स्वचालित प्रसंस्करण का है जिसमें काम, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, व्यक्तिगत वरीयताओं, हितों, विश्वसनीयता, व्यवहार, स्थान, या आंदोलनों में उस प्राकृतिक व्यक्ति के प्रदर्शन से संबंधित पहलू हैं।

~~(r)~~ *(aa)* "छद्म नाम" या "छद्म नामकरण" का अर्थ है व्यक्तिगत जानकारी का प्रसंस्करण इस तरह से होता है जो अतिरिक्त जानकारी के उपयोग के बिना किसी विशिष्ट उपभोक्ता के लिए व्यक्तिगत

जानकारी प्रदान नहीं करता है, बशर्ते कि अतिरिक्त जानकारी अलग से रखी गई हो और तकनीकी और संगठन के उपायों के अधीन हो यह सुनिश्चित करने के लिए कि व्यक्तिगत जानकारी किसी पहचाने गए या पहचाने जाने योग्य उपभोक्ता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है।

~~(s)~~ *(ab)* "अनुसंधान" का अर्थ है *वैज्ञानिक विश्लेषण*, व्यवस्थित अध्ययन और अवलोकन, जिसमें बुनियादी अनुसंधान या लागू होने वाला अनुसंधान शामिल है जो सार्वजनिक हित में सार्वजनिक या *वैज्ञानिक ज्ञान को विकसित करने* या योगदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और जो अन्य सभी लागू नैतिकता और निजता कानूनों *का पालन करता है, या इसके अनुरूप है,* या उसके सहित, सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में ~~सार्वजनिक हित में~~ किए गए अध्ययन लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है। व्यक्तिगत जानकारी के साथ अनुसंधान जो किसी उपभोक्ता के व्यवसाय की सेवा या डिवाइस के साथ उपभोक्ता की पारस्परिक क्रिया के दौरान एकत्र की गई हो सकती है:

(1) उस व्यावसायिक उद्देश्य के साथ संगत जिसके लिए व्यक्तिगत जानकारी एकत्र की गई थी।

(2) इसके बाद छद्म नाम और पहचान न करने योग्य बनाई गई, या पहचान न करने योग्य बनाई गई और कुल मिलाकर, जैसे कि जानकारी किसी *व्यवसाय* द्वारा किसी विशेष उपभोक्ता को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, संबंधित होने, पहचानने, वर्णन करने, सक्षम होने या उससे जुड़े होने में सक्षम होने की पहचान नहीं कर सकती है।

(3) तकनीकी सुरक्षा उपायों के अधीन बनाया गया है, जो उपभोक्ता को उस जानकारी को प्राप्त करने पर रोक लगाता है, जिससे अनुसंधान का समर्थन करने की आवश्यकता के अलावा *अन्य जानकारी प्राप्त हो सकती है*।

(4) व्यावसायिक प्रक्रियाओं के अधीन हैं जो विशेष रूप से अनुसंधान को आवश्यक समर्थन देने के अलावा *व्यावसायिक प्रक्रियाओं के अधीन हैं जो विशेष रूप से जानकारी की पुन: पहचान पर रोक लगाते हैं*।

(5) पहचान न करने योग्य बनाई गई जानकारी को अनजाने में जारी होने से रोकने के लिए व्यावसायिक प्रक्रियाओं के अधीन हैं।

(6) किसी भी पुन: पहचान प्रयासों से संरक्षित।

(7) पूरी तरह से उन अनुसंधान उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है जो उस संदर्भ के साथ संगत होते हैं जिसमें व्यक्तिगत जानकारी एकत्र की गई थी।

(8) ~~किसी भी अभिन्न उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।~~

~~(9)~~ उन अतिरिक्त सुरक्षा नियंत्रणों के लिए अनुसंधान का संचालन करने वाले व्यवसाय के अधीन जो अनुसंधान डेटा तक पहुंच को केवल उन्हीं व्यक्तियों तक सीमित रखते हैं जो ~~व्यवसाय~~ में हैं और अनुसंधान उद्देश्य को पूरा करने के लिए आवश्यक हैं।

(ac) "सुरक्षा और अखंडता" का मतलब है:

(1) उन सुरक्षा घटनाओं का पता लगाने के लिए नेटवर्क या सूचना प्रणालियां जो संग्रहीत या प्रेषित व्यक्तिगत जानकारी की उपलब्धता, प्रामाणिकता, अखंडता, और निजता से समझौता करती हैं।

(2) सुरक्षा घटनाओं का पता लगाने, दुर्भावनापूर्ण, भ्रामक, धोखाधड़ी युक्त या अवैध कार्यों का पता लगाने और उन कार्यों के लिए जिम्मेदार लोगों पर मुकदमा चलाने में मदद करने वाले व्यवसाय।

(3) प्राकृतिक व्यक्तियों की शारीरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यवसाय।

~~(t)~~ *(ad)* (1) "बेचना," "बिक्री," "विक्रय," या "बिक चुका," का अर्थ है व्यवसाय द्वारा किसी ~~अन्य व्यवसाय~~ अथवा तृतीय पक्ष को मौद्रिक या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए उपभोक्ता की व्यक्तिगत जानकारी को बेचना, किराए पर देना, जारी करना, खुलासा करना, प्रचार करना, उपलब्ध कराना, स्थानान्तरण करना, या अन्यथा मौखिक, लिखित या इलेक्ट्रॉनिक या अन्य माध्यम से संचारित करना।

(2) इस शीर्षक के प्रयोजनों के लिए, कोई व्यवसाय व्यक्तिगत जानकारी को तब नहीं बेचता है जब:

(A) कोई उपभोक्ता इरादतन निम्न के लिए व्यवसाय का उपयोग करता है या निर्देशित करता है:

(i) व्यक्तिगत जानकारी को प्रकट करता है।

(ii) ~~किसी~~ *एक या एक से अधिक तृतीय* ~~पक्ष~~ *पक्षों* के साथ इरादतन बातचीत करने के लिए व्यवसाय का उपयोग करता है। ~~बशर्ते कि तृतीय पक्ष व्यक्तिगत जानकारी को तब तक न बेचे, जब तक कि यह खुलासा इस शीर्षक के प्रावधानों के अनुरूप न हो। जब कोई उपभोक्ता एक या एक से अधिक इरादतन बातचीतों के माध्यम से तृतीय पक्ष के साथ बातचीत करना चाहता है तो एक इरादतन बातचीत होती है। किसी भी सामग्री पर होवर करना, म्यूट करना, रोकना या बंद करना किसी तृतीय पक्ष से बातचीत करने का इरादा नहीं बनता है।~~

(B) व्यवसाय ऐसे किसी उपभोक्ता के लिए एक पहचानकर्ता का उपयोग करता है या साझा करता है, जो उपभोक्ता की व्यक्तिगत जानकारी की बिक्री के विकल्प से बाहर निकल गया हो *या उपभोक्ता की संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी के उपयोग को* केवल ~~तृतीय पक्ष~~ के *उन व्यक्तियों* को सचेत करने के प्रयोजनों के लिए सीमित कर दिया हो जिसका विकल्प उपभोक्ता ने अपनी व्यक्तिगत जानकारी की बिक्री के लिए दिया हो *या जिसने उपभोक्ता की संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी के उपयोग को सीमित किया हो।*

~~(C) व्यवसाय किसी सेवा प्रदाता के साथ उपभोक्ता की उस व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग करता है या साझा करता है जो निम्नलिखित शर्तों में से दोनों के पूरा होने पर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए आवश्यक है:~~

~~(i) व्यवसाय ने अनुभाग 1798.135 के अनुरूप अपने नियमों और शर्तों में उपयोग या साझा की जा रही जानकारी के बारे में सूचना प्रदान की है।~~

~~(ii) सेवा प्रदाता व्यावसायिक प्रयोजन को पूरा करने के लिए आवश्यक को छोड़कर उपभोक्ता की व्यक्तिगत जानकारी को आगे एकत्रित, बिक्री या उपयोग नहीं करता है।~~

~~(D)~~ *(C)* व्यवसाय किसी तृतीय पक्ष को किसी उपभोक्ता की व्यक्तिगत जानकारी को एक संपत्ति के रूप में स्थानांतरित करता है जो किसी विलय, अधिग्रहण, दिवालियापन, या अन्य ऐसे लेनदेन का हिस्सा होती है जिसमें तृतीय पक्ष पूरे व्यवसाय या उसके हिस्से को नियंत्रित करता है, बशर्ते कि जानकारी का उपयोग या साझा *इस शीर्षक* के ~~अनुभागों 1798.110 और 1798.115~~ के साथ संगतता में किया जाता है। यदि कोई तृतीय पक्ष महत्वपूर्ण रूप से इसमें परिवर्तन करता है कि वह किसी उपभोक्ता की व्यक्तिगत जानकारी को किस तरह से उपयोग या साझा करता है, जो संग्रहण के समय किए गए वादों के साथ महत्वपूर्ण रूप से असंगत है, तो यह उपभोक्ता को नई या परिवर्तित प्रथा की पूर्व

24

सूचना प्रदान करेगा। यह नोटिस यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त रूप से प्रमुख और मजबूत होगा कि मौजूदा उपभोक्ता *इस शीर्षक* के ~~अनुभाग 1798.120~~ के साथ आसानी से अपने विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं। यह उप-परिच्छेद किसी व्यवसाय को निजता नीति में महत्वपूर्ण, पूर्वव्यापी परिवर्तन करने या अपनी निजता नीति में ऐसे अन्य परिवर्तन करने के लिए अधिकृत नहीं करता है जो अनुचित और भ्रामक व्यवहार अधिनियम (Unfair and Deceptive Practices Act) (व्यापार एवं व्यवसाय कोड अध्याय 5 के प्रभाग 7 के भाग 2 (अनुभाग 17200 के साथ शुरू करते हुए)) का उल्लंघन करे।

(ae) "संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी" का अर्थ है:

(1) ऐसी व्यक्तिगत जानकारी जो खुलासा करती है:

(A) किसी उपभोक्ता के सामाजिक सुरक्षा, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य पहचान पत्र, या पासपोर्ट नंबर।

(B) किसी उपभोक्ता के अकाउंट लॉग-इन, वित्तीय खाता, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड नंबर का किसी भी आवश्यक सुरक्षा या ऐक्सेस कोड, पासवर्ड, या क्रेडेंशियल के साथ संयोजन में जो किसी अकाउंट तक पहुंच की अनुमति देता हो।

(C) किसी उपभोक्ता के सटीक भू-स्थान का।

(D) किसी उपभोक्ता की नस्लीय या जातीय उत्पत्ति, धार्मिक या दार्शनिक मतों, या संघ की सदस्यता का।

(E) किसी उपभोक्ता की मेल, ईमेल और टेक्स्ट संदेशों की विषयवस्तु का जब तक कि व्यवसाय इस संचार का इच्छित प्राप्तकर्ता न हो।

(F) किसी उपभोक्ता के आनुवंशिक डेटा का।

(2) (A) किसी उपभोक्ता की विशिष्ट पहचान के उद्देश्य से बायोमेट्रिक जानकारी का प्रसंस्करण करना।

(B) किसी उपभोक्ता के स्वास्थ्य से संबंधित एकत्र एवं विश्लेषित व्यक्तिगत जानकारी।

(C) किसी उपभोक्ता के यौन जीवन या यौन अभिविन्यास से संबंधित एकत्र एवं विश्लेषित व्यक्तिगत जानकारी।

(3) उपखंड (v) के परिच्छेद (2) के अनुसरण में "सार्वजनिक रूप से उपलब्ध" संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी को संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी या व्यक्तिगत जानकारी नहीं माना जायेगा।

~~(u)~~ *(af)* "सेवा" या "सेवाओं" का अर्थ काम, श्रम, और सेवाएं, जिसमें माल की बिक्री या मरम्मत के संबंध में प्रदान सेवाएं भी शामिल हैं।

~~(v)~~ *(ag)* (1) "सेवा प्रदाता" का अर्थ है एक ~~एकल स्वामित्व, साझेदारी, सीमित देयता कंपनी, निगम, संगठन, या अन्य कानूनी इकाई जो उसके हिस्सेदारों या अन्य मालिकों के लाभ या वित्तीय लाभ के लिए संगठित या संचालित होती है,~~ *वह व्यक्ति* जो किसी व्यवसाय की ओर से *व्यक्तिगत* जानकारी संसाधित करता है तथा ~~वह जो~~ व्यवसाय *से या की ओर से* जानकारी प्राप्त करता है, किसी लिखित अनुबंध के अनुसरण में एक व्यावसायिक उद्देश्य के लिए एक उपभोक्ता की व्यक्तिगत जानकारी का ~~खुलासा करता है~~, बशर्ते कि अनुबंध ~~जानकारी प्राप्त करने वाली संस्था~~ *व्यक्ति* को निम्न से प्रतिबंधित करती है*:*

(A) व्यक्तिगत जानकारी को बेचना या साझा करना।

(B) ~~सेवाएं प्रदान करने के विशिष्ट उद्देश्य~~, व्यवसाय के अनुबंध में निर्दिष्ट *व्यावसायिक उद्देश्यों* या ~~इस शीर्षक में अनुमति प्राप्त उद्देश्यों~~ से भिन्न किसी अन्य उद्देश्य के लिए व्यक्तिगत जानकारी को बनाये रखना, उपयोग करना या उसका खुलासा करना, जिसमें ~~सेवाएं प्रदान करने~~ व्यवसाय के अनुबंध में निर्दिष्ट *व्यावसायिक उद्देश्यों* या *इस शीर्षक में अनुमति प्राप्त उद्देश्यों* से भिन्न किसी व्यावसायिक उद्देश्य के लिए व्यक्तिगत जानकारी को बनाये रखना, उपयोग करना या उसका खुलासा करना शामिल है।

(C) सेवा प्रदाता और व्यवसाय के बीच प्रत्यक्ष व्यापार संबंधों से अलग जानकारी रखना, उपयोग करना या प्रकट करना।

(D) उस व्यक्तिगत जानकारी जोड़ना, जिसे सेवा प्रदाता ने अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों, अथवा उपभोक्ता से स्वयं की बातचीत से प्राप्त व्यक्तिगत जानकारी के साथ व्यापार से या उसकी ओर से प्राप्त किया है, बशर्ते सेवा प्रदाता व्यक्तिगत जानकारी को, इस अनुभाग के उपखंड (e) के परिच्छेद (6) और California निजता संरक्षण एजेंसी द्वारा अपनाए गए विनियमों को छोड़कर, अनुभाग 1798.185 के उपखंड (a) के परिच्छेद (10) के अनुसरण में California सुरक्षा संरक्षण एजेंसी द्वारा अपनाए गए विनियमों को छोड़कर किसी भी व्यावसायिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए जोड़ सकता है। सेवा प्रदाता से समझौते के अधीन, अनुबंध व्यवसाय को उपायों, जिसमें हर 12 महीने में कम से कम एक बार चल रही मैनुअल समीक्षा और स्वचालित स्कैन और नियमित आंकलन, लेखा-परीक्षण या अन्य तकनीकी एवं परिचालन परीक्षण शामिल हैं लेकिन इन तक ही सीमित नहीं, के माध्यम से सेवा प्रदाता के अनुबंध के अनुपालन की निगरानी करने की अनुमति दे सकता है।

(2) यदि कोई सेवा प्रदाता किसी अन्य व्यक्ति को व्यवसाय की ओर से किसी व्यावसायिक उद्देश्य के लिए व्यक्तिगत जानकारी को संसाधित करने में सहायता करने के लिए नियुक्त करता है, या यदि सेवा प्रदाता द्वारा नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को उस व्यावसायिक उद्देश्य के लिए व्यक्तिगत जानकारी को संसाधित करने में सहायता करने के लिए नियुक्त करता है, तो वह व्यवसाय को नियुक्ति की सूचना देगा, और यह नियुक्ति एक लिखित अनुबंध के अनुसरण में होगी जो दूसरे व्यक्ति को परिच्छेद (1) में निर्धारित सभी आवश्यकताओं का पालन करने के लिए बाध्य करेगी।

(ah) (1) "साझा करें," "साझा", या "साझा करना" का अर्थ है साझा करना, किराए पर लेना, जारी करना, खुलासा करना, प्रचार करना, उपलब्ध कराना, स्थानांतरित करना, या अन्यथा मौखिक रूप से संवाद करना, या लिखित या इलेक्ट्रॉनिक या अन्य माध्यमों से, क्रॉस-रेफरेंस बिहेवियरल विज्ञापन के लिए बिज़नेस द्वारा उपभोक्ता की व्यक्तिगत जानकारी, मौद्रिक या अन्य मूल्यवान विचार के लिए, व्यापार के बीच लेन-देन और तृतीय-भागी के लिए ट्रांज़ैक्शनल बिहेवियर एडवर्टाइज़मेंट के लिए विज्ञापन सहित कोई धन का आदान-प्रदान नहीं किया जाता है।

(2) इस शीर्षक के प्रयोजनों के लिए, कोई व्यवसाय व्यक्तिगत जानकारी को तब साझा नहीं करता है जब:

(A) एक उपभोक्ता व्यक्तिगत जानकारी का इरादतन खुलासा करने या इरादतन एक या अधिक तृतीय पक्षों के साथ बातचीत करने के लिए व्यवसाय का उपयोग करता है या उसे निर्देशित करता है।

(B) व्यवसाय किसी उपभोक्ता, जिसने उपभोक्ता की व्यक्तिगत जानकारी को साझा करने के विकल्प से मना कर दिया है या उपभोक्ता की संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी के उपयोग को सीमित कर दिया

24

है, के लिए उन लोगों को सचेत करने के प्रयोजनों के लिए पहचान, इस्तेमाल या साझा करता है कि उपभोक्ता ने उपभोक्ता की व्यक्तिगत जानकारी को साझा करने के विकल्प से मना कर दिया है या उपभोक्ता की संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी के उपयोग को सीमित कर दिया है।

(C) व्यवसाय किसी तृतीय पक्ष को किसी उपभोक्ता की व्यक्तिगत जानकारी को विलय, अधिग्रहण, दिवालियापन, या अन्य लेनदेन जिसमें तृतीय पक्ष पूर्ण व्यवसाय या उसके एक हिस्से का नियंत्रण ले लेता है, में एक संपत्ति के रूप में हस्तांतरित करता है, बशर्ते कि जानकारी इस शीर्षक अनुसरण में उपयोग या साझा की जाए। यदि कोई तृतीय पक्ष महत्वपूर्ण रूप से इसमें परिवर्तन करता है कि वह किसी उपभोक्ता की व्यक्तिगत जानकारी को किस तरह से उपयोग या साझा करता है, जो संग्रहण के समय किए गए वादों के साथ महत्वपूर्ण रूप से असंगत है, तो यह उपभोक्ता को नई या परिवर्तित प्रथा की पूर्व सूचना प्रदान करेगा। यह नोटिस यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त रूप से प्रमुख और मजबूत होगा कि मौजूदा उपभोक्ता इस शीर्षक के साथ आसानी से अपने विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं। यह उप-परिच्छेद किसी व्यवसाय को निजता नीति में महत्वपूर्ण, पूर्वव्यापी परिवर्तन करने या अपनी निजता नीति में ऐसे अन्य परिवर्तन करने के लिए अधिकृत नहीं करता है जो अनुचित और भ्रामक व्यवहार अधिनियम (व्यापार एवं व्यवसाय कोड अध्याय 5 के प्रभाग 7 के भाग 2 (अनुभाग 17200 के साथ शुरू करते हुए)) का उल्लंघन करे।

~~(w)~~ *(ai)* "तृतीय पक्ष" का अर्थ है कोई व्यक्ति जो निम्नलिखित में से कोई भी नहीं है:

(1) वह व्यवसाय *जिससे उपभोक्ता इरादतन संवाद करता है और* जो उपभोक्ता से व्यक्तिगत जानकारी को इस शीर्षक के तहत व्यावसायिक ~~उपभोक्ताओं के साथ उपभोक्ता के वर्तमान संवाद के हिस्से के रूप~~ में एकत्र करता है।

(2) *व्यवसाय के लिए सेवा प्रदाता।*

(3) ठेकेदार।

~~(A) वह व्यक्ति जिसे व्यवसाय एक लिखित अनुबंध का अनुसरण करते हुए किसी व्यावसायिक उद्देश्य के लिए किसी उपभोक्ता की व्यक्तिगत जानकारी उपलब्ध कराता है, बशर्ते कि वह अनुबंध:~~

~~(i) व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने वाले व्यक्ति को निम्न से प्रतिबंधित करता है:~~

~~(I) व्यक्तिगत जानकारी बेचना।~~

~~(II) अनुबंध में निर्दिष्ट सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए व्यक्तिगत जानकारी को बनाए रखना, उपयोग करना या खुलासा करना, जिसमें अनुबंध में निर्दिष्ट सेवाएं प्रदान करने के अलावा किसी व्यावसायिक उद्देश्य के लिए व्यक्तिगत जानकारी को बनाए रखना, उपयोग करना या खुलासा करना शामिल है।~~

~~(III) व्यक्ति और व्यवसाय के बीच प्रत्यक्ष व्यापार संबंधों के बाहर की जानकारी को बनाए रखना, उपयोग करना या प्रकट करना।~~

~~(ii) व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा बनाया गया एक प्रमाण पत्र शामिल है कि व्यक्ति उप-परिच्छेद (A) के प्रतिबंधों को समझता है और उनका अनुपालन करेगा।~~

~~(B) इस परिच्छेद के तहत आने वाला व्यक्ति जो इस शीर्षक में उल्लिखित किसी भी प्रतिबंध का उल्लंघन करता है, उल्लंघन के लिए उत्तरदायी होगा। कोई व्यवसाय जो इस परिच्छेद का अनुपालन करते हुए इस परिच्छेद के तहत आने वाले किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा करता है, तो यदि व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने वाला व्यक्ति इस शीर्षक में उल्लिखित प्रतिबंधों के उल्लंघन में इसका उपयोग करता है तो वह व्यवसाय इस शीर्षक के तहत उत्तरदायी नहीं होगा, बशर्ते कि व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा करने का समय व्यवसाय के पास कोई वास्तविक ज्ञान, या ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है, कि वह व्यक्ति इस तरह के उल्लंघन का इरादा रखता है।~~

~~(x)~~ *(aj)* "विशिष्ट पहचानकर्ता" या "विशिष्ट व्यक्तिगत पहचानकर्ता" का अर्थ है एक स्थायी पहचानकर्ता जिसका उपयोग किसी उपभोक्ता, परिवार, या किसी उपभोगता या परिवार से जुड़े उपकरण को भविष्य में तथा विभिन्न सेवाओं में पहचानने के लिए उपयोग किया जा सकता है, जिसमें शामिल हैं लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, एक उपकरण पहचानकर्ता; एक इंटरनेट प्रोटोकॉल पता; कुकीज़, बीकन, पिक्सल टैग, मोबाइल विज्ञापन पहचानकर्ता या कोई समान तकनीक; ग्राहक संख्या, अद्वितीय छद्म नाम या उपयोगकर्ता उपनाम; टेलीफोन नंबर, या स्थायी अथवा संभावित पहचानकर्ता के अन्य रूप जिनका उपयोग *किसी उपभोक्ता या परिवार से जुड़े* किसी विशेष उपभोक्ता या उपकरण को पहचानने के लिए किया जा सकता है। इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, "परिवार" का अर्थ है एक संरक्षक माता-पिता या अभिभावक और 18 वर्ष से कम *उम्र* का कोई ~~नाबालिग~~ बच्चा, जिसकी कस्टडी माता-पिता या संरक्षक के पास है।

~~(y)~~ *(ak)* "सत्यापन योग्य उपभोक्ता अनुरोध" का अर्थ वह अनुरोध है जो किसी उपभोक्ता द्वारा उपभोक्ता के नाबालिग बच्चे की ओर से ~~या~~ किसी प्राकृतिक व्यक्ति या राज्य सचिव द्वारा पंजीकृत किसी उपभोक्ता द्वारा उसकी ओर से कार्य करने के लिए अधिकृत व्यक्ति द्वारा, *या किसी ऐसे व्यक्ति जिसके पास पॉवर ऑफ अटॉर्नी है या जो उपभोक्ता के लिए संरक्षक के रूप में काम कर रहा है,* द्वारा किया जाता है तथा व्यवसाय अनुभाग 1798.185 के उपखंड (a) के परिच्छेद (7) के अनुसरण में महान्यायवादी द्वारा अपनाए गए विनियमों का अनुसरण करते हुए, *व्यावसायिक रूप से उचित तरीकों का उपयोग करके*, ~~उचित रूप से~~ सत्यापित कर सके कि यह वही उपभोक्ता है जिसके बारे में व्यवसाय ने व्यक्तिगत जानकारी एकत्र की है। यदि व्यवसाय इस उपखंड और विनियमन के अनुभाग 1798.185 के उपखंड (a) के परिच्छेद (7) अनुसरण में अटॉर्नी जनरल द्वारा अपनाए गए विनियमों का अनुसरण करते हुए यह सत्यापित करने में असफल है कि अनुरोधकर्ता उपभोक्ता ही वह उपभोक्ता है या वह उपभोक्ता की ओर से कार्य करने के लिए अधिकृत है, तो व्यवसाय उपभोक्ता को अनुभाग 1798.110 और 1798.115 के तहत जानकारी देने*, अनुभाग 1798.105 के तहत व्यक्तिगत जानकारी मिटाने, या अनुभाग 1798.106 के तहत गलत व्यक्तिगत जानकारी सही करने* के लिए बाध्य नहीं होगा।

अनुभाग 15. नागरिक संहिता के अनुभाग 1798.145 को इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया गया है:

1798.145. छूटें

~~1798.145.~~ (a) इस शीर्षक द्वारा व्यवसायों पर लगाए गए दायित्वों से व्यवसाय की क्षमता इनके लिए सीमित नहीं होगी:

(1) संघीय, राज्य या स्थानीय कानूनों का अनुपालन करना *या जानकारी प्रदान करने के लिए न्यायालय के आदेश या उप-आदेश का अनुपालन करना*।

(2) दीवानी, आपराधिक, या विनियामक पूछताछ, जांच, उप आदेश या संघीय, राज्य या स्थानीय अधिकारियों द्वारा सम्मन का अनुपालन करना। *पुलिस और शेरिफ विभाग सहित कानून प्रवर्तन एजेंसियां किसी कानून प्रवर्तन एजेंसी के अनुसरण में एक सक्रिय केस संख्या सहित अनुमोदित जांच के फलस्वरूप किसी व्यवसाय को निर्देश दे सकती है कि किसी उपभोक्ता की व्यक्तिगत जानकारी को न हटाया जाए, और ऐसा निर्देश प्राप्त होने पर, व्यवसाय व्यक्तिगत जानकारी को 90 दिनों तक नहीं हटाएगा ताकि कानून प्रवर्तन एजेंसी उपभोक्ता की व्यक्तिगत जानकारी को प्राप्त करने के लिए न्यायालय द्वारा जारी उप-आदेश, आदेश, या वारंट प्राप्त कर सके। उचित कारणों के लिए और केवल जांच उद्देश्यों के लिए आवश्यक होने की सीमा तक, कोई कानून प्रवर्तन एजेंसी किसी व्यवसाय को निर्देश दे सकती है कि वह अतिरिक्त 90 दिन की अवधि के लिए उपभोक्ता की व्यक्तिगत जानकारी को न हटाए। कोई व्यवसाय जिसे कानून प्रवर्तन एजेंसी से उस उपभोक्ता की व्यक्तिगत जानकारी को न हटाने का निर्देश मिला है, जिसने अनुरोध उपभोक्ता की व्यक्तिगत जानकारी को हटाने का अनुरोध किया है, वह न्यायालय द्वारा जारी उप-आदेश, आदेश या वारंट जवाब में इसे कानून प्रवर्तन के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए इसे बनाए रखने के अलावा किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं करेगा, जब तक कि उपभोक्ता का विलोपन अनुरोध इस शीर्षक के तहत विलोपन से छूट के अधीन न हो।*

(3) ऐसे आचरण या गतिविधि के संबंध में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग करना जो व्यवसाय, सेवा प्रदाता, या तीसरा पक्ष यथोचित और नेकनीयती में मानता है कि यह संघीय, राज्य या स्थानीय कानून का उल्लंघन हो सकता है।

(4) यदि किसी प्राकृतिक व्यक्ति को जोखिम हो या मृत्यु का खतरा हो या गंभीर शारीरिक चोट लगने का खतरा हो तो किसी उपभोक्ता की व्यक्तिगत जानकारी तक आपातकालीन पहुंच के लिए सरकारी एजेंसी के अनुरोध में सहयोग करना, बशर्ते:

(A) किसी उपभोक्ता की व्यक्तिगत जानकारी तक आपातकालीन पहुंच के लिए अनुरोध को किसी उच्च श्रेणी के एजेंसी अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

(B) यह अनुरोध एजेंसी के उस नेकनीयती में निर्धारण पर आधारित है कि उसके पास गैर-आपातकालीन आधार पर जानकारी तक पहुंचने के लिए एक कानूनी आधार है।

(C) एजेंसी तीन दिनों के भीतर एक उचित आदेश के लिए न्यायालय में याचिका दायर करने और आदेश को मंजूरी न मिलने पर जानकारी को नष्ट करने के लिए सहमत होती है।

~~(4)~~ *(5)* कानूनी दावों को लागू करना या उनका बचाव करना।

~~(5)~~ *(6)* ~~उपभोक्ता~~ *उपभोक्ताओं की ऐसी व्यक्तिगत* जानकारी को *एकत्र करना*, उपयोग करना, रखना, बेचना, *साझा करना* या खुलासा करना, जो पहचान न करने योग्य है या ग्राहक की समग्र जानकारी में शामिल है।

~~(6)~~ *(7)* किसी उपभोक्ता की व्यक्तिगत जानकारी को एकत्र करना, ~~या~~ बेचना, *या साझा करना* यदि उस वाणिज्यिक आचरण का हर पहलू पूरी तरह से California के बाहर होता है। इस शीर्षक के प्रयोजनों के लिए, वाणिज्यिक आचरण पूरी तरह से California के बाहर होता है यदि व्यवसाय उस जानकारी को उस समय एकत्र करता है, जबकि उपभोक्ता California के बाहर था, उपभोक्ता की व्यक्तिगत जानकारी की बिक्री का कोई भी हिस्सा California में नहीं हुआ, और उपभोक्ता के California में होने के दौरान एकत्र किसी भी व्यक्तिगत जानकारी को बेचा नहीं गया था। यह परिच्छेद किसी व्यवसाय को उपभोक्ता के California में होने पर उपभोक्ता की व्यक्तिगत जानकारी भंडारित करने, किसी उपकरण पर भण्डारण सहित, और उपभोक्ता एवं भंडारित व्यक्तिगत जानकारी के California के बाहर होने पर वह व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करने के लिए ~~अनुमति को~~ *प्रतिबंधित* नहीं करेगा।

(b) अनुभागों 1798.110, *1798.115, 1798.120, 1798.121, 1798.130, और 1798.135* ~~तक,~~ समावेशित, व्यवसायों पर लगाए गए दायित्व वहां लागू नहीं होंगे, जहां शीर्षक के साथ व्यवसाय का अनुपालन California कानून के तहत एक स्पष्ट विशेषाधिकार का उल्लंघन होगा और व्यवसाय को California के कानून के तहत एक विशिष्ट विशेषाधिकार द्वारा कवर किसी व्यक्ति को उपभोक्ता की व्यक्तिगत जानकारी को एक विशेषाधिकार प्राप्त भाग के रूप में प्रदान करने से व्यवसाय को नहीं रोकता है।

(c) (1) यह शीर्षक निम्नलिखित में से किसी पर भी लागू नहीं होगा:

(A) चिकित्सा जानकारी अधिनियम की निजता (Confidentiality Of Medical Information Act) (प्रभाग 1 भाग 2.6 (अनुभाग 56 के साथ शुरू होते हुए) द्वारा शासित चिकित्सा जानकारी या निजता, सुरक्षा, और संयुक्त राज्य अमेरिका स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग द्वारा जारी, स्वास्थ्य बीमा पोर्टेबिलिटी और जवाबदेही अधिनियम (Health Insurance Portability and Accountability Act), 1996 (लोक कानून 104-191) और आर्थिक एवं नैदानिक स्वास्थ्य अधिनियम (Economic and Clinical Health Act) (लोक कानून 111-5) के लिए स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी (Health Information Technology for Economic and Clinical Health Act) के अनुपालन में स्थापित संघीय विनियम संहिता के शीर्षक 45 के भाग 160 और 164 द्वारा जारी उल्लंघन अधिसूचना नियमों द्वारा शासित कवर संस्था या व्यावसायिक सहयोगी द्वारा एकत्र संरक्षित स्वास्थ्य जानकारी।

(B) चिकित्सीय जानकारी अधिनियम की निजता (प्रभाग 1 भाग 2.6 (अनुभाग 56 के साथ शुरू होते हुए) द्वारा शासित चिकित्सीय जानकारी या निजता, सुरक्षा, और संयुक्त राज्य अमेरिका स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग द्वारा जारी, स्वास्थ्य बीमा पोर्टेबिलिटी और जवाबदेही अधिनियम, 1996 (लोक कानून 104-191) और आर्थिक एवं नैदानिक स्वास्थ्य अधिनियम (लोक कानून 111-5) के लिए स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी के अनुपालन में स्थापित संघीय विनियम संहिता के शीर्षक 45 के भाग 160 और 164 द्वारा जारी उल्लंघन अधिसूचना नियमों द्वारा शासित स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता, उस सीमा तक कि प्रदाता या कवर इकाई मरीज़ की जानकारी को उसी तरह से

रखे जैसे कि चिकित्सा जानकारी या संरक्षित स्वास्थ्य जानकारी जो इस अनुभाग के उप-परिच्छेद (A) में वर्णित है।

(C) मानव प्रतिभागियों की संरक्षा के लिए संघीय नीति, जिसे अंतर्राष्ट्रीय संगतिकरण परिषद द्वारा जारी अच्छी नैदानिक प्रथाओं के दिशानिर्देशों के अनुसरण में या संयुक्त राज्य खाद्य और औषधि प्रशासन की मानव योग्य सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुवर्ती सामान्य नियम के रूप में भी जाना जाता है, किसी नैदानिक परीक्षण *या अन्य बायोमेडिकल अनुसंधान अध्ययन के तहत या के अनुसरण में आयोजित व्यक्तिगत* ~~जानकारी~~ *जानकारी, बशर्ते जानकारी को उस तरीके से न तो बेचा जाता है और न ही साझा किया जाता है जो इस उप अनुच्छेद में अनुमति नहीं है, और यदि यह असंगत है तो प्रतिभागियों को उस प्रयोग के बारे में तथा सहमति प्रदान करने* के बारे में सूचित किया जाएगा।

(2) इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, अनुभाग 56.05 में "चिकित्सा जानकारी" और "स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता" की परिभाषाएं लागू होंगी और संघीय विनियम संहिता के शीर्षक 45 के अनुभाग 160.103 में "व्यावसायिक सहयोगी," "कवर्ड संस्था" और "संरक्षित स्वास्थ्य जानकारी" की परिभाषाएं लागू होंगी।

(d) *(1)* यह शीर्षक ऐसी किसी गतिविधि पर लागू नहीं होगा जिसमें किसी उपभोक्ता की ऋण योग्यता, क्रेडिट स्टैंडिंग, क्रेडिट क्षमता, चरित्र, सामान्य प्रतिष्ठा, व्यक्तिगत विशेषताओं, या किसी उपभोक्ता रिपोर्टिंग एजेंसी द्वारा, जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका की कोड के शीर्षक 15 के अनुभाग 1581a के उपखंड (f) में परिभाषित है, जानकारी के प्रदाता द्वारा, जैसा कि अमेरिका की संहिता के शीर्षक 15 के अनुभाग 1681s-2 में उल्लेखित है, जो उपभोक्ता रिपोर्ट में उपयोग के लिए जानकारी प्रदान करता है, जैसा कि अमेरिका की संहिता के शीर्षक 15 के अनुभाग 1681a के उपखंड (d) द्वारा परिभाषित है, और अमेरिका की संहिता के शीर्षक 15 के अनुभाग 1681b की उपभोक्ता रिपोर्ट के उपयोगकर्ता द्वारा जीवन जीने की विधि पर असर डालने वाली किसी भी व्यक्तिगत जानकारी के संग्रहण, रखरखाव, प्रकटीकरण, बिक्री, संचार, या उपयोग पर लागू नहीं होगा।

(2) परिच्छेद (1) केवल तब ही लागू होगा, जब उस एजेंसी, प्रदाता या उपयोगकर्ता द्वारा एकत्रण, भण्डारण, प्रकटीकरण, बिक्री, संचार या इस प्रकार की जानकारी के उपयोग की गतिविधि फेयर क्रेडिट रिपोर्टिंग अधिनियम, अनुभाग 1681 आदि, यूनाइटेड स्टेट्स कोड के शीर्षक 15 के तहत विनियमन के अधीन है तथा वह जानकारी फेयर क्रेडिट रिपोर्टिंग एक्ट (Fair Credit Reporting Act) द्वारा अधिकृत के अलावा *एकत्र, भंडारित,* उपयोग, संचार, खुलासा या बेची नहीं जाती है।

(3) यह उपखंड अनुभाग 1798.150 पर लागू नहीं होगा।

(e) यह शीर्षक संघीय ग्राम-लीच-ब्लीली अधिनियम (Gramm-Leach-Bliley Act) (सार्वजनिक कानून 106-102) के *अधीन*~~अनुसरण में~~, तथा विनियमों, अथवा California वित्तीय सूचना निजता अधिनियम (California Financial Information Privacy Act) (वित्तीय संहिता भाग 1.4 (अनुभाग 4050 से शुरू करते हुए)*, या संघीय कृषि ऋण अधिनियम (Farm Credit Act) 1971 (12 U.S.C. 2001-2279cc में संशोधन एवं 12 C.F.R. 600 आदि नियमों के अनुसरण में)* को लागू करते हुए एकत्र, संसाधित, बेची या खुलासा की गई व्यक्तिगत जानकारी पर लागू नहीं होगा। यह उपखंड अनुभाग 1798.150 पर लागू नहीं होगा।

(f) यह शीर्षक चालक निजता संरक्षण अधिनियम (Driver's Privacy Protection Act) 1994 (18 U.S.C. Sec. 2721 एवं अन्य) के अनुसरण में एकत्र, संसाधित, बेची या खुलासा की गई व्यक्तिगत जानकारी पर लागू नहीं होगा। यह उपखंड अनुभाग 1798.150 पर लागू नहीं होगा।

(g) (1) यदि वाहन या स्वामित्व जानकारी किसी वाहन वारंटी के तहत वाहन की मरम्मत करने अथवा करने की प्रत्याशा में, या अनुभागों 30118 से 30120 के अनुसरण में वाहन की वापसी के उद्देश्य के लिए साझा की जाती है, तो एक नए मोटर वाहन विक्रेता, वाहन संहिता के अनुभाग 426 में परिभाषित अनुसरण में, और वाहन के निर्माता, वाहन संहिता के अनुभाग 672 में परिभाषित अनुसरण में, के बीच भंडारित या साझा वाहन या स्वामित्व की जानकारी पर अनुभाग 1798.120 लागू नहीं होगी, संयुक्त राज्य अमेरिका संहिता का शीर्षक 49, समावेशी, बशर्ते कि नया मोटर वाहन विक्रेता या वाहन निर्माता, जिससे वह वाहन या स्वामित्व जानकारी साझा हुई है, उस जानकारी को किसी अन्य उद्देश्य के लिए बेचता, साझा करता या उपयोग नहीं करता है।

(2) इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए:

(A) "वाहन की जानकारी" का अर्थ है वाहन की जानकारी संख्या, निर्माण, मॉडल, वर्ष और ओडोमीटर रीडिंग।

(B)"स्वामित्व जानकारी" का अर्थ है पंजीकृत स्वामी या स्वामियों के या नाम और स्वामी या स्वामियों की संपर्क जानकारी।

~~(h) (1) यह शीर्षक निम्नलिखित में से किसी पर भी लागू नहीं होगा:~~

~~(A) व्यक्तिगत जानकारी जो किसी व्यक्ति द्वारा उस व्यवसाय के कर्मचारी, मालिक, निदेशक, अधिकारी, चिकित्सीय कर्मचारी सदस्य, या ठेकेदार को नौकरी के लिए आवेदक के रूप में कार्य करने के लिए किसी स्वाभाविक व्यक्ति के बारे में किसी व्यवसायी द्वारा एकत्रित की जाती है, उस सीमा तक जहां व्यवसाय द्वारा स्वाभाविक व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी का एकत्रीकरण और उसका उपयोग केवल स्वाभाविक व्यक्ति की उस व्यवसाय के कर्मचारी, मालिक, निदेशक, अधिकारी, चिकित्सीय कर्मचारी सदस्य, या ठेकेदार को नौकरी के लिए आवेदक के रूप में भूमिका या पूर्व भूमिका के संदर्भ में ही किया जाएगा।~~

~~(B) व्यक्तिगत जानकारी जो किसी व्यक्ति द्वारा उस व्यवसाय के कर्मचारी, मालिक, निदेशक, अधिकारी, चिकित्सीय कर्मचारी सदस्य, या ठेकेदार को नौकरी के लिए आवेदक के रूप में कार्य करने के लिए किसी स्वाभाविक व्यक्ति के बारे में किसी व्यवसायी द्वारा आपातकालीन संपर्क जानकारी एकत्रित की जाती है, उस सीमा तक जहां व्यवसाय द्वारा व्यक्तिगत जानकारी का एकत्रीकरण और उसका उपयोग फ़ाइल पर आपातकालीन संपर्क होने के संदर्भ के अंतर्गत ही किया जाएगा।~~

~~(C) व्यक्तिगत जानकारी जो किसी व्यक्ति द्वारा उस व्यवसाय के कर्मचारी, मालिक, निदेशक, अधिकारी, चिकित्सीय कर्मचारी सदस्य, या ठेकेदार को नौकरी के लिए आवेदक के रूप में कार्य करने के लिए किसी स्वाभाविक व्यक्ति को लाभ प्रदान करने के लिए किसी~~

~~व्यवसाय के द्वारा बनाए रखना आवश्यक है, उस सीमा तक जहां व्यवसाय द्वारा व्यक्तिगत जानकारी का एकत्रीकरण और उसका उपयोग उन लाभों को प्रशासित करने के संदर्भ में ही किया जाएगा।~~

~~(2) इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए:~~

~~(A) "ठेकेदार" का अर्थ है एक स्वाभाविक व्यक्ति जो किसी लिखित अनुबंध के अनुसरण में किसी व्यवसाय को सेवा प्रदान करता है।~~

~~(B) "निदेशक" का अर्थ है निगमन के लेखों में नामित एक स्वाभाविक व्यक्ति, जिसे निदेशकों और उनके उत्तराधिकारियों के रूप में कार्य करने के लिए निगमनकर्ताओं द्वारा किसी भी अन्य नाम या शीर्षक द्वारा निर्दिष्ट, निर्वाचित या नियुक्त कर चुना जाता है।~~

~~(C) "मेडिकल स्टाफ मेंबर" का अर्थ है एक लाइसेंस प्राप्त चिकित्सक और सर्जन, डेंटिस्ट, या पोडियाट्रिस्ट, जिसे व्यवसाय और पेशा कोड के प्रभाग 2 (अनुभाग 500 से शुरू करते हुए) के अनुसरण में लाइसेंस प्राप्त है और स्वास्थ्य और सुरक्षा कोड के अनुभाग 1316.5 में परिभाषित अनुसार एक नैदानिक मनोवैज्ञानिक है।~~

~~(D) "अधिकारी" का अर्थ है किसी निगम के दैनिक कार्यों का प्रबंधन करने के लिए निदेशक मंडल द्वारा चुना या नियुक्त किया गया एक स्वाभाविक व्यक्ति, जैसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अध्यक्ष, सचिव या कोषाध्यक्ष।~~

~~(E) "मालिक" का अर्थ है एक स्वाभाविक व्यक्ति जो निम्नलिखित में से एक के अनुसरण में है:~~

~~(i) व्यवसाय का स्वामित्व रखता है, किसी व्यवसाय के मतदान सुरक्षा के किसी भी वर्ग के बकाया शेयरों के लिए 50 प्रतिशत से अधिक, वोट देने का अधिकार या वोट देने की शक्ति रखता है।~~

~~(ii) निदेशकों या समान कार्य करने वाले अधिकांश व्यक्तियों के चुनाव पर किसी भी तरह से नियंत्रण रखता है।~~

~~(iii) कंपनी के प्रबंधन पर नियंत्रण से संबंधित प्रभाव डालने की शक्ति रखता है।~~

~~(3) यह उपखंड, अनुभाग 1798.100 के उपखंड (b) या अनुभाग 1798.150 पर लागू नहीं होगा।~~

~~(4) यह उपखंड 1 जनवरी, 2021 को निष्क्रिय हो जाएगा।~~

~~(i)~~ *(h)* किसी व्यवसाय के इस शीर्षक के अनुसरण में उपभोक्ता अधिकारों के अनुरोधों का जवाब देने और उन्हें सम्मानित करने के लिए दायित्वों के बावजूद:

(1) किसी भी ~~सत्यापित~~ *सत्यापन* योग्य उपभोक्ता अनुरोध के लिए किसी उपभोक्ता को जवाब देने *के लिए* अनुरोधों की जटिलता और संख्या को ध्यान में रखते हुए, जहां आवश्यक हो, व्यवसाय के लिए समय अवधि को अतिरिक्त 90 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। व्यवसाय, अनुरोध प्राप्त होने के 45 दिनों के भीतर, किसी भी ऐसी देरी को कारणों सहित उपभोक्ता को सूचित करेगा।

(2) यदि व्यवसाय, उपभोक्ता के अनुरोध पर कोई कार्रवाई नहीं करता है, तो व्यवसाय, बिना किसी देरी के और इस अनुभाग द्वारा प्रतिक्रिया के लिए अनुमत समय अवधि के भीतर उपभोक्ता को, कार्रवाई नहीं करने के कारणों और व्यवसाय के निर्णय के विरुद्ध अपील करने के उपभोक्ता के अधिकारों को सूचित करेगा।

(3) यदि किसी उपभोक्ता के अनुरोध, स्पष्ट रूप से निराधार या अत्यधिक हैं, विशेष रूप से उनके दोहराए जाने की प्रकृति के कारण, तो व्यवसाय या तो सूचना या संचार प्रदान करने की प्रशासनिक लागत या अनुरोध की गई कार्रवाई को ध्यान में रखते हुए उचित शुल्क ले सकता है या अनुरोध को अस्वीकार करने के कारण के बारे में उपभोक्ता को सूचित कर सकता है और कार्रवाई करने से इनकार कर सकता है। व्यवसाय यह प्रदर्शित करने का भार वहन करेगा कि कोई भी ~~सत्यापित~~ *सत्यापन योग्य* उपभोक्ता अनुरोध प्रकट रूप से निराधार या अत्यधिक है।

~~(j)~~ *(i) (1)* एक व्यवसाय जो इस शीर्षक के अनुपालन में किसी सेवा प्रदाता या ठेकेदार को व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा करता है, *इस शीर्षक के तहत उत्तरदायी नहीं होगा यदि सेवा प्रदाता* या *ठेकेदार व्यक्तिगत जानकारी* प्राप्त करने के लिए इस शीर्षक के तहत निर्धारित प्रतिबंधों का उल्लंघन करता है, बशर्ते कि, व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा करने के समय, व्यवसाय के पास वास्तविक ज्ञान, या विश्वास करने का कारण नहीं है, कि सेवा प्रदाता *या ठेकेदार* इस तरह के उल्लंघन का इरादा रखता है। वैसे ही, एक सेवा प्रदाता *या ठेकेदार*इस शीर्षक के तहत इस व्यवसाय के दायित्वों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, जिसके लिए वह इस शीर्षक में दी गई सेवाएं प्रदान करता है, बशर्ते कि सेवा प्रदाता या ठेकेदार इस शीर्षक *के अपने उल्लंघनों के लिए उत्तरदायी होंगे।*

(2) एक व्यवसाय जो किसी उपभोक्ता की व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा करता है, उन उपभोक्ताओं के अपवाद के साथ जिन्होंने अपनी व्यक्तिगत जानकारी की बिक्री या साझाकरण से बाहर निकलने के अपने अधिकार का उपयोग किया है, जिन उपभोक्ताओं ने अपनी संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग या प्रकटीकरण सीमित कर दिया है, आदि और नाबालिग उपभोक्ता जिन्होंने अपनी व्यक्तिगत जानकारी के संग्रह या बिक्री का विकल्प नहीं चुना है, एक लिखित अनुबंध के तृतीय पक्ष को, जिसे तृतीय पक्ष को इस शीर्षक के तहत उपभोक्ता के अधिकारों के संरक्षण के समान स्तर प्रदान करने की आवश्यकता होती है, व्यवसाय इस शीर्षक के तहत उत्तरदायी नहीं होगा यदि व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने वाला तृतीय पक्ष इस शीर्षक में निर्धारित प्रतिबंधों के उल्लंघन में इसका उपयोग करता है, बशर्ते कि व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा करते समय, व्यवसाय को वास्तविक ज्ञान, या मानने का कारण नहीं है कि तृतीय पक्ष इस तरह का उल्लंघन करने का इरादा रखती है।

~~(k)~~ *(j)* इस शीर्षक का अर्थ ऐसी व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करने के लिए नहीं लगाया जाएगा ~~जो वह अपने व्यवसाय की सामान्य कार्यप्रणाली में अन्यथा एकत्र नहीं करता, व्यक्तिगत जानकारी को उससे अधिक समय तक बनाए रखता जितना अन्यथा ऐसी जानकारी को व्यवसाय~~*, या, सेवा प्रदाता, या ठेकेदार*, सामान्य तौर में बनाए रखता है*:*

(1) जानकारी को पुन: पहचानना या अन्यथा लिंक करना, जो कि *व्यवसाय की सामान्य कार्यप्रणाली में,* इस तरह से नहीं रखा जाता है जिसे व्यक्तिगत जानकारी माना जाए।

24

(2) किसी उपभोक्ता के बारे में कोई भी व्यक्तिगत जानकारी रखना, यदि व्यापार की सामान्य कार्यप्रणाली में, उपभोक्ता के बारे में जानकारी नहीं रखी जाती है।

(3) जानकारी को पहचानने योग्य, जोड़ने या संबद्ध करने योग्य बनाए रखना या किसी भी डेटा या प्रौद्योगिकी को एकत्र करना, प्राप्त करना, बनाए रखना या ऐक्सेस करना ताकि व्यक्तिगत जानकारी के साथ एक सत्यापन योग्य उपभोक्ता अनुरोध को लिंक करने योग्य या पहचानने योग्य रूप में सक्षम किया जा सके।

~~(l)~~ (k) इस शीर्षक में उपभोक्ताओं को दिए गए अधिकार और व्यवसाय पर लगाए गए ~~दायित्वों का अन्य उपभोक्ताओं~~ *के अधिकारों और स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। व्यक्तिगत जानकारी के विशिष्ट भागों के लिए अनुभाग 1798.110 के अनुसरण में, उपभोक्ता की व्यक्तिगत जानकारी को हटाने के लिए अनुभाग 1798.105 के अनुसरण में, या गलत व्यक्तिगत जानकारी को ठीक करने के लिए अनुभाग 1798.106 के अनुसरण में एक सत्यापन योग्य उपभोक्ता अनुरोध, उस उपभोक्ता के बारे में व्यक्तिगत जानकारी का विस्तार नहीं करेगा जो किसी अन्य स्वाभाविक व्यक्ति का है या उसकी ओर से व्यवसाय ने बना रखा है। कोई व्यवसाय व्यक्तिगत जानकारी के संबंध में अधिकारों के रूप में एक सत्यापन योग्य उपभोक्ता अनुरोध में किए गए अभ्यावेदन पर भरोसा कर सकता है और उसे व्यक्तिगत जानकारी के अधिकार रखने या दावा करने वाले अन्य व्यक्तियों की तलाश करने के लिए कोई कानूनी आवश्यकता नहीं है, और व्यवसाय इस शीर्षक या कानून के किसी अन्य प्रावधान के तहत व्यवसाय के अधिकार में आई व्यक्तिगत जानकारी के अधिकार का दावा करने वाले व्यक्तियों के बीच विवाद की स्थिति में इस शीर्षक के तहत कोई कार्रवाई करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं है।*

~~(m)~~ *(l)* उपभोक्ताओं को दिए गए अधिकार और किसी भी व्यवसाय पर इस शीर्षक के तहत लगाए गए दायित्वों को उस सीमा तक लागू नहीं किया जाएगा, कि वे California का संविधान के अनुच्छेद I के अनुभाग 2 के उपखंड (b) में वर्णित किसी व्यक्ति या इकाई की गैर-वाणिज्यिक गतिविधियों का उल्लंघन करें।

(m) (1) यह शीर्षक निम्नलिखित में से किसी पर लागू नहीं होगा:

(A) व्यक्तिगत जानकारी जो किसी व्यक्ति द्वारा उस व्यवसाय के कर्मचारी, मालिक, निदेशक, अधिकारी, चिकित्सीय कर्मचारी सदस्य, या स्वतंत्र ठेकेदार को नौकरी के लिए आवेदक के रूप में कार्य करने के लिए किसी स्वाभाविक व्यक्ति के बारे में किसी व्यवसायी द्वारा एकत्रित की जाती है, उस सीमा तक जहां व्यवसाय द्वारा स्वाभाविक व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी का एकत्रीकरण और उसका उपयोग केवल स्वाभाविक व्यक्ति की उस व्यवसाय के कर्मचारी, मालिक, निदेशक, अधिकारी, चिकित्सीय कर्मचारी सदस्य, या स्वतंत्र ठेकेदार को नौकरी के लिए आवेदक के रूप में भूमिका या पूर्व भूमिका के संदर्भ में ही किया जाएगा।

(B) व्यक्तिगत जानकारी जो किसी व्यक्ति द्वारा उस व्यवसाय के कर्मचारी, मालिक, निदेशक, अधिकारी, चिकित्सीय कर्मचारी सदस्य, या स्वतंत्र ठेकेदार को नौकरी के लिए आवेदक के रूप में कार्य करने के लिए किसी स्वाभाविक व्यक्ति के बारे में किसी व्यवसायी द्वारा आपातकालीन संपर्क जानकारी एकत्रित की जाती है, उस सीमा तक जहां व्यवसाय द्वारा व्यक्तिगत जानकारी का एकत्रीकरण और उसका उपयोग फ़ाइल पर आपातकालीन संपर्क होने के संदर्भ के अंतर्गत ही किया जाएगा।

(C) व्यक्तिगत जानकारी जो किसी व्यक्ति द्वारा उस व्यवसाय के कर्मचारी, मालिक, निदेशक, अधिकारी, चिकित्सीय कर्मचारी सदस्य, या स्वतंत्र ठेकेदार को नौकरी के लिए आवेदक के रूप में कार्य करने के लिए किसी स्वाभाविक व्यक्ति को लाभ प्रदान करने के लिए किसी व्यवसाय के द्वारा बनाए रखना आवश्यक है, उस सीमा तक जहां व्यवसाय द्वारा व्यक्तिगत जानकारी का एकत्रीकरण और उसका उपयोग उन लाभों को प्रशासित करने के संदर्भ में ही किया जाएगा।

(2) इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए:

(A) "स्वतंत्र ठेकेदार" का अर्थ है एक स्वाभाविक व्यक्ति जो किसी लिखित अनुबंध के अनुसरण में किसी व्यवसाय को सेवा प्रदान करता है।

(B) "निदेशक" का अर्थ है निगमन के लेखों में नामित एक डायरेक्टर, जिसे निदेशकों और उनके उत्तराधिकारियों के रूप में कार्य करने के लिए निगमनकर्ताओं द्वारा किसी भी अन्य नाम या शीर्षक द्वारा निर्दिष्ट, निर्वाचित या नियुक्त कर चुना जाता है।

(C) "मेडिकल स्टाफ मेंबर" का अर्थ है एक लाइसेंस प्राप्त चिकित्सक और सर्जन, डेंटिस्ट, या पोडियाट्रिस्ट, जिसे व्यवसाय और पेशा कोड के प्रभाग 2 (अनुभाग 500 से शुरू करते हुए) के अनुसरण में लाइसेंस प्राप्त है और स्वास्थ्य और सुरक्षा कोड के अनुभाग 1316.5 में परिभाषित अनुसार एक नैदानिक मनोवैज्ञानिक है।

(D) "अधिकारी" का अर्थ है किसी निगम के दैनिक संचालन का प्रबंधन करने के लिए किसी व्यवसाय के निदेशक मंडल द्वारा चुने या नियुक्त किए गए एक स्वाभाविक व्यक्ति, जिसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अध्यक्ष, सचिव या कोषाध्यक्ष शामिल हैं।

(E) "मालिक" का अर्थ है एक स्वाभाविक व्यक्ति जो निम्नलिखित मानदंडों में से एक को पूरा करता है:

(i) व्यवसाय का स्वामित्व रखता है, किसी व्यवसाय के मतदान सुरक्षा के किसी भी वर्ग के बकाया शेयरों के लिए 50 प्रतिशत से अधिक, वोट देने का अधिकार या वोट देने की शक्ति रखता है।

(ii) निदेशकों या समान कार्य करने वाले अधिकांश व्यक्तियों के चुनाव पर किसी भी तरह से नियंत्रण रखता है।

(iii) कंपनी के प्रबंधन पर नियंत्रण से संबंधित प्रभाव डालने की शक्ति रखता है।

(3) यह उपखंड, अनुभाग 1798.100 या अनुभाग 1798.150 के उपखंड (a) पर लागू नहीं होगा।

(4) यह उपखंड 1 जनवरी, 2023 को निष्क्रिय हो जाएगा।

(n) (1) अनुभाग 1798.100, 1798.105, *1798.106*, 1798.110, 1798.115, *1798.121*, 1798.130, और 1798.135 के द्वारा व्यवसायों पर लगाए गए दायित्व, ऐसी व्यक्तिगत जानकारी पर लागू नहीं होंगे जो एक लिखित या मौखिक संचार या व्यवसाय और उपभोक्ता के बीच लेन-देन को दर्शाते हैं, जहां उपभोक्ता एक स्वाभाविक व्यक्ति है जिसने किसी कंपनी, साझेदारी, एकमात्र स्वामित्व, गैर-लाभकारी या सरकारी एजेंसी के कर्मचारी, मालिक,

निदेशक, अधिकारी या *स्वतंत्र* ठेकेदार के रूप में *काम किया है या* काम कर रहा है और जिसका संचार या व्यवसाय से लेन-देन, पूरी तरह से परिश्रम से व्यापार के संदर्भ में, या ऐसी कंपनी, साझेदारी, एकमात्र स्वामित्व, गैर-लाभकारी, या सरकारी एजेंसी से या किसी उत्पाद या सेवा को प्रदान करने या प्राप्त करने के संदर्भ में होता है

(2) इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए:

(A) ~~"ठेकेदार"~~ *"स्वतंत्र ठेकेदार" का अर्थ है एक स्वाभाविक व्यक्ति जो किसी लिखित अनुबंध* के अनुसरण में किसी व्यवसाय को सेवा प्रदान करता है।

(B) "निदेशक" का अर्थ है निगमन के लेखों में नामित एक स्वाभाविक व्यक्ति, जिसे निदेशकों और उनके उत्तराधिकारियों के रूप में कार्य करने के लिए निगमनकर्ताओं द्वारा किसी भी अन्य नाम या शीर्षक द्वारा निर्दिष्ट, निर्वाचित या नियुक्त कर चुना जाता है।

(C) "अधिकारी" का अर्थ है किसी निगम के दैनिक कार्यों का प्रबंधन करने के लिए निदेशक मंडल द्वारा चुना या नियुक्त किया गया एक स्वाभाविक व्यक्ति, जैसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अध्यक्ष, सचिव या कोषाध्यक्ष।

(D) "मालिक" का अर्थ है एक स्वाभाविक व्यक्ति जो निम्नलिखित मानदंडों में से एक को पूरा करता है:

(i) व्यवसाय का स्वामित्व रखता है, किसी व्यवसाय के मतदान सुरक्षा के किसी भी वर्ग के बकाया शेयरों के लिए 50 प्रतिशत से अधिक, वोट देने का अधिकार या वोट देने की शक्ति रखता है।

(ii) निदेशकों या समान कार्य करने वाले अधिकांश व्यक्तियों के चुनाव पर किसी भी तरह से नियंत्रण रखता है।

(iii) किसी कंपनी के प्रबंधन पर नियंत्रण से संबंधित प्रभाव डालने की शक्ति रखता है।

(3) यह उपखंड 1 ~~जनवरी 2021~~ *2023* को निष्क्रिय हो जाएगा।

(o) (1) अनुभाग 1798.105 और 1798.120, वाणिज्यिक क्रेडिट रिपोर्टिंग एजेंसी के संग्रह, प्रसंस्करण, बिक्री, या व्यावसायिक नियंत्रक सूचना के प्रकटीकरण पर लागू नहीं होंगी, उस हद तक जहां वाणिज्यिक क्रेडिट रिपोर्टिंग एजेंसी, व्यवसाय नियंत्रक जानकारी का उपयोग केवल किसी व्यवसाय के लिए उपभोक्ता के इस संबंध की पहचान करने के लिए करती है जिस व्यवसाय का उपभोक्ता मालिक है या उपभोक्ता को केवल उपभोक्ता की व्यवसाय के मालिक, निदेशक, अधिकारी या प्रबंधन कर्मचारी के रूप में संपर्क करता है।

(2) इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए:

(A) "बिजनेस कंट्रोलर सूचना" का अर्थ किसी व्यवसाय के मालिक या मालिकों, निदेशक, अधिकारी, या प्रबंधन कर्मचारी के नाम और व्यवसाय के शीर्षक सहित मालिक या मालिकों, निदेशक, या अधिकारी प्रबंधन कर्मचारी की संपर्क जानकारी है।

(B) "वाणिज्यिक ऋण रिपोर्टिंग एजेंसी" का अर्थ अनुभाग 1785.42 के उपखंड (b) में निर्धारित है।

(C) "मालिक" का अर्थ है एक स्वाभाविक व्यक्ति जो निम्नलिखित में से एक को पूरा करता है:

(i) व्यवसाय का स्वामित्व रखता है, किसी व्यवसाय के मतदान सुरक्षा के किसी भी वर्ग के बकाया शेयरों के लिए 50 प्रतिशत से अधिक, वोट देने का अधिकार या वोट देने की शक्ति रखता है।

(ii) अधिकांश निदेशकों या समान कार्य करने वाले अधिकांश व्यक्तियों के चुनाव पर किसी भी तरह से नियंत्रण रखता है।

(iii) कंपनी के प्रबंधन पर नियंत्रण से संबंधित प्रभाव डालने की शक्ति रखता है।

(D) "निदेशक" का अर्थ है निगमन के लेखों में नामित एक डायरेक्टर, जिसे निदेशकों और उनके उत्तराधिकारियों के रूप में कार्य करने के लिए निगमनकर्ताओं द्वारा किसी भी अन्य नाम या शीर्षक द्वारा निर्दिष्ट, निर्वाचित या नियुक्त कर चुना जाता है।

(E) "अधिकारी" का अर्थ है किसी निगम के दैनिक संचालन का प्रबंधन करने के लिए किसी व्यवसाय के निदेशक मंडल द्वारा चुने या नियुक्त किया गया एक स्वाभाविक व्यक्ति, जिसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अध्यक्ष, सचिव या कोषाध्यक्ष शामिल हैं।

(F) "प्रबंधन कर्मचारी" का अर्थ है एक स्वाभाविक व्यक्ति जिसका नाम और संपर्क जानकारी किसी व्यावसायिक क्रेडिट रिपोर्टिंग एजेंसी द्वारा किसी व्यवसाय के प्राथमिक प्रबंधक के रूप में रिपोर्ट या एकत्र की जाती है और उसका उपयोग केवल प्राथमिक व्यक्ति के रूप में स्वाभाविक व्यक्ति की भूमिका के संदर्भ में किया जाता है।

(p) अनुभाग 1798.105, 1798.106, 1798.110, और 1798.115 में व्यवसायों पर लगाए गए दायित्व, घरेलू डेटा पर लागू नहीं होंगे।

(q) (1) इस शीर्षक को, अनुभाग 1798.105 के तहत किसी ग्राहक की व्यक्तिगत जानकारी को हटाने के लिए सत्यापन योग्य उपभोक्ता अनुरोध का किसी व्यवसाय द्वारा पालन करना, शिक्षा कोड के अनुभाग 49073.1 के उपखंड (d) में परिभाषित स्थानीय शैक्षिक एजेंसी की ओर से व्यवसाय द्वारा आयोजित छात्र के ग्रेड, शैक्षिक स्कोर, या शैक्षिक परीक्षण के परिणामों, जिस पर वर्तमान में छात्र का नामांकन है, पर लागू होने वाले सत्यापन योग्य उपभोक्ता अनुरोध की सीमा तक आवश्यक नहीं है। यदि कोई व्यवसाय इस अनुभाग के अनुसरण में अनुरोध का अनुपालन नहीं करता है, तो वह उपभोक्ता को सूचित करेगा कि वह इस अपवाद के अनुसरण में कार्रवाई कर रहा है।

(2) इस शीर्षक के लिए अनुभाग 1798.110 के अनुसरण में एक अनुरोध की प्रतिक्रिया में, जो व्यवसाय शैक्षिक मूल्यांकन या शैक्षिक मानकीकृत मूल्यांकन के लिए उपभोक्ता की विशिष्ट प्रतिक्रियाओं से उस शैक्षिक मूल्यांकन या शैक्षिक मानकीकृत मूल्यांकन पर खुलासा करना आवश्यक नहीं है यदि उपभोक्ता की पहुंच, कब्जे, या नियंत्रण उस शैक्षिक मानकीकृत मूल्यांकन या शैक्षिक मूल्यांकन की वैधता और विश्वसनीयता को खतरे में डाल सकता है। यदि कोई व्यवसाय इस अनुभाग के अनुसरण में अनुरोध का अनुपालन नहीं करता है, तो वह उपभोक्ता को सूचित करेगा कि वह इस अपवाद के अनुसरण में कार्रवाई कर रहा है।

(3) इस उपखंड के उद्देश्यों के लिए:

(A) "शैक्षिक मानकीकृत मूल्यांकन या शैक्षिक मूल्यांकन" का अर्थ है एक मानक या गैर-मानक प्रश्नोत्तरी, परीक्षण, या अन्य मूल्यांकन जो छात्रों को किंडरगार्टन और 1 से 12वीं कक्षा में प्रवेश के लिए छात्रों का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग की जाती हैं, जिसमें California

राज्य या संयुक्त राज्य अमेरिका के शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त एजेंसी या संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों, पोस्ट सेकेन्डरी संस्थानों, व्यावसायिक कार्यक्रमों, और स्नातकोत्तर कार्यक्रम के साथ-साथ सरकारी एजेंसी या सरकारी प्रमाणन निकाय से प्रमाणन या लाइसेंस प्राप्त करने के लिए योग्यता और अहर्ता निर्धारित करने के लिए प्रमाणीकरण और लाइसेंस परीक्षा शामिल हैं।

(B) "उस शैक्षिक मानकीकृत मूल्यांकन या शैक्षिक मूल्यांकन की वैधता और विश्वसनीयता को खतरे में डालना" का अर्थ है, ऐसी जानकारी जारी करना जो सत्यापन योग्य उपभोक्ता अनुरोध प्रस्तुत करने वाले उपभोक्ता या किसी अन्य स्वाभाविक व्यक्ति को लाभ प्रदान कर सकता है।

(r) अनुभाग 1798.105 और 1798.120 किसी व्यवसाय के उपयोग, प्रकटीकरण, या किसी उपभोक्ता की व्यक्तिगत जानकारी के विशेष भागों की बिक्री पर लागू नहीं होगी, यदि उपभोक्ता ने व्यवसाय के उपयोग के लिए भौतिक उत्पादन, प्रकटीकरण, या उस जानकारी की बिक्री के लिए सहमति दी हो, उपभोक्ता की तस्वीर वाली एक स्कूल ईयरबुक सहित यदि:

(1) व्यवसाय ने उपभोक्ता की सहमति पर निर्भरता में महत्वपूर्ण खर्च किया है।

(2) उपभोक्ता की व्यक्तिगत जानकारी की बिक्री से ऑप्ट आउट करना या उपभोक्ता की व्यक्तिगत जानकारी को हटाने के लिए उपभोक्ता के अनुरोध का अनुपालन व्यावसायिक रूप से उचित नहीं होगा।

(3) जैसे ही ऐसा करना व्यावसायिक रूप से उचित होगा वह व्यवसाय उपभोक्ता के अनुरोध का अनुपालन करेगा।

अनुभाग 16. नागरिक संहिता के अनुभाग 1798.150 को इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया गया है:

1798.150 व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षा उल्लंघन

~~1798.150.~~ (a) (1) व्यक्तिगत जानकारी की रक्षा के लिए जानकारी की प्रकृति के अनुरूप एक अनधिकृत पहुंच के अधीन है, जैसा कि अनुभाग 1798.81.5 के उपखंड (d) के परिच्छेद (1) के उपखंड (a) में परिभाषित है, *जो कि सुरक्षा की उचित सुरक्षा प्रक्रियाओं और प्रथाओं को लागू करने और बनाए रखने के लिए जानकारी के स्वरूप की रक्षा के लिए कर्तव्य के उल्लंघन के परिणामस्वरूप किसी भी उपभोक्ता जिसकी गैर-अनुक्रमणित और गैर-संपादित व्यक्तिगत जानकारी, या जिसके पासवर्ड या सुरक्षा प्रश्न के संयोजन में ईमेल पता और जवाब से खाते तक पहुंच* और बहिष्कार, चोरी, या प्रकटीकरण की अनुमति मिल सकती है और निम्नलिखित में से किसी के लिए नागरिक कार्रवाई को शुरू कर सकती है:

(A) क्षति की राशि की वसूली जो एक सौ डॉलर ($100) से कम नहीं और सात सौ पचास ($750) प्रति उपभोक्ता प्रति घटना या वास्तविक नुकसान, जो भी अधिक हो।

(B) निषेधाज्ञा या घोषणात्मक राहत।

(C) कोई अन्य राहत जो न्यायालय को उचित लगे।

(2) वैधानिक क्षति की राशि का आंकलन करने के लिए, न्यायालय किसी भी पक्ष द्वारा मामले में प्रस्तुत प्रासंगिक परिस्थितियों में से किसी एक या अधिक पर विचार करेगी, जिसमें शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है, कदाचार की प्रकृति और गंभीरता, उल्लंघन की संख्या, कदाचार की निरन्तरता, समय की अवधि जब तक कदाचार हुआ, प्रतिवादी की कदाचार की इच्छा, और प्रतिवादी की परिसंपत्ति, देयताएं, और निवल संपत्ति।

(b) इस अनुभाग के अनुसरण में कार्रवाई एक उपभोक्ता द्वारा लागू की जा सकती है, यदि किसी व्यक्ति या वर्ग-व्यापी आधार पर वैधानिक क्षति के लिए किसी व्यवसाय के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू करने से पहले, उपभोक्ता व्यवसाय को 30 दिन का लिखित नोटिस देता है जो इस शीर्षक में विशिष्ट प्रावधानों की पहचान करता है जिनका उपभोक्ता के आरोपों के अनुसरण में उल्लंघन किया गया है या किया जा रहा है। उस दशा में जब समाधान संभव है, अगर 30 दिनों के भीतर व्यापार वास्तव में उल्लंघन का समाधान कर देता है और उपभोक्ता को एक स्पष्ट लिखित बयान प्रदान करता है कि उल्लंघन ठीक हो गए हैं और आगे कोई उल्लंघन नहीं होगा, तो व्यक्तिगत वैधानिक क्षति या वर्ग व्यापी वैधानिक क्षति के लिए कोई कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी। *उल्लंघन के बाद अनुभाग 1798.81.5 के अनुसरण में उचित सुरक्षा प्रक्रियाओं और प्रथाओं का कार्यान्वयन और रखरखाव उस उल्लंघन के संबंध में किसी समाधान का गठन नहीं करता है।* इस शीर्षक के कथित उल्लंघनों के परिणामस्वरूप केवल होने वाली वास्तविक आर्थिक क्षति के लिए उपभोक्ता को कार्रवाई शुरू करने से पहले किसी नोटिस की आवश्यकता नहीं होगी। यदि कोई व्यवसाय इस अनुभाग के तहत उपभोक्ता को प्रदान किए गए स्पष्ट लिखित बयान के उल्लंघन में इस शीर्षक का उल्लंघन करना जारी रखता है, साथ ही शीर्षक का कोई भी अन्य उल्लंघन जो व्यक्त लिखित बयान के बाद किया जाता है, तो उपभोक्ता लिखित बयान को लागू करने के लिए व्यवसाय के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर सकता है और स्पष्ट बयान के प्रत्येक उल्लंघन के लिए वैधानिक क्षति को पूरा कर सकता है।

(c) इस अनुभाग द्वारा स्थापित कार्रवाई का कारण केवल उपखंड (a) में परिभाषित उल्लंघनों पर लागू होगी और इस शीर्षक के किसी अन्य अनुभाग के उल्लंघन पर आधारित नहीं होगी। इस शीर्षक में किसी भी, अन्य कानून के तहत कार्रवाई के निजी अधिकार के आधार के रूप में सेवा करने के लिए व्याख्या नहीं की जाएगी। इसका अर्थ किसी भी भागी को अन्य कानून या संयुक्त राज्य अमेरिका या California के संविधान के तहत लागू कर्तव्यों या दायित्वों से राहत देने के लिए नहीं लगाया जाएगा।

अनुभाग 17. नागरिक संहिता के अनुभाग 1798.155 को इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया गया है:

1798.155 प्रशासनिक प्रवर्तन

~~1798.155~~ (a) ~~कोई भी व्यवसाय या तृतीय पक्ष इस शीर्षक के प्रावधानों का अनुपालन करने के बारे में मार्गदर्शन के लिए महान्यायवादी की राय ले सकते है।~~

~~(b) व्यवसाय द्वारा इस शीर्षक का उल्लंघन होगा यदि वह कथित गैर-अनुपालन के अधिसूचित होने के बाद 30 दि नों के भीतर किसी भी कथित उल्लंघन को ठीक करने में विफल रहता है।~~ कोई भी व्यवसाय, सेवा प्रदाता, *ठेकेदार*, या अन्य व्यक्ति जो इस शीर्षक

का उल्लंघन करते हैं, वे एक ~~निषेधाज्ञा के अधीन होंगे और~~ प्रत्येक उल्लंघन *के लिए* दो हज़ार पांच सौ डॉलर ($2,500) से कम के प्रशासनिक जुर्माने या प्रत्येक इरादतन उल्लंघन या उल्लंघन जिसमें उन उपभोक्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी शामिल है जिनके बारे में व्यवसाय, सेवा प्रदाता, ठेकेदार, या अन्य व्यक्ति को वास्तविक ज्ञान है कि उनकी आयु 16 वर्ष से कम है, के लिए सात हजार पांच सौ डॉलर ($7,500) से कम के प्रशासनिक जुर्माने के लिए उत्तरदायी होंगे, जैसा California निजता संरक्षण एजेंसी द्वारा लाई गई एक प्रशासनिक प्रवर्तन कार्रवाई में अनुभाग 1798.185 के उपखंड (a) के परिच्छेद(5) के अनुसरण में समायोजित किया गया है। ~~प्रत्येक उल्लंघन के लिए दो हजार पांच सौ डॉलर ($2,500) से कम या प्रत्येक इरादतन उल्लंघन के लिए सात हजार पांच सौ डॉलर ($7,500) का नागरिक दंड, जिसका मूल्यांकन और बरामदगी, महान्यायवादी द्वारा California राज्य के लोगों की ओर से की जाने वाली नागरिक कार्रवाई में किया जाएगा। इस अनुभाग के लिए प्रदान किए गए नागरिक दंड का विशेष रूप से मूल्यांकन और बरामदगी महान्यायवादी द्वारा California राज्य के लोगों की ओर से की जाने वाली नागरिक कार्रवाई में किया जाएगा।~~

~~(c)~~ *(b)* इस शीर्षक के उल्लंघन के लिए मूल्यांकित कोई भी ~~नागरिक दंड~~ *प्रशासनिक जुर्माना*, और उपखंड ~~(b)~~ *(a)* के अनुसरण में की गई कार्रवाई के किसी भी निपटान से आय, राज्य के न्यायालयों, और महान्यायवादी, *और California निजता संरक्षण एजेंसी* द्वारा इस शीर्षक के संबंध में किसी भी लागत को पूरी तरह से ऑफसेट करने के इरादे से अनुभाग 1798.160 के उपखंड (a) के अनुसरण में सामान्य निधि के भीतर बनाए गए उपभोक्ता निजता कोष में जमा की जाएगी।

अनुभाग 18. नागरिक संहिता के अनुभाग 1798.160 को इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया गया है:

1798.160. उपभोक्ता निजता कोष (Consumer Privacy Fund)

~~1798.160.~~ (a) एक विशेष कोष जिसे "उपभोक्ता निजता कोष" के रूप में जाना जाएगा को एतद्द्वारा राज्य के कोष की सामान्य निधि के अंदर बनाया जाता है, तथा यह विधान मंडल द्वारा विनियोजन करने पर उपलब्ध होगा और इसका उपयोग *सबसे पहले* इस *शीर्षक को लागू करने* के लिए राज्य न्यायालयों द्वारा इसके संबंध में किए गए कार्यों को वहन की ~~कोई लागतें~~ और *महान्यायवादी द्वारा इस शीर्षक के अंतर्गत महान्यायवादी के कर्तव्य को पूरा करने के लिए वहन की गई किसी लागत को पूरा करने के लिए किया जाएगा। और फिर इसके बाद राजकोष में निवेश निधि स्थापित करने के उद्देश्य के लिए, निधि से अर्जित किसी आय या ब्याज को सामान्य कोष में जमा किया जाएगा और उपभोक्ता की निजता को प्रोत्साहित करने और उसकी सुरक्षा करने, ऑनलाइन निजता के क्षेत्र में बच्चों को शिक्षित करने के लिए ग्रांट्स देने में किया जाएगा, और ग्राहक की जानकारी में सेंध लगाकर धोखाधड़ी की गतिविधियों को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय कानून प्रवर्तन संगठनों के साथ सहकारी कार्यक्रमों को निधि प्रदान करने में किया जाएगा।*

(b) उपभोक्ता निजता कोष में ट्रांसफर की गई निधि का उपयोग *केवल निम्न प्रकार* से किया जाएगा:

(1) राज्य न्यायालयों और महान्यायवादी द्वारा इस शीर्षक के संबंध में वहन की गई लागतों ~~को~~, को पूरा करने के लिए।

(2) परिच्छेद (1) के दायित्व को पूरा करने के बाद, शेष निधि को प्रत्येक वित्त वर्ष में निम्न प्रकार आबंटन किया जाएगा:

(A) कोषाध्यक्ष द्वारा वित्तीय संपत्तियों में जोखिम के विवेकपूर्ण स्तर के साथ दीर्घकाल में लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य से इक्यानवे प्रतिशत निवेश किया जाएगा। मूल निधि को ट्रांसफर या विनियोजित नहीं किया जाएगा, बशर्ते विधान मंडल द्वारा सामान्य निधि के उद्देश्यों के लिए विनियोजन करने हेतु इससे अर्जित किसी ब्याज और आय को वार्षिक तौर पर सामान्य निधि में ट्रांसफर किये जाने का प्रावधान किया जाएगा।

(B) California में ही अनुदान देने के उद्देश्य से California निजता सुरक्षा एजेंसी को नौ प्रतिशत उपलब्ध कराया जाएगा, निम्नलिखित प्रत्येक दान प्राप्तकर्ताओं को 3 प्रतिशत आबंटन किया जाएगा:

(i) गैर-लाभकारी संगठन उपभोक्ता निजता को प्रोत्साहित करेंगे और उसे सुरक्षा देंगे।

(ii) गैर-लाभकारी संगठन और सार्वजनिक एजेंसियां, जिसमें स्कूली डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं, ऑनलाइन निजता के क्षेत्र में बच्चों को शिक्षित करेंगे।

(iii) राज्य और स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियां ग्राहक की जानकारी में सेंध लगाकर धोखाधड़ी की गतिविधियों को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय कानून प्रवर्तन संगठनों के साथ मिलकर सहकारी कार्यक्रमों के लिए निधि प्रदान करेंगे।

(c) उपभोक्ता निजता कोष की ~~इस निधि~~ को विधान मंडल द्वारा किसी अन्य उद्देश्य के लिए विनियोजित या ट्रांसफर नहीं किया जा सकेगा। ~~केवल तब को छोड़कर जब डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस यह निर्धारित करते हैं कि उपलब्ध निधि, राज्य न्यायालयों और महान्यायवादी द्वारा इस शीर्षक के संबंध में वहन की गई लागतों को संपूर्ण रूप से पूरा करने के लिए आवश्यक निधि से अधिक है, ऐसी परिस्थिति में विधान मंडल अतिरिक्त निधि को अन्य उद्देश्यों के लिए विनियोजित कर सकेगा।~~

अनुभाग 19. नागरिक संहिता के अनुभाग 1798.175 को इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया गया है:

1798.175. परस्पर-विपरीत प्रावधान

~~1798.175.~~ इस शीर्षक का उद्देश्य निजता के संवैधानिक अधिकार को बढ़ाना है और ग्राहक की निजी जानकारी से संबंधित वर्तमान कानूनों की कमी को पूरा करना है इसमें व्यवसाय और पेशा संहिता के खंड 8 के अध्याय 22 (अनुभाग 22575 से शुरू करते हुए) और शीर्षक 1.81 (अनुभाग 1798.80 से शुरू करते हुए) शामिल है लेकिन इन्हीं तक ही सीमित नहीं है। इस शीर्षक के प्रावधान केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या इंटरनेट से एकत्रित की गई जानकारी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि व्यवसाय द्वारा ग्राहकों से एकत्र की गई सारी व्यक्तिगत जानकारी को एकत्र करने और बिक्री करने पर भी लागू होते हैं। जहां भी संभव हो, ग्राहकों की निजी जानकारी से संबंधित कानून इस शीर्षक के प्रावधानों के अनुकूल समझे जाने चाहिए, लेकिन अन्य कानून और इस शीर्षक

के प्रावधानों के बीच मतभेद होने की स्थिति में, कानून के वे प्रावधान प्रभावी होंगे जो उपभोक्ता की निजता के अधिकार को सबसे अधिक सुरक्षा प्रदान करते हैं।

अनुभाग 20. नागरिक संहिता के अनुभाग 1798.180 को इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया गया है:

1798.180. पूर्व क्रय

~~1798.180.~~ यह शीर्षक पूरे राज्य की चिंता का विषय है, और एक व्यवसाय द्वारा ग्राहक की निजी जानकारी को एकत्रित करने और बेचने से संबंधित, शहर, काउंटी, शहर और काउंटी, नगरपालिका, या स्थानीय एजेंसी द्वारा अपनाये गए सभी नियमों, विनियमों, संहिताओं, अध्यादेशों और अन्य कनूनों को हटाकर उनकी जगह लेता हैका

अनुभाग 21. नागरिक संहिता के अनुभाग 1798.185 को इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया गया है:

1798.185. विनियमन

~~1798.185.~~ (a) 1 जुलाई, 2020 को या उससे पहले, महान्यायवादी विस्तृत सार्वजनिक भागीदारी के लिए निवेदन करेंगे और इस शीर्षक को और आगे बढ़ाने के उद्देश्य से विनियमों को अपनाएंगे, इसमें निम्नलिखित क्षेत्र शामिल हैं लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

(1) तकनीक में बदलावों, डाटा एकत्र करने की प्रथाओं, लागू करने में आने वाली अड़चनों, और निजता की चिंताओं के समाधान के लिए, अनुभाग 1798.130 के उपखंड (c) और अनुभाग 1798.140 के उपखंड ~~(o)~~ *(v)* में चिन्हित निजी जानकारी में ~~आवश्यक अनुसरण में अतिरिक्त~~ वर्गों को *जोड़ना* या अपडेट करना, *और अनुभाग 1798.140 के उपखंड (ae) में चिन्हित संवेदनशील निजी जानकारी की श्रेणियों को अपडेट करना या जोड़ना*।

(2) तकनीक में बदलावों, डाटा एकत्रीकरण, लागू करने में होने वाली अड़चनों, और निजता की चिंताओं के समाधान के लिए *"पहचान न करने योग्य बनाना" और* ~~अद्वितीय पहचानों~~ *"अद्वितीय पहचान"* की ~~परिभाषा~~ *परिभाषाओं* को आवश्यकता अनुसरण में अपडेट करना और अनुभाग 1798.130 के अनुसरण पर ग्राहक की योग्यता में सहायता करना, एक व्यवसाय से जानकारी प्राप्त करने के लिए परिभाषा की श्रेणियों में, ~~अतिरिक्त~~ *जोड़कर, संशोधन करके या हटा कर*आवेदन करने की निर्दिष्ट विधियों के अनुसरण में जमा करना। *"पहचान न करने योग्य बनाना" की परिभाषा को अपडेट करने का अधिकार, संघीय विनियमों की संहिता के शीर्षक 45 के अनुभाग 164.514 में निर्धारित किए गए पहचान न करने योग्य बनाने के मानकों पर लागू नहीं होगा, जहां संघीय विनियमों की संहिता के शीर्षक 45 के अनुभाग 160.103 में ऐसी जानकारी को पहले "सुरक्षित स्वास्थ्य जानकारी" के रूप में परिभाषित किया गया था।*

(3) राज्य या संघीय कानून का अनुपालन करने के लिए आवश्यक अपवाद स्थापित करना, जिसमें व्यापारिक भेद और बौद्धिक संपदा अधिकार शामिल हैं लेकिन ये इन्हीं तक ही सीमित नहीं हैं इस शीर्षक के पारित होने के एक वर्ष के अंदर और इसके बाद आवश्यकतानुसार, *इस उद्देश्य के साथ कि सत्यापित किए जा सकने वाले ग्राहक के आवेदन पर व्यापारिक रहस्य प्रकट नहीं किए जाने चाहिए।*

(4) निम्नलिखित के लिए नियम और प्रक्रियाएं स्थापित करना:

(A) अनुभाग 1798.120 के अनुसरण में निजी जानकारी की बिक्री करने *या साझा करने* से बाहर निकलने के ग्राहक के आवेदन में सहायता और उसका प्रबंध करना और *अनुभाग 1798.121 के अनुसरण में ग्राहक की संवेदनशील निजी जानकारी के उपयोग को सीमित करना, यह सुनिश्चित करना कि ग्राहकों के पास उपलब्ध विकल्पों का चयन करते और अपने अधिकार का उपयोग करते समय उन पर कोई अनुचित बोझ ना हो, और व्यवसायों को भ्रामक और अपमान करने वाले आचरण में लिप्त होने से रोकना, जिसमें ग्राहक द्वारा अपने अधिकारों का प्रयोग करने पर ग्राहकों के विरुद्ध प्रतिकार करना भी शामिल है, व्यवसायों द्वारा ग्राहक की निजी जानकारी की बिक्री करने या साझा करने से बाहर निकलने या अपनी संवेदनशील निजी जानकारी के उपयोग को सीमित करने के ग्राहक के निर्णय के परिणामों की जानकारी व्यवसायों द्वारा ग्राहक को देने की अनुमति देना।*

(B) ग्राहक के बाहर निकलने के आवेदन का व्यवसाय द्वारा अनुपालन करने का प्रबंध करना।

(C) निजी जानकारी की बिक्री से बाहर निकलने के अवसर के बारे में ग्राहकों में जागरूकता का प्रचार करने के लिए सभी व्यवसायों द्वारा बाहर निकलने के लिए एक सर्वमान्य और समान लोगो या बटन का विकास और उपयोग करना।

(5) मौद्रिक ~~सीमा~~ सीमाओं को समायोजित करना, अनुभाग 1798.140 के उपखंड ~~(c)~~ *(d)* के परिच्छेद (1) के उप-परिच्छेद (A); *अनुभाग 1798.150 के उपखंड (a) के परिच्छेद (1) के उप-परिच्छेद (A); अनुभाग 1798.155 के उपखंड (a); अनुभाग 1798.199.25; में: प्रत्येक विषम संख्या वाले वर्ष की जनवरी में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में किसी वृद्धि को प्रदर्शित करने के लिए और अनुभाग 1798.199.90 के उपखंड (a)* ~~में प्रत्येक विषम संख्या वाले वर्ष की जनवरी में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में किसी वृद्धि को प्रदर्शित करने के लिए~~।

(6) इस शीर्षक के अनुसरण के लिए व्यवसायों द्वारा प्रदान की जाने वाली आवश्यक सूचनाएं और जानकारियां ऐसे तरीके से प्रदान की जाएं जो एक औसत ग्राहक आसानी से समझ सके, जो दिव्यांग ग्राहकों की पहुंच में हो, और ऐसी भाषा में उपलब्ध हो जो ग्राहक के साथ बातचीत करने में मुख्य रूप से उपयोग की जाती है, ऐसा सुनिश्चित करने के लिए इस शीर्षक के पारित होने के एक वर्ष के अंदर और इसके बाद आवश्यकतानुसार नियम और प्रक्रिया और कोई अपवाद हो तो स्थापित करना जिसमें वित्तीय *प्रोत्साहनों* ~~प्रोत्साहन पेशकशों~~ से संबंधित नियम और दिशानिर्देश स्थापित करना शामिल है।

(7) अनुभाग *1798.105, 1798.106,* 1798.110, और 1798.115 के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए नियमों और प्रक्रियाओं की स्थापना करना और *व्यक्तिगत जानकारी को हटाना ग्राहक या ग्राहक के अधिकृत प्रतिनिधि के लिए सुविधापूर्ण बनाना, अनुभाग 1798.106 के अनुसरण में गलत व्यक्तिगत जानकारी को सही करना,* अनुभाग 1798.130 के अनुसरण में जानकारी प्राप्त करना, ग्राहकों पर प्रशासनिक भार कम करने के उद्देश्य के साथ उपलब्ध तकनीक, सुरक्षा चिंताओं, और व्यवसाय पर भार पर विचार करते हुए, व्यवसाय के निश्चय के अनुसरण में यह प्रबंध करना कि

24

जानकारी प्राप्त करने के लिए एक ग्राहक से प्राप्त निवेदन सत्यापित हो सकने वाले ग्राहक का निवेदन है, जिसमें व्यवसाय के साथ ग्राहक द्वारा संचालित पासवर्ड से सुरक्षित किए गए अकाउंट, जिसमे ग्राहक ने लॉगिन किया हुआ है, के माध्यम से भेजे गए ग्राहक के आवेदन को एक सत्यापित हो सकने वाले ग्राहक का आवेदन माना जाना शामिल है और एक ऐसे ग्राहक के लिए एक ऐसा तंत्र प्रदान किया जाए जिसमें ग्राहक की पहचान व्यवसाय द्वारा सत्यापित होने पर जानकारी प्रदान की जाए, इस शीर्षक के पारित होने के एक वर्ष के अंदर और इसके बाद आवश्यकतानुसार जो व्यवसाय के साथ एक अकाउंट संचालित नहीं करता है।

(8) अनुभाग 1798.106 के अनुसरण में कोई ग्राहक कितनी बार और किन परिस्थितियों में गलती सुधारने के लिए आवेदन कर सकता है, जिसमें निम्न का प्रबंध करने वाले मानक भी शामिल हैं:

(A) सुधार के लिए आवेदन पर व्यवसाय कैसे उत्तर देता है, जिनमें ऐसे आवेदन भी शामिल हैं जिनके लिए जवाब देना संभव ना हो, या जिनके लिए अनुपातहीन प्रयास करना पड़ें, और सही जानकारी में सुधार करने के आवेदन।

(B) जानकारी के सही होने की चिंताओं को कैसे हल किया जाएगा।

(C) धोखाधड़ी रोकने के लिए कोई व्यवसाय कौन से कदम उठा सकता है।

(D) यदि कोई व्यवसाय ग्राहक की एकत्रित और विश्लेषित की गई स्वास्थ्य संबंधी व्यक्तिगत जानकारी में सुधार करने के आवेदन को अस्वीकृत कर देता है तो ग्राहक का अधिकार होगा कि वह व्यक्तिगत जानकारी के संदर्भ में ऐसी किसी भी विषय वस्तु या विवरण के लिए एक लिखित परिशिष्ट व्यवसाय को प्रदान करे जिसे ग्राहक मानता है कि वह जानकारी अधूरी या गलत है। प्रत्येक कथित अधूरी या गलत विषय-वस्तु के लिए परिशिष्ट में 250 शब्दों की सीमा होगी और ऐसा स्पष्ट रूप से लिखित में होना चाहिए कि ग्राहक ने परिशिष्ट को ग्राहक के रिकॉर्ड का एक भाग बनाने के लिए आवेदन किया है।

(9) अनुभाग 1798.130 के उपखंड (a) के परिच्छेद (2) के उप-परिच्छेद (B) के अनुसरण में व्यवसाय के निर्णय का प्रबंध करने के लिए मानक स्थापित करना, कि सत्यापित किये जा सकने योग्य उपभोक्ता अनुरोध के जवाब में 12 महीने की अवधि के बाद की जानकारी प्रदान करना संभव नहीं होगा या उसके लिए अनुपातहीन प्रयास करना होगा।

(10) जिन उद्देश्यों के लिए व्यवसाय, सेवा प्रदाता, और ठेकेदार, ग्राहक की अपेक्षाओं के अनुरूप ग्राहक की व्यक्तिगत जानकारी का प्रयोग कर सकते हैं, को आगे और परिभाषित करते हुए विनियम जारी करना और व्यवसाय के उद्देश्य में जोड़ना, इसमें अन्य अधिसूचित उद्देश्य शामिल हैं, और उन व्यावसायिक उद्देश्यों को आगे और परिभाषित करना जिनके लिए सेवा प्रदाता और ठेकेदार विभिन्न स्रोतों से ली गई ग्राहक की व्यक्तिगत जानकारी, सिवाय अनुभाग 1798.140 के उपखंड (e) के परिच्छेद (6) में किये गये प्रावधानों को छोड़कर, इकट्ठा कर सकते हैं ।

(11) उन उद्देश्यों की पहचान करने के लिए विनियम जारी करना, जिनके लिए सेवा प्रदाता और ठेकेदार, ग्राहक की उस व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग कर सकते हैं जो एक व्यवसाय के साथ लिखित अनुबंध, सेवा प्रदाता या ठेकेदार के स्वंय के व्यावसायिक उद्देश्य के लिए और अन्य अधिसूचित उद्देश्य सहित, ग्राहक की निजता को अधिकतम करने के उद्देश्य से प्राप्त की गई है।

(12) ग्राहक की निजता को अधिकतम करने के उद्देश्य के साथ, "इरादतन बातचीत करने" को आगे और परिभाषित करते हुए विनियम जारी करना।

(13) "सटीक जियोलोकेशन" को आगे और परिभाषित करते हुए विनियम जारी करना, इसमें यह शामिल करते हुए कि क्या निश्चित किया गया आकार, बहुत कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र में ग्राहक की निजता सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त नहीं है या जब व्यक्तिगत जानकारी सामान्य संचालनात्मक कार्यों के लिए उपयोग की जाए, जिसमें बिल बनाना शामिल है।

(14) "ग्राहक से विशेष जानकारियां प्राप्त की गई" शब्द को परिभाषित करने के लिए विनियम जारी करना, संबंधित व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने के ग्राहक के अधिकार को अधिकतम करने के उद्देश्य के साथ उन जानकारियों की डिलीवरी को न्यूनतम करना जो ग्राहक के लिए उपयोगी नहीं होगी, जिसमें सिस्टम लॉग जानकारी और अन्य तकनीकी डेटा शामिल है। अत्यधिक संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी की डिलीवरी के लिए विनियमों को एक उच्च स्तर के सत्यापन की आवश्यकता हो सकती है बशर्ते एजेंसी, ग्राहक के अपनी व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने के अधिकार के लिए उच्च स्तर के प्रभाव का निरीक्षण करने का प्रावधान करे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सत्यापन की आवश्यकता का परिणाम सत्यापित ग्राहकों के आवेदनों को अनुचित रुप से अस्वीकार करने के रूप में तो नहीं हो रहा है।

(15) ऐसे विनियम जारी करना, जिनके द्वारा वे व्यवसाय जिनके द्वारा ग्राहकों की व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग करने से ग्राहक की निजता या सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण जोखिम पैदा होता है, उन्हें निम्न कार्य करने होंगे:

(A) वार्षिक आधार पर साइबर सिक्योरिटी लेखा-परीक्षण करना, लेखा-परीक्षण के कार्य-क्षेत्र की परिभाषा को शामिल करना और एक प्रक्रिया स्थापित करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लेखा-परीक्षण संपूर्ण और स्वतंत्र हैं। प्रोसेसिंग का परिणाम व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण जोखिम कब होगा का निर्धारण करने के लिए तथ्यों पर विचार करने के दौरान व्यवसाय का आकार और जटिलता एवं प्रोसेसिंग गतिविधियों की प्रकृति और कार्य-क्षेत्र को शामिल किया जाना चाहिए।

(B) नियमित आधार पर California निजता संरक्षण एजेंसी को उनके द्वारा व्यक्तिगत जानकारी को प्रोसेस करने के संदर्भ में जोखिम का आंकलन भेजना, इसमें यह शामिल है कि क्या प्रोसेसिंग में संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी शामिल है और प्रोसेसिंग के कारण व्यवसाय, ग्राहक, अन्य हितधारकों और जनता को होने वाले लाभों को पहचानना और उस प्रोसेसिंग से संबंधित ग्राहकों के अधिकारों के लिए संभावित जोखिम के साथ तुलना की जानी चाहिए, इस उद्देश्य के साथ कि क्या प्रोसेसिंग को सीमित किया या रोक दिया जाना चाहिए यदि ग्राहक की निजता का जोखिम, प्रोसेसिंग के कारण व्यवसाय, ग्राहक, अन्य हितधारकों और जनता को होने वाले लाभों की तुलना में

ज्यादा है। इस अनुभाग में ऐसा कुछ नहीं है जिसके कारण व्यवसाय को अपने व्यापारिक रहस्य प्रकट करने की कोई आवश्यकता हो।

(16) व्यवसायों द्वारा स्वचालित निर्णय लेने की तकनीक के उपयोग के संबंध में पहुंच और ऑप्ट-आउट अधिकारों को नियंत्रित करने वाले विनियम जारी करना, जिसमें शामिल है प्रोफाइलिंग और उस निर्णय करने की प्रक्रिया में लगने वाले तर्क के बारे में अर्थपूर्ण जानकारी शामिल करने हेतु अनुरोधों तक पहुंचने के लिए व्यवसायों की प्रतिक्रिया की आवश्यकता, साथ ही उपभोक्ता के संबंध में प्रक्रिया के संभावित परिणाम का विवरण।

(17) अनुभाग 1798.145 के उपखंड (a) के परिच्छेद (2) के उद्देश्य से "कानून प्रवर्तन एजेंसी-अनुमोदित जांच-पड़ताल" को आगे और परिभाषित करते हुए विनियम जारी करना।

(18) एजेंसी के लेखा-परीक्षण प्राधिकरण के लिए कार्य क्षेत्र और प्रक्रिया को परिभाषित करते हुए विनियम जारी करना, लेखा-परीक्षण के लिए व्यक्तियों के चयन के लिए मानदंड स्थापित करना और न्यायालय के आदेश, वारंट, या सम्मन की अनुपस्थिति में, ग्राहक की व्यक्तिगत जानकारी एक लेखा-परीक्षक के समक्ष प्रकट करने से सुरक्षा करना।

(19) (A) प्लेटफ़ॉर्म, तकनीक या तंत्र द्वारा भेजे गए ऑप्ट-आउट वरीयता संकेत के लिए आवश्यकताओं और तकनीकी विशिष्टताओं को परिभाषित करने हेतु विनियम जारी करना, उपभोक्ता की व्यक्तिगत जानकारी की बिक्री या साझेदारी से बाहर निकलने के लिए उपभोक्ता के इरादे को इंगित करने हेतु, और उपभोक्ता की संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी के उपयोग या प्रकटीकरण को सीमित करने के लिए। ऑप्ट-आउट की प्राथमिकता के लिए सिग्नल की आवश्यकताओं और विवरण को समय-समय पर अपडेट किया जाना चाहिए उन साधनों को प्रदर्शित करने के लिए जिनके माध्यम से ग्राहक, व्यवसायों से बात करता है, और:

(i) सुनिश्चित करना चाहिए कि, ऑप्ट-आउट वरीयता संकेत भेजने वाले, प्लेटफॉर्म या ब्राउज़र या उपकरण के निर्माता अनुचित रूप से अन्य व्यवसायों को हानि ना पहुंचा सकें।

(ii) यह सुनिश्चित करना चाहिए कि, ऑप्ट-आउट वरीयता संकेत ग्राहक हितैषी, स्पष्ट रूप से वर्णित और एक औसत ग्राहक द्वारा आसानी से प्रयोग किया जा सके और ऐसी आवश्यकता ना हो कि ग्राहक को इसके लिए आवश्यकता से अधिक अतिरिक्त जानकारी प्रदान करनी पड़े।

(iii) ग्राहक के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना चाहिए और उस उद्देश्य को बाधित करने या पहले से ही मान के चलने वाली कमियों से मुक्त होना चाहिए।

(iv) यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऑप्ट-आउट वरीयता संकेत का अन्य आमतौर पर प्रयोग होने वाली प्राइवेसी सेटिंग या टूल्स के साथ जो ग्राहक उपयोग कर सकता है टकराव ना हो।

(v) ग्राहक को एक ऐसा तंत्र प्रदान करना चाहिए कि व्यवसाय द्वारा ग्राहक की व्यक्तिगत जानकारी को बेचे जाने या ग्राहक की संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी का प्रयोग करने या प्रकट करने की सहमति देने के विकल्प हो और अन्य व्यवसायों के साथ ग्राहक की प्राथमिकताओं को प्रभावित ना करे या ऑप्ट-आउट वरीयता संकेत को वैश्विक रूप से निष्क्रिय ना करे।

(vi) यह बताना चाहिए कि ऑप्ट-आउट वरीयता संकेत सेट करने के लिए ग्राहक के किसी पेज या सेटिंग पर पहुंचने पर ग्राहक वहां तीन विकल्पों को देखेंगे, जिसमें शामिल हैं:

(I) व्यक्तिगत जानकारी के बेचने और शेयर करने से वैश्विक तौर पर बाहर निकलना, जिसमें संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी के उपयोग को सीमित करने के निर्देश शामिल हैं।

(II) "मेरी संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी के प्रयोग को सीमित करें" का विकल्प।

(III) "मेरी व्यक्तिगत जानकारी को क्रास-कॉनटेक्स्ट बिहेवियरल एडवरटाइजिंग के लिए ना बेचेंऔर ना शेयर करें" के शीर्षक वाला विकल्प।

(B) ऐसे ऑप्ट-आउट वरीयता संकेत के लिए तकनीकी विवरण स्थापित करने के लिए विनियम जारी करना, जो ग्राहक या ग्राहक के माता-पिता या अभिभावक को यह बताने की अनुमति देता है कि, ग्राहक की आयु 13 वर्ष से कम है, या कम से कम 13 वर्ष की और 16 वर्ष से कम आयु है।

(C) ग्राहक द्वारा ग्राहक की संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी के प्रयोग या प्रकट करने को सीमित करने के निर्देश के होने पर भी, ग्राहक की संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी के प्रयोग या प्रकट करने को नियंत्रित करने के लिए नियम जारी करना, ग्राहक की निजता को अधिकतम करने के उद्देश्य के साथ-साथ व्यवसाय के उचित संचालन हितों का ध्यान रखना, जिसमें शामिल हैं:

(i) उन अतिरिक्त उद्देश्यों का निर्धारण करना जिनके लिए व्यवसाय, ग्राहक की संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग या उसे प्रकट कर सकते हैं।

(ii) अनुभाग 1798.121 के उपखंड (a) द्वारा अधिकृत, अनुभाग 1798.140 के उपखंड (e) के परिच्छेद (8) के अधीन स्वीकृत गतिविधियों के कार्य-क्षेत्र का निर्धारण करना, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन गतिविधियों में स्वास्थ्य संबंधी शोध शामिल न हो।

(iii) व्यवसाय के संचालन की कार्यात्मकता को सुनिश्चित करना।

(iv) यह सुनिश्चित करना कि अनुभाग 1798.121 के उपखंड (d) में संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी के लिए प्राप्त छूट संयोगवश एकत्र या प्रोसेस की गई जानकारी पर लागू हो या एक ग्राहक की विशेषताओं का अनुमान लगाने के उद्देश्य के बिना, इसके साथ-साथ यह सुनिश्चित करना कि अनुभाग 1798.121 के तहत ग्राहक के उनकी संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी के उपयोग और प्रकट करने को सीमित करने के अधिकार से बचने के लिए व्यवसाय इस छूट का प्रयोग ना करें।

(20) अनुभाग 1798.121 के उपखंड (a) के अंतर्गत प्राधिकृत उद्देश्यों के अलावा अतिरिक्त उद्देश्यों के लिए ग्राहक द्वारा अपनी व्यक्तिगत जानकारी की बिक्री करने या शेयर करने या अपनी संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग करने या प्रकट करने की सहमति देने के बाद एक व्यवसाय, जिसने अनुभाग 1798.135 के उपखंड (b) का अनुपालन करना चुना है, वह ऑप्ट-आउट वरीयता संकेत पर कैसे प्रतिक्रिया करता है और ग्राहकों को क्या

अवसर प्रदान करता है, इस बात को नियंत्रित करने के लिए विनियम जारी करना। विनियम इस प्रकार होने चाहिए कि:

(A) प्रतियोगिता और ग्राहक के विकल्पों को बढ़ाने में सहायक हों और तकनीक के मामले में निष्पक्ष हों।

(B) यह सुनिश्चित करें कि ऑप्ट-आउट वरीयता संकेत पर प्रतिक्रिया, व्यवसाय निम्न के रूप में ना दें:

(i) ग्राहक के अनुभव की कार्यात्मकता को इरादतन निम्नतर करना।

(ii) ग्राहक की ऑप्ट-आउट की प्राथमिकता के लिए ग्राहक से शुल्क लेना।

(iii) उन ग्राहकों की तुलना में जिन्होंने ऑप्ट-आउट वरीयता संकेत का प्रयोग नहीं किया है, ऐसे ग्राहकों जिन्होंने इसका प्रयोग किया है, को सही या संपूर्ण कार्य न करने वाले उत्पाद या सेवाएं देना।

(iv) ग्राहक की व्यक्तिगत जानकारी की बिक्री करने या साझा करने या अपनी संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग करने या प्रकट करने की सहमति देने के लिए ग्राहक को बाध्य करने की कोशिश करना, यह कह कर या लागू करके कि ऑप्ट-आउट वरीयता संकेत का उपयोग करने से ग्राहक पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, उन ग्राहकों की तुलना में जिन्होंने ऑप्ट-आउट वरीयता संकेत का उपयोग नहीं किया है, जिसमें यह कहना या लागू करना भी शामिल है कि ग्राहक व्यवसाय के उत्पादों और सेवाओं का उपयोग नहीं कर पाएंगे या कि वे उत्पाद या सेवाएं सही से या संपूर्ण कार्य नहीं करेंगी।

(v) ग्राहक के ऑप्ट-आउट वरीयता संकेत की प्रतिक्रिया के रूप में कोई सूचना या पॉप-अप प्रदर्शित करना।

(C) यह सुनिश्चित करना कि ग्राहक के शामिल होने के लिए सहमति से संबंधित वेब पेज या इसकी सहायक विषय सामग्री का लिंक:

(i) किसी पॉप-अप, नोटिस, बैनर या अन्य दखल देने वाले डिज़ाइन का हिस्सा तो नहीं हैं जो वेब पेज के किसी भाग को अधूरा या अस्पष्ट कर देतें हैं जिसे ग्राहक पूरा देखने के उद्देश्य से विजिट करते हैं। या वेब पेज या वेबसाइट जो ग्राहक विजिट करना या ब्राउज़ करना चाहता है के ग्राहक के अनुभव में किसी भी तरीके से हस्तक्षेप करते हैं या बाधा डालते हैं।

(ii) आवश्यक ना हो या यह तात्पर्य ना निकले कि ग्राहक को किसी उत्पाद या सेवा, जिसमें वेबसाइट भी शामिल है, की संपूर्ण कार्यात्मकता प्राप्त करने के लिए लिंक पर अवश्य क्लिक करना होगा।

(iii) किसी तथ्य को छुपाने वाली डिजाइन का प्रयोग ना करती हो।

(iv) केवल उस व्यवसाय के लिए लागू हो, जिसके साथ ग्राहक व्यवहार करना चाहता है।

(D) ऑप्ट-आउट वरीयता संकेत के जवाब में बाध्यकारी या भ्रामक व्यवहार को रोकने का प्रयास करें लेकिन उन व्यवसायों को जो नेकनीयती से अनुभाग 1798.135 का अनुपालन करने की कोशिश कर रहे हैं, को अनुचित रूप से प्रतिबंधित न करें।

(21) यह निर्धारित करने के लिए क्या इस शीर्षक के प्रावधानों की तुलना में ग्राहक को बीमा संहिता के कोई प्रावधान अधिक सुरक्षा प्रदान करते हैं, बीमा की दरों और मूल्यों को छोड़कर, ग्राहक निजता से संबंधित वर्तमान बीमा संहिता के प्रावधानों और विनियमों की समीक्षा करें। इसकी समीक्षा को पूरा करने पर, एजेंसी उस विनियम को अपनाएगी जो बीमा कंपनियों पर इस शीर्षक के केवल अधिक सुरक्षात्मक प्रावधान लागू करता है। स्पष्टता के उद्देश्य से, बीमा दर और मूल्य निर्धारण बीमा आयुक्त के अधिकार-क्षेत्र में होगा।

(22) ग्राहकों के लिए इस शीर्षक की स्पष्टता और व्यावहारिकता को बढ़ाने के लिए बाहर निकलने के तंत्र, ग्राहकों को सूचना, और अन्य संचालन तंत्र को नियंत्रित करने वाले नियमों को एक समान करना।

(b) महान्यायवादी ~~निम्न प्रकार~~ से अतिरिक्त नियमों को अपना सकते हैं:

~~(1) कार्यान्वयन और निजता की चिंताओं को दूर करने के लिए किसी घर से संबंधित व्यक्तिगत जानकारी के विशिष्ट हिस्सों के लिए सत्यापित करने योग्य उपभोक्ता अनुरोधों को स्वीकार करने हेतु नियमों और प्रक्रियाओं को स्थापित करना।~~

~~(2) जैसे~~ इस शीर्षक के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक हों।

(c) इस अनुभाग के अंतर्गत अंतिम नियमों के प्रकाशन के छह महीने बाद तक या 1 जुलाई, 2020 जो भी जल्दी हो, तब तक महान्यायवादी इस शीर्षक के अंतर्गत कोई प्रवर्तन कार्यवाही नहीं करेंगे।

(d) उपखंड (a) होने के बावजूद भी, इस उपखंड को जोड़ने वाले अधिनियम के द्वारा आवश्यक अंतिम नियमों को अपनाने के लिए समय अवधि 1 जुलाई, 2022 होगी। 1 जुलाई, 2021 के बाद से या इस शीर्षक के अंतर्गत नियम अपनाने के लिए एजेंसी तैयार है, की सूचना, एजेंसी द्वारा महान्यायवादी को देने के छह महीने बाद, इस अनुभाग के अंतर्गत नियमों को अपनाने के लिए महान्यायवादी को प्रदान किये गए अधिकार का California निजता संरक्षण एजेंसी द्वारा उपयोग किया जायेगा। कोई अन्य कानून होने के बावजूद भी, इस अधिनियम द्वारा जोड़े गए या संशोधित किए गए कानून के प्रावधानों का नागरिक और प्रशासनिक प्रवर्तन 1 जुलाई, 2023 तक प्रारंभ नहीं किया जाएगा, और केवल इस तारीख या इसके बाद हुए उल्लंघनों पर लागू होगा। इस अधिनियम द्वारा संशोधित 2018 के California उपभोक्ता निजता अधिनियम में शामिल कानून के प्रावधानों का प्रवर्तन जारी रहेगा और तब तक प्रवर्तनीय रहेगा जब तक कि इस अधिनियम के समान प्रावधान प्रवर्तनीय ना हो जाएं।

अनुभाग 22. नागरिक संहिता के अनुभाग 1798.190 को इस तरह से पढ़े जाने के लिए संशोधित किया गया है:

1798.190. परिवर्जन विरोधी

~~1798.190.~~ *एक न्यायालय या एजेंसी, इस शीर्षक के उद्देश्यों को प्रभाव में लाने के लिए माध्यमिक चरणों या लेन-देन को नज़रअंदाज करेगी:*

(a) अगर इस शीर्षक की पहुंच से बचने के इरादे से शुरू से उठाए गए कदम या लेन-देन एक श्रृंखला के घटक हिस्से थे तो इसमें किसी व्यवसाय द्वारा बेचने~~,~~ *या साझा करने* की परिभाषा से बचने के लिए किसी तृतीय पार्टी को जानकारी का खुलासा करना भी शामिल है।

(b) यदि किसी मौद्रिक या अन्य मूल्य को समाप्त करके बेचने या साझा करने की परिभाषा से इरादतन बेचने या साझा करने से बचने के लिए कदम उठाए गए हैं, जिसमें अनुबंधों में प्रवेश करना शामिल है जिसमें मौद्रिक या अन्य मूल्य के लिए एक विनिमय शामिल नहीं है, लेकिन जहां एक पार्टी मूल्य देकर कुछ प्राप्त कर रही है, एक न्यायालय का उपयोग ~~इस उपाधि के प्रयोजनों को प्रभावित करने के प्रयोजनों के लिए मध्यवर्ती चरणों या लेन-देन को नज़रअंदाज करेगा~~।

अनुभाग 23. नागरिक संहिता के अनुभाग 1798.192 को इस तरह से पढ़े जाने के लिए संशोधित किया गया है:

1798.192. छूट

~~1798.192.~~ प्रतिनिधि कार्रवाई छूट सहित किसी भी तरह के अनुबंध या समझौते का कोई प्रावधान, *जो किसी भी तरह से,* इस शीर्षक के तहत ~~एकउपभोक्ता के अधिकारों~~ का त्याग करने या सीमित करने का अधिकार देता है, जिसमें शामिल है, लेकिन एक उपाय या प्रवर्तन के साधन के अधिकार तक इन्हीं तक सीमित नहीं है, सार्वजनिक नीति के विपरीत माना जाएगा और निरर्थक और अप्रवर्तनीय होगा। यह अनुभाग, किसी उपभोक्ता को किसी व्यवसाय से जानकारी मांगने को अस्वीकार करने, व्यवसाय द्वारा उपभोक्ता की व्यक्तिगत जानकारी बेचने से ~~ऑप्ट आउट~~ *करने या किसी व्यवसाय को किसी उपभोक्ता के पहले* ऑप्ट आउट करने के बाद उसकी व्यक्तिगत जानकारी बेचने या साझा करने से नहीं रोकता है।

अनुभाग 24: *California निजता संरक्षण एजेंसी की स्थापना।*

अनुभाग 24.1. नागरिक संहिता में अनुभाग 1798.199.10 को इस तरह पढ़े जाने के लिए जोड़ा गया है:

1798.199.10. (a) इसके तहत, राज्य सरकार में California निजता संरक्षण एजेंसी की स्थापना की गई है, जो California उपभोक्ता निजता अधिनियम 2018 को लागू करने और प्रवर्तन के लिए पूरी प्रशासनिक शक्ति, अधिकार और अधिकार क्षेत्र के साथ निहित है। एजेंसी को पांच सदस्यीय मंडल द्वारा शासित किया जाएगा, जिसमें अध्यक्ष भी शामिल है। अध्यक्ष और मंडल के एक सदस्य को राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा। महान्यायवादी, सीनेट नियम समिति और विधानसभा अध्यक्ष, एक-एक सदस्य की नियुक्ति करेंगे। ये नियुक्तियां California वासियों में से निजता, प्रौद्योगिकी और उपभोक्ता अधिकारों के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वालों में से की जानी चाहिए।

(b) इस अनुभाग को जोड़ने वाले अधिनियम की प्रभावी तिथि के 90 दिनों के अंदर एजेंसी की प्रारंभिक नियुक्तियां की जाएंगी।

अनुभाग 24.2. अनुभाग 1798.199.15 को नागरिक संहिता में इस तरह पढ़े जाने के लिए जोड़ा गया है:

1798.199.15. एजेंसी मंडल के सदस्यों में:

(a) एजेंसी के कर्तव्यों को पूरा करने और अपनी शक्तियों का उपयोग करने के लिए विशेष रूप से निजता और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आवश्यक योग्यता, अनुभव और कौशल होगा।

(b) सार्वजनिक रिकॉर्ड अधिनियम (Public Records Act) द्वारा प्रकटीकरण की आवश्यकता को छोड़कर, उस जानकारी की, जो उनके कार्यों के प्रदर्शन या उनकी शक्तियों के प्रदर्शन के दौरान उनके ज्ञान में आई हो, की निजता बनाए रखेंगे।

(c) सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष बाहरी प्रभावों से मुक्त रहेंगे और दूसरे से निर्देश न तो मांगेंगे ना ही लेंगे।

(d) अपनी कार्य अवधि के दौरान, अपने कर्तव्यों से असंगत किसी भी कार्यवाही या किसी असंगत व्यवसाय से दूर रहेंगे चाहे वो लाभकारी हो या नहीं।

(e) एजेंसी द्वारा अध्यक्ष को उपलब्ध कराई गई सभी सूचनाओं तक पहुंच का अधिकार होगा।

(f) पद छोड़ने के कम से कम एक साल बाद तक किसी ऐसे व्यवसाय के साथ रोज़गार नहीं करेंगे जिस पर सदस्य के कार्यकाल में या सदस्य की नियुक्ति से पांच-वर्ष पहले की अवधि के दौरान इस शीर्षक के अधीन कोई प्रवर्तन कार्यवाही या दीवानी कार्रवाई की गई हो।

(g) पद छोड़ने से कम से कम दो वर्ष की अवधि के लिए, किसी मुआवजे के लिए, एजेंट या वकील के रूप में, या अन्यथा प्रतिनिधित्व करते हुए, एजेंसी के समक्ष लंबित मामले में, एजेंसी की कार्रवाई को प्रभावित करने के उद्देश्य से किसी का एजेंट या अधिवक्ता बनना।

अनुभाग 24.3. नागरिक संहिता के अनुभाग 1798.199.20 को इस तरह पढ़े जाने के लिए जोड़ा गया है:

1798.199.20. अध्यक्ष सहित एजेंसी मंडल के सदस्य अपने नियोक्ता प्राधिकरण के अनुसरण में सेवा करेंगे लेकिन कोई भी लगातार आठ वर्षों से अधिक सेवा नहीं करेगा।

अनुभाग 24.4. नागरिक संहिता के अनुभाग 1798.199.25 को इस तरह पढ़े जाने के लिए जोड़ा गया है:

1798.199.25. एजेंसी मंडल के सदस्यों को, प्रति दिन जब वे आधिकारिक कर्तव्यों में संलग्न होते हैं, एक सौ डॉलर ($100) की दर से मुआवज़ा, रहने की लागत में परिवर्तन को प्रतिबिंबित करने के लिए द्विवार्षिक रूप से समायोजित करके दिया जाएगा और उनके आधिकारिक कर्तव्यों के प्रदर्शन पर होने वाले खर्चों की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

अनुभाग 24.5. नागरिक संहिता के अनुभाग 1798.199.30 को इस तरह पढ़े जाने के लिए जोड़ा गया है:

1798.199.30. एजेंसी मंडल एक कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति करेगा जो एजेंसी की नीतियों, विनियमों और लागू होने वाले कानून के अनुसरण में कार्य करेगा। एजेंसी लागू होने वाले सिविल सेवा कानूनों के अनुसरण में अधिकारियों, वकील, और कर्मचारियों की नियुक्ति और कार्य मुक्ति करेगी, और कर्मचारियों का मुआवज़ा तय करेगी और उनके कर्तव्य निर्धारित करेगी। एजेंसी उन सेवाओं के लिए अनुबंध कर सकती है जो उसके अधिकारियों द्वारा प्रदान नहीं की जा सकती।

अनुभाग 24.6. नागरिक संहिता के अनुभाग 1798.199.35 को इस तरह पढ़े जाने के लिए जोड़ा गया है:

1798.199.35. एजेंसी मंडल, प्रवर्तन कार्रवाई के संबंध में कार्य करने और नियम बनाने के संबंध के अलावा बैठकों में एजेंसी के नाम पर कार्य करने के अधिकार एजेंसी के अध्यक्ष या कार्यकारी निदेशक को सौंप सकता है।

अनुभाग 24.7. नागरिक संहिता के अनुभाग 1798.199.40 को इस तरह पढ़े जाने के लिए जोड़ा गया है:

1798.199.40. एजेंसी निम्नलिखित कार्य करेगी:

(a) इस शीर्षक को प्रशासनिक कार्रवाइयों के माध्यम से प्रशासित, कार्यान्वित और लागू करना।

(b) 1 जुलाई 2021को या उससे पहले या बाद में, या एजेंसी के महान्यायवादी को यह सूचना देने के छह महीने के भीतर कि वह इस शीर्षक के तहत नियमबद्ध ज़िम्मेदारियों को अनुभाग 1798.185 के अनुसरण

में इस शीर्षक के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए व्यवसायों के लिए रिकॉर्ड रखने की आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करने वाले विनियमों सहित 2018 के California उपभोक्ता निजता अधिनियम के उद्देश्य और प्रावधान संभालने, अपनाने और संशोधित करने के लिए तैयार है।

(c) इस शीर्षक के कार्यान्वयन के माध्यम से, अपनी व्यक्तिगत जानकारी के उपयोग के संबंध में प्राकृतिक व्यक्तियों के मौलिक निजता अधिकारों की रक्षा करेगी।

(d) सार्वजनिक जागरूकता और जोखिमों, नियमों, ज़िम्मेदारियों, सुरक्षा उपायों, और व्यक्तिगत जानकारी के संग्रह, उपयोग, बिक्री और प्रकटीकरण के संबंध में अधिकारों को बढ़ावा देगी, जिसमें उनकी अपनी जानकारी के संबंध में नाबालिगों के अधिकार शामिल हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि डेटा सुरक्षा से समझौता नहीं किया गया है, अनुभाग 1798.185 के उपखंड (a) के परिच्छेद (15) के अनुसरण में एजेंसी के साथ दायर किए गए जोखिम आंकलन की एक सार्वजनिक रिपोर्ट प्रदान करेगी।

(e) इस शीर्षक के तहत उपभोक्ताओं का उनके अधिकारों के बारे में मार्गदर्शन करेगी।

(f) इस शीर्षक के तहत व्यवसायों का उनके कर्तव्यों और ज़िम्मेदारियों के बारे में मार्गदर्शन करेगी और अनुभाग 1798.185 के उपखंड (a) के परिच्छेद (18) के अनुसरण में अपनाए गए विनियमों के अनुपालन के लिए व्यवसायों के लेखा-परीक्षण का संचालन करने के लिए मुख्य निजता लेखा परीक्षक की नियुक्ति करेगी।

(g) अनुरोध पर निजता से संबंधित कानून के संबंध में, विधानमंडल को तकनीकी सहायता और सलाह प्रदान करेगी।

(h) संचार प्रौद्योगिकियों और वाणिज्यिक प्रथाओं के विकास की जानकारी और विशेष रूप से, व्यक्तिगत जानकारियों की सुरक्षा और इस से संबंधित प्रासंगिक घटनाक्रम की निगरानी करेगी।

(i) निजता कानूनों पर अधिकार क्षेत्र वाली अन्य एजेंसियों के साथ सहयोग करेगी और California, अन्य राज्यों, क्षेत्रों और देशों में डेटा प्रोसेसिंग प्राधिकरणों के साथ निजता सुरक्षा का सतत उपयोग सुनिश्चित करेगी।

(j) California में व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों के लिए ऐसे तंत्र की स्थापना करेगी जिसमें अनुभाग 1798.140 के परिच्छेद (1), (2), या (3) के उपखंड (d) में निर्धारित व्यवसाय की परिभाषा को पूरा नहीं कर सकने वाले स्वेच्छा से प्रमाणित कर सकते हैं कि वे इस शीर्षक के अनुभाग 1798.140 के उपखंड (d) के परिच्छेद 4 का अनुपालन करते हैं और ऐसी इकाइयों की एक सूची जनता को उपलब्ध करवाएगी।

(k) अनुभाग 1798.160 के उपखंड (b) के परिच्छेद (2) में दी गई हद तक उपलब्ध निधि के लिए आवेदनों की प्रार्थना, समीक्षा और अनुमोदन करेगी।

(l) अपने प्रभुत्व, अधिकार और अधिकार क्षेत्र के अभ्यास में ऐसे अन्य सभी आवश्यक या उचित कार्य करेगी और व्यवसायों पर प्रभाव को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ता निजता को मज़बूत करने के लक्ष्यों को संतुलित करेगी।

अनुभाग 24.8. नागरिक संहिता के अनुभाग 1798.199.45 को इस तरह पढ़े जाने के लिए जोड़ा गया है:

1798.199.45. (a) किसी भी व्यक्ति की शपथबद्ध शिकायत या स्वयं की पहल पर एजेंसी, इस शीर्षक के संभावित उल्लंघन के लिए किसी भी व्यवसाय, सेवा प्रदाता, ठेकेदार, या संबंधित व्यक्ति की जांच कर सकती है। एजेंसी किसी शिकायत की जांच नहीं करने या एक व्यवसाय को कथित उल्लंघन को ठीक करने के लिए समय अवधि प्रदान करने का निर्णय ले सकती है। जांच करने या इलाज के लिए अधिक समय देने का निर्णय लेने के लिए, एजेंसी निम्नलिखित पर विचार कर सकती है:

(1) इस शीर्षक का उल्लंघन करने के इरादे का अभाव।

(2) एजेंसी द्वारा शिकायत अधिसूचित किए जाने से पहले व्यवसाय, सेवा प्रदाता, ठेकेदार या उल्लंघन के आरोपित किसी व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा से प्रयास करना।

(b) एजेंसी, शिकायतकर्ता को अपनी कार्रवाई या गैर-कार्रवाई को उसके कारणों सहित लिखित रूप में सूचित करेगी।

अनुभाग 24.9. नागरिक संहिता में अनुभाग 1798.199.50 ऐसे पढ़ने के लिए जोड़ा गया है।

1798.199.50. इस शीर्षक का उल्लंघन किया गया है, इस पर विश्वास करने के लिए संभावित कारण की कोई खोज एजेंसी द्वारा नहीं की जाएगी जब तक कि कथित उल्लंघन के बारे में एजेंसी के विचार से कम से कम 30 दिन पहले, उस व्यवसाय, सेवा प्रदाता, ठेकेदार या कथित व्यक्ति जिसने इस शीर्षक का उल्लंघन किया हो, अनुरोध की वापसी रसीद के साथ प्रक्रिया की सेवा या पंजीकृत मेल द्वारा उल्लंघन की सूचना दी जाती है, साक्ष्य के सारांश के साथ प्रदान किया जाता है, और व्यक्ति के उपस्थित होने के उनके अधिकार के बारे में सूचित किया जाता है और इस शीर्षक के उल्लंघन वाले व्यक्ति के लिए कोई संभावित कारण मौजूद है या नहीं, इस पर विचार करने के लिए आयोजित एजेंसी की किसी भी कार्यवाही में वकील द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है। कथित उल्लंघनकर्ता को नोटिस सेवा की तारीख वह तारीख मानी जाएगी जिस तारीख को पंजीकृत डाक रसीद पर हस्ताक्षर किए गए हैं, या यदि, तो डाक कार्यालय द्वारा बताई गई तारीख पंजीकृत डाक रसीद पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। संभावित कारण पर विचार करने के उद्देश्य से आयोजित कार्यवाही तब तक निजी होगी जब तक कि कथित उल्लंघनकर्ता एजेंसी से कार्यवाही को सार्वजनिक करने का लिखित अनुरोध नहीं करता है।

अनुभाग 24.10. नागरिक संहिता में जोड़ा गया अनुभाग 1798.199.55 ऐसे पढ़ा जाएगा:

1798.199.55. (a) जब एजेंसी यह निर्धारित करती है कि इस शीर्षक का उल्लंघन करने का संभावित कारण मौजूद है, तब वह एक सुनवाई रखेगी यह निर्धारित करने के लिए कि क्या उल्लंघन हुआ है। नोटिस दिया जाएगा और सुनवाई प्रशासनिक प्रक्रिया अधिनियम (अध्याय 5 (अनुभाग 11500 से शुरू होते हुए), भाग 1, प्रभाग 3, शीर्षक 2, सरकार कोड) के अनुसरण में आयोजित की जाएगी। एजेंसी के पास उस अध्याय द्वारा दी गई सभी शक्तियां होंगी। अगर एजेंसी इस उपखंड के अनुसरण में की गई सुनवाई के आधार पर यह निर्धारित करती है कि उल्लंघन हुआ है, तो यह एक आदेश जारी करेगी जिसमें उल्लंघनकर्ता को निम्नलिखित में से किसी एक या सभी को करने की आवश्यकता होगी:

(1) इस शीर्षक के उल्लंघन को रोकना और उस से परहेज करना।

(2) अनुभाग 1798.155 के अधीन, हर एक उल्लंघन के लिए दो हज़ार पांच सौ डॉलर ($2,500) तक का प्रशासनिक जुर्माना या इरादतन किए हर उस उल्लंघन के लिए जिसमें नाबालिग उपभोक्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी शामिल है, सात हजार पांच सौ डॉलर ($7,500) तक का जुर्माना राज्य के सामान्य निधि के उपभोक्ता निजता निधि में देना होगा। जब एजेंसी यह निर्धारित करती है कि कोई उल्लंघन नहीं हुआ है, तो वह एक घोषणा यह बताते हुए प्रकाशित करेगी।

(b) यदि दो या अधिक व्यक्ति किसी भी उल्लंघन के लिए ज़िम्मेदार हैं, तो वे संयुक्त रूप से और व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

अनुभाग 24.11. नागरिक संहिता में अनुभाग 1798.199.60 ऐसे पढ़ने के लिए जोड़ा गया है:

1798.199.60. जब भी एजेंसी सरकारी कानून के अनुभाग 11517 के अनुसरण में किए गए एक प्रशासनिक कानून न्यायाधीश के निर्णय को अस्वीकार करती है, तो एजेंसी निर्णय को अस्वीकार करने के कारण लिखित में बताएगी।

अनुभाग 24.12. नागरिक संहिता में अनुभाग 1798.199.65 ऐसे पढ़ने के लिए जोड़ा गया है:

1798.199.65. एजेंसी, अपने कर्तव्यों के निस्तारण और अपनी शक्तियों के उपयोग के अनुरूप व्यवसाय के इस शीर्षक के अनुपालन की लेखा-परीक्षण की अपनी शक्ति के अनुसरण में, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं, गवाहों को सम्मन जारी कर सकती है, उन्हें उपस्थित होने और गवाही देने के लिए विवश कर सकती है, शपथ लेने और स्वीकारण, गवाह से किसी भी किताब, काग़ज़ात, रिकॉर्ड, या अन्य वस्तुओं के साक्ष्य प्रस्तुत करवा सकती है।

अनुभाग 24.13. नागरिक संहिता में अनुभाग 1798.199.70 ऐसे पढ़ने के लिए जोड़ा गया है:

1798.199.70. इस शीर्षक के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए कोई प्रशासनिक कार्रवाई जिस तारीख को उल्लंघन हुआ था, उसके पांच साल से अधिक के बाद शुरू नहीं की जाएगी।

(a) अनुभाग 1798.199.50 के अनुसरण में, जिस व्यक्ति ने कथित रूप से इस शीर्षक का उल्लंघन किया है, पर आवश्यक सुनवाई नोटिस स्रव करना, प्रशासनिक कार्रवाई शुरू करने का गठन करेगा।

(b) अगर इस शीर्षक का कथित उल्लंघन करने वाला व्यक्ति, व्यक्ति के कार्य या पहचान को कपटपूर्ण तरीके से छुपाता है तो छुपाव की अवधि के लिए पांच-वर्ष की अवधि को हटा दिया जाएगा। इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, "कपटपूर्ण छिपाव" का अर्थ है कि व्यक्ति इस शीर्षक के तहत व्यक्ति के कर्तव्यों से संबंधित भौतिक तथ्यों के बारे में जानता है और धोखा देने के उद्देश्य से जानकारी को जनता से, इरादतन या तो उन्हें छुपाता है या जानबूझकर छोड़ता है जिसके वे इस शीर्षक के तहत हकदार है।

(c) यदि, इस शीर्षक के तहत किसी भी प्रशासनिक कार्यवाही में एक उप-न्यायालय द्वारा मांगे गए किसी भी दस्तावेज़ को प्रस्तुत करने के लिए एक बेहतर न्यायालय द्वारा आदेश दिए जाने पर, जिस व्यक्ति ने कथित रूप से इस शीर्षक का उल्लंघन किया है, उस तिथि तक आदेश के जवाब में दस्तावेज़ों का उत्पादन करने में विफल रहता है, तो, पांच साल की अवधि के लिए, मजबूर किये जाने के मोशन के फाइल किये जाने की तारीख से विलंब की अवधि के लिए देरी को तब तक टालना होगा जब तक कि दस्तावेज़ों को प्रस्तुत नहीं कर दिया जाता।

अनुभाग 24.14. नागरिक कोड का अनुभाग 1798.199.75 इस तरह पढ़ने के लिए जोड़ा गया है:

1798.199.75. (a) किसी भी अन्य उपलब्ध समाधानों के अलावा, एजेंसी की न्यायिक समीक्षा समाप्त होने के बाद, एजेंसी इस शीर्षक के अनुसरण में अवैतनिक प्रशासनिक जुर्मानों को इकट्ठा करने के लिए दीवानी मुकद्दमा दायर करती है और सुपीरियर न्यायालय से निर्णय प्राप्त कर सकती है। अधिकार-क्षेत्र की राशि के अनुसरण में कार्रवाई को छोटे दावे, सीमित नागरिक या असीमित नागरिक केस की तरह दायर किया जा सकता है। इस कार्रवाई का स्थान उस काउंटी में होगा जहां एजेंसी द्वारा प्रशासनिक जुर्माना लगाया गया था। इस अनुभाग के तहत कार्यवाही में निर्णय प्राप्त करने के लिए, एजेंसी, सभी सामान्य नागरिक कार्यों में लागू सबूतों की प्रक्रियाओं और नियमों का पालन करते हुए निम्न दिखाएगी:

(1) यह कि, सभी प्रशासनिक जुर्माने इस शीर्षक की प्रक्रियाओं के अनुसरण में और प्रावधानों के अनुसरण में लगाए गए थे।

(2) यह कि, प्रतिवादी या प्रतिवादियों को प्रशासनिक जुर्माना वास्तविक या रचनात्मक नोटिस द्वारा सूचित किया गया था।

(3) यह कि, एजेंसी द्वारा भुगतान की मांग की गई और संपूर्ण भुगतान प्राप्त नहीं हुआ।

(b) उपखंड (a) के अनुसरण में लाई गई नागरिक कार्रवाई प्रशासनिक जुर्माना लगने की तारीख के चार साल के भीतर शुरू की जाएगी।

अनुभाग 24.15. नागरिक संहिता के अनुभाग 1798.199.80 को इस तरह पढ़े जाने के लिए जोड़ा गया है:

1798.199.80. (a) यदि एजेंसी के किसी अंतिम आदेश या निर्णय की न्यायिक समीक्षा का समय समाप्त हो चुका है या न्यायिक समीक्षा के सभी उपाय समाप्त हो चुके हैं तो एजेंसी प्रशासनिक जुर्माना जमा करने के निर्णय के लिए न्यायालय के क्लर्क से न्यायिक समीक्षा पर निर्णय के अनुसरण में आदेश या निर्णय, या आदेश द्वारा संशोधित जुर्माना एकत्रित करने का आवेदन कर सकती है।

(b) एक आवेदन, जिसमें न्यायिक समीक्षा पर निर्णय के अनुसरण में आदेश, संशोधित आदेश या निर्णय की प्रमाणित प्रति प्रशासनिक जुर्माना लेने के निर्णय की पर्याप्त सबूत का गठन करता है। न्यायालय के क्लर्क कार्यान्वियन के अनुरूप तुरंत निर्णय दर्ज करेंगे।

(c) इस शीर्षक के अनुसरण में किया गया आवेदन जिस काउंटी में एजेंसी ने जुर्माना लगाया था, उसी के सुपीरियर न्यायालय के क्लर्क को किया जाएगा।

(d) इस अनुभाग के अनुसरण में दर्ज की गई कार्रवाई निर्णय में समान बल और प्रभाव होता है जैसे न्यायालय के किसी अन्य निर्णय में, और कानून से संबंधित सभी प्रावधानों के अधीन है, एक नागरिक कारवाई एक निर्णय और उसी तरीके से लागू किया जा सकता है जो दर्ज किया गया है।

(e) एजेंसी इस खंड के लिए केवल चार साल के भीतर आवेदन कर सकती है, जिसके बाद आदेश या निर्णय की न्यायिक समीक्षा के सभी साधन समाप्त हो गए हैं।

(f) इस अनुभाग के तहत उपलब्ध उपाय किसी अन्य कानून के तहत उपलब्ध उपायों के अतिरिक्त है।

अनुभाग 24.16. नागरिक संहिता के अनुभाग 1798.199.85 को इस तरह पढ़े जाने के लिए जोड़ा गया है:

1798.199.85. किसी शिकायत या प्रशासनिक जुर्माने के संबंध में एजेंसी का कोई भी निर्णय किसी इच्छुक पक्ष द्वारा शिकायत या प्रशासनिक जुर्माने के लिए की गई कार्रवाई में न्यायिक समीक्षा और विवेकाधीन मानक के दुरुपयोग के अधीन होगा।

अनुभाग 24.17. नागरिक संहिता के अनुभाग 1798.199.90 को इस तरह पढ़े जाने के लिए जोड़ा गया है:

1798.199.90. (a) कोई भी व्यवसाय, सेवा प्रदाता, ठेकेदार, या अन्य व्यक्ति जो इस शीर्षक का उल्लंघन करता है, वह एक निषेधाज्ञा के अधीन होंगे और अनुभाग 1798.185 के उपखंड (a) के परिच्छेद (5) के के अनुसरण में समायोजित प्रत्येक उल्लंघन के लिए दो हजार पांच सौ डॉलर ($2,500) या प्रत्येक इरादतन उल्लंघन और प्रत्येक उल्लंघन के लिए जिसमें नाबालिग उपभोक्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी शामिल है उसके लिए सात हजार पांच सौ डॉलर ($7,500) के नागरिक दंड के लिए उत्तरदायी है, जिसे महान्यायवादी द्वारा California राज्य के लोगों के नाम पर की गई नागरिक कार्रवाई में आंकलन और पुनर्प्राप्ति किया जाएगा। न्यायालय नागरिक दंड की राशि निर्धारित करने में व्यवसाय, सेवा प्रदाता, ठेकेदार या अन्य व्यक्ति के नेकनीयती से किए जाने वाले सहयोग पर विचार कर सकता है।

(b) इस शीर्षक के उल्लंघन के लिए महान्यायवादी द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई के बाद, और किसी भी कार्रवाई के किसी भी निपटान से वसूल किये गए किसी भी नागरिक दंड को उपभोक्ता निजता निधि में जमा किया जाएगा।

(c) एजेंसी, महान्यायवादी के अनुरोध पर, इस शीर्षक के तहत एक प्रशासनिक कार्रवाई या जांच के लिए महान्यायवादी को एक जांच या नागरिक कार्रवाई के साथ आगे बढ़ने की अनुमति देगा और एक प्रशासनिक कार्रवाई या जांच तब तक नहीं होगी, जब तक कि महान्यायवादी बाद में एक जांच या नागरिक कार्रवाई ना करने को निर्धारित नहीं करता है। एजेंसी इस शीर्षक के प्रवर्तन के लिए महान्यायवादी के प्राधिकरण को सीमित नहीं कर सकती है।

(d) इस शीर्षक के किसी भी उल्लंघन के लिए इस अनुभाग के तहत महान्यायवादी द्वारा कोई भी नागरिक कार्रवाई नहीं की जा सकती है, जबकि एजेंसी ने अनुभाग 1798.199.85 के लिए एक निर्णय जारी किया है या उसी उल्लंघन के लिए उस व्यक्ति के खिलाफ अनुभाग 1798.199.55 के अनुसार आदेश दिया है।

(e) यह अनुभाग 1798.150 में इसके लिए प्रदान की गई कार्रवाई के निजी अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा।

अनुभाग. 24.18. नागरिक कोड के अनुभाग 1798.199.95 को इस तरह पढ़े जाने के लिए जोड़ा गया है:

1798.199.95. (a) वित्तीय वर्ष 2020-2021 के दौरान राज्य की सामान्य निधि से पांच मिलियन डॉलर ($5,000,000) की राशि और इसके बाद प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान, रहने की लागत के बदलाव के लिए समायोजित दस लाख डॉलर ($10,000,000) की राशि, इस शीर्षक के अनुसरण में एजेंसी के संचालन का समर्थन करने के लिए व्यय के लिए समायोजित किया गया है। इस विनियोजन के तहत निधि का व्यय अन्य राज्य के विनियोजनों के लिए दी गई सामान्य प्रशासनिक समीक्षा के अधीन होगा। विधान मंडल उन अतिरिक्त राशियों को आयोग और अन्य एजेंसियों को विनियोजित करेगा जो इस शीर्षक के प्रावधानों को पूरा करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं।

(b) वित्त विभाग, राज्य बजट और विधान मंडल को प्रस्तुत बजट अधिनियम (Budget Act) बिल तैयार करने में, इस शीर्षक के समर्थन के लिए एक आइटम शामिल करेगा जो निम्नलिखित सभी को दर्शाएगा:

(1) राशि को इस शीर्षक के तहत अन्य एजेंसियों को अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए विनियोजित किया जाना चाहिए, जो राशि उन एजेंसियों की सहायता वस्तुओं के संवर्द्धन में होगी।

(2) इस शीर्षक के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त राशि को एजेंसी को विधानमंडल द्वारा विनियोजित की जाएगी, जैसा कि इस अनुभाग में दिया गया है।

(3) कोष्ठक में, सूचना के प्रयोजनों के लिए, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान निरंतर दस मिलियन डॉलर ($10,000,000) के विनियोजन, को इस अनुभाग के अनुसरण में जीवन की लागत में परिवर्तनों के लिए समायोजित किया जाता है।

(c) जब तक एजेंसी अपने कर्मचारियों को काम पर नहीं रख लेती है, तब तक महान्यायवादी एजेंसी को स्टाफ का समर्थन प्रदान करेंगे। इन सेवाओं के लिए एजेंसी द्वारा महान्यायवादी को प्रतिपूर्ति की जाएगी।

अनुभाग 24.19. नागरिक संहिता में अनुभाग 1798.199.100 को इस तरह पढ़े जाने के लिए जोड़ा गया है:

1798.199.100. एजेंसी और कोई भी न्यायालय, जैसा भी लागू हो, इस शीर्षक के उल्लंघन के लिए किसी भी प्रशासनिक दंड या नागरिक दंड की राशि का निर्धारण करने में व्यवसाय, सेवा प्रदाता, ठेकेदार या अन्य व्यक्ति के नेकनीयती में किए गए सहयोग पर विचार करेंगे। एक व्यवसाय को समान उल्लंघन के लिए एजेंसी, न्यायालय, या अन्यथा द्वारा प्रशासनिक जुर्माना और नागरिक दंड दोनों का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी।

प्रावधान 25. संशोधन।

(a) इस अधिनियम के प्रावधानों को मतदाताओं द्वारा, कानून द्वारा इसकी मंजूरी के बाद संशोधित किया जा सकता है, जो कि विधान मंडल के प्रत्येक सदन के बहुमत सदस्यों के वोट द्वारा पारित किया जाता है और गवर्नर द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है, बशर्ते कि वे संशोधन अनुभाग 3 में उल्लिखित अधिनियम के उद्देश्य और इरादे के संगत हों और उन्हें आगे बढ़ाते हों, जिसमें अनुभाग 1798.145 में छूट के लिए संशोधन शामिल हैं, यदि कानून जिन पर छूट आधारित हैं, निजता बढ़ाने के लिए संशोधित किए गए हैं और आगे इस अधिनियम और संशोधनों के उद्देश्य और इरादे राज्य या संघीय न्यायालय के एक

फैसले के अधिकार को संबोधित करने के लिए है कि अधिनियम का एक प्रावधान असंवैधानिक या संघीय कानून द्वारा पूर्वनिर्धारित है, बशर्ते कि कानून में कोई और संशोधन जो कि न्यायालय के अधिकार को संबोधित करता है वह इस उपखंड के अधीन होगा।

(b) अनुभाग 1798.199.25 के बावजूद, विधानमंडल California उपभोक्ता निजता एजेंसी के सदस्यों के लिए अतिरिक्त मुआवजे को अधिकृत कर सकता है, अगर यह निर्धारित किया जाता है कि यह एजेंसी के कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक है, एक कानून द्वारा जो विधानमंडल के प्रत्येक सदन के सदस्यों के बहुमत से पारित हुआ है और गवर्नर द्वारा हस्ताक्षरित है।

(c) यह अनुभाग इस अधिनियम के हिस्से के रूप में सभी संशोधित या पुनः अधिनियमित कानूनों, और उन कानूनों के सभी प्रावधान पर इस बात को ध्यान दिये बिना लागू होता है कि क्या यह अधिनियम किसी भी महत्वपूर्ण बदलाव को लागू करता है।

(d) इस अधिनियम के प्रावधान 1 जनवरी, 2020 के बाद लागू किए गए किसी भी परस्पर विरोधी कानून पर लागू होंगे। इस अधिनियम या किसी कानून में संशोधन जो इस अधिनियम के किसी प्रावधान के साथ संघर्ष में है मतदाताओं द्वारा इस अधिनियम के पारित होने पर निरर्थक और अमान्य हो जाएगा, उस कोड पर ध्यान दिए बिना जिसमें यह दिखाई देता है। इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए कानून को "परस्पर विरोधी" माना जाएगा, जब तक कि कानून संगत न हो और अनुभाग 3 में वर्णित इस अधिनियम के उद्देश्य और इरादे को आगे बढ़ाता है।

अनुभाग 26. विच्छेदनीयता।

यदि इस उपाय का कोई प्रावधान, या इस उपाय का कोई हिस्सा, या किसी प्रावधान का अनुप्रयोग या किसी व्यक्ति या परिस्थितियों का कोई भी हिस्सा किसी भी कारण से अमान्य माना जाता है, तो शेष प्रावधान या प्रावधानों के अनुप्रयोग प्रभावित नहीं होंगे, लेकिन पूरी क्षमता और प्रभाव के साथ लागू रहेंगे और इस तात्पर्य से इस उपाय के प्रावधान विच्छेदनीय है। यदि किसी न्यायालय को एक अंतिम, समीक्षा न करने योग्य निर्णय में पता चलता है कि अधिनियम की प्रयोज्यता से एक या एक से अधिक संस्थाओं या गतिविधियों का बहिष्करण अधिनियम को असंवैधानिक बनाता है, तो उन अपवादों को अलग कर दिया जाना चाहिए और इस अधिनियम को पूर्व में अधिनियम से बाहर रखी गई संस्थाओं या गतिविधियों पर लागू किया जाना चाहिए। यह मतदाताओं का आशय है कि चाहे कोई भी अवैध प्रावधान शामिल किया गया हो या कोई अमान्य अनुप्रयोग किया गया हो, इस बात की परवाह किए बिना यह अधिनियम लागू किया जाएगा।

अनुभाग 27. परस्पर-विरोधी पहल।

(a) इस उपाय और उपभोक्ता निजता को संबोधित करने वाला कोई अन्य उपाय एक ही राज्यव्यापी मतपत्र पर दिखाई देता है, तो उस अन्य उपाय या उपायों के प्रावधानों को इस उपाय के साथ परस्पर-विरोधी माना जाएगा। इस उपाय के साथ संघर्ष में होने वाले उपाय की तुलना में इस उपाय को अधिक सकारात्मक वोट मिलते हैं तो इस उपाय के प्रावधान पूरी तरह से मान्य होंगे, और अन्य उपाय या उपायों को निरर्थक माना जाएगा और अमान्य होंगे।

(b) यदि इस उपाय को मतदाताओं द्वारा अनुमोदित किया जाता है, लेकिन एक ही चुनाव में मतदाताओं द्वारा अनुमोदित किसी अन्य परस्पर विरोधी उपाय द्वारा कानून द्वारा अधिगृहीत किया जाता है, और परस्पर विरोधी मतदान उपाय को बाद में अमान्य ठहराया जाता है, तो यह उपाय स्व-क्रियान्वित होगा और इसे पूरी ताकत और प्रभाव दिया जाएगा।

अनुभाग 28. स्थायित्व।

कानून के किसी भी अन्य प्रावधान के बावजूद, यदि राज्य, या उसके अधिकारियों में से कोई, मतदाताओं द्वारा इसके अनुमोदन के बाद, इस अधिनियम की संवैधानिकता की रक्षा करने में विफल रहता है, तो इस राज्य की किसी भी अन्य सरकारी एजेंसी को संविधान की संवैधानिकता का बचाव करने के उद्देश्य से, इस अधिनियम की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली किसी भी न्यायालय की कार्रवाई में हस्तक्षेप करने का अधिकार होगा चाहे इस तरह की गतिविधि राज्य में या संघीय ट्रायल न्यायालय में हो, अपील पर हो या California के उच्चतम न्यायालय या संयुक्त राज्य अमेरिका के उच्चतम न्यायालय द्वारा विवेकाधीन समीक्षा के अधीन हो। इस कार्रवाई का संरक्षण करने के उचित शुल्क और लागतों को न्याय विभाग को विनियमित निधियों पर लगाया जाएगा, जिन्हें तत्काल पूरा किया जाना ज़रूरी होगा।

अनुभाग 29. गठन।

अपने उद्देश्यों को प्रभावी बनाने के लिए इस अधिनियम को उदारतापूर्वक समझा जाएगा।

अनुभाग 30. बचत का परिच्छेद।

इस अधिनियम का इरादा संघीय और राज्य कानून के पूरक बनने का है, जहां अनुज्ञेय हो, लेकिन लागू नहीं होगा यदि वह अनुप्रयोग संघीय कानून, या California संविधान द्वारा पूर्वनिर्धारित है, या के साथ टकराव हुआ हो। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से संबंधित अधिनियम के प्रावधान केवल संघीय बच्चों के ऑनलाइन निजता संरक्षण अधिनियम (Children's Online Privacy Protection Act) के साथ टकराव ना करने की हद तक ही लागू होंगे।

अनुभाग 31: प्रभावी और प्रभावशील तिथियां।

(a) यह अधिनियम California संविधान के अनुच्छेद II के अनुभाग 10 के उपखंड (a) में प्रदान किए गए के अनुसरण में प्रभावी होगा। उपखंड (b) में दिए गए को छोड़कर, यह अधिनियम 1 जनवरी, 2023 से प्रभावशील हो जाएगा, और उपयोग के अधिकार के अपवाद के साथ, 1 जनवरी, 2022 को या उसके बाद किसी व्यवसाय द्वारा एकत्र की गई व्यक्तिगत जानकारी पर लागू होगा।

(b) अनुभाग 1798.145 के उपखंड (m) और (n) अनुभाग 1798.160, 1798.185, अनुभाग 1798.199.10 से 1798.199.40 तक, सहित और अनुभाग 1798.199.95 अधिनियम की प्रभावी तिथि पर प्रभावशील हो जाएंगे।

(c) इस अधिनियम द्वारा संशोधित 2018 का California उपभोक्ता निजता का अधिनियम, संपूर्ण शक्ति और प्रवर्तन में रहेंगे और लागू करने योग्य होगा जब तक कि इस अधिनियम के समान प्रावधान प्रवर्तनीय नहीं होते हैं और लागू नहीं होते हैं।

प्रस्ताव 25

2017–2018 के नियमित सत्र (अध्याय 244, 2018 के कानून) के सीनेट बिल 10 द्वारा प्रस्तावित इस कानून को California के संविधान के अनुच्छेद II के अनुभाग 9 के प्रावधानों के अनुरूप जनमत के रूप में लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

यह प्रस्तावित कानून सरकारी कोड के अनुभागों में संशोधन करता है और दंड संहिता में अनुभाग जोड़ता है; इसलिए, हटाए जाने के लिए प्रस्तावित मौजूदा प्रावधान ~~स्ट्राइकआउट प्रकार~~ में मुद्रित किए गए हैं और जोड़े जाने वाले नए प्रावधान *इटैलिक प्रकार* में मुद्रित किए गए हैं ताकि यह सूचित किया जा सके कि वे नए हैं।

प्रस्तावित कानून

अनुभाग 1. मुकदमें से पहले के प्रतिवादियों की निवारक नज़रबंदी को अनुमति देने के लिए विधान मंडल का इस उपाय को एक ऐसे तरीके से लागू करने का इरादा है कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के अनुरूप है, जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के उच्चतम न्यायालय द्वारा व्याख्या की गई है, और केवल California संविधान द्वारा अनुमत सीमा तक जैसा कि समीक्षा की California न्यायालयों द्वारा व्याख्या की गई है।

अनुभाग 2. सरकारी कोड के अनुभाग 27771 को इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया गया है:

27771. (a) मुख्य परिवीक्षा अधिकारी कर्तव्यों का पालन करेंगे और कानून द्वारा या वरिष्ठ न्यायालय के आदेश द्वारा कार्यालय को दिए गए दायित्वों का निर्वहन करेंगे, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) कल्याण और संस्थान कोड के अनुभाग 602 या 1766 के अनुसरण में किशोर न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र के अधीन अपराधियों का सामुदायिक पर्यवेक्षण।

(2) कल्याण और संस्थान कोड के अनुभाग 852 के अनुसरण में किशोर हॉल का संचालन।

(3) कल्याण और संस्थान कोड के अनुभाग 880 के तहत स्थापित किशोर शिविरों और फार्मों का संचालन।

(4) दंड संहिता के अनुभाग 1203 के तहत लगाई गई शर्तों के अनुसरण में परिवीक्षा के अधीन व्यक्तियों का सामुदायिक पर्यवेक्षण।

(5) दंड संहिता के अनुभाग 1170 के उपखंड(h) के परिच्छेद(5) के उप-परिच्छेद(B) के अनुसरण में अनिवार्य पर्यवेक्षण के अधीन होता व्यक्तियों का सामुदायिक पर्यवेक्षण।

(6) दंड संहिता के अनुभाग 3451 के अनुसरण में रिहाई के बाद सामुदायिक पर्यवेक्षण के अधीन व्यक्तियों का सामुदायिक पर्यवेक्षण।

(7) समुदाय आधारित सुधार प्रोग्रामिंग का प्रशासन, इसमें दंड संहिता के भाग 2 के शीर्षक 8 के अध्याय 3 (अनुभाग 1228 के साथ शुरू करते हुए) के द्वारा अधिकृत किये गये कार्यक्रम शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

25

(8) दंड संहिता के अनुभाग 1230 के अनुसरण में सामुदायिक सुधार भागीदारी के प्रमुख के रूप में कार्य करना।

(9) न्यायालय को सिफारिशें देना, जिसमें दंड संहिता के अनुभाग 1203.7 और 1203.10 के अनुसरण में ~~सज़ा-पूर्व~~ *सजापूर्वजांच रिपोर्ट, या दंड संहिता के अनुभाग 1320.15 के अनुसरण में तैयार की गई रिपोर्टें* शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

(b) मुख्य परिवीक्षा अधिकारी अन्य कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं जिनकी उपखंड (a) में व्याख्या की गई है और राज्य मंडल और सामुदायिक सुधार के लिए नियुक्ति को स्वीकार कर सकते हैं और दंड संहिता के अनुभाग 6025.1 द्वारा अधिकृत प्रति दिन खर्च को एकत्र कर सकते हैं।

अनुभाग 3. अनुभाग 1320.6 को दंड संहिता में, को इस प्रकार पढ़े जाने के लिए जोड़ा गया है:

1320.6. यह अध्याय सिर्फ 1 अक्टूबर, 2019 तक प्रभावी रहेगा और उस दिनांक के बाद निरस्त है।

अनुभाग 4. अध्याय 1.5 (अनुभाग 1320.7 के साथ शुरू करते हुए) को दंड संहिता के भाग 2 के शीर्षक 10 में, इस प्रकार पढ़े जाने के लिए जोड़ा गया है:

अध्याय 1.5. मुकदमें से पहले गिरफ्तारी की स्थिति

अनुच्छेद 1. परिभाषाएं

1320.7. इस अध्याय में उपयोग किए जाने हेतु, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ निम्नलिखित है:

(a) " न्यायालय" जैसा कि इस अध्याय में उपयोग किया गया है, जिसमें "अधीनस्थ न्यायिक अधिकारी शामिल हैं," यदि विशेष वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अधिकृत हैं, जैसा कि California संविधान के अनुच्छेद VI के अनुभाग 22 में अधिकृत है और California के न्यायालय के नियम 10.703 में निर्दिष्ट है।

(b) "उच्च जोखिम" का अर्थ है कि एक गिरफ्तार व्यक्ति, एक मान्य जोखिम मूल्यांकन उपकरण के उपयोग सहित, मुकदमें से पहले मूल्यांकन सेवाओं द्वारा जांच-पड़ताल के बाद व्यक्ति के जोखिम के निर्धारण के बाद, वर्तमान दण्डनीय अपराध पर रिहा होने के दौरान एक नए दण्डनीय अपराध के निर्धारण के कारण आवश्यक रूप से न्यायालय में पेश न होने या सार्वजनिक सुरक्षा के लिए जोखिम के एक महत्वपूर्ण स्तर पर होने के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

(c)"कम जोखिम" का अर्थ है कि एक गिरफ्तार व्यक्ति, एक मान्य जोखिम मूल्यांकन उपकरण के उपयोग सहित, मुकदमें से पहले मूल्यांकन सेवाओं द्वारा जांच-पड़ताल के बाद व्यक्ति के जोखिम के निर्धारण के बाद, वर्तमान दण्डनीय अपराध पर रिहा होने के दौरान एक नए दण्डनीय अपराध के निर्धारण के कारण आवश्यक रूप से न्यायालय में पेश न होने या सार्वजनिक सुरक्षा के लिए जोखिम के एक न्यूनतम स्तर पर होने के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

(d)"मध्यम जोखिम" का अर्थ है कि एक गिरफ्तार व्यक्ति, एक मान्य जोखिम मूल्यांकन उपकरण के उपयोग सहित, मुकदमें से पहले मूल्यांकन सेवाओं द्वारा जांच के बाद व्यक्ति के जोखिम के निर्धारण के बाद, वर्तमान दण्डनीय अपराध पर रिहा होने के दौरान एक नए दण्डनीय अपराध के निर्धारण के कारण आवश्यक रूप से न्यायालय में पेश न होने या सार्वजनिक सुरक्षा के लिए जोखिम के एक मध्यम स्तर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

(e) "खुद की पहचान पर रिहाई" का अर्थ एक गिरफ्तार व्यक्ति की मुकदमें से पहले रिहाई जो आवश्यक होने पर और पर्यवेक्षण के बिना न्यायालय में उपस्थित होने का लिखित रूप में वादा करता है।

(f) "मुकदमें से पहले जोखिम मूल्यांकन" का अर्थ है एक वैध जोखिम मूल्यांकन उपकरण के उपयोग के साथ मुकदमें से पहले मूल्यांकन सेवाओं द्वारा किया गया मूल्यांकन, जिसे किसी व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसरण में न्यायालय में पेश न होने के जोखिम या एक नए दंडात्मक अपराध करने के कारण सार्वजनिक सुरक्षा के लिए जोखिम होने के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है अगर व्यक्ति को उसके या उसके वर्तमान दंडात्मक अपराध का निर्णय करने से पहले छोड़ा जाता है।

(g) "मुकदमें से पहले जोखिम मूल्यांकन" का अर्थ एक इकाई, विभाग या कार्यक्रम है जिसे किसी अपराध करने के लिए आरोपित किए गए व्यक्तियों के जोखिम के स्तर का आंकलन करने के लिए, न्यायालय को जोखिम निर्धारण के परिणामों की रिपोर्ट करने, और उनके आपराधिक मामले के लंबित व्यक्तियों की रिहाई की शर्तों के लिए सिफारिशें करने, और जैसा कि वैधानिक या नियम के तहत निर्देशित है, छोड़ने और नज़रबंदी के बारे में जोखिम-आधारित निर्धारण लागू करने के लिए अनुभाग 1320.26 के अनुसरण में, ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। विशेष वरिष्ठ न्यायालय के विकल्प के रूप में इकाई, विभाग, या कार्यक्रम, न्यायालय के कर्मचारी हो सकते हैं, या इन सेवाओं के लिए न्यायालय के साथ अनुबंध में किसी सार्वजनिक संस्था का कर्मचारी हो सकता है जैसा कि अनुभाग 1320.26 में दिया गया है, और इसमें निकटवर्ती काउंटी से एक इकाई, विभाग या कार्यक्रम शामिल हो सकता है, या वह जो क्षेत्रीय संघ के सदस्य के रूप में सेवाएं प्रदान करता है। सभी परिस्थितियों में, इकाई, प्रभाग या कार्यक्रम की ओर से अधिनियमित व्यक्ति न्यायालय के अधिकारी होंगे। "मुकद्दमे से पहले जोखिम मूल्यांकन" में इस अध्याय के तहत रिहा किए गए व्यक्तियों का पर्यवेक्षण शामिल नहीं है।

(h) "जोखिम" उस संभावना को संदर्भित करता है कि एक व्यक्ति आवश्यकता के अनुसरण में न्यायालय में उपस्थित नहीं होगा या यह संभावना है कि व्यक्ति एक नया अपराध करेगा यदि व्यक्ति को उसके वर्तमान दंडात्मक अपराध के निर्णय से पहले रिहा कर दिया जाता है।

(i) "जोखिम स्कोर" किसी व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसरण में न्यायालय में पेश होने की विफलता के जोखिम या एक नए दंडात्मक अपराध करने के कारण सार्वजनिक सुरक्षा के लिए जोखिम के संदर्भ में विवरणात्मक मूल्यांकन प्रदान करता है अगर व्यक्ति को उसके या उसके वर्तमान दंडात्मक अपराध का निर्णय करने से पहले छोड़ा जाता है। मान्य जोखिम मूल्यांकन उपकरण के साथ मूल्यांकन करने के परिणामस्वरूप और इसमें "उच्च," "मध्यम" या "निम्न" जोखिम जैसे संख्यात्मक मूल्य या अवधियां शामिल हो सकती हैं।

(j) "पर्यवेक्षित स्वयं की पहचान पर रिहाई" का अर्थ पैसे या सुरक्षित बांड के बिना किसी गिरफ्तार व्यक्ति की मुकदमें से पहले रिहाई है जो आवश्यकता होने पर न्यायालय में उपस्थित होने का लिखित वादा करता है और जिस पर न्यायालय या मुकदमें से पहले मूल्यांकन सेवाएं रिहाई के लिए निर्दिष्ट शर्तें लगाती हैं।

(k) "मान्य जोखिम मूल्यांकन उपकरण" का अर्थ जोखिम मूल्यांकन का एक ऐसा उपकरण है जिसे न्यायिक परिषद द्वारा अनुरक्षित अनुमोदित मुकदमें से पहले जोखिम मूल्यांकन उपकरणों की सूची से, मुकदमें से पहले मूल्यांकन सेवाएं या मुकदमें से पहले जोखिम मूल्यांकन प्रदान करने वाली अन्य इकाई के परामर्श से न्यायालय द्वारा चुना और अनुमोदित किया गया है। मूल्यांकन उपकरण को वैज्ञानिक अनुसंधान द्वारा एक व्यक्ति के आवश्यकता के अनुसरण में न्यायालय में पेश होने की विफलता के जोखिम या एक नए दंडात्मक अपराध करने के कारण सार्वजनिक सुरक्षा के लिए जोखिम के मूल्यांकन के लिए सटीक और विश्वसनीय होने के लिए प्रदर्शित किया जाएगा, अगर व्यक्ति को उसके या उसके वर्तमान दंडात्मक अपराध का निर्णय करने से पहले छोड़ा जाता है और पक्षपात को कम करता है।

(l)"गवाह" का अर्थ है कि कोई व्यक्ति जिसने गवाही दी है या उसकी गवाही देने की उम्मीद है, या जो प्रासंगिक जानकारी होने के कारण, वर्तमान अपराध के लिए कार्य या कार्यवाही में बुलाने के अधीन होता है या उसे गवाह के रूप में बुलाया जा सकता है, चाहे कार्य या कार्यवाही अभी तक शुरू नहीं हुई है, और व्यक्ति बचाव या अभियोजन पक्ष का गवाह है या नहीं है।

अनुच्छेद 2. मामला दर्ज करना और रिहाई

1320.8. अनुभाग 1320.10 के उपखंड (e) में दी गई के अलावा सूचीबद्ध दुराचार के अलावा दुराचार के आरोप में गिरफ्तार या हिरासत में लिया गया व्यक्ति पर मामला दर्ज किया जा सकता है और हिरासत में लिये बिना रिहा किया जा सकता है, यदि हिरासत में लिया गया है, तो मामला दर्ज करने के 12 घंटे के भीतर मुकदमें से पहले मूल्यांकन सेवाओं द्वारा जोखिम मूल्यांकन के बिना हिरासत से रिहा कर दिया जाएगा। यह अनुभाग किसी भी ऐसे व्यक्ति पर लागू होगा, जिसे अनुभाग 1320.10 के उपखंड (e) में सूचीबद्ध उन अपराधों या कारकों के अलावा किसी दुराचार के लिए गिरफ्तार किया गया हो, चाहे वह किसी वारंट के साथ या उसके बिना गिरफ्तार किया गया हो।

अनुच्छे 3. मुकदमें से पहले मूल्यांकन सेवाओं द्वारा जांच-पड़ताल

1320.9. (a) अभियोग से पहले, या समीक्षा के लिए योग्य उन व्यक्तियों के लिए पूर्वअभियोग की समीक्षा से पहले, मुकदमें से पहले मूल्यांकन सेवाएं हिरासत में लिये गए प्रत्येक व्यक्ति के संबंध में सभी निम्नलिखित जानकारी प्राप्त करेगी, उनके अलावा जिन्हें अनुभाग 1320.8 के तहत मामला दर्ज या रिहा किया गया है।

(1) जोखिम स्कोर या जोखिम स्तर सहित, एक मान्य जोखिम मूल्यांकन उपकरण का उपयोग करके जोखिम मूल्यांकन के परिणाम।

(2) आपराधिक आरोप जिसके लिए व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था और पिछले तीन वर्षों के भीतर न्यायालय में पेश होने में विफल होने का व्यक्ति के इतिहास सहित व्यक्ति का आपराधिक इतिहास।

(3) समुचित रूप से उपलब्ध कोई भी पूरक जानकारी जो गिरफ्तार व्यक्ति से सार्वजनिक सुरक्षा को जोखिम या आवश्यकता होने पर न्यायालय में पेश होने में विफलता के जोखिम को संबोधित करती है।

(b) जिला न्यायवादी व्यक्ति की हिरासत की स्थिति पर टिप्पणी के लिए पीड़ित से संपर्क करने की एक उचित कोशिश करेगा।

(c) अनुभाग 1320.10 के उपखंड (a) या (b) या अनुभाग 1320.13 के अनुसरण में, पूर्वअभियोजन समीक्षा करने से पहले, या पूर्वअभियोजन के लिए, मुकदमें से पहले मूल्यांकन सेवाएं एक रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसमें उपखंडों (a) और (b) के अनुसरण में प्राप्त जानकारी और व्यक्ति की रिहाई की शर्तों के लिए की गईं कोई सिफारिशें शामिल होगी। रिहाई की शर्तों के लिए विकल्प न्यायिक परिषद द्वारा स्थापित किए जाएंगे और California के नियमों के न्यायालय में पहले से स्थापित किए जाएंगे। रिपोर्ट की एक प्रति न्यायालय और वकील को दी जाएगी।

(d) उपखंड (c) में वर्णित रिपोर्ट, जिसमें एक मान्य जोखिम मूल्यांकन उपकरण का उपयोग करके जोखिम मूल्यांकन के परिणाम शामिल हैं, उसका उपयोग इस अध्याय में दिए गए अलावा किसी भी उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद 4. मुकदमें से पहले मूल्यांकन सेवाओं द्वारा रिहाई

1320.10. (a) मुकदमें से पहले मूल्यांकन सेवाएं गिरफ्तार व्यक्ति की हिरासत की स्थिति से संबंधित तथ्यों और परिस्थितियों की अभियोग-पूर्व समीक्षा करेगी और कानून प्रवर्तन, गिरफ्तार व्यक्ति, किसी भी पीड़ित और अभियोजन या बचाव पक्ष, कानून प्रवर्तन द्वारा प्रदान की गई प्रासंगिक और उपलब्ध जानकारी पर विचार करेंगी।

(b) मुकदमें से पहले मूल्यांकन सेवाएं इस अनुभाग और अनुभाग 1320.9, के अनुसरण में प्राप्त सूचनाओं का उपयोग करते हुए और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए कम जोखिम और न्यायालय में पेश होने न होने के कम जोखिम वाले एक व्यक्ति का मूल्यांकन करने पर, एक कम जोखिम वाले व्यक्ति को अपने स्वयं के मुचलके पर, दोषारोपण से पहले, न्यायालय द्वारा समीक्षा के बिना और न्यूनतम प्रतिबंधात्मक गैर-वित्तीय स्थिति के साथ या ऐसी स्थितियों का संयोजन जो सार्वजनिक सुरक्षा और व्यक्ति की न्यायालय में वापसी के लिए उचित आश्वासन के साथ रिहा कर सकेगी। यह उपखंड अनुभाग 1320.8 के तहत आरोपित और रिहा किए गए या उस व्यक्ति जो उपखंड (e) में वर्णित दोषारोपण से पहले रिहा करने के विचार के लिए अयोग्य है, पर लागू नहीं होता है।

(c) मुकदमें से पहले मूल्यांकन सेवाएं अनुभाग 1320.11 के तहत अधिकृत न्यायालय के स्थानीय नियम में निर्धारित समीक्षा और रिहाई मानकों के अनुसरण में मध्यम-जोखिम वाले व्यक्तियों की रिहाई या हिरासत का आदेश देगी। न्यायालय के स्थानीय नियम के अनुसरण में रिहा किए गए व्यक्ति को उसके स्वयं के मुचलके या पर्यवेक्षक की निगरानी में मुचलके पर रिहाई, दोषारोपण से पहले, न्यायालय द्वारा समीक्षा के बिना और न्यूनतम प्रतिबंधात्मक गैर-वित्तीय स्थिति के साथ या ऐसी स्थितियों का संयोजन जो सार्वजनिक सुरक्षा और व्यक्ति की न्यायालय में वापसी के लिए उचित आश्वासन पर रिहा किया जाएगा। यह उपखंड अनुभाग 1320.8 के तहत आरोपित और रिहा किए गए या इस अनुभाग के उपखंड (e) के अनुसरण में दोषारोपण से पहले विचार के लिए अयोग्य व्यक्ति पर लागू नहीं होगा। अनुभाग 1320.13 के अनुसरण में, न्यायालय पूर्व-अभियोग की समीक्षा कर सकता है और रिहाई का निर्णय ले सकता है और अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों को इस अध्याय द्वारा अधिकृत पूर्व-अभियोग की समीक्षा करने और निर्णय लेने के लिए अधिकृत कर सकता है।

(d) इस अनुभाग के अनुसरण में लगाई गई किसी गैर-वित्तीय शर्त या शर्तों के संयोजन के लिए व्यक्ति को भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(e) उपखंड (a) और (b) के बावजूद, मुकदमें से पहले मूल्यांकन सेवाएं निम्न प्रकार के व्यक्तियों को रिहा नहीं कर सकेंगी:

(1) ऐसा व्यक्ति जिसका वर्तमान मामले में मुकदमें से पहले मूल्यांकन सेवाओं द्वारा अनुभाग 1320.9 के अनुसरण में वैध जोखिम मूल्यांकन उपकरण का उपयोग करके मूल्यांकन किया गया है और उसका उच्च जोखिम के रूप में मूल्यांकन हुआ है।

(2) ऐसा व्यक्ति जिसे अनुभाग 290 के उपखंड (d) के परिच्छेद (2) या (3) में सूचीबद्ध अपराध के लिए गिरफ़्तार किया गया है।

(3) निम्नलिखित में से किसी अपराध के लिए गिरफ़्तार किया गया व्यक्ति:

(A) अनुभाग 273.5 का उल्लंघन।

(B) अनुभाग 243 के उपखंड (e) के परिच्छेद (1) का उल्लंघन।

(C) अनुभाग 273.6 का उल्लंघन, यदि हिरासत में लिए गए व्यक्ति ने किसी सुरक्षा प्राप्त पार्टी को मारने या नुकसान पहुंचाने की धमकी दी है, उनके खिलाफ हिंसा में शामिल रहा है या उनके निवास या कार्यस्थल में प्रवेश किया है।

(D) अनुभाग 646.9 का उल्लंघन।

(4) गुंडागर्दी के आरोप में गिरफ़्तार एक व्यक्ति जिसमें शामिल हैं, अपराध के स्वाभाव के रूप में जिसके लिए व्यक्ति को गिरफ़्तार किया गया था, दूसरे व्यक्ति के साथ शारीरिक हिंसा, इस तरह की हिंसा का खतरा या घातक शारीरिक चोट की संभावना या गुंडागर्दी का अपराध जिसमे व्यक्ति पर गुनाह के प्रयोजन के लिए जानलेवा हथियार या बंदूक से लैस होने या खुद उपयोग करने का इल्ज़ाम है या अपराध के प्रयोजन घातक शारीरिक चोट पहुंचाने का इल्ज़ाम हो।

(5) एक व्यक्ति जिसे शराब या ड्रग्स या उसके किसी भी संयोजन के नशे में ड्राइविंग के लिए या शराब या ड्रग्स के नशे में ड्राइविंग करते हुए दूसरे को चोट पहुंचाने के अपराध के लिए या .20 या उससे ऊपर के रक्त-अल्कोहल स्तर के साथ ड्राइविंग के अपराध के लिए पिछले 10 वर्षों के भीतर तीसरे अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया हो।

(6) एक व्यक्ति जिसे पिछले पांच वर्षों के भीतर किसी भी प्रकार के प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन के लिए गिरफ्तार किया गया हो।

(7) ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध पिछले 12 महीनों के भीतर हाज़िर न होने के लिए पहले से तीन या अधिक वॉरन्ट हों।

(8) एक ऐसा जिस पर गिरफ्तारी के समय अपराध या गुंडागर्दी के लिए मुकदमा लंबित था या सजा लंबित थी।

(9) एक ऐसा व्यक्ति जो गिरफ्तारी के समय, अपराधी ठहराए जाने के बाद अनौपचारिक परिवीक्षा या न्यायालय की निगरानी के अलावा किसी प्रकार की निगरानी में था।

(10) एक ऐसा व्यक्ति जिसने वर्तमान अपराध के एक गवाह या पीड़ित को डराया है, रोका है या उसके विरुद्ध प्रतिशोध की धमकी दी है।

(11) एक ऐसा व्यक्ति जिसने पिछले पांच वर्षों के भीतर मुकदमें से पहले रिहाई की शर्त का उल्लंघन किया हो।

(12) एक ऐसा व्यक्ति जो पिछले पांच वर्षों के भीतर, अनुभाग 1192.7 के उपखंड (c) में परिभाषित एक गंभीर अपराध या अनुभाग 667.5 के उपखंड (c) में परिभाषित एक हिंसक अपराध के लिए अपराधी पाया गया था।

(13) एक ऐसा व्यक्ति जिसे अनुभाग 1192.7 के उपखंड (c) में परिभाषित गंभीर अपराध या अनुभाग 667.5 के उपखंड (c) में परिभाषित "हिंसक गुंडागर्दी" के लिए वॉरन्ट के साथ या बिना वॉरन्ट के गिरफ़्तार किया गया था।

(f) व्यक्ति की हिरासत की स्थिति की समीक्षा और उपखंड (b) या (c) के अनुसरण में रिहाई बिना किसी अनावश्यक देरी और व्यक्ति की गिरफ़्तारी के 24 घंटो के भीतर होगी। उपयुक्त कारण के लिए 24-घंटे की अवधि बढ़ाई जा सकती है, लेकिन अतिरिक्त 12 घंटे से अधिक नहीं होगी।

(g) किसी व्यक्ति को तब तक उपखंड (b) या (c) के अनुसरण में उसकी खुद के मुचलके पर रिहा नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह व्यक्ति एक रिहाई समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करता है, जिसमें व्यक्ति के पास से कम से कम निम्नलिखित सभी शामिल होते हैं:

(1) न्यायालय के आदेश के अनुसरण में किसी भी जगह और किसी भी समय उपस्थित होने का वादा।

(2) न्यायालय की अनुमति के बिना इस राज्य को न छोड़ने का वादा।

(3) यदि व्यक्ति आवश्यकता के अनुसार उपस्थित नहीं हो पाता है और उसे California राज्य के बाहर से पकड़ा जाता है तो प्रत्यर्पण माफ़ करने के लिए समझौता।

(4) स्वीकार करना कि उसे रिहाई की इन शर्तों के उल्लंघन के लिए लागू परिणाम और दंड के बारे में सूचित किया गया है।

(5) न्यायालय के सभी कानूनों और आदेशों का पालन करने के लिए समझौता।

(h) इस अनुभाग के अनुसरण में रिहा नहीं किए गए व्यक्तियों को दोषारोपण तक हिरासत में रखा जाएगा, जब तक कि न्यायालय अनुभाग 1320.13 के अनुसरण में पूर्व-अभियोग की समीक्षा प्रदान नहीं करता।

अनुच्छेद 5. मुकदमें से पहले मूल्यांकन सेवाओं या न्यायालय द्वारा पूर्व-अभियोग की समीक्षा

1320.11. (a) एक उच्च न्यायालय, मुकदमें से पहले मूल्यांकन सेवाओं और अन्य हितधारकों के परामर्श से, California न्यायालय के नियमों के अनुरूप न्यायिक परिषद द्वारा अपनाए गए न्यायालय के एक स्थानीय नियम को अपनाएगा, जैसा कि अनुभाग 1320.25 के उपखण्ड (a) में वर्णित है, जो मध्यम जोखिम के रूप में मूल्यांकन किए गए व्यक्तियों के लिए और स्वयं के मुचलके पर या पर्यवेक्षक की निगरानी में स्वयं के मुचलके पर दोषारोपण पूर्व रिहाई के योग्य लोगों के लिए मुकदमें से पहले मूल्यांकन सेवाओं के लिए समीक्षा और रिहाई के मानकों को निर्धारित करता है। न्यायालय का स्थानीय नियम मध्यम-जोखिम वाले प्रतिवादियों की रिहाई या हिरासत के लिए कदम उठाएगा, एक प्रभावी और कुशल मुकदमें से पहले रिहाई या हिरासत प्रणाली का समर्थन करेगा जो सार्वजनिक सुरक्षा की रक्षा करता है और प्रतिवादियों के नियत प्रक्रिया अधिकारों का सम्मान करता है। स्थानीय नियम मध्यम जोखिम के रूप में मूल्यांकन किए गए प्रतिवादियों को नियम में वर्णित नज़रबंदी या रिहाई के निर्धारित मानकों के अनुसरण में स्वयं के मुचलके या पर्यवेक्षक की निगरानी में स्वयं के मुचलके पर नज़रबंदी या रिहाई के लिए मुकदमें से पहले मूल्यांकन सेवाओं के साथ प्राधिकरण को अधिकार प्रदान करेगा। स्थानीय नियम अपराधों और कारकों की सूची को और विस्तारित कर सकते हैं, जिनके लिए मध्यम जोखिम के रूप में मूल्यांकन किए गए व्यक्तियों के पूर्व-अभियोग रिहाई की अनुमति नहीं है, लेकिन मुकदमें से पहले मूल्यांकन सेवाओं द्वारा सभी मध्यम-जोखिम वाले प्रतिवादियों की रिहाई पर रोक नहीं लगाएगा। स्थानीय न्यायालय के नियम का अधिकार अनुभाग 1320.10 के उपखंड (c) के अनुसरण में बनाए गए निर्धारणों तक सीमित रहेगा। वार्षिक आधार पर, उच्च न्यायालय सार्वजनिक सुरक्षा, प्रतिवादियों के नियत प्रक्रिया के अधिकारों और पूर्ववर्ती वर्ष के नियम के कार्यान्वयन पर नियम के कार्यान्वयन पर विचार करेगा।

(b) California न्यायालय के नियमों के नियम 10.613 के उपखंड (d) के अनुसरण में, न्यायालय इस अनुभाग के अनुसरण में न्यायिक परिषद द्वारा अपनाए गए प्रारूप में नियमों के नियम और बदलावों की एक इलेक्ट्रॉनिक प्रति न्यायिक परिषद को प्रस्तुत करेगा।

1320.13. (a) न्यायालय पूर्व-अभियोग समीक्षा आयोजित कर सकता है, रिहाई का निर्णय ले सकता है और California के न्यायालय के नियम में परिभाषित नियम 10.703 के अनुसरण में पूर्व-अभियोग की समीक्षा और इस अध्याय द्वारा अधिकृत रिहाई का निर्णय लेने के लिए अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों को अधिकृत कर सकता है।

(b) इस अनुभाग द्वारा दिए गए न्यायालय के पूर्व-अभियोग समीक्षा और रिहाई का प्राधिकार निम्नलिखित व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा:

(1) उच्च जोखिम के रूप में मूल्यांकन किए गए व्यक्ति।

(2) एक ऐसा व्यक्ति जिस पर अनुभाग 1192.7 के उपखंड (c) में परिभाषित गंभीर अपराध या अनुभाग 667.5 के उपखंड (c) में में परिभाषित "हिंसक अपराध" का आरोप लगा हो।

(3) वे लोग, जिन पर गिरफ्तारी के समय, एक गुंडागर्दी मामले में मुकदमा या सजा लंबित थी।

(c) पूर्व-अभियोग रिहाई करते समय या निगरानी का निर्णय लेते समय और रिहाई की शर्तों को जारी करते समय, मुकदमें से पहले मूल्यांकन सेवाओं की सिफ़ारिशों और मूल्यांकन को पर्याप्त महत्व देते हुए अनुभाग 1320.9 के तहत प्राप्त सूचना और रिहाई की शर्तों के लिए किसी भी सिफ़ारिश और विकल्प पर विचार किया जाएगा।

(d) न्यायालय पूर्व-अभियोग रिहाई और हिरासत का निर्णय लेने से पहले कानून प्रवर्तन, गिरफ़्तार व्यक्ति, किसी पीड़ित और अभियोजन पक्ष या बचाव पक्ष, कानून प्रवर्तन द्वारा दिए गए किसी भी प्रासंगिक और उपलब्ध जानकारी पर विचार करेगा।

(e) (1) यदि न्यायालय व्यक्ति को पूर्व-अभियोग रिहाई के लिए उपयुक्त मानता है तो गिरफ्तार व्यक्ति को व्यक्ति के स्वयं के मुचलके या पर्यवेक्षित स्वयं के मुचलके पर न्यूनतम प्रतिबंधात्मक गैर-वित्तीय स्थिति या शर्तों के संयोजन के साथ रिहा किया जाएगा, जो सार्वजनिक सुरक्षा और आवश्यकतानुसार गिरफ़्तार व्यक्ति की न्यायालय में उपस्थिति को सुनिश्चित करेगा।

(2) इस उपखंड के अनुसरण में लगाई गई किसी गैर-वित्तीय शर्त या शर्तों के संयोजन के लिए एक व्यक्ति को भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(f) अपने स्वयं मुचलके पर रिहा किया गया व्यक्ति एक समझौते पर हस्ताक्षर करेगा जिसमें व्यक्ति के पास से कम से कम निम्नलिखित सभी शामिल होंगे:

(1) न्यायालय के आदेश के अनुसरण में किसी भी जगह और किसी भी समय उपस्थित होने का वादा।

(2) न्यायालय की अनुमति के बिना इस राज्य को न छोड़ने का वादा।

(3) यदि व्यक्ति आवश्यकता के अनुसरण में उपस्थित नहीं हो पाता है और उसे California राज्य के बाहर से पकड़ा जाता है तो प्रत्यर्पण माफ़ करने के लिए समझौता।

(4) स्वीकार करना कि उसे रिहाई की इन शर्तों के उल्लंघन के लिए लागू होने वाले परिणाम और दंड के बारे में सूचित किया गया है।

(5) न्यायालय के सभी कानूनों और आदेशों का पालन करने के लिए समझौता।

(g) रिहाई की शर्तों के लिए विकल्प न्यायिक परिषद द्वारा स्थापित किए जाएंगे और California के नियमों के न्यायालय में स्थापित किए जाएंगे।

(h) न्यायालय लंबित अभियोग वाले किसी व्यक्ति की रिहाई को अस्वीकार कर सकता है यदि इस बात की पर्याप्त संभावना है कि मुकदमें से पहले पर्यवेक्षण के किसी भी शर्त या शर्तों का संयोजन व्यापक सार्वजनिक सुरक्षा या आवश्यकतानुसार व्यक्ति की उपस्थिति का आश्वासन नहीं देगा।

(i) एक अनुमान होगा कि मुकदमें से पहले पर्यवेक्षण का कोई भी शर्त या शर्तों का संयोजन यथोचित रूप से किसी अन्य व्यक्ति और समुदाय के लंबित अभियोग की सुरक्षा का आश्वासन नहीं देगा यदि यह बताया जाए कि निम्न में से कोई भी लागू होता है:

(1) जिस अपराध के लिए व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था वह एक व्यक्ति के खिलाफ हिंसा, हिंसा की धमकी या गंभीर शारीरिक चोट की संभावना के साथ किया गया था या एक ऐसा जिसमे अपराध करने वाले व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से अपराध के दौरान घातक हथियार या बंदूक से लैस था या व्यक्तिगत रूप से इस्तेमाल किया गया था या अपराध में स्वयं से गंभीर शारीरिक चोट पहुंचाई हो।

(2) गिरफ़्तारी के समय, व्यक्ति न्यायालय की निगरानी या अनौपचारिक परिवीक्षा के अलावा अन्य किसी भी रूप में दोषसिद्ध होने के बाद पर्यवेक्षण पर था।

(3) गिरफ्तार व्यक्ति ने मौजूदा अपराध के एक गवाह या पीड़ित को डराया है, रोका है या उसके विरुद्ध प्रतिशोध की धमकी दी है।

(4) जो व्यक्ति इस समय मुकदमें से पहले रिहाई पर है और उसने रिहाई की शर्त का उल्लंघन किया है।

1320.14. उचित कारण से, न्यायालय किसी भी समय, अपने स्वयं के प्रस्ताव से या गिरफ्तार व्यक्ति, अभियोजन पक्ष या मुकदमे से पहले मूल्यांकन सेवाओं द्वारा एकपक्षीय आवेदन पर, 24 घंटे के नोटिस के साथ, रिहाई की शर्तों को संशोधित कर सकता है, जब तक कि समय और परिस्थितियां 24 घंटे के भीतर नोटिस की सुविधा नहीं देती हैं।

अनुच्छेद 6. अभियोग पर रिहाई या हिरासत का निर्धारण

1320.15. प्रतिवादी के अभियोग पर या पहले, यदि अनुभाग 1320.8 के अनुसरण में प्रतिवादी को रिहा नहीं किया गया, तो मुक़दमे से पहले मूल्यांकन सेवाएं, न्यायालय द्वारा विचार के लिए निम्नलिखित सम्पूर्ण जानकारी प्रस्तुत करें:

(a) एक मान्य जोखिम मूल्यांकन उपकरण का उपयोग करके प्राप्त किए गए जोखिम मूल्यांकन या जोखिम स्तर, या दोनों सहित जोखिम मूल्यांकन के परिणाम।

(b) आपराधिक आरोप और पिछले तीन वर्षों के भीतर न्यायालय में पेश होने में विफलता के व्यक्ति के इतिहास सहित व्यक्ति का आपराधिक इतिहास जिसके लिए व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था।

(c) समुचित रूप से उपलब्ध कोई भी पूरक जानकारी जो प्रतिवादी से सार्वजनिक सुरक्षा के जोखिम या आवश्यकता होने पर न्यायालय में पेश होने में विफलता के जोखिम को संबोधित करती है।

(d) रिहा किए गए प्रतिवादी पर लगाने के लिए रिहाई की शर्तों की न्यायालय को सलाह। रिहाई की शर्तों के लिए विकल्प न्यायिक परिषद द्वारा स्थापित किए जाएंगे और California के न्यायालय के नियमों में स्थापित किए जाएंगे।

1320.16. (a) जिस अपराध के लिए प्रतिवादी को गिरफ़्तार किया गया था, उसके पीड़ित को अभियोजन पक्ष द्वारा अभियोग की सूचना दी जाएगी और यदि अनुरोध किया जाता है, तो कोई अन्य सुनवाई जिस पर प्रतिवादी की हिरासत की स्थिति निर्धारित की जाएगी। अगर पीड़ित द्वारा निवेदन किया जाता है, पीड़ित को प्रतिवादी की हिरासत की स्थिति के मामले में सुने जाने का एक उचित अवसर दिया जाएगा।

(b) अभियोजन, प्रतिवादी की हिरासत की स्थिति पर टिप्पणी के लिए पीड़ित से संपर्क करने की एक उचित कोशिश करेगा।

(c) जिन मामलों में एक पीड़ित अभियोग में उपस्थित नहीं हो सकता या नहीं होना चाहता, अभियोजन, प्रतिवादी की हिरासत पर पीड़ित के बयान को लिखित में न्यायायल में दाखिल करेगा।

(d) पीड़ित की उपस्थिति या गैर-उपस्थिति और पीड़ित द्वारा उपलब्ध कराई गई कोई भी टिप्पणियां रिकॉर्ड में सम्मिलित की जाएंगी।

(e) यदि किसी पार्टी द्वारा अनुरोध किया जाता है तो न्यायालय अभियोग के समय प्रतिवादी की रिहाई की शर्तों की समीक्षा और संशोधन कर सकता है।

1320.17. अभियोग के समय न्यायालय प्रतिवादी के स्वयं के मुचलके या स्वयं के पर्यवेक्षित मुचलके पर न्यूनतम प्रतिबंधित गैर-वित्तीय परिस्थिति या परिस्थियों के संयोजन जो सार्वजनिक सुरक्षा और व्यक्ति की न्यायालय में वापसी के लिए उचित आश्वासन देता है उसके अनुसरण में प्रतिवादी की रिहाई का आदेश दे सकता है यदि अनुभाग 1320.18 के अनुसरण में अभियोजन पक्ष निवारक नज़रबंदी निवेदन दायर नहीं करता है।

1320.18. (a) प्रतिवादी के अभियोग पर या आपराधिक कार्यवाही के दौरान किसी अन्य समय अभियोजन पक्ष लंबित

मुकदमें में प्रतिवादी की नज़रबंदी के लिए निम्नलिखित में से किसी भी परिस्थिति के आधार पर प्रस्ताव दायर कर सकता है:

(1) जिस अपराध के लिए व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था वह एक व्यक्ति के खिलाफ हिंसा, हिंसा की धमकी या गंभीर शारीरिक चोट की संभावना के साथ किया गया था या एक ऐसा मामला जिसमे व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से अपराध के दौरान घातक हथियार या बंदूक से लैस था या व्यक्तिगत रूप से इस्तेमाल किया गया था या वह एक था या थी जिसे उसने अपराध में स्वयं से गंभीर शारीरिक चोट पहुंचाई हो।

(2) गिरफ़्तारी के समय, प्रतिवादी अपराधी ठहराने के बाद अनौपचारिक परिवीक्षा या न्यायालय की निगरानी के अलावा किसी प्रकार की निगरानी पर था।

(3) गिरफ़्तारी के समय, प्रतिवादी गुंडागर्दी के मामले एक लंबित मुकदमें या सजा के अधीन था।

(4) प्रतिवादी ने मौजूदा अपराध के एक गवाह या पीड़ित को डराया है या उसके विरुद्ध प्रतिशोध की धमकी दी है।

(5) यह मानने का पर्याप्त कारण है कि मुकदमें से पहले पर्यवेक्षण की कोई भी गैर-वित्तीय स्थिति या स्थितियों का संयोजन यथोचित रूप से जनता या पीड़ित की सुरक्षा या आवश्यकतानुसार न्यायालय में प्रतिवादी की उपस्थिति का आश्वासन नहीं देगा।

(b) न्यायालय अनुभाग 1320.19 में निर्धारित निवारक नज़रबंदी की सुनवाई करेगा।

(c) निवारक हिरासत के लिए प्रस्ताव दायर करने पर, न्यायालय निवारक हिरासत के लंबित प्रतिवादी की रिहाई या नज़रबंदी के बारे में एक निर्णय लेगा। निवारक हिरासत की लंबित सुनवाई के दौरान नज़रबंदी या हिरासत के निर्धारण और रिहाई की परिस्थितियों को जारी करते समय न्यायालय रिहाई की शर्तों की सिफ़ारिश सहित मुकदमें से पहले मूल्यांकन सेवाओं द्वारा दी गई सूचना पर विचार करेगा और मुकदमें से पहले मूल्यांकन सेवाओं की सिफ़ारिशों और मूल्यांकन को पर्याप्त महत्व देगा।

(d) यदि न्यायालय यह निर्धारित करता है कि इस बात की पर्याप्त संभावना नहीं है कि किसी भी गैर-वित्तीय स्थिति या स्थितियों का संयोजन, निवारक हिरासत में प्रतिवादी की उपस्थिति या निवारक हिरासत की सुनवाई से पहले पर्याप्त रूप से जनता की सुरक्षा का आश्वासन नहीं देता है तो न्यायालय निवारक नज़रबंदी सुनवाई के लंबित प्रतिवादी को नज़रबंद कर सकता है और नज़रबंदी के कारणों को रिकॉर्ड पर बताएगा।

(e) (1) अगर न्यायालय यह निर्धारित करता है कि निवारक हिरासत की सुनवाई के लंबित प्रतिवादी को कैद में रखने का एक पर्याप्त आधार नहीं है, न्यायालय उसकी स्वयं की जमानत या निगरानी वाली जमानत पर रिहा करेगा और जनता की सुरक्षा और प्रतिवादी की न्यायालय में आवश्यकता के अनुसरण में पेशी को उचित तौर पर आश्वस्त करने के लिए सुनवाई से पहले रिहाई की न्यूनतम प्रतिबंधक गैर-वित्तीय शर्त या शर्तों का संयोजन लगाएगा।

(2) इस उपखंड के अनुसरण में लगाई गई किसी गैर-वित्तीय शर्त या शर्तों के संयोजन के लिए एक व्यक्ति को भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी।

लेख 7. निवारक हिरासत की सुनवाई

1320.19. (a) यदि प्रतिवादी को हिरासत में लिया जाता है, तो निवारक हिरासत के लिए प्रस्ताव दायर किए जाने के तीन न्यायालय दिनों के भीतर निवारक हिरासत सुनवाई नियोजित की जाएगी। यदि प्रतिवादी को हिरासत में नहीं लिया जाता है, तो उपखंड (c) के अनुसरण में वॉरन्ट जारी किए जाने पर प्रतिवादी को हिरासत में लिए जाने के तीन न्यायालय दिनों के भीतर निवारक हिरासत सुनवाई नियोजित की जाएगी। यदि निवारक हिरासत सुनवाई के अनुरोध के समय प्रतिवादी हिरासत में नहीं है और न्यायालय सुनवाई के अनुरोध के संबंध में एक वॉरन्ट जारी नहीं करता है, तो सुनवाई के अनुरोध के पांच न्यायालय दिनों के भीतर निवारक हिरासत सुनवाई नियोजित की जाएगी। वकील की नियुक्ति और न्यायालय के समझौते से निवारक हिरासत सुनवाई, अभियोग के साथ संयोजन में या अभियोग के बाद तीन दिनों के भीतर हो सकती है।

(b) उचित कारण से, बचाव या अभियोजन पक्ष नियमित रूप से निवारक हिरासत सुनवाई की मांग कर सकता है। यदि नियमित सुनवाई का अनुरोध स्वीकार कर लिया जाता है तो, पार्टियों द्वारा निर्धारित ना करने तक नियमित सुनवाई तीन न्यायालय दिनों से अधिक में नहीं हो सकती है।

(c) सुनवाई एक सत्र में पूरी होगी, जब तक कि प्रतिवादी व्यक्तिगत रूप से नियमित निवारक हिरासत सुनवाई का अपना दावा नहीं छोड़ता। अगर प्रतिवादी निवारक हिरासत सुनवाई के निवेदन के समय हिरासत से बाहर है, न्यायालय निवारक हिरासत के लिए प्रस्ताव की सुनवाई के साथ एक वॉरंट के लिए एक आवेदन दाखिल करने पर, वॉरंट जारी कर सकता है जिसमें प्रतिवादी को निवारक हिरासत की सुनवाई पूरी होने तक हिरासत में रहना होगा।

(d) प्रतिवादी के पास सुनवाई में वकील द्वारा प्रतिनिधित्व किये जाने का अधिकार होगा। अगर वित्तीय तौर पर प्रतिनिधित्व प्राप्त करने में अक्षम है, प्रतिवादी के पास वकील को नियुक्त किए जाने का एक अधिकार है। प्रतिवादी के पास निवारक हिरासत सुनवाई में सुने जाने का अधिकार है।

(e) अपराध के पीड़ित के निवेदन करने पर, पीड़ित को निवारक हिरासत सुनवाई के लिए अभियोजन द्वारा नोटिस दिया जाएगा। अगर निवेदन किया जाता है, पीड़ित को प्रतिवादी की हिरासत की स्थिति के मामले में सुने जाने का एक उचित अवसर दिया जाएगा।

(f) अभियोजन प्रतिवादी की हिरासत की स्थिति पर टिप्पणी के लिए पीड़ित से संपर्क करने की एक उचित कोशिश करेगा। जिन मामलों में एक पीड़ित निवारक हिरासत सुनवाई में उपस्थित नहीं हो सकता या नहीं होना चाहता, अभियोजन प्रतिवादी की हिरासत पर पीड़ित के बयान, यदि कोई हैं, को लिखित में न्यायालय और वकील को दाखिल करेगा।

(g) एक पीड़ित की उपस्थिति या गैर-उपस्थिति, और एक पीड़ित द्वारा उपलब्ध कराई गई टिप्पणियां, रिकॉर्ड में सम्मिलित की जाएंगी।

1320.20 (a) इसका एक खंडनीय अनुमान होगा कि सुनवाई से पूर्व निगरानी की कोई शर्त या शर्तों का संयोजन उचित तौर पर जनता की सुरक्षा को आश्वस्त करेगा अगर न्यायालय निम्नलिखित दोनों में से किसी एक पर विश्वास करने का संभावित कारण पाता है:

(1) मौजूदा अपराध एक हिंसक बड़ा अपराध है जैसा अनुभाग 667.5 के उपखंड (c) में परिभाषित है, या एक बड़ा अपराध एक व्यक्ति के विरुद्ध हिंसा, धमकी भरी हिंसा के साथ किया गया था, या गंभीर शारीरिक चोट की एक संभावना के साथ, या एक ऐसा जिसमें प्रतिवादी व्यक्तिगत तौर पर सशस्त्र था या व्यक्तिगत तौर पर एक घातक हथियार या बंदूक का अपराध करने में इस्तेमाल किया था, या ऐसा था जिसमें उसने व्यक्तिगत तौर पर अपराध करते हुए बड़ी शारीरिक चोट पहुंचाई थी; या

(2) प्रतिवादी को जनता या एक पीड़ित की सुरक्षा के लिए "अधिक जोखिम" के तौर पर आंका गया है और निम्नलिखित में से कोई:

(A) प्रतिवादी पिछले 5 वर्षों के अंदर, अनुभाग 1192.7 के उपखंड (c) में परिभाषित एक गंभीर अपराध या अनुभाग 667.5 के उपखंड (c) में परिभाषित एक हिंसक अपराध के लिए अपराधी पाया गया था।

(B) प्रतिवादी ने उपखंड (a) के परिच्छेद (1) में बताए गए एक अपराध के लिए निर्णय लंबित होने के दौरान मौजूदा अपराध किया है।

(C) प्रतिवादी ने मौजूदा अपराध के एक गवाह या पीड़ित को डराया है, रोका है, या उसके विरुद्ध प्रतिशोध की धमकी दी है।

(D) गिरफ़्तारी के समय, प्रतिवादी अपराधी ठहराने के बाद अनौपचारिक परिवीक्षा या न्यायालय की निगरानी के अलावा किसी प्रकार की निगरानी में था।

(b) निवारक हिरासत सुनवाई में अभियोजन स्थापित करेगा कि यह विश्वास करने का संभावित कारण है कि प्रतिवादी ने ऐसे मामलों में आरोपित अपराध या अपराधों को किया है जिनमें कोई अभियोग नहीं लगा था, या अगर प्रतिवादी को एक शुरुआती सुनवाई के बाद उत्तर देने के लिए कहा गया था या एक शुरुआती सुनवाई से छूट मिली थी, और प्रतिवादी उस प्रमाण के पर्याप्त होने को चुनौती देता है जो यह दिखाता है कि उसे आरोपित अपराध या अपराधों को किया है।

(c) न्यायालय निवारक हिरासत से संबंधित अपना निर्णय, प्रतिवादी ने आरोपित अपराध या अपराधों को किया है इस पर विश्वास करने के संभावित कारण को तय करने सहित, प्रतिवादी के बयानों, अगर कोई है, प्रमाण की पेशकशों और वकील की दलील, एक पीड़ित से जानकारी, अगर कोई है, और सुनवाई में प्रस्तुत किए गए किसी प्रमाण पर आधारित करेगा। इस अनुभाग के तहत किसी निर्णय को लेने में न्यायालय विश्वसनीय सुनी हुई बात पर विचार कर सकता है। प्रतिवादी के पास सुनवाई में बयान देने का अधिकार होगा।

(d) (1) कैद की सुनवाई में, न्यायालय मुकदमें या अन्य सुनवाई के लंबित रहने तक प्रतिवादी की निवारक हिरासत का तभी आदेश दे सकता है अगर संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान और California के संविधान के तहत कैद की अनुमति है, और न्यायालय स्पष्ट और विश्वसनीय प्रमाण द्वारा तय करता है कि सुनवाई से पहले निगरानी की कोई गैर-वित्तीय शर्त या शर्तों का संयोजन जनता की सुरक्षा या प्रतिवादी की न्यायालय में आवश्यकता के अनुसरण में पेशी को आश्वस्त नहीं करेगा। न्यायालय निवारक हिरासत का आदेश देने के लिए कारणों को रिकॉर्ड पर बताएगा।

(2) दोनों में से किसी भी पार्टी के निवेदन पर, निवेदन मिलने के दो न्यायालय दिवसों के अंदर सुनवाई की एक प्रतिलिपि उपलब्ध कराई जाएगी।

(3) अगर दोनों में से कोई पार्टी निर्णय को चुनौती देने वाली एक याचिका दाखिल करता है, अपील का न्यायालय उस याचिका पर जल्द विचार करेगा।

(e) (1) अगर न्यायालय यह तय करता है कि प्रतिवादी को कैद में रखने का एक पर्याप्त आधार नहीं है, न्यायालय उसकी स्वयं की जमानत या निगरानी वाली जमानत पर रिहा करेगा और जनता की सुरक्षा और प्रतिवादी की न्यायालय में आवश्यकता के अनुसरण में पेशी को उचित तौर पर आश्वस्त करने के लिए सुनवाई से पहले रिहाई की न्यूनतम प्रतिबंधक गैर-वित्तीय शर्त या शर्तों का संयोजन लगाएगा।

(2) इस उपखंड के अनुसरण में लगाई गई किसी गैर-वित्तीय शर्त या शर्तों के संयोजन के लिए एक व्यक्ति को भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(f) व्यक्ति को कैद में रखा जाना चाहिए या नहीं या सुनवाई से पहले रिहाई के लिए न्यूनतम प्रतिबंधक गैर-वित्तीय शर्तें लगाई जानी चाहिए या नहीं केवल यह तय करने के उद्देश्य से, न्यायालय किसी संबद्ध जानकारी पर विचार कर सकता है, जैसा California न्यायालय व्यवस्था में निर्धारित किया गया है, इसमें निम्नलिखित में से सभी शामिल हैं लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

(1) आरोपित अपराध का प्रकार और परिस्थितियां।

(2) प्रतिवादी के विरुद्ध प्रमाण का भार, इसे छोड़कर कि न्यायालय ऐसे किसी प्रमाण की स्वीकार्यता पर विचार कर सकता है जिसे बाहर रखने की मांग की गई है।

(3) प्रतिवादी का पिछला आचरण, परिवार और समुदाय के साथ संबंध, आपराधिक इतिहास, और न्यायालय की कार्रवाइयों में पेशी से जुड़ा रिकॉर्ड।

(4) क्या, मौजूदा अपराध या गिरफ़्तारी के समय प्रतिवादी परिवीक्षा, पैरोल, या लंबित निर्णय, अपील, या संघीय कानून, या इस या किसी अन्य राज्य के कानून तहत एक अपराध के लिए निर्णय के पूरा होने तक किसी अन्य प्रकार की निगरानी वाली रिहाई पर था।

(5) प्रतिवादी की रिहाई से किसी अन्य व्यक्ति या समुदाय की सुरक्षा को होने वाले जोखिम का प्रकार और गंभीरता, अगर लागू है।

(6) एक विधिमान्य जोखिम आंकलन साधन के उपयोग से प्राप्त की गई मुकदमें से पहले मूल्यांकन सेवाओं की सिफारिश।

(7) प्रतिवादी की परिवार की ज़िम्मेदारियों और समुदाय के साथ संबंधों, रोज़गार और शिक्षा में भागीदारी पर कैद का प्रभाव।

(8) निगरानी की कोई प्रस्तावित योजना।

(g) अगर एक प्रतिवादी को निवारक हिरासत की एक सुनवाई के बाद हिरासत से रिहा किया जाता है, न्यायालय, प्रतिवादी की रिहाई को अनुमति देने वाले दस्तावेज में, प्रतिवादी को निम्नलिखित दोनों की सूचना देगा:

(1) सभी शर्तें, अगर कोई हैं, रिहाई जिनके तहत आती है, पर्याप्त रूप से स्पष्ट और विशिष्ट तरीके में जिससे यह प्रतिवादी के आचरण के लिए एक मार्गदर्शक का कार्य करे।

(2) रिहाई की किसी शर्त का उल्लंघन करने के लिए दंड और अन्य परिणाम, जिसमें सम्मिलित हो सकते हैं तुरंत गिरफ़्तारी या प्रतिवादी की गिरफ़्तारी के लिए एक वॉरंट जारी करना।

1320.21. (a) नए खोजे गए प्रमाण, तथ्यों को दिखाने पर, या परिस्थितियों में बड़ा बदलाव होने पर, अभियोजन या बचाव पक्ष एक निवारक हिरासत सुनवाई दोबारा शुरू करने या मुकदमें से पहले किसी समय एक नई सुनवाई के लिए प्रस्ताव दाखिल कर सकता है। न्यायालय, अपने स्वयं के प्रस्ताव पर, नए खोजे गए प्रमाण, तथ्यों, या मुकदमें से पहले मूल्यांकन सेवाएं द्वारा न्यायालय के ध्यान में लाए गए परिस्थितियों में एक बड़े बदलाव के आधार पर एक निवारक हिरासत सुनवाई दोबारा शुरू कर सकता है।

(b) निवारक हिरासत की शुरुआती सुनवाई के बाद एक सुनवाई के लिए किसी प्रस्ताव में निवारक हिरासत सुनवाई के समय ज्ञात नहीं होने वाले प्रमाण या परिस्थितियों या निवारक हिरासत सुनवाई दोबारा शुरू करने या इसकी एक नई सुनवाई के लिए आवश्यक परिस्थितियों में बड़े बदलाव की जानकारी दी जाएगी, इसमें सम्मिलित होगा कि क्या रिहाई की कोई शर्तें हैं जो जनता की सुरक्षा और आवश्यक होने पर प्रतिवादी की न्यायालय में वापसी को उचित तौर पर आश्वस्त करेंगी।

(c) अपराध के पीड़ित के निवेदन करने पर, पीड़ित को निवारक हिरासत की दोबारा शुरू की गई सुनवाई का अभियोजन द्वारा नोटिस दिया जाएगा। अगर निवेदन किया जाता है, पीड़ित को प्रतिवादी की हिरासत की स्थिति के मामले में सुने जाने का एक उचित अवसर दिया जाएगा।

(d) उचित कारण को दिखाने जाने पर न्यायालय एक निवारक हिरासत सुनवाई दोबारा शुरू करने या एक नई सुनवाई के लिए अनुमति दे सकता है।

(e) प्रतिवादी की हिरासत की स्थिति को लेकर न्यायालय का निर्णय इस अध्याय के प्रावधानों के अनुसरण में होगा।

1320.22. प्रतिवादी के न्यायालय की ओर से रिहाई के लिए लगाई गई किसी शर्त का प्रतिवादी द्वारा उल्लंघन किया जाने को दिखाने वाले एक एकपक्षीय आवेदन पर प्रतिवादी की गिरफ़्तारी के लिए न्यायालय एक वॉरंट जारी कर सकता है। प्रतिवादी की गिरफ़्तारी होने पर, उसकी हिरासत की स्थिति की समीक्षा इस अध्याय के अनुसरण में होगी।

1320.23. (a) अगर न्यायालय आवश्यक होने पर प्रतिवादी के न्यायालय में पेश होने में असफल होने, या इन आरोपों पर कि प्रतिवादी ने सुनवाई से पहले या अपराधी ठहराए जाने के बाद निगरानी की किसी शर्त का उल्लंघन किया है, के आधार पर एक गिरफ़्तारी वॉरंट, या एक बेंच वॉरंट जारी करती है, तो न्यायालय वॉरंट में यह बता सकता है कि क्या, वॉरंट पर प्रतिवादी के गिरफ्तार होने के समय, प्रतिवादी के विरुद्ध मामला दर्ज और रिहा करना, एक शुरुआती समीक्षा के लिए हिरासत में लेना, व्यवस्था के लंबित होने तक हिरासत में लेना, या निगरानी के उल्लंघन पर एक सुनवाई के लंबित होने तक हिरासत में लेना चाहिए।

(b) अगर अभियोजन, कानून प्रवर्तन, या निगरानी करने वाली एजेंसी मामला दर्ज करने और रिहाई के अलावा प्रतिवादी के लिए हिरासत की स्थिति वाले एक वॉरंट का निवेदन करते हैं, तो एजेंसी को न्यायालय को निगरानी या कैद में रखने के एक उच्च स्तर को सही ठहराने वाले कारण उपलब्ध कराने होंगे।

(c) वॉरंट पर कोर्ट का रिहाई या कैद का संकेत गिरफ्तार और मामला दर्ज करने वाली एजेंसी और हिरासत में रखने वाले स्थान पर बाध्यकारी होगा, लेकिन एक न्यायालय या मुकदमें से पहले मूल्यांकन सेवाओं द्वारा किसी बाद के निर्णय पर बाध्यकारी नहीं है। हालांकि, संकेत एक कारण है जिस पर मुकदमें से पहले मूल्यांकन सेवाएं या न्यायालय बाद की कार्यवाहियों में व्यक्ति की हिरासत की स्थिति के निर्धारण के समय विचार कर सकते हैं।

(d) अगर व्यक्ति को किसी अपराध के वॉरंट पर गिरफ्तार किया गया है, तो व्यक्ति की हिरासत की स्थिति को तय करने की शुरुआत अनुभाग 1320.8 में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार होगी। अगर व्यक्ति को किसी बड़े अपराध के वॉरंट पर गिरफ्तार किया गया है, तो व्यक्ति की हिरासत की स्थिति को तय करने की शुरुआत अनुभाग 1320.9 में निर्धारित प्रक्रियाओं के साथ होगी।

अनुच्छेद 8. न्यायिक परिषद की प्रशासनिक ज़िम्मेदारियां

1320.24 (a) न्यायिक परिषद निम्नलिखित सभी को करने के लिए California न्यायालय के नियमों और विधियों, जैसा आवश्यक है, को अपनाएगी:

(1) जनता और पीड़ितों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर न्यायालय द्वारा मुकदमें से पहले रिहाई और हिरासत के निर्णय लिए जाने के समय मुकदमें से पहले जोखिम के आंकलन की जानकारी के उपयुक्त उपयोग का सुझाव देना, प्रतिवादी के निर्धारित प्रक्रिया अधिकार, प्रतिवादी के विशिष्ट अभिलक्षण या आवश्यकताएं, और कुशलता को अधिकतम करने के साथ व्यक्तियों की प्रभावी निगरानी के लिए स्थानीय संसाधनों की उपलब्धता।

(2) "पुष्टि" के तत्वों को बताना, स्थानीय जनसंख्याओं पर जोखिम आंकलन के साधनों की पुष्टि की आवश्यकता और आवृति को पूरा करना, और आंकलन के साधनों में किसी अस्पष्ट पूर्वाग्रह की पहचान और कम करना।

(3) मुकदमें से पहले मूल्यांकन सेवाएं और न्यायालय द्वारा समीक्षा, रिहाई, और कैद के लिए मापदंडों का सुझाव देना, जिसमें सम्मिलित होगी एक मानक अनुमति देने वाली अभियोग से पूर्व कैद अगर इस बात की एक बड़ी संभावना है कि कोई मुकदमें से पहले निगरानी की कोई गैर-वित्तीय शर्त या शर्तों का संयोजन जनता की सुरक्षा या आवश्यकता के अनुसरण में व्यक्ति की पेशी को उचित तौर पर आश्वस्त नहीं करेगा।

(4) जनता और पीड़ितों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर अनुभाग 1320.11 में अधिकृत न्यायालय के स्थानीय नियम के मापदंडों का सुझाव देना, प्रतिवादी के निर्धारित प्रक्रिया अधिकार, प्रतिवादी के विशिष्ट अभिलक्षण या आवश्यकताएं, और कुशलता को अधिकतम करने के साथ व्यक्तियों की प्रभावी निगरानी के लिए स्थानीय संसाधनों की उपलब्धता।

(5) मुकदमें से पहले रिहाई की शर्तों को लगाने का सुझाव, जोखिम स्तरों या वर्गों को निर्दिष्ट करने सहित।

(b) न्यायिक परिषद प्रत्येक न्यायालय द्वारा रिपोर्ट किए जाने वाले आंकड़ों की पहचान और परिभाषित करेगी। न्यायिक परिषद को

न्यायालय एक वर्ष में दो बार आंकड़े जमा करेंगे। आंकड़ों में शामिल होगें, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं, मामलों की संख्या जिनमें व्यक्तियों को:

(1) एक विधिमान्य जोखिम आंकलन साधन के उपयोग से आंका गया है, और उन व्यक्तियों का जोखिम स्तर।

(2) इसके अनुसरण में स्वयं की जमानत पर या निगरानी वाली जमानत:

(A) अनुभाग 1320.10 का उपखंड (b).

(B) अनुभाग 1320.10 का उपखंड (c).

(C) अनुभाग 1320.12, जोखिम स्तर के द्वारा अलग-अलग किया गया।

(D) अनुभाग 1320.13, जोखिम स्तर के द्वारा अलग-अलग किया गया।

(3) इस पर हिरासत में लिया गया:

(A) अभियोग, जोखिम स्तर के द्वारा अलग-अलग किया गया।

(B) एक मुकदमें से पहले हिरासत की सुनवाई, जोखिम स्तर के द्वारा अलग-अलग किया गया।

(4) मुकदमें से पहले स्वयं की जमानत पर रिहा किया गया या निगरानी वाली स्वयं की जमानत पर रिहाई जो:

(A) एक आवश्यक न्यायालय पेशी पर पेश होने में असफल होते हैं।

(B) एक नए अपराध के लिए आरोप दाखिल हुए हैं।

(5) एक निवारक हिरासत सुनवाई में रिहाई या हिरासत में लेने के लिए विचार किया गया।

(c) अनुभाग 1320.26 के उपखंड (a) के तहत एक अनुबंध के अनुसरण में, न्यायालयों को मुकदमें से पहले आंकलन सेवाएं उपलब्ध कराने वाली संस्था की इस अनुभाग में आंकड़ों की रिपोर्ट न्यायिक परिषद को देने के लिए आवश्यकता हो सकती है, जहां उपयुक्त है।

(d) एक वार्षिक आधार पर, प्रत्येक न्यायालय निम्नलिखित जानकारी न्यायिक परिषद को उपलब्ध कराएगा:

(1) क्या न्यायालय अनुभाग 1320.13 के अनुसरण में अभियोग से पहले समीक्षाएं नियोजित करता है।

(2) अभियोग और निवारक हिरासत की सुनवाइयों में रिहाई और कैद के निर्णय लेने के लिए आवश्यक अनुमानित समय।

(3) मुकदमें से पहले मूल्यांकन सेवाएं द्वारा उपयोग किया गया विधिमान्य जोखिम आंकलन साधन।

(e) न्यायिक परिषद निम्नलिखित सभी करेगी:

(1) घरेलू हिंसा, यौन अपराधों, और हिंसा के अन्य अपराधों के आंकलन के लिए उपयुक्त सभी साधनों सहित विधिमान्य जोखिम आंकलन साधनों की एक सूची संकलित करना और बरकरार रखना। न्यायिक परिषद आंकलन साधनों की सूची संकलित करने में मुकदमें से पहले मूल्यांकन सेवाएं और अन्य संबंधित पक्षों के साथ विचार-विमर्श करेगी।

(2) उपखंड (b) में निर्धारित के अनुसरण में आंकड़े एकत्र करना।

(3) मुकदमें से पहले रिहाई और कैद के निर्णय लेने पर मुकदमें से पहले के जोखिम आंकलन की जानकारी के उपयोग, और मुकदमें से पहले रिहाई की शर्तें लगाने पर न्यायधीशों को प्रशिक्षण देना।

(4) California के मुख्य परिवीक्षा अधिकारियों के साथ परामर्श में, न्यायालयों की मुकदमें से पहले आंकलन सेवाएं के प्रावधान के संबंध में स्थानीय सार्वजनिक संस्थाओं के साथ संपर्क विकसित करने में सहायता करना।

(5) 1 जनवरी, 2021 को या उससे पहले, और इसके बाद प्रत्येक अन्य वर्ष, राज्यपाल और विधान मंडल को कार्यक्रम लागू करने की गतिविधियों पर एक रिपोर्ट जमा करना और कार्यक्रम के कार्य और परिणामों पर डेटा उपलब्ध कराना। शुरुआती रिपोर्ट कार्यक्रम को लागू करने पर ध्यान केंद्रित होगी, और बाद की रिपोर्टों में उपखंड (b) में बताए गए आंकड़े होंगे। इस परिच्छेद के अनुसरण में जमा की जाने वाली रिपोर्ट सरकारी कोड के अनुभाग 9795 के अनुपालन में जमा की जाएगी।

(6) उच्च न्यायालयों के सहयोग के साथ, अभियोग पर एक रिहाई या कैद को तय करने में लगने वाले समय के एक अनुमान जब अभियोग पर शुरुआत में इसे किया गया है, और एक निवारक हिरासत सुनवाई के लिए अनुमानित आवश्यक समय को तैयार करना।

(7) अनुभाग 1320.25 के उपखंड (a) में बताई गई ज़िम्मेदारियां निभाने के लिए विषय-वस्तु विशेषज्ञों और न्यायिक अधिकारियों का एक पैनल बनाना और न्यायालयों को जानकारी उपलब्ध कराना।

1320.25 (a) अनुभाग 1320.24 के उपखंड (e) के परिच्छेद (7) में निर्धारित के अनुसरण में विशेषज्ञों और न्यायिक अधिकारियों का पैनल अनुभाग 1320.9 के अनुसरण में अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाने के लिए मुकदमें से पहले मूल्यांकन सेवाएं द्वारा उपयोग किए गए साधन द्वारा उपलब्ध कराए गए स्कोर या स्तरों के आधार पर "निम्न" "मध्यम" और "उच्च" जोखिम स्तरों को तय करेगा।

(b) मुख्य न्यायधीश मुकदमें से पहले जोखिम आंकलन साधनों की स्कोरिंग पर विशिष्ट विषय-वस्तु विशेषज्ञता रखने वाले चार व्यक्तियों और आपराधिक कानून के साथ विशेषज्ञता वाले तीन न्यायिक अधिकारियों, इनमें से एक अध्यक्ष होगा, इस पैनल में सेवाएं देने के लिए नामित करेंगे। विशेषज्ञों में से कम से कम के पास जोखिम आंकलनों की स्कोरिंग के अतिरिक्त जोखिम आंकलन साधनों में पक्षपात के संभावित प्रभाव में विशेषज्ञता होनी चाहिए।

1320.26 (a) न्यायालय मुकदमें से पहले आंकलन की सेवाओं को स्थापित करेंगे। सेवाएं न्यायालय के कर्मचारी दे सकते हैं या न्यायालय संबंधित अनुभव रखने वाली एक योग्य स्थानीय सार्वजनिक एजेंसी के साथ उन सेवाओं के लिए अनुबंध कर सकता है।

(b) न्यायालय के एक योग्य स्थानीय सार्वजनिक एजेंसी के साथ एक अनुबंध नहीं करने का निर्णय लेने से पहले, न्यायालय तय करेगा कि एजेंसी उपलब्ध संसाधनों के साथ इस कार्य को करने के लिए सहमत नहीं होगी या जिसके पास कार्य को करने की क्षमता नहीं है।

(c) अगर एक उच्च न्यायालय के लिए कोई योग्य स्थानीय एजेंसी इस मुकदमें से पहले के आंकलन कार्य को करने के लिए सहमत नहीं होगी, और न्यायालय इस कार्य को नहीं करना चुनता है, तो न्यायालय इस भूमिका को विशेष तौर पर इस भूमिका को निभाने के लिए स्थापित किसी नई स्थानीय मुकदमें से पहले मूल्यांकन सेवाएं प्रदान करने वाली एजेंसी के साथ अनुबंध कर सकता है।

(d) मुकदमें से पहले आंकलन सेवाओं के प्रावधान के उद्देश्य के लिए, न्यायालय एक ऐसी योग्य स्थानीय एजेंसी के साथ अनुबंध नहीं कर सकता जिसका प्राथमिक ज़िम्मेदारी अधिकार-क्षेत्र के अंदर गिरफ्तारियां और कैद करने की है।

(e) मुकदमें से पहले मूल्यांकन सेवाएं सार्वजनिक कर्मचारियों द्वारा पूरी की जाएंगी।

(f) उपखंड (h) के बावजूद, Santa Clara काउंटी का सुपीरियर न्यायालय Santa Clara के काउंटी के मुकदमें से पहले सेवाएं कार्यालय के साथ Santa Clara काउंटी के अंदर मुकदमें से पहले मूल्यांकन सेवाएं प्रदान करने के लिए अनुबंध कर सकता है और यह अनुभाग 1320.27 और अनुभाग 1320.28 के उपखंड (c) के अनुसरण में यह कार्यालय निधि आबंटन के लिए योग्य होगा।

(g) 1 फरवरी, 2019 या उससे पहले, सुपीरियर न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश और प्रत्येक काउंटी के मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, या उस काउंटी के मुकदमें से पहले सेवाओं के कार्यालय के निदेशक, या Santa Clara के मुकदमें से पहले कार्यालय के निदेशक न्यायिक परिषद को एक पत्र प्रस्तुत करेंगे जो इस अनुभाग के अनुसरण में मुकदमें से पहले मूल्यांकन सेवाओं के लिए अनुबंध करने के उनके इरादे की पुष्टि करेगा।

(h) इस अनुभाग के उद्देश्यों के लिए:

(1) "मुकदमें से पहले मूल्यांकन सेवाओं में" इस अध्याय के अंतर्गत छोड़े गए व्यक्तियों का निरीक्षण शामिल नहीं है।

(2) एक "योग्य सार्वजनिक एजेंसी" निम्न सभी में अनुभव रखती है:

(A) जोखिम आधारित निर्धारणों में उचित विशेषज्ञता।

(B) अनुभाग 1203 के अनुसरण में न्यायालयों को सिफ़ारिश करना।

(C) समाज में अपराधियों का पर्यवेक्षण करना।

(D) शांति अधिकारियों की नियुक्ति करना।

1320.27. (a) हर वर्ष 10 जनवरी या उस से पहले, न्यायिक परिषद और California के मुख्य प्रोबेशन अधिकारियों के परामर्श से वित्त विभाग इस अध्याय के अनुसरण में प्रदान की जाने वाली मुकदमें से पहले सेवाओं के पर्याप्त समर्थन में लगने वाली निधि के स्तर का अनुमान लगाएगा। अनुमान, वित्त विभाग द्वारा California की न्यायिक परिषद के परामर्श से विकसित पद्धति पर आधारित होगा, जिसमें एक अपराध के आरोपित प्रतिवादियों की अनुमानित संख्या जिन्हें जोखिम मूल्यांकन, संचालन से जुड़ी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागत, जोखिम मूल्यांकन, न्यायालय और मुकदमें से पहले सेवाओं द्वारा रिहाई और नज़रबंदी निर्णय लेने से जुड़ी सभी लागतें शामिल होंगी। अनुमान इस कार्य को करने के लिए आवश्यक कर्मचारियों की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागतें भी दर्शाएगा। विभाग अपना अनुमान प्रकाशित करेगा और इसे California के संविधान के अनुच्छेद IV के अनुभाग 12 के अनुसरण में राज्यपाल के बजट के प्रस्तुत करने के समय विधानमंडल को प्रेषित करेगा।

(b) विधानमंडल द्वारा विनियोजन के बाद, न्यायिक परिषद मुकदमें से पहले मूल्यांकन सेवाओं के लिए स्थानीय न्यायालयों को निधि आबंटन करेगी। कोर्ट के अधिकारियों, कर्मचारियों के प्रतिनिधियों और California के मुख्य परिवीक्षा अधिकारियों सहित मुख्य हितधारकों के साथ परामर्श के बाद धन आबंटन किया जाएगा। आबंटन में न्यायिक परिषद द्वारा निर्धारित अनुसरण में, राज्य भर में मुकदमें से पहले मूल्यांकन सेवाओं का समर्थन करने के लिए एक मूल राशि और उपयुक्त मानदंडों के आधार पर अतिरिक्त धन शामिल होगा। न्यायिक परिषद आबंटन का निर्धारण करते समय लागतों, वेतनमान और अन्य कारकों में क्षेत्रीय अंतर पर विचार करेगी। मुकदमें से पहले सेवाओं के लिए वार्षिक धन के राज्यव्यापी आबंटन को न्यायिक परिषद द्वारा एक सार्वजनिक बैठक में अपनाया और सार्वजनिक रूप से प्रकाशित किया जाएगा।

(c) मुकदमें से पहले मूल्यांकन सेवाओं के लिए सभी निधि विशेष रूप से उन सेवाओं को प्रदान करने की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागत पर ही खर्च की जाएगी। अनुबंध 1320.26 के अनुसरण में मुकदमें से पहले मूल्यांकन सेवाओं के लिए अनुबंध करने वाली स्थानीय न्यायालय अनुबंधों में प्रवेश करने वाली अनुबंधित सार्वजनिक इकाई को इस आबंटन के माध्यम से प्राप्त सभी धन सीधे प्रदान करेंगी।

(d) इस अनुभाग के अनुसरण में आबंटन प्राप्त करने वाली स्थानीय सार्वजनिक संस्थाएं, इस निधि के लिए अलग से लेखा-जोखा देंगी और वार्षिक रूप से प्रमाणित करेंगी कि निधियों का इस अनुभाग की आवश्यकताओं सहित, उपयोग प्रासंगिक राज्य के कानून के अनुसरण में हुआ है।

(e) मुकदमें से पहले सेवाओं के मूल्यांकन के लिए इस अनुभाग के अनुसरण में आबंटन निधि मौजूदा स्थानीय निधि को हटाने के बजाय उसमें वृद्धि करेगी।

1320.28. (a) हर वर्ष 10 जनवरी तक, वित्त विभाग, न्यायिक परिषद और California के मुख्य प्रोबेशन अधिकारियों के परामर्श से, इस अध्याय के अनुसरण में प्रदान की जाने वाली मुकदमें से पहले पर्यवेक्षण सेवाओं के प्रावधान का पर्याप्त रूप से समर्थन करने के लिए आवश्यक संसाधनों के स्तर का अनुमान लगाएगा। अनुमान उन व्यक्तियों की संख्या जिनकी देखरेख की जा रही है और पर्यवेक्षण के स्तर की आवश्यकता को दर्शाएगा। अनुमान इन सेवाओं को प्रदान करने के लिए आवश्यक कर्मियों की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागतों को भी दर्शाएगा। विभाग अपना अनुमान प्रकाशित करेगा और इसे California के संविधान के अनुच्छेद IV के अनुभाग 12 के अनुसरण में राज्यपाल के बजट के प्रस्तुत करने के समय विधानमंडल को प्रेषित करेगा।

(b) विधानमंडल द्वारा विनियोजन के बाद, वित्त विभाग पर्यवेक्षणीय सेवाओं के लिए स्थानीय परिवीक्षा विभागों को निधि आबंटन करेगा। इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, Santa Clara काउंटी के मुकदमें से पहले सेवाओं के कार्यालय उसी काउंटी के अंदर निधि के लिए योग्य होंगे। निधि आबंटन का निर्धारण करते समय विभाग लागत, वेतनमान और अन्य कारकों में क्षेत्रीय विभिन्नताओं पर विचार करेगा। आबंटन में राज्य भर में मुकदमें से पहले पर्यवेक्षण का समर्थन करने के लिए एक मूल भाग और काउंटी की 18 से 50 वर्ष की आमदनी के वयस्कों की आबादी और स्थानीय गिरफ़्तारी दर के आधार पर कम से कम एक अतिरिक्त राशि शामिल होगी। वित्त विभाग वार्षिक आबंटन पद्धति को अपनाते समय न्यायिक परिषद,

California के मुख्य प्रोबेशन अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों सहित प्रमुख हितधारकों के साथ परामर्श करेगा।

(c) मुकदमें से पहले पर्यवेक्षण के लिए सभी निधि केवल इन सेवाओं के वितरण में लगने वाली प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागतों पर खर्च की जाएगी। मुकदमें से पहले सेवाओं का समर्थन करने के लिए विनियोजित सभी निधियों को मुकदमें से पहले पर्यवेक्षण का समर्थन करने के लिए स्थानीय संस्थाओं को आबंटन किया जाएगा।

(d) इस अनुभाग के अनुसरण में आबंटन प्राप्त करने वाली स्थानीय सार्वजनिक संस्थाएं, इस निधि के लिए अलग से लेखा-जोखा देंगी और वार्षिक रूप से प्रमाणित करेंगी कि निधियों का इस अनुभाग की आवश्यकताओं सहित, उपयोग प्रासंगिक राज्य के कानून के अनुसरण में हुआ है।

(e) स्थानीय सार्वजनिक इकाइयां केवल एक न्यायालय से मुकदमें से पहले मूल्यांकन सेवाओं के प्रावधान प्रदान करने का अनुबंध करने के बाद ही इस निधिबंधन के लिए योग्य होंगी।

(f) इस अनुभाग के अनुसरण में आबंटन निधि मुकदमें से पहले मूल्यांकन सेवाओं की स्थानीय मौजूदा निधि में वृद्धि करेगी ना कि उसे हटाएगी।

1320.29. हर वर्ष, 10 जनवरी तक वित्त विभाग, न्यायिक परिषद के परामर्श से, इस अध्याय के तहत न्यायपालिका के कार्यभार का पर्याप्त रूप से समर्थन करने के लिए आवश्यक संसाधनों के स्तर का अनुमान लगाएगा। अनुमान में इस अधिनियम के अनुसरण में उन मामलों की संख्या दर्शाएगा जिनमें न्यायालय में अभियोग पर नज़रबंदी निर्धारण, सुरक्षात्मक नज़रबंदी कार्रवाई, इन निर्धारण में लगने वाला औसत समय और सुनवाइयों से संबंधित लागत मुकदमें से पहले मूल्यांकन सेवाओं से संबंधित प्रशासनिक लागत और इस अधिनियम के अनुसरण में न्यायपालिका के कार्यभार के अन्य कारकों को दर्शाएगा। अनुमान, परीक्षण न्यायालय की कार्यवाही की प्रति मिनट औसत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागत को भी दर्शाएगा। विभाग अपना अनुमान प्रकाशित करेगा और इसे California के संविधान के अनुच्छेद IV के अनुभाग 12 के अनुसरण में राज्यपाल के बजट के प्रस्तुत करने के समय विधानमंडल को प्रेषित करेगा।

1320.30. (a) विधान मंडल द्वारा स्वीकरण के बाद, राज्य और समाज सुधार मंडल किसी शैक्षणिक संस्थान, सार्वजनिक नीति केंद्र या किसी अन्य अनुसंधान इकाई के साथ इस अनुबंध को कानून बनाने वाले अधिनियम, विशेष रूप से अधिनियम के जातीयता, लिंग और आमदनी स्तर के अनुसरण में अधिनियम के प्रभाव के स्वतंत्र मूल्यांकन के लिए अनुबंध करेगा। यह मूल्यांकन 1 जनवरी, 2024 से पहले सीनेट के राज्य सचिव और राज्य-विधान सभा के मुख्य क्लर्क को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(b) वित्तीय वर्ष 2019- 20 की शुरुआत से, राज्य निधि नज़रबंदी को छोड़कर मुकदमें से पहले पर्यवेक्षण, मूल्यांकन, सेवाओं या अन्य उद्देश्यों से संबंधित स्थानीय निधियों की वृद्धि करेगी।

1320.31. (a) विधान मंडल की यह मंशा है कि व्यावहारिक सीमा तक, उपलब्ध जेल की क्षमता प्राथमिकता दोषसिद्धि पश्चात की आबादी के लिए होगी।

(b) विधानमंडल पाता है और घोषणा करता है कि इस अध्याय के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए मुकदमें से पहले जोखिम मूल्यांकन सेवाओं, मुकदमें से पहले पर्यवेक्षण, परीक्षण न्यायालय के कार्यभार में वृद्धि और आवश्यक राज्यव्यापी गतिविधियों का समर्थन करने के लिए निधि की आवश्यकता होगी। ये निधियां, राज्य के हालिया लंबी अवधि के खर्च की योजना में दर्शाई जाएंगी और वार्षिक बजट अधिनियम के तहत स्वीकरण के अधीन होंगी।

1320.32. 1 अक्टूबर, 2019 से शुरू होकर, इस कोड में "जमानत" के सभी संदर्भ इस अध्याय में निर्दिष्ट प्रक्रियाओं को संदर्भित करेंगे।

1320.33. (a) 1 अक्टूबर, 2019 से पहले जमानत पर रिहा किए गए अभियुक्त, उनकी रिहाई की शर्तों के अनुसरण में जमानत पर रहेंगे।

(b) 1 अक्टूबर, 2019 को हिरासत में लिए गए अभियुक्तों पर अनुभाग 1320.8 के अनुसरण में रिहाई के लिए विचार किया जाएगा, और यदि रिहा नहीं किया जाता है, तो जोखिम मूल्यांकन प्राप्त होगा और इस अध्याय के अनुसरण में रिहा करने या नज़रबंद करने के लिए विचार किया जाएगा।

1320.34. यह अध्याय 1 अक्टूबर, 2019 से क्रियात्मक होगा।

अनुभाग 5. व्यावहारिक सीमा तक, न्यायिक परिषद, California के मुख्य परिवीक्षा अधिकारी के साथ इस अधिनियम के कार्यों के लिए आवश्यक शुरुआती कार्यों को करने, प्रशिक्षण प्रयासों संयुक्त प्रशिक्षण के संचालन के लिए समन्वय करेगी।

अनुभाग 6. यदि राज्य शासनादेशों पर आयोग यह निर्धारित करता है कि इस अधिनियम में राज्य द्वारा अनिवार्य लागतें हैं, तो उन लागतों के लिए सरकारी कोड के शीर्षक 2 के प्रभाग 4 के भाग 7 (अनुभाग 17500 से शुरू करते हुए) के अनुरूप स्थानीय एजेंसियों और स्कूल ज़िलों को प्रतिपूर्ति की जाएगी।

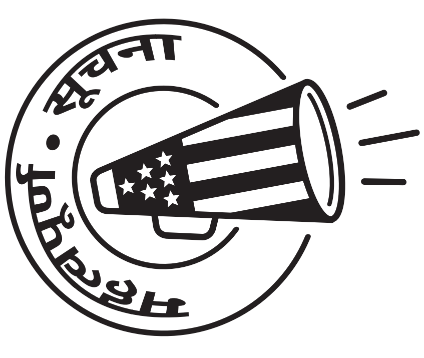

जैसा कि कानून के द्वारा आवश्यक है प्रस्ताव 14 का पाठ एक बांड उपाय है, कार्यालयी मतदाता सूचना मार्गदर्शिका में सम्मिलित किया गया है, जो सभी मतदाता निवासियों को डाक द्वारा भेजी जा चुकी है। प्रस्ताव 14 के लिए प्रस्तावित कानून का पाठ *votersguide.sos.ca.gov.* पर भी ऑनलाइन उपलब्ध है।

प्रारंभिक मतदान स्थलों पर सुरक्षित मतदान करें

अनेक काउंटियों में एक या उससे अधिक प्रारंभिक मतदान स्थल **3 नवंबर, 2020** के चुनाव से पहले के शनिवार से शुरू करते हुए **कम से कम चार दिनों** के लिए उपलब्ध रहेंगे। मतदान स्थलों पर मतदाता पंजीकरण, प्रतिस्थापक मतपत्र, सुगम मतदान मशीनें और भाषा सहायता की पेशकश की जाएगी।

आप मतदान स्थलों को मतदाताओं और चुनाव कर्मियों के लिए इन तीन तरीकों से सुरक्षित रखने में मदद कर सकते हैं:

1 लाइन में लगने से बचें।

आप पूरे किए गए मतपत्रों को **डाक द्वारा** बिना डाक-टिकट लगाए, एक सुरक्षित **मतपत्र ड्रॉप बॉक्स में डाल सकते हैं** या किसी **मतदान स्थल** पर वापस डाल सकते हैं। पूरे किए गए मतपत्रों को डालने के लिए मतदाताओं के लिए मतदान स्थलों पर अलग लाइनें लगी होंगी।

मतदान स्थल के लिए नजदीकी ड्रॉप-बॉक्स *CAEarlyVoting.sos.ca.gov* पर ढूंढें

2 जल्दी मतदान करें।

यदि आप किसी मतदान स्थल पर व्यक्तिगत रूप से आते हैं, तो शारीरिक दूरी बनाए रखने में मदद करने के लिए **चुनाव दिवस से पहले जाएँ**। बहुत सी काउंटियों में एक या ज्यादा मतदान स्थल चुनाव दिवस के पहले रविवार से शुरू करते हुए **कम से कम चार दिनों** के लिए खुले रहेंगे।

3 सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन करें।

मतदान स्थलों पर निम्न पूर्व-सावधानियों को अपनाकर अपने स्वास्थ्य और अन्य मतदाताओं और चुनाव कर्मियों के स्वास्थ्य की रक्षा करें:

मतदान स्थल सुरक्षा जांचसूची

- ☑ मतदान स्थल पर होने के दौरान **फेस कवरिंग पहनें।**
- ☑ अन्य लोगों से **2 हाथ की दूरी रखें।**
- ☑ मतदान स्थल में प्रवेश करने से पहले और उसके बाद **हाथों को धोएँ।**
- ☑ दरवाजों या मतदान उपकरणों को छूने के बाद **हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें।**
- ☑ उच्च संपर्क सतहों को छूने से बचने के लिए अपने साथ **बॉल प्वाइंट पेन लाएँ।**

मतदान करते समय सुरक्षित रहने के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं?
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/election-polling-locations.html
पर रोग नियंत्रण एवं निवारण केंद्र के दिशानिर्देशों की समीक्षा करें

वे मतदाता जो डाक से मतदान कर सकते हैं, वे मतदान स्थलों पर सुरक्षित शारीरिक दूरी को सुनिश्चित करने में मदद करेंगे। काउंटी मतदान कार्यालय **5 अक्टूबर, 2020** से California वासियों को डाक-द्वारा-मत मतपत्र भेजना शुरू करेंगे। डाक द्वारा लौटाए गए मतपत्र **3 नवंबर, 2020** तक पोस्टमार्क होने ज़रूरी हैं; सुरक्षित मतपत्र ड्रॉप बॉक्स पर आए मतपत्र **3 नवंबर, 2020 के शाम 8:00 बजे तक** अवश्य जमा कर दिए जाने चाहिए।

अपने डाक-द्वारा-मत मतपत्र के साथ सुरक्षित मतदान करें

California के सभी मतदाताओं को **3 नवम्बर, 2020** चुनाव के लिए डाक-द्वारा-मत मतपत्र मिलेगा। आपका काउंटी चुनाव कार्यालय **5 अक्टूबर, 2020** से शुरू करते हुए नीचे दिखाई गई तस्वीर जैसे मतपत्रों को भेजना शुरू करेगा।

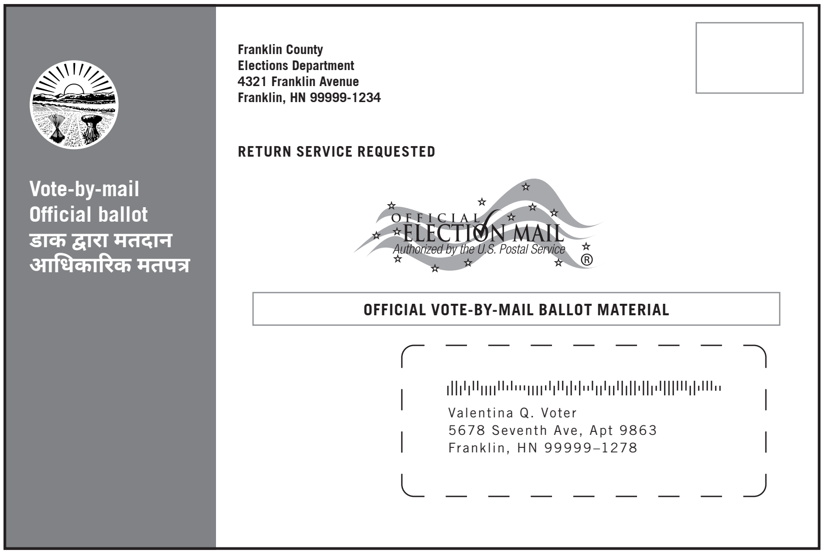

डाक द्वारा मतदान ***सुरक्षित*** और ***आसान*** है।

अपने मतपत्र पर अपने विकल्पों को चिन्हित करने के बाद, बस सिर्फ:

☑ **इसे सील करें।**
अपने काउंटी चुनाव कार्यालय से प्राप्त लिफाफे में अपने मतपत्र को सुरक्षित करें।

☑ **इस पर हस्ताक्षर करें।**
सुनिश्चित करें कि **आपके मतपत्र लिफाफे पर हस्ताक्षर** आपके CA ड्राइवर लाइसेंस/राज्य पहचान पत्र, या आपके द्वारा पंजीकृत करते समय प्रदान किए गए हस्ताक्षर से **मेल खाते हैं।** आपका काउंटी चुनाव कार्यालय आपके मतदान की सुरक्षा के लिए उनका मिलान करेगा।

☑ **इसे वापस भेजें।**
डाक से—सुनिश्चित करें कि आपके मतपत्र पर **3 नवंबर, 2020** तक डाक-घर की मुहर लगी हो। कोई डाक-टिकट लगाने की आवश्यकता नहीं है!

या

व्यक्तिगत रूप से—किसी सुरक्षित ड्रॉप बॉक्स, मतदान स्थल, मतदान केंद्र, या काउंटी चुनाव कार्यालय में **3 नवंबर, 2020 को शाम 8:00 बजे** तक अपना मतपत्र पहुंचा दें।

☑ **इसकी स्थिति का पता लगाएँ।**
आप अपने डाक-द्वारा-मत मतपत्र की स्थिति के बारे में टेक्स्ट (एसएमए स), ईमेल, या वॉयस कॉल द्वारा अलर्ट के लिए *wheresmyballot.sos.ca.gov* पर साइन अप कर सकते हैं।

वे मतदाता जो डाक से मतदान कर सकते हैं, वे मतदान स्थलों पर सुरक्षित शारीरिक दूरी को सुनिश्चित करने में मदद करेंगे। चुनाव दिवस से पहले मतदान स्थल सभी काउंटियों में उपलब्ध रहेंगे। मतदान स्थलों पर मतदाता पंजीकरण, प्रतिस्थापक मतपत्र, सुगम मतदान मशीनें और भाषा सहायता की पेशकश की जाएगी।

मेरा मतपत्र कहाँ है?

California के राज्य सचिव अब मतदाताओं को उनके डाक-द्वारा-मत मतपत्र को ट्रैक करने और सूचनाएं प्राप्त करने के लिए एक नए तरीके की पेशकश कर रहे हैं। “Where’s My Ballot?” (मेरा मतपत्र कहाँ है?) साधन मतदाताओं को हर कदम पर बताता है कि उनका मतपत्र कहां है और उसकी स्थिति क्या है। *WheresMyBallot.sos.ca.gov* पर साइन अप करें।

जब आप “Where’s My Ballot?” के लिए साइन अप करते हैं, तो आपको स्वचालित अपडेट्स मिलेंगे, जब आपका काउंटी चुनाव कार्यालय:

- आपका मतपत्र डाक से भेजेगा,
- आपका मतपत्र प्राप्त करेगा,
- आपके मतपत्र की गिनती करेगा, या
- यदि आपके मतपत्र के साथ कोई समस्या है।

जो मतदाता *WheresMyBallot.sos.ca.gov* पर साइन अप करते हैं वे निम्न तरीकों से स्वचालित अपडेट प्राप्त करने का चयन कर सकते हैं:

- ईमेल
- टेक्स्ट मैसेज (SMS)
- वॉइस कॉल

अपने मतपत्र को ट्रैक करना
—जब यह डाक से भेजा जाता है, प्राप्त होता है और गिना जाता है—
कभी भी इतना आसान नहीं रहा।

WheresMyBallot.sos.ca.gov

California में चुनाव

शीर्ष दो उम्मीदवार मुक्त प्राथमिक अधिनियम के अनुसार यह आवश्यक है कि मतदाता-नामांकित कार्यालय के सभी उम्मीदवारों को एक ही मतपत्र पर सूचीबद्ध किया जाए। मतदाता-नामांकित कार्यालयों में राज्य विधायी कार्यालय, अमेरिकी कांग्रेस के कार्यालय और राज्य संवैधानिक कार्यालय शामिल हैं, जिन्हें पहले गैर-पक्षपाती कार्यालयों के नाम से जाना जाता था।

मुक्त प्राथमिक और आम चुनावों दोनों में, आप अपने मतदाता पंजीकरण फॉर्म पर बताई गई पार्टी वरीयता के बावजूद भी किसी भी उम्मीदवार के लिए मतदान कर सकते हैं। प्राथमिक चुनाव में अधिक मत प्राप्त करने वाले दो उम्मीदवारों को, भले ही उनकी पार्टी की वरीयता कुछ भी हो, आम चुनाव में आगे जाते हैं। अगर किसी उम्मीदवार को मतदान का बहुमत (कम से-कम 50 प्रतिशत +1) प्राप्त होता है, तब भी एक सामान्य चुनाव आयोजित किया जाना ज़रूरी है।

California की मुक्त प्राथमिक प्रणाली संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति, काउंटी केंद्रीय समिति या स्थानीय कार्यालयों के लिए उम्मीदवारों पर लागू नहीं होती है।

मतदाता-नामांकित कार्यालयों के लिए राइट-इन उम्मीदवार अभी भी प्राथमिक चुनाव में भाग ले सकते हैं। हालांकि कोई राइट-इन उम्मीदवार आम चुनाव में केवल तभी आगे बढ़ सकता है, जब वह प्राथमिक चुनाव में शीर्ष के दो मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों में से एक हो। इसके अतिरिक्त, आम चुनाव के लिए कोई भी स्वतंत्र नामांकन प्रक्रिया नहीं होती है।

California के कानून के तहत निम्नलिखित जानकारी को इस मार्गदर्शिका में प्रकाशित किया जाना आवश्यक है।

पार्टी-नामांकित/पक्षपाती कार्यालय

राजनीतिक दल प्राथमिक चुनावों में पार्टी-नामांकित/गैर-पक्षपाती कार्यालयों के लिए औपचारिक रूप से उम्मीदवार नामांकित कर सकते हैं। एक नामांकित उम्मीदवार आम चुनाव में एक विशिष्ट कार्यालय के लिए पार्टी को उसके आधिकारिक उम्मीदवार के रूप में प्रतिनिधित्व करेंगे और मतपत्र एक आधिकारिक पदनाम को प्रदर्शित करेगा। प्राथमिक चुनाव में प्रत्येक पार्टी के लिए सबसे अधिक मत-पाने वाले उम्मीदवार आम चुनाव में आगे बढ़ते हैं। पार्टियां प्राथमिक चुनावों में काउंटी की केंद्रीय समिति के अधिकारियों को भी चुनती हैं।

एक मतदाता उसी राजनीतिक दल के प्राथमिक चुनाव में ही मतदान कर सकता है जिसके लिए उसने मतदान के लिए पंजीकरण करते समय प्राथमिकता दी थी। हालांकि कोई राजनीतिक दल किसी ऐसे व्यक्ति को अनुमति दे सकता है, जिसने पार्टी के प्राथमिक चुनाव में मतदान के लिए उस पार्टी की प्राथमिकता का खुलासा करने से इनकार कर दिया है।

अमेरिका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के वक्तव्य *voterguide.sos.ca.gov* पर ऑनलाइन देखे जा सकते हैं

मतदाता-नामांकित कार्यालय

राजनीतिक दलों को प्राथमिक चुनाव में मतदाता-नामांकित कार्यालयों के लिए औपचारिक रूप से उम्मीदवार नामांकित करने का अधिकार नहीं है। प्राथमिक चुनाव में मतदाता-नामांकित कार्यालय के लिए नामांकित उम्मीदवार जनता का नामांकित व्यक्ति होता है, न कि आम चुनाव में किसी पार्टी का आधिकारिक नामांकित व्यक्ति। मतदाता नामांकित कार्यालय के लिए नामांकन हेतु उम्मीदवार की अपनी योग्य पार्टी की वरीयता, या योग्य पार्टी की गैर-वरीयता मतपत्र पर निर्दिष्ट होगी, लेकिन पार्टी वरीयता पदनाम पूरी तरह से उम्मीदवार द्वारा चुना जाता है और इसे केवल मतदाताओं की जानकारी के लिए दिखाया जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि उम्मीदवार को नामित पार्टी द्वारा नामांकित या अनुमोदित किया गया है, या पार्टी और उम्मीदवार के बीच कोई संबंध है, और मतदाताओं द्वारा नामांकित किसी भी उम्मीदवार को किसी भी राजनीतिक दल का आधिकारिक रूप से नामांकित उम्मीदवार नहीं माना जाएगा। काउंटी मतदाता सूचना गाइड में पार्टियां मतदाता-नामांकित कार्यालयों के लिए ऐसे उम्मीदवारों की सूची तैयार कर सकती हैं, जिन्हें पार्टी का आधिकारिक अनुमोदन प्राप्त हुआ हो।

कोई भी मतदाता किसी भी उम्मीदवार के लिए मतदाता-नामांकित कार्यालय हेतु मतदान कर सकता है, अगर वह उस कार्यालय के लिए मतदान करने के लिए आवश्यक अन्य योग्यताएं पूरी करता हो। प्राथमिक चुनाव में सबसे अधिक मतदान-प्राप्त करने वाले पहले दो उम्मीदवार मतदाता-नामांकित कार्यालय के आम चुनाव में आगे जाते हैं, भले ही दोनों उम्मीदवारों ने एक ही पार्टी वरीयता पद को निर्दिष्ट किया हो। किसी भी पार्टी के पास अपनी पार्टी वरीयता पदनाम के साथ किसी उम्मीदवार को सामान्य चुनाव में आगे भेजने का अधिकार नहीं है, जब तक कि उम्मीदवार प्राथमिक चुनाव में दो सबसे अधिक मत पाने वालों में से एक न हो।

गैर-पक्षपाती कार्यालय

राजनीतिक दलों को प्राथमिक चुनाव में गैर-पक्षपाती कार्यालयों के लिए उम्मीदवार नामांकित करने का अधिकार नहीं है, और प्राथमिक चुनाव में कोई उम्मीदवार सामान्य चुनाव में निर्दिष्ट कार्यालय के लिए किसी भी पार्टी का आधिकारिक नामांकित व्यक्ति नहीं होता है। किसी गैर-पक्षपाती कार्यालय में नामांकन के लिए उम्मीदवार अपनी पार्टी की वरीयता, या पार्टी वरीयता की कमी को मतपत्र पर नामित नहीं कर सकता है। प्राथमिक चुनाव में सबसे अधिक मत-पाने वाले दो उम्मीदवार गैर-पक्षपाती कार्यालय के सामान्य चुनाव के लिए आगे आते हैं।

राज्य उम्मीदवारों और मतदान उपायों के शीर्ष योगदानकर्ता

जब कोई समिति (एक व्यक्ति या लोगों का समूह जो उम्मीदवारों या मतदान उपायों के समर्थन या विरोध में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए धन प्राप्त या खर्च करता है) मतदान उपाय या उम्मीदवार का समर्थन या विरोध करती है और कम से कम $1 मिलियन एकत्रित करती है, तो समिति को California निष्पक्ष राजनैतिक आचरण आयोग (FPPC) को अपने शीर्ष 10 योगदानकर्ताओं की जानकारी देना आवश्यक होगा। यदि शीर्षस्थ 10 की सूची में कोई परिवर्तन हो, तो समिति को इसे अपडेट करना होगा।

ये सूचियां FPPC की वेबसाइट *http://www.fppc.ca.gov/transparency/top-contributors.html* पर उपलब्ध हैं।

मतदाता पंजीकरण

यदि आप मतदान करने के लिए पहले से ही पंजीकृत हैं तो आपको फिर से पंजीकरण करवाने की आवश्यकता नहीं है, ***जब तक कि*** आपका नाम, घर का पता, डाक पता न बदले या जब तक कि आप राजनीतिक पार्टी को बदलना या चुनना न चाहें।

आप मतदान करने के लिए *registertovote.ca.gov* पर ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं, या आप डाक से भेजा गया फॉर्म प्राप्त करने के लिए राज्य सचिव की टोल-फ्री मतदाता हॉटलाइन को नंबर (888) 345-2692 पर कॉल कर सकते हैं।

मतदाता पंजीकरण फॉर्म अधिकांश डाकघरों, पुस्तकालयों, शहर व काउंटी के सरकारी कार्यालयों, काउंटी चुनाव कार्यालयों और California के राज्य सचिव कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं।

सशर्त मतदाता पंजीकरण

चुनाव दिवस और चुनाव दिवस के पहले के 14 दिनों की अवधि के दौरान, आप मतदान करने के लिए सशर्त पंजीकृत होने और मतदान करने के लिए अपने काउंटी चुनाव अधिकारी के कार्यालय, मतदान केंद्र या मतदान स्थल पर जा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए *sos.ca.gov/elections/voter-registration/same-day-reg/* पर जाएँ।

मतदाता पंजीकरण गोपनीयता जानकारी

घर में सुरक्षित रहें गोपनीय मतदाता पंजीकरण कार्यक्रम: जीवन पर खतरे की स्थितियों (यानी घरेलू हिंसा के पीड़ित और उत्तरजीवित व्यक्ति, पीछा किए जाने, यौन हमला, मानव तस्करी, बुजुर्ग/आश्रित वयस्क दुर्व्यवहार से बचे व्यक्ति) का सामना कर रहे कुछ मतदाता गोपनीय मतदाता स्थिति के लिए अर्हता प्राप्त कर सकते हैं, यदि वे 'घर में सुरक्षित रहें' कार्यक्रम के सक्रिय सदस्य हैं। और अधिक जानकारी के लिए राज्य सचिव के 'घर में सुरक्षित रहें' कार्यक्रम से (877) 322-5227 पर निःशुल्क संपर्क करें या *sos.ca.gov/registries/safe-home/* पर जाएँ।

मतदाता की जानकारी की गोपनीयता: चुनाव अधिकारियों द्वारा आपके मतदाता पंजीकरण शपथ-पत्र में उपलब्ध जानकारी का प्रयोग आपको मतदान प्रक्रिया के बारे में अधिकारिक जानकारी भेजने के लिए किया जाएगा, जैसे कि आपके मतदान स्थल का स्थान और मतपत्र में प्रदर्शित किए जाने वाले मुद्दे और उम्मीदवार। मतदाता पंजीकरण जानकारी का व्यावसायिक उपयोग कानून द्वारा प्रतिबंधित है और ऐसा करना अपराध माना जाता है। राज्य सचिव द्वारा किए गए निर्धारण के अनुरूप मतदाता सूचना किसी पद के लिए उम्मीदवार व्यक्ति, मतदाता उपाय समिति या फिर चुनाव, अध्ययन, पत्रकारिता, राजनीतिक या सरकारी उद्देश्यों के लिए किसी अन्य व्यक्ति को प्रदान की जा सकती है। इन उद्देश्यों के लिए ड्राइवर लाइसेंस और सामाजिक सुरक्षा संख्या, या आपके मतदाता पंजीकरण कार्ड पर प्रदर्शित हस्ताक्षर प्रकट नहीं किए जा सकते हैं। यदि मतदाता जानकारी के उपयोग के बारे में आपके कोई प्रश्न हैं या आप ऐसी जानकारी के संभावित दुरुपयोग की सूचना देना चाहते हैं, तो कृपया राज्य सचिव की मतदाता हॉटलाइन (888) 345-2692 पर कॉल करें।

सोलह वर्ष की आयु होने पर पूर्व-पंजीकरण करें। अठारह वर्ष की आयु होने पर मतदान करें।

16 और 17 वर्ष के योग्य लड़के-लड़कियों के लिए *registertovote.ca.gov* पर ऑनलाइन या पेपर मतदाता पंजीकरण फॉर्म के ज़रिए पूर्व-पंजीकरण करना अब उपलब्ध है। California के युवा, जो मतदान करने के लिए पूर्व-पंजीकरण करते हैं, उनका पंजीकरण उनके 18 वर्ष के होने पर सक्रिय हो जाएगा।

4 आसान चरणों में पूर्व-पंजीकरण करें:

1. *registertovote.ca.gov* पर जाएँ।
2. “Pre-register to Vote” बटन पर क्लिक करें।
3. अपने 18वें जन्मदिवस पर अपने-आप पंजीकृत हों।
4. चुनाव दिवस के मौके पर अपना मतपत्र दाखिल करें!

पूर्व-पंजीकरण क्या होता है?

यदि आपकी आयु 16 या 17 वर्ष है और आप अन्य सभी मतदाता योग्यता संबंधी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, तो *registertovote.ca.gov* पर जाकर मतदान करने के लिए पूर्व-पंजीकृत हो सकते हैं।

बस ऑनलाइन पूर्व-पंजीकरण आवेदन पूरा करें और अपने 18वें जन्मदिवस पर, आप मतदान करने के लिए अपने-आप पंजीकृत हो जाएँगे।

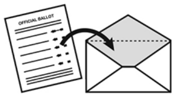

डाक द्वारा मतदान कैसे करें

डाक द्वारा मतदान कौन कर सकता है?

सभी पंजीकृत मतदाताओं को 3 नवम्बर, 2020 के आम चुनाव के लिए डाक-द्वारा-मत मतपत्र मिलेगा। काउंटी के मतदान अधिकारी 5 अक्टूबर, 2020 से मतदाताओं को मतपत्र डाक द्वारा भेजना शुरू करेंगे। यदि आपको अपना डाक-द्वारा-मत मतपत्र नहीं मिलता है या आपको प्रतिस्थापन मतपत्र का अनुरोध करने की आवश्यकता है, तो कृपया अपने काउंटी चुनाव कार्यालय से संपर्क करें। काउंटी चुनाव कार्यालय की संपर्क जानकारी sos.ca.gov/elections/voting-resources/county-elections-offices पर देखी जा सकती है।

अपने डाक-द्वारा-मत मतपत्र को कैसे वापस भेजें

अपने डाक-द्वारा-मत मतपत्र पर अपने चुनावों पर निशान लगाने के बाद आप काउंटी चुनाव कार्यालय द्वारा दिए गए आधिकारिक लिफाफे में इसे रखें और सील कर दें। जहां पर निर्दिष्ट किया गया है, वहां **हस्ताक्षर** करें। अपने मतपत्र को वापस भेजने के लिए आपके पास बहुत से विकल्प हैं।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपका मतपत्र समयसीमा के अंदर पहुँच जाए, इसे निम्न में से किसी विकल्प द्वारा वापस भेजें:

डाक द्वारा—**3 नवंबर** को या उससे पहले पोस्टमार्क होना और आपके काउंटी चुनाव कार्यालय को **20 नवंबर तक प्राप्त हो जाना ज़रूरी है। कोई डाक-टिकट लगाने की आवश्यकता नहीं है!**

व्यक्तिगत रूप से—California में अपने काउंटी चुनाव कार्यालय या किसी भी मतदान केंद्र, मतदान स्थल, या मतपत्र डालने के स्थान पर 3 नवंबर को शाम 8:00 बजे तक मतदान समाप्त होने से पहले डालें।

राज्य कानून मतदाताओं को अपने डाक-द्वारा-मत मतपत्र को वापस करने के लिए किसी को भी नामित करने की स्वतंत्रता देता है। हालाँकि, हम अनुशंसा करते हैं कि आप अपने पूरे भरे हुए हस्ताक्षरित मतपत्र को केवल उसी व्यक्ति को सौंपें, जिस पर आप भरोसा करते हैं। और यदि आपने अपने काउंटी चुनाव कार्यालय द्वारा दिए गए वापसी लिफाफे को सील नहीं किया है और उसके पीछे हस्ताक्षर नहीं किए हैं, तो अपने डाक-द्वारा-मत मतपत्र को कभी भी न सौंपें।

यहां तक कि अगर आपको अपना डाक-द्वारा-मत मतपत्र और लिफाफा प्राप्त होता है, तब भी आप चुनाव के दिन अपने मतदान स्थल पर व्यक्तिगत रूप से मतदान कर सकते हैं। अपने डाक-द्वारा-मत मतपत्र को मतदान स्थल पर लाएँ और मतदान स्थल पर किसी मतदान कर्मी को उसे मतदान स्थल मतपत्र से बदलने के लिए दें। यदि आपके पास एक डाक-द्वारा-मत मतपत्र और लिफाफा नहीं है, तो आपको एक अस्थायी मतपत्र का उपयोग करके मतदान करना पड़ सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि आपने पहले ही मतदान नहीं किया है।

सभी काउंटियाँ एक सुलभ विकल्प की पेशकश करती हैं जिसे डाक द्वारा दूरस्थ पहुंच योग्य मतदान (RAVBM) कहा जाता है। RAVBM दिव्यांग मतदाताओं को अपने मतपत्र घर पर प्राप्त करने और उन्हें चुनाव अधिकारियों के पास वापस भेजने से पहले स्वतंत्र और गुप्त रूप से निशान लगाने का एक सुगम विकल्प प्रदान करते हैं। अधिक जानकारी के लिए अपनी काउंटी के चुनाव अधिकारी से संपर्क करें।

क्या आप 3 नवंबर, 2020 को रात 8:00 बजे मतदान का समय समाप्त होने के बाद आम चुनाव के परिणाम देखना चाहते हैं? California राज्य सचिव के चुनाव परिणामों की वेबसाइट *electionresults.sos.ca.gov पर जाएँ*।

काउंटियों द्वारा राज्य सचिव को परिणामों की जानकारी दिए जाने के अनुसार चुनाव की रात को प्रत्येक पाँच मिनट के अंतराल में चुनाव परिणामों की वेबसाइट को अपडेट किया जाता है। शाम 8:00 बजे चुनाव के बंद हो जाने के बाद काउंटी चुनाव अधिकारी राज्य सचिव की वेबसाइट को अर्ध-आधिकारिक चुनाव परिणाम भेजते हैं और चुनाव दिवस के सभी मतपत्रों की गणना पूरी हो जाने तक कम से कम प्रत्येक दो घंटे में अपडेट भेजना जारी रखते हैं।

जैसे-जैसे काउंटियाँ शेष मतपत्रों की गणना करेंगी, इसके अनुसार 5 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर, 2020 तक चुनाव परिणामों की वेबसाइट को प्रत्येक दिन शाम 5:00 बजे पर अपडेट किया जाएगा।

वेबसाइट *sos.ca.gov/elections/* पर चुनाव के आधिकारिक परिणाम 11 दिसंबर, 2020 तक पोस्ट कर दिए जाएंगे।

दिव्यांग मतदाताओं के लिए सहायता

California यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि प्रत्येक मतदाता निजी और स्वतंत्र रूप से अपने मतपत्र पर मतदान कर सकता है।

दिव्यांग मतदाताओं को आपकी काउंटी क्या सहायता प्रदान करती है, इस बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, कृपया अपने काउंटी मतदाता सूचना गाइड की जाँच करें या अपनी काउंटी से संपर्क करें। काउंटी की सपंर्क जानकारी sos.ca.gov/elections/voting-resources/county-elections-offices पर उपलब्ध है।

मतदान स्थल पर या मतदान केन्द्र में मतदान

यदि आपको अपने मतपत्र पर निशान लगाने के लिए सहायता की आवश्यकता है, तो आप अपनी सहायता के लिए अधिकतम दो लोगों का चयन कर सकते हैं। यह व्यक्ति इनमें से नहीं हो सकता:

- आपका नियोक्ता या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपके नियोक्ता के लिए काम करता है
- आपका श्रमिक संघ नेता या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपके श्रम संघ के लिए काम करता है

सड़क के किनारे मतदान आपको मतदान क्षेत्र के अधिक से अधिक निकट पार्क करने की सुविधा प्रदान करता है। चुनाव अधिकारी आपके पास हस्ताक्षर करने के लिए रोस्टर, एक मतपत्र और आपकी आवश्यकता की कोई भी अन्य मतदान सामग्रियां लाएँगे, फिर चाहे आप सड़क के किनारे खड़े हों या किसी कार में बैठे हों। यह पता करने के लिए अपने काउंटी के चुनाव कार्यालय से संपर्क करें कि आपके मतदान स्थल या मतदान केन्द्र पर सड़क के किनारे मतदान की सुविधा उपलब्ध है या नहीं।

सभी मतदान स्थलों और मतदान केन्द्रों का दिव्यांग मतदाताओं के अनुरूप होना आवश्यक है और वहाँ सुगम मतदान मशीनें उपलब्ध होंगी।

घर पर मतदान

डाक द्वारा दूरस्थ पहुंच योग्य मतदान (RAVBM) प्रणालियाँ विकलांग मतदाताओं को अपने मतपत्र घर पर प्राप्त करने और उन्हें चुनाव अधिकारियों के पास वापस भेजने से पहले स्वतंत्र और गुप्त रूप से निशान लगाने का एक सुगम विकल्प प्रदान करते हैं। अधिक जानकारी के लिए अपनी काउंटी के चुनाव अधिकारी से संपर्क करें।

ऑडियो एवं बड़े प्रिंट वाली मतदाता सूचना गाइडें

यह गाइड ऑडियो एवं बड़े फॉन्ट वाले संस्करणों में उपलब्ध है। गाइड अंग्रेज़ी, चीनी, हिन्दी, जापानी, खमेर, कोरियाई, स्पेनिश, टैगालॉग, थाई, और वियतनामी में निःशुल्क उपलब्ध है।

मंगवाने के लिए:

राज्य सचिव की निःशुल्क मतदाता हॉटलाइन को (888) 345-2692 पर कॉल करें

वेबसाइट *voterguide.sos.ca.gov* पर जाएँ

voterguide.sos.ca.gov/audio/hi पर ऑडियो MP3 संस्करण डाउनलोड करें

इन तिथियों को याद रखें!

★ ★

मतदान करना याद रखें!
चुनाव के दिन मतदान स्थल सुबह 7:00 बजे से रात 8:00 बजे तक खुले रहेंगे!

अक्तूबर

रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरू	शुक्र	शनि
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

5 अक्तूबर 2020
काउंटियाँ डाक-द्वारा-मत मतपत्र को डाक से भेजना शुरू करेंगी।

19 अक्तूबर 2020
मतदान करने के लिए पंजीकरण करने का अंतिम दिन। आप 15-दिन की मतदाता पंजीकरण समय-सीमा के बाद काउंटी चुनाव कार्यालय में या मतदान स्थल पर जाकर “सशर्त” पंजीकरण और मतदान कर सकते हैं।

नवंबर

रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरू	शुक्र	शनि
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

3 नवंबर 2020
चुनाव दिवस!

California Secretary of State
Elections Division
1500 11th Street
Sacramento, CA 95814

NONPROFIT
U.S. POSTAGE
PAID
CALIFORNIA
SECRETARY
OF STATE

OFFICIAL
ELECTION MAIL
Authorized by the U.S. Postal Service
®

सुरक्षित मतदान करें
CALIFORNIA

All California voters will receive a vote-by-mail ballot for the November 3, 2020, election. Learn more inside. **English: (800) 345-VOTE (8683) TTY/TDD: (800) 833-8683**	អ្នកបោះឆ្នោតទាំងអស់ក្នុងរដ្ឋ California នឹងទទួលបាន សន្លឹកឆ្នោតបោះតាមសំបុត្រសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី **3 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2020** ។ សម្រាប់សំណួរ ឬជំនួយអ្នកបោះឆ្នោត សូមហៅមកលេខខាងក្រោម ។ ខ្មែរ**/Khmer: (888) 345-4917**
Todos los votantes de California recibirán una boleta electoral de voto por correo para la elección del 3 de noviembre de 2020. Para preguntas o asistencia al votante, llame al número a continuación. **Español/Spanish: (800) 232-VOTA (8682)**	모든 캘리포니아 유권자는 **2020**년 **11**월 **3**일 선거를 위한 우편 투표지 받게 됩니다. 문의 사항 또는 유권자 지원을 원하시면, 아 래 전화번호로 연락해주십시오. 한국어**/Korean: (866) 575-1558**
所有加州選民將收到用於 **2020** 年 **11** 月 **3** 日選舉的郵寄投票選票。如有疑問或需要提供選民協助，請致電下列號碼。 中文**/Chinese: (800) 339-2857**	Tatanggap ang lahat ng botante ng California ng balota para sa pagboto sa pamamagitan ng koreo para sa halalan sa Nobyembre 3, 2020. Para sa mga katanungan o tulong sa botante, mangyaring tawagan ang numero sa ibaba. **Tagalog: (800) 339-2957**
कैलिफोर्निया के सभी मतदाताओं को **3 नवंबर, 2020** के चुनाव के लिए 'डाक-द्वारा-मतदान करें' मतपत्र प्राप्त होगा। प्रश्नों या मतदाता सहायता के लिए, कृपया नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। हिन्दी **/Hindi: (888) 345-2692**	ผูออกเสียงลงคะแนนในรัฐแคลิฟอรเนียทุกคนจะ ไดรับบัตรเลือกตั้งประเภทลงคะแนนเสียงผานทาง ไปรษณียสำหรับการเลือกตั้ งที่จะจัดขึ้นในวันที่ **3** พฤศจิกายน **2020** หากมีขอสงสัยหรือตองการความชวยเหลือ โปรดโทรติดตอหมายเลขดานลาง ภาษาไทย **/Thai: (855) 345-3933**
すべてのカリフォルニア州有権者には 2020 年 11 月 3 日選挙の郵便投票用紙が送られます。お問 い合わせまたは有権者の支援に関しては、以下 の番号までお電話ください。 日本語**/Japanese: (800) 339-2865**	Tất cả các cử tri California đều sẽ nhận được lá phiếu bầu bằng thư cho kỳ bầu cử vào **ngày 3 tháng Mười Một, 2020.** Nếu có thắc mắc hoặc cần giúp về bầu cử, xin gọi số điện thoại dưới đây. Việt ngữ **/Vietnamese: (800) 339-8163**

OSP 20 150162